लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[पाँचवाँ सत्र
Fifth Session]

Preservation Unit.
Fumigated
On 16-1-84
Parliament Library

[खंड 19 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol.XIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 19—मंगलवार, 20 अगस्त, 1968/29 श्रावण, 1890 (शक)

No. 19—Tuesday, August 20, 1968/Sravana 29, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
541	रूस को निर्यात किये जाने वाले जूतों का मूल्य	Prices of shoes for export to USSR... ...	1477-1480
543	सोडियम नाइट्रेट का मूल्य	Price of Sodium Nitrate	1481-1482
544	भारत में फोटो तैयार करने वाले उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Photo Processing Equipments in India ...	1482-1483
545	दुर्गापुर मिश्रित धातु इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Alloy Steel Plants, Durgapur	1483-1487
546	नयी रेलवे लाइनों का निर्माण	Laying of New Railway Lines	1487-1492
547	कोरबा क्षेत्र में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की बांकी कोयला खान से तारों की चोरी	Theft of Cables from Banki Colliery of NCDG in Korba Region ...	1492-1493
548	शराब का आयात	Import of Wines	1493-1496
अ. सू. प्र. सं. /S. N. Q. No.			
7	संसद-सदस्यों को आवासों का नियतन	Allotment of Accommodation to M.Ps. ...	1496-1503

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. सं./S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
542	रूस को मंत्री स्तर का प्रतिनिधि मंडल	Ministerial Delegation to USSR ..	1503

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

549 माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर — Mining and Allied Machinery Corporation Durgapur 1503–1504

550 भारत का विदेश व्यापार — India's Foreign Trade ... 1504

551 कारों का गुण प्रकार — Quality of Cars .. 1504–1505

552 हातकणगले स्टेशन (दक्षिण मध्य रेलवे) पर रेल गाड़ियों की टक्कर — Collision at Hatkanagale Station (S.C.Rly.) 1505–1506

553 रांची में भारी मशीन निर्माण संयंत्र — Heavy Machine Building Plant, Ranchi ... 15 6

554 वाद्य यंत्रों का निर्यात — Export of Musical Instruments ... 1506–1507

555 रेलवे माल यातायात — Railway Goods Traffic ... 1507

556 अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड — Ashok paper Mills Ltd. ... 1507–1508

557 खादी ग्रामोद्योग आयोग — Khadi and Village Industries Commission .. 1508

558 औद्योगिक सहयोग — Industrial Collaboration 1508–1509

559 मोटर गाड़ियों का निर्माण — Manufacture of Motor vehicles ... 1509

560 जापानी औद्योगिक पद्धति का अध्ययन — Study of Japanese Industrial System ... 1509–1510

561 रेलवे मंत्री की विदेश यात्रा — Visit by Railway Minister Abroad... ... 1510

562 टिटेनियम डाई-आक्साइड कारखाना — Titanium Dioxide Plant .. 1510–1511

563 राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति — Appointment of Chairman of State Trading Corporation 1511–1512

564 कुलटी इस्पात कारखाना — Kulti Steel Plant ... 1512-1513

565 नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस, कलकत्ता — National Instruments, Calcutta — 1513

566 डेलटनगंज तथा पटना के बीच सीधी रेलगाड़ी — Direct Train between Daltonganj and Patna 1513

ता.प्र.संख्या /S. Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
567 मिश्रित धातुओं और विशेष इस्पात का उत्पादन	Production of Alloys and Special Steel ...	1514
568 फायरमैनों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Firemen	1514
569 पूर्वी यूरोप के देशों को भारतीय सामान का पुनर्निर्यात	Re-Export of Indian Goods by East European Countries	1515
570 चुनावों के लिये मैसर्स डोडसाल (प्राईवेट) लिमिटेड द्वारा कांग्रेस दल को चन्दा दिया जाना	Donations by M/s. Dodsal (P) Ltd. to the Congress Party for Election Purposes ..	1515-1516
अता. प्र. सं./U.S.Q.Nos.		
4421 सोडियम नाइट्रेट का आयात	Import of Sodium Nitrate ...	1516-1517
4422 अखिल भारतीय रैलवे संस्था कर्मचारी संघ से ज्ञापन	Memorandum from All India Railway Institute Employees Union	1517
4423 परिचय पत्र के गुम हो जाने पर भोपाल स्टेशन पर एक संसद् सदस्य द्वारा टिकट का खरीदा जाना	Purchase of Ticket by an M.P. at Bhopal Station consequent on the loss of his Identity Card	1517-1518
4424 हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम के अधिकारियों के विदेशों के दौरे	Foreign Tours by Officers of Handi-crafts and Handlooms Export Corporation ...	1518-1519
4425 बागान उद्योग में विदेशी कम्पनियां	Foreign Companies in Plantation Industry	1519-1521
4426 बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण कार्य का गैर-सरकारी उद्योगपतियों को दिया जाना	Allotment of Fabrication work for Bokaro Steel Plant to Private Industrialists ...	1521-1522

अता.प्र संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
4427 टायरों के रेयन के धागे का पोलैंड को निर्यात	Export of Rayon Tyre Yarn to Poland ...	1523
4428 महिलाओं के कुरते तथा जोधपुरी कोट का निर्यात	Export of Ladies Kurta and Jodhpuri Coat	1523
4429 खादी के सिले हुए कपड़ों पर से बिक्री कर हटाना	Abolitation of Sales Tax on Khadi Garments	1524
4430 रूरकेला इस्पात कारखाने को पानी की सप्लाई	Water Supply to Rourkela Steel Plants ...	1524
4431 रूरकेला में विस्थापितों को दुकानों का आवंटन	Allotment of shops to displaced persons at Rourkela	1524-1525
4432 रूरकेला इस्पात कारखाने में विस्थापितों की भर्ती	Recrutiment of displaced persons in Rourkela Steel Plant ...	1525-1526
4433 छोटी कार परियोजना	Small Car Project ...	1526
4434 सेन्ट्रल प्रोविन्सेस रेलवे कम्पनी लिमिटेड	C.P. Railway Company Ltd. ..	1526-1527
4435 साम्भर झील नमक रेलवे स्टेशन से गाड़ीयों में लादना	Loading of Sambhar Lake Salt at Railway Stations	1527
4436 माल डिब्बों में पत्थरों का लदान	Loading of Wagons with sotnes	1527-1523
4437 भारतीय रेलवे कर्मचारियों का वर्गीकरण	Classification of Indian Railway Staff ..	1528
4439 हाई प्रैशर सिलेण्डरों का निर्माण और आयात	Import and manufacture of High Pressure Cylinders	1529
4440 मैसूर में खनिज	Minerals in Mysore	1529
4441 ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors ..	1530
4442 गुजरात में औद्योगिक बस्तियां	Industrials Estates in Gujarat	1530-1531
4443 गुजरात में मध्यम उद्योग	Medium Industries in Gujarat	1531

4444 गुजरात में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in Gujarat ..	1531–1532
4445 चार पहिये वाले माल डिब्बे	Four Wheeler Wagons ...	1532
4446 खनन पट्टे का दिया जाना	Grant of Mining Lease ...	1532–1533
4447 गुजरात में खनिज	Minerals in Gujarat ..	1533
4448 गुजरात का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Gujarat	1533
4449 अधिक दबाव वाले सिलिंडर	High Pressure Gas Cylinders	1533–1534
4450 रोहतक और गोहाना के बीच गाड़ी का समय से चलना	Punctuality of trains between Rohtak and and Gohana	1534–1535
4451 धुरी बक्सों का तोड़ा जाना और तांबे का चुराया जाना	Breaking of Axle Boxes and Stealing of Copper ...	1535
4452 उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्ती परियोजना	Industrial Estates Project in Uttar pradesh	1536
4454 भारत इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के विस्तार की योजनायें	Expansion Schemes for Bharat Electricals Ltd., and Hindustan Machines Tools ...	1536
4455 नागदा में रेयन कारखाना	Rayon Factory at Nagda	1536–1537
4456 नागदा में बिड़ला के कारखाने	Birlas' Factory at Nagda	1537
4457 सोवियत संघ को वैगनों का निर्यात	Export of wagons to Soviet Union	1537
4458 बीकनेर डिविजन में नये स्टेशन	New Stations in Bikaner Division ...	1537–1538
4459 हार्ड बोर्डों, ब्लैक बोर्डों तथा टिम्बर पार्टिकल बोर्डों का वर्गीकरण	Classification of Hard Boards, Black Boards and Timber Particle Boards	1538

4460 तीसरे दर्जे के टिकट की राशि की वापसी का दावा	Claim for Refund of amount of III class ticket	1538–1539
4461 नवलगव्हान तथा मलसेलु स्टेशन के बीच बस तथा गाड़ी में टक्कर	Bus-Train collisions between Navalgohan and Malsailu Stations (Central Railway)	1539
4462 निर्यात करनेवाले कारखाने	Export Units	1539–1540
4463 राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोरबा कारखाने के क्षेत्रीय महाप्रबन्धक के विरुद्ध जांच	Enquiry against area General Manager, N.C.D.C. Kobra Unit ...	1540
4464 दिल्ली-गाजियाबाद सैक्शन में रेल गाड़ीयों का देरी से चलना	Late running of trains on Delhi-Ghaziabad section	1540–1541
4465 फरीदाबाद और दिल्ली सैक्शन में रेल गाड़ीयों के चलने में विलम्ब	Delay in the running of trains on Faridabad Delhi Section	1541
4466 मध्य प्रदेश में कोयले का उत्पादन	Production of coal in Madhya Pradesh	1541–1542
4467 मफतलाल व्यापार गृह	Mafatlal Business Houses ...	1542
4469 सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने में विनियोजन	Capital investment in Public Sector Steel Plants	1542–1543
4470 पशुओं का निर्यात	Export of Animals	1543
4471 श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के रेलवे अधिकारियों की सेवा निवृत्ति	Retirement of Class I and II Railway Officers – ...	1543–1544
4472 चोरी के मामले	Theft and Pilferage cases	1544
4473 थुरमीटा से भपतियाही तक पुनः रेलवे लाइन को चालू करना	Resortation of Railway Communication from Thurbhita to Bhaptiahi	1544–1545

4474	बिहार में सिग्रेट कारखाने	Cigarette Factories in Bihar	1545
4475	बोकारो इस्पात कारखाने के लिये रूसी इन्जीनियर	Russian Engineers for Bokaro Steel Plant ..	1545-1546
4476	मद्रास में कपड़ा मिलें	Textile Mills in Madras ..	1546-1547
4477	कागज का मूल्य	Prices of Paper ..	1547
4478	सूती कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Industry	1547-1548
4479	उत्तर रेलवे के दिल्ली क्षेत्र में स्थानीय रेल गाड़ियों का देर से चलना	Late running of Local trains in Delhi Area of Northern Rly.	1548
4480	बोकारो इस्पात परियोजना के लिये मशीन का निर्माण	Manufacture of Machinery for Bokaro steel Project	1548-1549
4481	सफदरजंग तथा गाजियाबाद के बीच शटल गाड़ी	Shuttle train between safdarjang and Ghaziabad ...	1549
4482	नई दिल्ली में पटेल रोड पर रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल	Over bridge on Railway crossing at Patel Road, New Delhi	1549
4483	काण्डला का निर्बाध क्षेत्र	Free Zone of Kandla	1549-1550
4484	दिल्ली मेन स्टेशन के बाहरी सिग्नल पर गाड़ीयों का रुकना	Stoppage of Train at Outer Signal of Delhi Main Station	1550
4486	इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की रूस यात्रा	Visit by Indian Jute Mills Association's Delegation to USSR ...	1550-1551
4487	दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Durgapur Alloy Steel Plant ...	1551
4488	सीसे और तांबे के निक्षेप	Deposits of Lead and Copper	1551-1552
4489	टेनिस की गेंदों के निर्माण के लिए लाइसेन्स	Licences far Manufacturing of Tennis Bills	1552

4490	रेलवे में सुरक्षा उपायों सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त शाह समिति	High Powered Shah Committee on security measures on Railways	1552
4491	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा लक्नमवर्ग की टोरिस्टो स्टील कारपोरेशन के बीच करार	Agreement between Hindustan Steel Ltd. and Toristo Steel Corporation of Luxemberg	1553
4492	टक्समाको, कलकत्ता में तालाबन्दी	Lock-out in Texmaco, Calcutta	1553
4493	दक्षिण वियतनाम के साथ व्यापार	Trade with South Vietnam ...	1554
4494	जूतों का निर्यात	Export of Shoes	1554-1555
4495	रेयन के कपडे का निर्यात	Export of Rayon Fabrics	1555-1556
4496	सेंचुरी ऐनका	Century Enka	1556
4497	लोह अयस्क का उत्पादन	Production of Iron Ore	1556-1557
4498	कोयला खानों का बन्द होना	Closure of Coal Mines —	1557
4499	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation ...	1557-1558
4500	दिल्ली-मुगलसराय पार्सल गाड़ी	Delhi-Mughal Sarai Parcel Train	1558
4501	सरकार द्वारा उद्योगों को अपने नियंत्रण में लेना	Industries takenover by Government ...	1558
4502	कोकिंग कोयले का उत्पादन	Production of Coking coal	1558-1559
4503	दिल्ली-गाजियाबाद सैक्शन में स्थानीय रेलगाड़ियों में भीड़	Over-crowding in Local Trains on the Delhi-Ghaziabad Section —	1559

4504	कोका-कोला चूर्ण का आयात	Import of Coca-Cola Powder	1559
4505	इटारसी-प्रयाग रेल लाइन पर अतिरिक्त रेल गाड़ी	Additional Train on Itarsi–Prayag Route ...	1559-1560
4506	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए आयातित कच्चा माल	Imported Raw Materials for Small Scale Industries	1560
4507	दिल्ली-बम्बई मेल एक्सप्रेस गाड़ियां	Delhi-Bombay Mail/Express Trains ..	1560–1561
4508	स्वेज नहर का बन्द होना	Closure of Suez Canal	1561
4509	देहरादून एक्सप्रेस के साथ लगे भोजन यान को हटाना	Abolition of Dining Car Attached to Dehra-dun Express	1561–1562
4510	हिमाचल प्रदेश में चूने के पत्थर के निक्षेप	Deposits of Limestone in Himachal Pradesh	1562–1563
4511	रेलवे टिकटों का पकड़ा जाना	Seizure of Railway Tickets	1563
4512	वाणिज्य मंत्रालय में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption Cases in Ministry of Commerce	1563–1564
4513	औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में कर्मचारी वृन्द का सर्वेक्षण	Survey of Staff in Ministry of Industrial Development and Company Affairs ...	1564–1565
4514	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का विस्तार	Expansion of Public Sector Steel Plants ...	1565
4515	रेलवे में विद्युत चालित संगणक लगाना	Installation of Electronic Computers on Railways	1565–1566
4516	बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुनः चालू करना	Re-opening of closed Textiles Mills ..	1566-1567

तारा.प्र.संख्या./U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
4517 एलिपी-कोचीन क्षेत्र में रेलवे लाइनें	Railway lines in Allepey-Cochin Area ...	1567
4521 बिना टिकट यात्रा	Travelling Without Tickets	1567
4522 बिना टिकट यात्रा रोकने पर व्यय	Expenditure on checking Ticketless travel..	1568
4523 पश्चिम रेलवे में जंजीर खींचने की घटनाएं	Chain pulling on western Railway ..	1568
4524 कनिष्ठ सहायक स्टेशन मास्टरों तथा युद्ध सेवा वाले अभ्यार्थियों की पदोन्नति	Promotion of Junior Assistant Station Masters and War Service Candidates ..	1568
4525 रेलवे कर्मचारियों को गृह निर्माण सोसाइटी	House Building Society for Railway Employees	1569
4526 कोकिंग कोयले का मूल्य	Price of Coking coal	1569-1570
4527 भारत में इस्पात की मांग के बारे में अध्ययन	Studies on Steel demands in india	1570
4528 सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में हड़तालें	Strike in Public Sector Steel Plants...	1570-1571
4530 भारतीय खान विभाग तथा भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग का पुर्नगठन	Reorganisation of Indian Bureau Mines and Geological Survey of India	1571
4531 दूरबीनों का निर्माण	Manufacture of Telescopes ..	1571-1572
4532 रेलवे में सीनियर स्केल अधिकारियों के साथ काम कर रहे स्टेनोग्राफर	Stenographers attached with Senior scale officers on the Railways	1572
4533 कच्चे माल का निर्यात	Export of Raw Materials ...	1573
4534 राज्य व्यापार निगम	State Trading Corporation	1573-1574
4535 मेरठ रेलवे स्टेशन के सामान की चोरी	Theft of Goods from Meerut Railway Station	1574

4536	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कारखाने	Hindustan Machine Tools factories	1574–1575
4537	पानी के नलों का निर्माण	Manufacture of Water Pipes	1575
4538	चन्डसारा हाल्ट स्टेशन में रेलवे कर्मचारियों के लिये मकान	Houses for Railway Employees in Chandsara Halt Station	1575–1576
4539	खादी ग्रामोद्योग आयोग	Khadi and Village Industries Commission ..	1576
4540	गाजियाबाद शटल को मेरठ नगर तक बढ़ाना	Extension of Ghaziabad shuttle to Meerut City	1576
4541	यालविगी रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना से उत्पन्न दावों का निपटारा	Settlement of claims arising out of Accident at Yalvigi Railway Station	1576–1577
4542	इलायची की खेती	Cardamom Cultivation	1577
4543	अलाभकारक रेलवे लाइनों को बन्द करना	Discontinuance of Uneconomic Railway Lines	1577
4544	रेलवे नियमों में संशोधन	Amendment of Railway Rules	1577–1578
4545	पाकिस्तान में भारतीयों के कारखानों को जब्त करना	Confiscation of Indians Factories in Pakistan	1578
4546	पश्चिम बंगाल में पटसन की मिलें	Jute Mills in West Bengal	1578
4547	गैर सरकारी विदेशी उद्योग	Private Foreign Industries	1579
4548	विदेशों द्वारा नियन्त्रित ऐल्यूमीनियम कम्पनी द्वारा उधार	Borrowing by a Foreign Controlled Aluminium Company	1579–1580
4549	रेलवे इंजन चालकों की शराब पीने की आदत	Drinking Habits of Railway Engine Drivers	1580

4550 दुर्गापुर इस्पात कारखाने में पुर्जों की कमी तथा उनका जमा होना	Shortage and Accumulation of Spares in Durgapur Steel Plant	1581
4551 दुर्गापुर में कोयला धोने का कारखाना	Durgapur Coal Washery ...	1581-1582
4552 छोटी कार परियोजना	Small Car Project	1582
4553 खराब रेलों का आयात	Import of Defective Rails	1582-1583
4554 दक्षिण रेलवे पर स्टेशनों के नाम दर्शाने वाले बोर्ड	Boards indicating Names of Stations on Southern Railway ...	1583
4556 कुल्टी कारखाना क्षेत्र में भूमि का धंसना	Land subsidence in Kulti Factory Area ...	1583-1584
4557 अप्रयुक्त औद्योगिक क्षमता	Idle Industrial Capacity	1584
4558 सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Factory in public Sector... ..	1585
4559 स्कूटरों का उत्पादन	Production of Scooters	1585-1586
4560 आयात मूल्यों में कमी	Reduction in Import Prices	1586-1587
4561 ग्रामोद्योग समिति	Committee for Rural Industries	1587
4563 दिल्ली-बम्बई लाइन पर सवारी गाड़ियां	Passenger Trains on Delhi Bombay line ...	1587
4564 गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Industries in the Private Sector	1587-1589
4565 जापानी सहायता से केरल में औद्योगिक परियोजनाएं	Industrial projects in Kerala with Japanese Assistance	1589
4566 मोंबर का निर्माण	Manufacture of drilling rigs	1589-1590
4567 घड़ियों के पुर्जों का निर्माण	Manufacture of watch components... ..	1590
4568 खनिज तथा धातु व्यापार निगम	Minerals and Metals Trading Corporation	1590-1591
4569 राजस्थान के लिये स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंस	Industrial Licences sanctioned for Rajasthan	1591

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
4570 बिजली से चलने वाले हलों का निर्माण	Manufacture of Power Tillers ..	1592
4571 पथारिया स्टेशन के निकट सीमेंट कारखाना	Cement Factory near Patharia Station ...	1592
4572 सागर नगर और सागर रेलवे स्टेशन के बीच फाटक पर पुल	Bridge on level crossing between Sagar City and Sagar Railway Station.. ...	1592–1593
4573 बीना, सागर और कटनी स्टेशनों पर शायिकाओं का आरक्षण	Reservation of Sleeping berths at Bina, Sagar and Katni Station	1593
4574 लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries ...	1593–1594
4575 बगलकोट सीमेंट फैक्टरी	Bagalkot Cement Factory —	1594
4576 अन्दमान द्वीप में प्लाईवुड कारखाना	Plywood factory in Andaman Island —	1594
4577 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्लाईवुड का उद्योग	Plywood industry in the Andaman and Nicobar Islands ... —	1594–1595
4578 अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Andaman and Nicobar Islands	1595
4579 मध्य रेलवे द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं	Schemes Pending Implementation with Central Railway —	1595–1596
4580 मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों को आर्थिक सहायता	Financial Assistance to Textile Mills in Madhya Pradesh	1596
4581 सहकारी रुई मिलों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Co-operative Cotton Mills	1596–1597
4582 मध्य प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Madhya Pradesh ...	1597

4583 मध्य रेलवे पर खुले माल डिब्बों में भेजा गया गेहूं	Wheat Carried in open Wagons on Central Railway	1597
4584 मनीला तथा सीसल रस्से का आयात	Import of Manila and Sisal Rope	1597–1598
4585 मध्य प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Factory in Madhya Pradesh ...	1598
4587 सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा आयात की गई मशीनें	Import of Machinery by Irrigation and Power Ministry	1598
4588 कच्चे माल का आयात	Import of Raw Materials	1598
4589 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जाने वाले औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings run by U.P. Government	1599
4590 उद्योगों का विकास	Development of Industries	1599
4591 सरकारी ऋणों तथा देय राशि की अदायगी न करने के लिये उत्तर प्रदेश के मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against U.P. Mill-Owners for Non-Payment of Government loans and dues ...	1599
4592 रेलवे में पदों के लिये विज्ञापन	Advertisement of Posts in Railways	1599–1600
4593 गोरखपुर में रेलवे सप्ताह	Railway week at Gorakhpur ..	1600
4594 रेलवे डिब्बों तथा उपकरणों का निर्यात	Export of Railway Wagons and Equipment	1600
4595 किरकी से पट्टी तक यात्री गाड़ी से गोला बारुद के बक्सों को भेजा जाना	Despatch of boxes of ammunition by Passenger train from Kirkee to Patti ...	1600–1601
4596 दिल्ली तथा नई दिल्ली में रेल कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधाएं	C.G H.S. facilities for Railways Employees in Delhi and New Delhi	1601–1602

4597	सोडियम सल्फेट	Sodium Sulphate	1602
4598	उत्तर प्रदेश में कागज बनाने का कारखाना	Paper Mill in U.P.	1602–1603
4599	सोडियम सल्फेट का उत्पादन	Production of Sodium Sulphate	1603
4600	रेलवे बोर्ड की सेवाओं में आशुलिपिकों की वरिष्ठता	Seniority of stenographers in Railway Board's Services	1603–1604
4601	रेल की पटरियों में दरारें	Breaches in Railway Tracks	1604
4602	अलकली एण्ड कैमिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	Alkali and Chemical Corporation of India Ltd. ..	1605
4603	उत्तर रेलवे मुख्यालय में स्टेनोग्राफर	Stenographers in Northern Railway Headquarters Office	1605–1606
4604	उत्तर रेलवे के मुख्य कार्यालय में स्टेनोग्राफर	Stenographers in Northern Railway Headquarters Office	1606
4605	'ए' ग्रेड चार्जमैनों का चयन	Selection of 'A' Grade Chargemen ...	1606–1607
4606	प्रशिक्षु मैकेनिकों को छात्रवृत्तियां	Stipend to apprentice mechanics ..	1607
4607	भारत में विदेशी सम्पत्ति	Foreign property in India	1607–1608
4608	खानों को रेलवे लाइनों से मिलाना	Linking of mines with Railways Lines —	1608
4609	भारत में खनिजों का सर्वेक्षण	Survey of Minerals in India	1609
4610	महाराष्ट्र राज्य में विद्युत चालित करघों का आवंटन	Allotment of Powerlooms in Maharashtra State	1609–1610
4611	रूस को निर्यात के लिये रेलवे वैगन	Railway Wagons Meant for Export to Russia	1610

4612 सहायक निर्माण कार्य निरीक्षक — Assistant Inspectors of Works ... 1611

4613 उत्तर रेलवे में सहायक स्थायी-रेल मार्ग निरीक्षक (असिस्टैंट पर्मानेंट वे इन्सपैक्टर) — Assistant P.W. Is. in Northern Railway ... 1612

4614 गया काटन मिल — Gaya Cotton Mill 1612

4615 बिहार काटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड फुलवाड़ी शरीफ, पटना — Bihar Cotton Mills (P) Ltd. Phulwari Shariff, Patna .. 1612-1613

4616 चुर्क सीमेंट कारखाना (उत्तर प्रदेश) — Churk Cement Factory (U. P.) 1613

4617 उत्तर प्रदेश में लोहे की चादरों की कमी — Shortage of Iron Sheets in U. P. 1613–1614

4618 रूस को माल डिब्बों का निर्यात — Export of Railway Wagons to USSR ... 1614

4619 पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय फर्में और संस्थान — Indian Firms and Establishments in Pakistan Custody 1614

4620 रेलों के विकास के लिये अर्जेनटाइना की सहायता — Assistance to Argentina for Development of Railways 1614–1615

4621 भारतीय रेलवे इन्जीनियर सेवा — Indian Railway Service of Engineers .. 1615

4622 अभ्रक खान उद्योग — Mica Mining Industry 1615–1616

4623 मणीपुर में उद्योगों का स्थापित किया जाना — Setting up of Industries in Manipur 1616–1617

4624 बिहटा स्टेशन पर गाड़ियों का रुकना — Stoppage of Trains at Bihta Station ... 1617

4625 किऊल स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों के लिये मकान — Quarters for Railway Employees at Kiul Station 1617

4639	मंदी के कारण औद्योगिक कारखानों का बन्द किया जाना	Closure of Industrial Units due to Recession	1625–1626
4640	औद्योगिक कारखानों में कम उत्पादन	Low Production in Industrial Units ..	1626–1627
4641	राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of State Trading Corporation	1627
4642	मैसर्स बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी	M/s Bennet Coleman & Co.	1627–1628
4643	नरसिंहपुर जिले की गदरवाड़ा तहसील में कोयला क्षेत्र का सर्वेक्षण	Survey of Coal in Gadarwara Tehsil, Narsinghpur, District	1628
4644	औद्योगिक संस्थानों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Industrial Houses..	1628–1629
4645	बिड़ला एल्युमीनियम फैक्ट्री की स्वीकृत वार्षिक क्षमता	Annual Capacity sanctioned to Birlas Aluminium Factory	1629–1630
4646	रेलवे उपभोक्ता परामर्श-दातृ समितियां	Railway User's Consultative Committees ...	1630
4647	चाय बागान के प्रबन्धकों के प्रशिक्षण के लिये संस्था	Institute for training of Managers of Tea Gardens	1631
4648	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में विनियोजन	Investment in Hindustan Steel Limited ..	1631
4649	उत्तर रेलवे में यार्ड मास्टरों का चयन	Selection of Yard Masters on Northern Railway	1631–1632
4650	अफगानिस्तान के साथ व्यापार	Trade with Afghanistan	1632
4651	काफी का निर्यात	Export of Coffee	1632–1633
4652	चलचित्रों का निर्यात	Export of films ...	1633
4653	कपास तथा कपड़े का निर्यात	Export of cotton and cloth	1633–1634

4626 सूक्ष्म उपकरण परियोजना कोटा में उत्पादन	Production in Precision Instruments Project, Kota	1617-1618
4627 हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi ...	1618
4628 हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर	Hindustan Zinc Ltd., Udaipur	1618-1619
4629 राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में विनियोजन	Investment in National Coal Development Corporation	1619-1620
4630 राय बरेली से कानपुर तक गाड़ियां देर से चलना	Late Running of Trains from Rai-Bareli to Kanpur	1620
4631 अश्लील चित्र	Blue Films	1620
4632 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने में बनी मशीनों का निर्यात	Export of H. M. T.	1620
4633 भारत एल्युमीनियम कम्पनी की कोयना परियोजना	Koyna Project of Bharat Aluminium Co. ...	1621-1622
4634 लोहा और इस्पात तथा चीनी के कारखानों का केन्द्रीयकरण	Centralistion of Iron & Steel and Sugar Mills	1622-1623
4635 भारतीय कपड़ों की मांग	Demand for Indian Garments	1623
4636 अहमदाबाद तथा बम्बई के बीच बिजली से रेल-गाड़ियां चलाना	Running of electric trains between Ahmedabad and Bombay	1623-1624
4637 महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स, भावनगर तथा दुर्गा मिल्स काडी के लिये बैंक गारण्टी	Bank Guarantee for Mahalaxmi Textile Mills Bhavnagar and Durga Mills of Kadi	1624
4638 गोल्चा प्रापर्टीज लिमिटेड	Golcha Properties Ltd.	1624-1625

अता.प्र.संख्या / U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
4654 रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संघ का अभ्यावेदन	Representations from Railway Commercial Clerk's Association	1634
4655 आंध्र प्रदेश में तांबे के निक्षेप	Copper Deposits in Andhra Pradesh ...	1635
4656 विशाखापत्तनम में जस्ता पिघलाने की परियोजना	Zinc Smelter Project at Visakhapatnam ...	1635–1636
4657 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रेलवे कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Railway Employees	1636
4658 डाक एक्सप्रेस रेल-गाड़ियों के साथ तीसरी क्षेणी के डिब्बों को जोड़ना	Attaching of Third class Bogies to Mail/ Express Trains	1636–1637
4659 माधोसिंह तथा मिर्जापुर घाट (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच रेलवे लाइन पर पुलियों का निर्माण	Construction of culverts on Railway Track between Madhosingh and Mirzapur Ghat (N. E. Railway)	1637
4660 रुपये में अदायगी करने वाला व्यापार	Rupees Payment Trade	1637
4662 बोंगाइगांव से गोहाटी तक बड़ी लाइन का निर्माण	Extension of Broad Gauge line from Bongaigaon to Gauhati	1637–1638
4663 गुजरात में खनिज	Minerals in Gujarat	1638
4664 फ्लाइंग मेल के साथ बिना प्रकाश और पंखों के डिब्बों का लगाया जाना	Running of bogies of Flying Mail without light and fans	1638
4665 केन्द्रीय सेवायें	Central Services	1638–1639
4666 मुरादाबाद जंक्शन	Moradabad Junction	1639

4667 नई दिल्ली की मोती नगर तथा निकटस्थ बस्तियों में रेलवे कर्मचारियों को विभागीय चिकित्सा सहायता — Departmental Medical aid to Railway employees residing in Motinagar and adjoining colonies, New Delhi ... 1639–1640

4668 पिलखुवा स्टेशन पर मुरादाबाद गाड़ी नं. 1 का देर से पहुंचना — Late Arrival of No. 1 Moradabad train at Pilkhua Station 1640

4669 झांसी-कानपुर जंक्शन — Jhansi and Kanpur Junctions 1640–1641

4670 बांदा - लखनऊ एक्सप्रेस बांदा - कानपुर पैसेंजर गाड़ी — Banda-Lucknow Express and Banda-Kanpur Passenger Train 1641

4671 नंगल से उना तक बड़ी लाइन — B. G. Lines from Nangal to Una 1641–1642

4672 अखिल भारतीय रेलवे संस्था कर्मचारी संघ — All India Railway Institute Employees Union ... 1642

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance .. 1642

इजरायल के एक हवाई जहाज को अल्जीयर्स ले जाने के लिये उत्तरदायी तीन व्यक्तियों में से किन्हीं के पास भारतीय पासपोर्ट होने के समाचार — Reported carrying of Indian Passports by some of the persons responsible for hijacking an Israeli aircraft to Algiers... 1642

श्री हेम बरुआ — Shri Hem Barua 1643

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह — Shri Surendra Pal Singh ... 1643

सभा-पटल पर रखे गये पत्र — Papers Laid on the Table 1644

राज्य-सभा से सन्देश — Messages from Rajya-Sabha 1644

राज्य सभा द्वारा पास किये गये विधेयक — Bills, passed by Rajya-Sabha 1645

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
(1) भारतीय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1968	Indian Registration (Amendment) Bill 1968	1645
(2) बिहार राज्य विधान मंडल (शक्तियों का-प्रत्यायोजन) विधेयक, 1968	Bihar State Legislature (Delegation of Powers) Bill, 1968	1645
उप-प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Deputy Prime Minister	1645–1646
अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1965-66	Demands for Excess Grants (General), 1965–66	1646
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1965-66	Demands for Excess Grants (Railways) 1965-66	1646
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shrichand Goyal	1647
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	1647
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ...	1648
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra ..	1648
श्री चे. मु. पुनाचा	Shri C. M. Poonacha	1648
स्वर्ण (नियन्त्रण) विधेयक	Gold (Control) Bill	1652
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider, as reported by Joint Committee	1652
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	1652
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandeker	1658
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	1659
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	1660
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey	1660
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma	1660
श्रीमती इला पाल चौधरी	Shrimati Ila Pal Choudhary	1661

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री स.मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	1662
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	1663
श्री रवि राय	Shri Rabi Rai	1663
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee ...	1664
आयकर (दूसरा-संशोधन) नियम, 1968 में -भेरूपव करने के बारे में प्रस्ताव	Motion Re:Modifications to Income-Tax (Second Amendment) Rules, 1968	1664
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	1664
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar ...	1666
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	1666
कार्य-मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	1667
बाईसवां, प्रतिवेदन	Twenty second Report	1667

लोक-सभा
LOK-SABHA

मंगलवार 20 अगस्त, 1968/29 श्रावण, 1890 (शक)
Tuesday, August 20, 1968/Sravana 29, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रूस को निर्यात किये जाने वाले जूतों का मूल्य

***541. श्री शारदा नन्द** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस सरकार उन जूतों और अन्य माल का अधिक मूल्य देती है जो "भारत विंध्य" रिंग रोड, साउथ एक्सटेनशन, नई दिल्ली के माध्यम से खरीदे जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार इसके कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच करायेगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह अतिरिक्त धन भारत में अंशतः साम्यवादी गतिविधियों के लिये काम में लाया जाता है ; और

(घ) यदि हां तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं। सोवियत संघ को जूतों अथवा चमड़े के अन्य माल के निर्यात के लिये 'भारत विंध्य' राज्य व्यापार निगम के सहयोगी नहीं है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

Shri Sharda Nand : I want to know the quantity of sent by this firm and the quantity sent by others ?

Shri Dinesh Singh : I have just now started that no shoes or footwear have been sent by this firm to the Soviet Union through the S.T.C.

Shri Sharda Nand : Is it not a fact this company gets orders directly and they send the chappals and other things directly ?

Shri Dinesh Singh : How do they send ? I am saying that they do not send .

Shri R.S. Vidyarthi : The (a) portion of this question reads :

"whether it is a fact that the Russian Government offers higher prices for shoes and other goods . . . ."

"other goods" does not mean only leather goods, but also the other things which can be exported . Is it not a fact that Mr.Sanders the managing Director of Novelty Exporters who deal in shoes with Russia, was an employee of the Russian Trade Comissioner and he set up this firm on the instant of Russia . Russia placed orders on this firm directly whereas as per rules . All exports should be made through the S.T.C., but when the S.T.C. refused to confirm the orders, Russian Government exported pressure owing to which the S.T.C. ultimately had to yield and confirmed the orders and the goods were exported to Russia ? Is it also a fact that this firm has direct contacts with Russia and whenever Russia wants to lower the prices in the Market . She cotacts this firm, bargains with it and compets the S.T.C. to supply goods at lower rates ? For instance, I want to quote . . .

अध्यक्ष महोदय : नहीं उन्हे उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है । वह पहले ही पर्याप्त समय ले चुके हैं । अब मंत्री महोदय को उत्तर देने दें ।

Shri Dinesh Singh : You have permitted this question in regard to "Bharat-Vanidhya" . The hon . Member is talking about export by some other firm . Regarding that I will have to find out .

Shri Achal Singh : I want to know which firms, other than the S.T.C. supply the shoes to Russia directly ?

Shri Dinesh Singh : None else supplies shoes other than the S.T.C. Only the S.T.C. supplies shoes to foreign countries since it is a channelised item .

Shri Shiv Charn Lal : Is it a fact that in Agra, the labourers who make shoes without the help of machines are paid the wages per pair of shoes just equal to the cost of one pair of shoes manufactured in big factories . If so, why do not the Government encourage the shoe industry ?

Shri Dinesh Singh : If the hon. Member hands over the question to me which he has written down . I will give an answer to it .

Shri Hukam Chand Kachwai : The authorities exercise a lot of partiallty in regard to placing orders to small traders and shoe makers for export of shoes . Therefore, will the Government see that the traders deposit all the goods to the S.T.C. and S.T.C. alone may export the shoes so that there are no malpracties at the lover level ?

Shri Dinesh Singh : I have just now said that shoe trade is a channelised item . It is correct that the S.T.C. do not manufacture shoes theirselves ; they export shoes after purchasing those from someone else . The hon. Member has mentioned about partialism This can be said whenever one likes to say so. If he quotes a particular case, I will go into that .

Shri Hukam Chand Kachwai : I will give him proofs for this .

श्री हेम बरुआ : यद्यपि रूस तथा अन्य पूर्व यूरोपीय देशों से हमारा व्यापार रुपयों के भुगतान में होता है, क्या यह सच है कि रुपये में भुगतान वाला व्यापार समझौता तो एक मिथ्या नाम है जबकि हम विभिन्न देशों के मध्य माल के आदान-प्रदान का आश्रय लेते हैं। इसके अतिरिक्त, क्या यह सच है कि दामों का मूल्यांकन रुपये के आधार पर होता है ?

श्री विनेश सिंह : हां, यह माल के आदान-प्रदान का व्यापार है तथा दामों का मूल्यांकन भारतीय मुद्रा में होता है ।

श्री स०मो० बनर्जी : मुझे प्रसन्नता है कि सोवियत संघ तथा अन्य पूर्व योरोपीय देशों को जूतों के निर्यात में वृद्धि हो रही है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा मैसर्ज कूपर एलन एण्ड कम्पनी, कानपुर, को कुछ क्रयादेश दिये गये हैं ताकि उनके उद्योग को बचाया जा सके, यदि हां तो उनके कितने मूल्य के क्रयादेश दिये गये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : राज्य व्यापार निगम ने मैसर्ज कूपर ऐलन एण्ड कम्पनी को कुछ क्रयादेश दिये हैं परन्तु मैं एकदम यह नहीं बता सकता कितने ठीक कितने मूल्य के आदेश दिये हैं ।

Shri O.P. Tyagi : Are the Govt. aware that Russia and America send goods to certain political parties here who secure financial help by selling those goods ? In this way the political parties are being helped financially. Have the Govt. ever assess how much goods come over here to certain political parties and missionaries from Russia and America, what is the cost, whether those goods are distributed or sold out; and if those goods are sold, do the Govt. propose to put certain restrictions thereon ?

Shri Dinesh Singh : The House is aware that our trade is based on free market economy I myself would like to ask from the hon Member how should be find out as to how much goods were purchsed, to whom it was sold and who sold and at what rate? The Government has put no such restrictions . We have got information about rates etc. of only those goods which are channelised through the S.T.C. As regards the rates of purchase and sale by private companies, do they send all these things to me in writings ?

Shri O.P. Tyagi : Not through the S.T.C., the goods come here directly and sold . The donated goods are sold and, thus, indirect financial help is given to the political parties . Have the Govt. tried to find out that the donated goods are being sold, and if so would the Govt. check it ?

Shri Dinesh Singh : The hon . Member has said something new in regard to donations. It is obvious that the donated goods are not meant for sale . If it is sold, it is wrong . If the hon. Members gives information in this behalf we will certainly investigate it .

Shri O.P. Tyagi : It is being sold here quite openly .

अध्यक्ष महोदय : इस समय हम वाद-विवाद नहीं करने जा रहे हैं ।

श्री लोबो प्रभु : क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि इस बात को न देखते हुए कि देश में जूतों के मूल्य बढ़ गये हैं, पिछले वर्ष की तुलना में अब की बार जूतों के मूल्य 6रु० प्रति जोड़ा घटा दिये गये हैं ? दूसरे, अन्य देशों को भेजे गये जूतों के मूल्य की तुलना में रूस को भेजे गये जूतों के मूल्य क्या हैं । इस सम्बन्ध में वह यह प्रमाणित करें कि यूरोप की स्वतन्त्र मंडी में बेचे गये जूतों के मूल्यों की तुलना में रूस में उस प्रकार के भेजे गये जूतों के मूल्य आधे भी नहीं हैं ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य भली प्रकार जानते हैं कि जूतों के साधारणतया कोई मूल्य निश्चत नहीं है । जूतों के मूल्य उसकी किस्म पर निर्भर करते हैं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं औसतन मूल्यों की बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री दिनेश सिंह : यदि वह किसी विशिष्ट प्रकार के जूतों के मूल्य बताने को कहेंगे तो मैं प्रसन्नता से उन्हें आंकड़े बता दूंगा ।

श्री सु०कु० तापड़िया : प्रश्न यह है कि क्या जूतों के मूल्यों में औसतन कमी हुई है ? यह कमी सभी प्रकार के जूतों में हो सकती है । परन्तु क्या कीमत में कोई गिरावट आई है ?

श्री दिनेश सिंह : यथेष्ट मान के साथ, मैं कहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर देने में मुझे माननीय सदस्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है । मुझे आपको संतुष्ट करना है तथा इसके लिये मैं अपना भरसक प्रयास करूंगा ।

जहां जूतों के आम दामों का सम्बन्ध है सोवियत संघ को हमारे निर्यात दामों पर जूते बेचे जाते हैं । सोवियत संघ तथा देश के अन्य किसी भाग को बेचे गये जूतों के दामों में कोई भेद-भाव नहीं रखा गया है ।

श्री रा० कृ० सिंह : सोवियत संघ तथा पूर्व यूरोपीय देशों से व्यापार करने वाले भारत वाणिज्य तथा अन्य संस्थानों के बारे में यहां सदन में अनेक बार वाद-विवाद हुआ है । क्या पूर्व यूरोप अथवा सोवियत संघ के साथ इस प्रकार व्यापार करने की अनुमति है, और क्या किसी वैध व्यापार के लिये इन संस्थाओं सहित सभी संस्थाओं द्वारा कार्य करने के बारे में कोई ढंग खोज लिया है ? यदि नहीं तो सोवियत संघ से हमारे व्यापार-सम्बन्ध खराब करने के उद्देश्य से यह प्रश्न बार बार क्यों यहां उठाया जाता है ?

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : आपत्ति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है ।

सोडियम नाइट्रेट का मूल्य

543. **श्री सीताराम केसरी :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक उपयोग के लिए सोडियम नाइट्रेट का बहुत अधिक मूल्य होने के कारण एसिड निर्माता अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा प्रतिरक्षा संस्थानों को बहुत हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों को बढ़ने से रोकने तथा इन प्रयोक्ताओं की सहायता के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) अवमूल्यन तथा अन्य कारणों से सोडियम नाइट्रेड के मूल्य में वृद्धि हो गई है । अनुसंधान प्रयोगशालाओं में सोडियम नाइट्रेट की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है । प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के अपने स्वयं के संशिलष्ट नाइट्रिक अम्ल कारखाने हैं । जहां तक अम्ल निर्माताओं का संबंध है सोडियम नाइट्रेड पर आधारित नाइट्रेड अम्ल का निर्माण अब कुछ हद तक पुराना हो गया है ।

(ख) राज्य व्यापार निगम वास्तविक उपभोक्ताओं को सोडिमय नाइट्रेट का निश्चित मूल्य पर आयात और इसके वितरण की व्यवस्था कर रहा है । इसका वितरण तकनीकी विकास का महा निदेशालय और विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की सिफारिश पर किया जाता है ।

Shri Sitaram Kesri : The hon. Minister has admitted the increase in the prices of sodium nitrate. Did it not hit the small industries where it is used ? I want to know also whether you have received any memoranda from certain private associations wherein they have stated that the small industries which are based on it will have to be closed thus rendering thousands of labourers job less ? If you have received those memoranda, what plans do you have to control the prices and so that these industries may survive ?

Shri F. A. Ahmed : It has been stated in the answer that there are certain reasons for this increase in prices. Firstly, the prices have gone up owing to devaluations. There, previously, the Agriculture Department used to import it and there was no excise duty. But later on this Department considered it unnecessary to import this chemical fertilizer. Now it is imported for industries and excise duty is being charged. Thirdly, owing to shortage of foreign exchange, we are compelled to import it at higher rates. Previously we used to import from Chile but now we have to import from rupee-areas. That is why there is such an increase. It is also to be considered that it may be supplied to the small scale industries at reasonable rates. It is imported through the S. T. C. and then distributed. It is now not required by the Research and Defence Departments since they have found some other alternative to it. But whatever little quantity is required by the goldsmiths etc; we have to import that and try to make it available to them at the minimum possible rates in accordance with our import prices.

Shri Sitaram Kesri : Chile needs your jutes and she can give you sodium-nitrate in turn. If you import it from there you will have to give less money. She can supply it for your small industries at the rate of Rs. 500/- per ton. Besides that, you can produce sodium nitrate in the factories working under the Fertilizer Corporation of India viz. at

Sindri, Rourkela etc., and supply that to your small industries to function easily. I want to know whether you thought over it also.

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : It is wrong to suggest that it can be imported at the rate of Rs. 540/-per ton from Chile. As per our information, it can be imported at the rate of Rs. 740/- or Rs. 800/- per ton. But the main difficulty is that we do not have free foreign exchange and therefore we can not import from Chile. It is necessary to import it, in little quantities for industries, from rupee areas. If it can be produced in fertilizer factories, we will find it out and will try to get it from there.

Shri Sitaram Kesri : Chile needs your jute and, in turn, she can give you sodium nitrate.

Shri Deven Sen : I want to know what are the international prices of sodium-nitrate and why the prices in India are higher? Secondly, how for it was cheaper from Chile than from rupee areas ?

Shri F. A. Ahmed : Certainly it is available at cheaper rates from Chile but there is the difficulty of foreign exchange. It all depends upon that.

Shri Deven Sen : You have not told anything about international prices.

Shri F. A. Ahmed : When we import from Chile, it costs about Rs 800 – a ton, and from rupee are a it costs Rs. 1200 –a ton.

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय यह जानते हैं कि नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करने वाले कुछ छोटे छोटे निर्माता सरकार को प्रतिवेदन भेज रहे हैं, ताकि चिली से नाइट्रेट का आयात किया जा सके । अवमूल्यन के बाद भी चिली के नाइट्रेट के मूल्य सोडियम नाइट्रेड के मूल्यों से बहुत कम हैं । क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि नाइट्रिक अम्ल के छोटे छोटे निर्माताओं द्वारा उठाई जा रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये, क्या वह उनकी कठिनाईयों को दूर करने के लिये कोई उपाय करेंगे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, यदि हमारे पास स्वतंत्र विदेशी मुद्रा होती तो हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अवश्य ही चिली से आयात करते । इसका उपयोग हमारे प्रतिरक्षा विभाग तथा प्रयोगशालाओं में होता है। हमारी आवश्यकताऐं बहुत थोड़ी थी तथा हम राज्य व्यापार निगम के माध्यम से थोड़ी ही मात्रा में आयात करते थे। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण चिली से इसका आयात करना हमारे लिये सम्भव नहीं है ।

भारत में फोटो तैयार करने वाले उपकरणों का निर्माण

+

544. श्री न० रा० देवघरे : क्या वाणिज्य मंत्री 30 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9105 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फोटो तैयार करने वाले अनिवार्य पुर्जों और उपकरणों के नाम क्या हैं जिनका निर्माण भारत में नहीं होता ;

(ख) किन पुर्जों की देश की आन्तरिक मांग देशी उत्पादन से पूरी नहीं होती ;

(ग) क्या सरकार ने भारत में ही अत्यावश्यक पुर्जों के निर्माण के लिये और इस प्रकार देशी उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई योजना बनायी है: और

(घ) यदि हां, तो यह कब कार्यान्वित की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) उन पुर्जों तथा उपकरणों, जिनका देश में निर्माण नहीं होता अथवा जो आन्तरिक मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त मात्रा में नहीं बनाये जाते, की पूरी सूची उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार की यह नीति है कि सभी आवश्यक पुर्जों के यथाशीघ्र निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाये परन्तु इस समय कोई निर्धारित योजना नहीं है।

श्री न० रा० देवघरे : जो पुर्जे उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें देश में नहीं बनाया जाता है। क्या भारत सरकार उनके आयात के लिये उदारता से लाइसेंस जारी करेगी ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : प्रतिष्ठापित आयातकों को, जब कभी वे आवेदन पत्र देते है अन्य उपकरणों के लिये दो प्रतिशत कोटे के आधार पर लाइसेंस दिये जाते है।

श्री न० रा० देवघरे : क्या किसी व्यक्ति ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दिया है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : बहुत से व्यक्तियों ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दिये हैं।

श्री सोनावने : माननीय मंत्री का कहना है कि प्रतिष्ठापित आयातकों को लाइसेंस दिये जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन वस्तुओं के आयात करने की अनुमति उपभोक्ता फर्मों को क्यों कि दी जाती तथा बिचौलिये की आढ़त अथवा प्रतिष्ठापित आयातकों के मुनाफे को बचाया जा सके और उपभोक्ताओं को भी उन चीजों को सस्ते भाव पर बेचा जा सके ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : वास्तविक उपभोक्ताओं को भी लाइसेंस दिये जाते हैं ?

दुर्गापुर मिश्रित धातु इस्पात कारखाने का विस्तार

***545. श्री नि० र० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के दुर्गापुर मिश्रित धातु इस्पात कारखाने की क्षमता 1,00,000 मीट्रिक टन से बढ़ा कर 3,00,000 मीट्रिक टन कर देने का प्रस्ताव है:

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को अभी यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार दुर्गापुर मिश्रित धातु इस्पात कारखाने का विस्तार करने के लिये सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई है। इस सम्बन्ध में चौथी तथा पांचवी योजनाओं की अवधि में देश में विभिन्न प्रकार की मिश्रित धातुओं तथा विशेष इस्पातों की मांग का सर्वेक्षण करने का काम हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को सौंपा गया था।

उनका प्रतिवेदन अभी हाल में प्राप्त हुआ है तथा वह इस समय जांच की जा रही है। जांच पूरी हो जाने के बाद मिश्रित धातु इस्पात कारखाने के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने पर विचार किया जायेगा।

श्री नि० रं० लास्कर : मैं जानना चाहता हू कि विस्तार कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और हम मिश्रित धातु इस्पात में कब आत्म निर्भर हो जायेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा कि मैंने कहा है अभी तो विस्तार कार्य आरम्भ होना है।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि इस्पात मंत्रालय में हाल में इस्पात उत्पादकों की बैठक हुई थी तथा उस बैठक में गैर सरकारी उत्पादकों द्वारा दुर्गापुर मिश्रित धातु इस्पात कारखाने का विस्तार न करने पर जोर दिया गया था, ताकि गैर सरकारी क्षेत्र अच्छा मुनाफा कमा सके ? क्या यह सच नहीं है कि इस समय बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करके सरकार लगभग एक लाख मीट्रिक टन मिश्रित धातु इस्पात तथा विशेष इस्पात का आयात करती है तथा इसमें प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला आयात शामिल नहीं है ? उन्होंने मिश्रित धातु इस्पात कारखाने की क्षमता तीन लाख मीट्रिक टन बढाने का प्रस्ताव किया है और अब चूंकि बिड़लाओं ने मिश्रित धातु इस्पात का धंधा शुरू कर दिया है इसलिये वे चाहते है कि सरकार मिश्रित धातु इस्पात कारखाने का विस्तार न करे तथा क्या यह सच नहीं है कि बिड़लाओं द्वारा मिश्रित धातु इस्पात का धंधा शुरू करने के बाद सरकार इस्पात कारखाने के विस्तार में दिलचस्पी नहीं ले रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : हाल में उत्पादक एककों तथा उपभोक्ता एककों की एक बैठक बुलाई गई थी तथा बैठक में केवल उत्पादक एकक उपस्थित थे। बैठक में कोई ऐसी मांग नहीं की गई थी कि दुर्गापुर मिश्रित धातु इस्पात कारखाने का और विस्तार न किये जाये। जैसा कि आप को पता है कि इस्पात की कुछ किस्मों का उत्पादन किया जा रहा है तथा वे काफी सस्ती हैं, क्योंकि उनकी कमी नहीं है। उन्होंने यह कहा था कि मुख्य इस्पात कारखाने में मिश्रित धातु इस्पात न बुनाई जाये, परन्तु हम इस बात से सहमत नहीं हुए थे, क्योंकि सस्ते दामों पर जो चीज बनाई जा सकती है, हमें वह बनानी है।

जहां तक बिड़लाओं का सम्बन्ध है उनकी दो फर्में हैं--एक फर्म को वर्ष 1961 में तथा दूसरी को 1964 में लाइसेंस दिया गया था। दस्तूर एण्ड कम्पनी को अध्ययन कार्य सौंपा गया था तथा मन्त्रिमण्डल ने वर्ष 1967 में दस्तूर एण्ड कम्पनी को परियोजना प्रतिदवेन बनाने का काम सौंपने का निर्णय किया था। हाल में एन० सी० ए० इ० आर० ने अपना अध्ययन

पूरा कर लिया है तथा उसकी जांच की जा रही है। योजना आयोग के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय हम सब बातों को ध्यान में रखेंगे।

Shri Maharaj Singh Bharti : The smugled utensils of alloy steel are being sold in the market at a cheaper rate. The cost of production of our alloy steel is very high. I want to know what steps are being taken by Government to reduce this cost of production and bring it at international level ?

Shri P. C. Sethi : So far as the stainless steel utensils are concerned, we have not so far produced them. Their production will now be started in Durgapur Alloy Steel Plant and we hope to produce nearly 8000 tonnes of stainless stell. So far as their cost is concerned.... .....

Shri Maharaj Singh Bharti : I want to know the reason as to why the present cost of production is higher ?

Shri P. C. Sethi : At present we are not producing.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जब सरकार के समक्ष दुर्गापुर मिश्रित धातु इस्पात कारखाने के विस्तार का प्रस्ताव था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि गैर सरकारी व्यापार गृह को ऐसे कारखाने स्थापित करने के लिये वर्ष 1961, 1962 और 1964 में नये लाइसेंस क्यों दिये गये ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये लाइसेंस बहुत पहले दिये गये थे, जबकि दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाने के विस्तार के प्रश्न पर मन्त्रिमण्डल द्वारा वर्ष 1967 में विचार किया गया था।

यह निर्णय मांग अध्ययन के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए किया गया था जिसके अनुसार वर्ष 1970-71 तक मांग के 5,50,000 मीट्रिक टन हो जाने की आशा है एन० सी ०ए० आर० द्वारा हाल में किये गये मांग अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार मांग के लगभग 3,50,000 मीट्रिक टन हो जाने की सम्भावना है।

श्री नाथ पाई : मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आज संसद में प्रश्नों के उत्तरों में जानकारी दी जा रही है तथा प्रश्नों को जैसे कि प्रायः किया जाता है टाला नहीं जा रहा है। हमें यह पता है कि विस्तृत प्रतिवेदन बनाने में बड़ा समय लगता है तथा इस बात को देखते हुए मन्त्रालय पहले ही विस्तृत प्रतिवेदन बनाने का आदर्श क्यों नहीं दे देता ? जब आवश्यकता होगी, उसे क्रियान्वित किया जा सकेगा।

श्री प्र० चं० सेठी : कार्यवाही के लिये यह एक बहुत अच्छा सुझाव है।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, the hon. Minister has just stated that fresh licences will not be given to private parties. May I know by what time production will be started ?

Shri P. C. Sethi : The Durgapur Alloy Steel Plant has already started production. This year it is expected that the production will be nearly 24000 tonnes.

Shri K. N. Tiwary : The hon. Minister has just stated that the scheme of producing stainless steel utensils will be implemented very shortly in Durgapur Steel Plant. I want to know abuot the demand of these utensils and when production will be started. Has any definite date been fixed for them ?

Shri P. C. Sethi : I have just now stated that production will be started this year. It is hoped that production of stainless steel sheets of 19–20 gauge will be nearly 4000 tonnes.

Shri Sarjoo Pandey : May I know whether it is a fact that the extension of Durgapur Steel Plant is not being done because the licence for producing alloy steel has been given to Birlas and they are pressing not to extend the Durgapur Steel Plant.

Shri P. C. Sethi : I have just now stated that they were given licences in 1961 and 1964 and the question of extension of Durgapur Steel plant was considered in 1967. I fail to understand how the question of pressure comes in.

Shri Shri Chand Goel : It has been published in the newspapers that the Steel Minister has stated that Government of India is in a position to establish a new steel Plant each year without any foreign collaboration. Firstly I would like to know whether it is a fact.

Secondly I would like to know whether it is a fact that the permission to import steel is accorded only when one gets a certificate from the Durgapur Steel Plant that, that type of steel is not produced in that plant and that in order to get the certificate from the Durgapur Steel Plant, those people who intend to import steel have to give heavy bribes. In view of this whether Government are contemplating to make such arrangement that the importers are not required to approach the steel plant and a list of the varieties of steel produced here may be published and the decision may be taken on the basis of that list.

Shri P. C. Sethi : So far as import is concerned certain changes have been effected. Last year nearly 81,000 tonnes of alloy steel was imported, but now our production capacity has increased and now it has been decided that the consumer units have to write to the Producing Units that they require these varities of steel and in case they receive on reply within 21 days in affirmative they are not allowed to import steel and in case they received the reply in negative they are permitted to import steel. So there is no question of approaching Durgapur Steel Plant and giving bribe. So far as the question of establishing a new steel plant every year is concerned, this question pertains to the Ministry of Industry.

श्री पे० वेंकटासुब्बया : मन्त्री महोदय ने कहा है कि जब सरकार ने वर्ष 1967 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार करने का निर्णय लिया था, तो गैर-सरकारी क्षेत्र को कुछ लाइसेंस दिये गये थे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस समय दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं था, जिस समय लाइसेंस दिये गये थे ? किन कारणों से गैर सरकारी क्षेत्र को लाइसेंस दिये गये थे तथा फिर वर्ष 1967 में विस्तार का प्रस्ताव लाया गया ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

श्री प्र० चं० सेठी : पहले मांग के 5.60 लाख होने की आशा थी। हम लाइसेंसों तथा अनुमति पत्रों का पुनरीक्षण करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें रद्द भी कर देंगे।

श्री मोहिसन : दुर्गापुर मिश्रित धातु इस्पात कारखाने के विस्तार के निर्णय को देखते हुए, क्या सरकार उन लाइसेंसों को रद्द करने पर भी विचार करेगी, जो पहले दिये जा चुके हैं?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

Laying of New Railway Lines

\+

*546. **Shri Bal Raj Madhok :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Onkar Singh : **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the Indo-Pakistan and the Sino-Indian hostilities, it was realised that laying of certain new Railway lines and certain changes in regard to Railways to meet the defence needs of the country were necessary;

(b) if so, the details of proposals in that regard and the action taken thereon so far; and

(c) the time by which the remaining proposals are likely to be implemented ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री परिमल घोष : (क) सामरिक दृष्टि से नई रेलवे लाइनों/अन्य रेल सुविधाओं की व्यवस्था करने के सुझाव रक्षा मन्त्रालय से आते हैं और उन पर समुचित विचार किया जाता है। इन लाइनों/सुविधाओं की व्यवस्था क्षिप्र गति से और शीघ्रतापूर्वक की जाती है। चीन-भारत और भारत-पाकिस्तान की संघर्षों के बाद से रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की दृष्टि से नीचे लिखी रेलवे लाइनों का निर्माण शुरू किया गया और उन्हें पूरा किया गया:--

1. **रंगापाड़ा नार्थ-नार्थ लखमीपुर-मुर्केंगेसेलक लाइन :**

   (328 किलोमीटर, मीटर लाइन, लागत 30.38 करोड़ रुपये 1.7.1965 को खोली गयी)

2. **सिलीगुडी से जोगीघोघा तक बड़ी लाइन :**

   (265 किलोमीटर, बड़ी लाइन, लागत 32.5 करोड़ रुपये 2-6-1965 को खोली गयी)

3. **पोकरन-जैसलमेर रेल लाइन :**

   (105 किलोमीटर, मीटर लाइन, लागत 2.5 करोड़ रुपये 28-1-1968 को खोली गयी)

रक्षा मन्त्रालय ने सामरिक दृष्टि से अभी तक कोई और नयी लाइन के लिए नहीं कहा है।

श्री बलराज मधोक : पिछली लड़ाई में हमने यह देखा है कि राजस्थान सीमा तथा काश्मीर सीमा पर संचार व्यवस्था न होने के कारण हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था तथा ऐसे सुझाव दिये गये हैं कि हिन्दूमल कोट को गंगानगर के साथ मिलाया जाना चाहिये ताकि पश्चिमी सीमा के साथ सांझी लाइन बन सके, तथा पोकरन-जैसलमेर लाइन को सीमा तक बढ़ाया जाना चाहिये। अतः क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्दूमल कोट को गंगानगर के साथ मिलाने तथा जैसलमेर–पोकरन लाइन को सीमा तक बढ़ाने के लिए क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : हिन्दूमल कोट–गंगानगर सैक्टर का लाइन का निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा उसके लिये हमने एक करोड़ रुपये नियत किये हैं। इसकी मंजूरी 1961 में दी गई थी तथा उस लाइन का निर्माण-कार्य हो रहा है। ऐसी आशा की जाती है कि हम उस कार्य को शीघ्र ही पूरा कर लेंगे।

श्री रंगा : इसके लिये आपको कितने और वर्ष चाहिये।

श्री बलराज मधोक : यह लाइन कुछ ही मील लम्बी है।

श्री चे० मु० पुनाचा : दूसरी लाइन अर्थात् जैसेलमेर–पोकरन लाइन को, ज्योंकि 105 किलोमीटर लम्बी है, महत्व दिया गया है तथा उसे बहुत शीघ्र पूरा किया गया है। हिन्दूमल कोट-गंगानगर की छोटी लाइन की तुलना में वह लाइन अधिक महत्वपूर्ण लाइन थी। अतः प्राथमिकता के आधार पर इस काम को आरम्भ करके पूरा किया गया है। क्या जैसलमेर लाइन को बाड़मेर तक बढ़ाया जाना चाहिये अथवा नहीं इस मामले पर काम आरम्भ करने से पहले प्रतिरक्षा मन्त्रालय की सलाह लेनी आवश्यक है।

श्री बलराज मधोक : क्या मुझे आपके उत्तर से यह समझ लेना चाहिये कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने जैसलमेर–बाड़मेर लाइन बनाने का सुझाव नहीं दिया था ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं समझता हूं कि उस पर वे शायद विचार कर रहे हैं।

श्री बलराज मधोक : चाहे जम्मू तक रेलवे लाइन बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है परन्तु अब तक बहुत कम कार्य किया गया है तथा एक यह सुझाव दिया गया हैकि पाकिस्तान के खतरे को दृष्टि में रखते हुए इसे रियासी तक बढ़ाया जाना चाहिये तथा दूसरे भुज तक जो रेलवे लाइन है उसे खोड़ा तक बढ़ाया जाना चाहिये। अत: क्या मैं जान सकता हूं कि भुज से खोड़ा तक रेलवे लाइन बनाने तथा पठानकोट-जम्मू-रियासी लाइन को शीघ्र बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है।

श्री चे० मु० पुनाचा : जैसा कि मैंने पहले बताया है यह सब कुछ प्रतिरक्षा मन्त्रालय की हिदायतों और सलाह पर निर्भर करता है।

श्री बलराज मधोक : प्रश्न प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा सिफारिश किये जाने का नहीं है। ये सीमावर्ती क्षेत्र हैं तो उनका रेल के साथ सम्पर्क स्थापित करना बहुत आवश्यक है। खोड़ा एक सीमावर्ती है, वैसे ही रियासी भी सीमावर्ती नगर है। उन दोनों नगरों का रेल से सम्पर्क

स्थापित किया जाना चाहिये । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस कार्य को करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इसकी सिफारिश की है तथा क्या कोई कार्य किया गया है ?

श्री बलराज मधोक : यह प्रश्न केवल प्रतिरक्षा का ही नहीं है । क्या आपने अपनी दृष्टि से कोई निर्णय किया है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जहां तक सामरिक तथा प्रतिरक्षा की दृष्टि से रेलवे लाइनें बनाने का सम्बन्ध है हम प्रतिरक्षा मंत्रालय के परामर्श के अनुसार चलते हैं और वैसा ही कार्य करते हैं ।

Shri Jagannath Rao Joshi : From the Defence point of view out of all the border areas Assam has the greatest importance. There is one line from Barauni to Dibrugarh to Tinsukhia connecting Assam. There is always a great rush on that line and there are many a difficulties from the traffic point of view. May I know whether you have got any suggestion to have that line broad gauge ? If so, may I know what action you have taken on that ?

श्री चे० मु० पुनाचा : एक सुझाव यह दिया गया है कि जोगोधोधा से गोहाटी तक लाइन को ब्राड गेज किया जाये । उस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

श्री हेम बरुआ : तिनसुकिया तक ब्राड गेज लाइन बनाने का सुझाव प्रतिरक्षा आवश्यकता के हित में उचित है ।

श्री चे० मु० पुनाचा : ब्राड गेज करने के प्रथम प्रक्रम पर विचार किया जा रहा है तथा हम दक्षिणी किनारे के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने जा रहे हैं । एक सुझाव यह दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर ब्राड गेज लाइन होनी चाहिये तथा सर्वेक्षण-कार्य इस समय किया जा रहा है । एक और सुझाव यह दिया गया है कि जोगोधोधा-बोंगाईगांव से गोहाटी तक वर्तमान मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन बनाया जाना चाहिये । इस पर भी हम विचार कर रहे हैं । हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि हमारी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं समेत अन्य बातों के कारण दक्षिणी किनारा अथवा उत्तरी किनारा अधिक उपयोगी सिद्ध होगा ।

Shri A.B. Vajpayee : May I know whether the hon. Minister is aware of the fact that the people of Assam feel that they are being disarminalised against as there is no broad gauge line there and they are perturbed over it ? In regard to the information given by the hon. Minister, may I know the stage at which the matter stands to have the broad gauge line upto that and the time likely to be taken to come to a final decision in this regard ?

श्री चे० मु० पुनाचा : ऐसे मामले दो महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करते हैं : —

(एक) प्रतिरक्षा मंत्रालय के परामर्श पर तथा

(दो) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्यों द्वारा बताये गये सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। हम अपनी ओर से जितना हो सकता है उतना ध्यान देते रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : रेलवे के मामले में आसाम के साथ सब से अधिक उपेक्षा की गई है।

Shri Bharat Singh Chauhan : When Shri Chauhan was the Defence Minister then great importance was given to Danbad-Khandwa line. From the defence point of view it is very necessary to link Danbad-Khandwa line. May I know whether he has received a proposal that from the defence point of view that line is a link between East and West on the one hand and West India and East India on the other ? If so, the time by which the work will be taken in hand ?

श्री चे० मु० पुनाचा : क्या माननीय सदस्य का इशारा न्भुज-खण्डवा लाइन की ओर है। यदि हां, तो इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है।

श्री बसुमतारी : जब माननीय मंत्री ने आसाम में उस स्थान का दौरा किया तो वहां के लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि गोलपाड़ा से होकर जाने वाली जोगीघोपा-गोहाटी लाइन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अगली पंचवर्षीय योजना में उसे प्राथमिकता देने के बारे में उन्होंने विचार किया है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है तथा हम इस पर यथोचित विचार कर रहे हैं।

श्रीमती ज्योत्सना चंदा : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि सामरिक दृष्टि से आसाम एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्या सरकार लुमडिंग–भद्रपुर पहाड़ी क्षेत्र का विकास करने के लिये विचार कर रही है और यदि नहीं, तो क्या वह उस पर विचार करेगी।

श्री चे० मु० पुनाचा : इस पर भी विचार किया जायेगा। जहां तक विभिन्न भागों का सम्बन्ध है मैं नहीं कह सकता कि कौन सा भाग महत्वपूर्ण है तथा कौन सा नहीं।

Shri Meetha Lal Meena : Sir, Hindunalkot on the Northern border of Rajasthan is being linked with Ganganagar by a broad gauge line but till the metre gauge lines of Rajasthan is not linked with the broad gauge line of Delhi-Bombay that object cannot be achieved because the necessary defence material comes from Bombay, Madras, Calcutta etc. and it mostly comes through Railways. May I therefore know whether it is proposed to like Northern Rajasthan with Sawai Madhopur or Gangapur city ? If so, the time likely to be taken and if not, the reasons therefor ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस मामले पर विचार किया जायेगा।

श्री फ० गो० सेन : दिल्ली से बरौनी तक तो ब्राड गेज लाइन है परन्तु बरौनी से आगे कटिहार तक 112 मील लम्बी मीटर गेज लाइन है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित

ही है, कटिहार से आगे आसाम तक ब्राड गेज लाइन है। अतः क्या माननीय मंत्री बरौनी से कटिहार तक 112 मील लम्बी लाइन को ब्राड गेज बनाने के लिये विचार करेंगे ताकि दिल्ली से आसाम तक ब्राड गेज लाइन बन सके।

श्री चे० मु० पुनाचा : गेज बदलने के हमारे कार्यक्रम में इस मामले को शामिल किया गया है। परन्तु यह प्रश्न प्रतिरक्षा आवश्यकताओं से सम्बन्धित है। इसका सम्बन्ध परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं से अधिक है।

श्री नाथ पाई : सामरिक दृष्टि से पश्चिम तट के महत्व तथा बम्बई को बंगलौर के नौसैनिक मुख्यालय से मिलाने के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। कोकन एक उपेक्षित क्षेत्र है। उनसे पहले मंत्री, जो इस समय खाद्य मंत्री है, ने एक बार हमें यह कहा था कि कोकन रेलवे लाइन को तीसरी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया जायेगा। तीसरी योजना आरम्भ हुई और समाप्त भी हो गई है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोकन रेलवे लाइन को चौथी योजना में भी लिया जायेगा अथवा नहीं ? क्या सरकार इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की दृष्टि से अन्य अधिक महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मेरे सहयोगी ने अभी बतलाया है। इस लाइन को आरम्भ नहीं किया गया तथा उतनी प्राथमिकता नहीं दी जा सकी। तथापि मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि पश्चिमी तट सड़क को तैयार किया गया है तथा यातायात की कुछ आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : क्या सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों को बनाने के प्रतिरक्षा मंत्रालय के सभी सुझावों पर विचार किया गया है, क्या उन्हें पूरा किया गया है यदि नहीं, तो उन्हें कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री चे० मु० पुनाचा : हमने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा मंत्रालय की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the progress made to link Tripura with Assam from the strategic point of view and whether any scheme has been chalked out for that ?

श्री चे० मु० पुनाचा : कालियाघाट से धर्मनगर लाइन का प्रथम प्रक्रम पूरा हो चुका है तथा आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

श्री रणधीर सिंह : दिल्ली–अमृतसर तथा दिल्ली–फिरोजपुर लाइनें प्रतिरक्षा तथा प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस रेलवे लाइन पर दो महत्वपूर्ण सम्पर्क हैं—एक रोहतक में तथा दूसरा पानीपत में। प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिये एक महत्वपूर्ण लाइन थी जो इन दोनों रेलवे सम्पर्कों को मिला रही थी। उस रेलवे लाइन को अभी तक पुनः चालू नहीं किया गया है। केवल 50 प्रतिशत अर्थात् गोहाना नगर तक उसे चालू किया गया है। क्या मैं आपके माध्यम से उनसे यह पूछ सकता हूं कि क्या दो अथवा तीन वर्षों में सारी रेलवे लाइन यानी कि रोहतक से पानीपत तक प्रतिरक्षा की दृष्टि से बनाई जायेगी।

श्री चे० मु० पुनाचा : हम इस मामले पर इस समय विचार कर रहे हैं ।

श्री सी० दास : रेनीगुंटा से तिरुपथी तक मिली-जुली ब्राड गेज लाइन बनाने में कितना समय लगेगा ? क्या पकाला तक ब्राड गेज लाइन बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मुख्य प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

कोरबा क्षेत्र में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की बांकी कोयला खान से तारों की चोरी

*547. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोरबा क्षेत्र में, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की बांकी कोयला खान से हाल में तारों के कुछ 'ड्रमों' की चोरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उन 'ड्रमों' की संख्या कितनी है और उनका मूल्य कितना है;

(ग) क्या इसके सम्बन्ध में किसी जांच का आदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) संभवतः माननीय सदस्य, रूसी तारों की चोरी की ओर निर्देश कर रहे हैं जिसका पता 27 जुलाई, 1967, को कोरबा प्रदेश में सुराकाछार कोयला खान में राष्ट्रीय कोयला खान निगम के स्टोर में लगाया गया था ।

(ख) चुराई गई तारों की लम्बाई 2062 मीटर तथा उनका भार 6.878 मीट्रिक टन था और उनका मूल्य लगभग 85,000 रुपये था ।

(ग) और (घ): ज्यूंही चोरी का पता लगा तत्काल स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को इसकी सूचना दी गई और उन्होंने मामला पंजीकृत कर लिया और इस विषय में आवश्यक जांच शुरू हुई, जो कि चल रही है । निगम के अधिकारियों द्वारा भी जांच की गई थी ।

Shri Onkar Lal Berwa : It appears that an officer of the corporation and one congress leader are involved in this theft of cables. So many times theft of cables has taken place. May I therefore know as to what action has been taken so far against the culprits ?

Shri P. C. Sethi : The theft had taken place on 27th July, 1967 and the matter was reported to the Police the same day. Apart from it the Managing Director contacted the Chief Secretary and requested the appointment of a special police officer. He is investigating the matter now. On the basis of that investigation report four watchmen, one sub-inspector of watch and ward and two store employees have so far been suspended and action will be taken, as necessary, against the rest as soon as the report is received.

Shri Onkar Lal Berwa : You have apprehended the small persons and poor employees but I had made a mention of one congress leader for which no mention has been

made by you. One big officer is also involved. I would like to know the names of these persons ?

Shri P. C. Sethi : We will have to depend upon the report of police investigation. I would request the hon. Member to hand over the information he has with him either to the police or to us.

As asked by him we have no names with us at present.

Shri Mrityunjay Prasad : The hon. Member has just now said that one Congress leader was involved in this case. So may I know that when theft had taken place whether congress was in power or Sanyukta Vidhayaka Dal was in power and in case latter was in power whether Jan Sangh people were there in it or not ?

Shri P. C. Sethi : It is not a question of Bihar.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 548.

श्री हेम बरुआ : क्या मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिला सकता हूँ कि प्रश्न के भाग (ङ) से महात्मा गांधी की स्मृति को ठेस पहुंचती है । वह सभी प्रकार की शराब, चाहे वह देशी हो अथवा विदेशी, पीने के खिलाफ थे । परन्तु यहां ऐसा लगता है कि वह केवल विदेशी शराब के ही खिलाफ थे ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम मंत्री महोदय को सुनेंगे ।

श्री पीलु मोदयी : यह केवल अशुद्धि है । यह अपमान नहीं है ।

Import of Wines

+

*548. **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the reasons for which foreign wines are imported;

(b) the reasons for not making use of indigenous wines in place of foreign wines;

(c) the value of foreign wines imported during 1966-67;

(d) the reasons for which increased amount was spent on the import of wines during the year 1965-66 as compared to 1964-65;

(e) whether Government propose to stop the import of foreign wines on the occasion of Mahatma Gandhi's Birth Centenary next year; and

(f) if so, the amount of foreign exchange that would be saved thereby; and if not, the reasons therefor ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) विदेशी शराब के आयात की अनुमति मुख्यत: भारत स्थित विदेशी पर्यटकों, विदेशी तकनिशियनों और विशेषज्ञों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जाती है । भारत में बनने वाली शराबें अभी उनकी पसन्द के जायके की नहीं है ।

(ग) वर्ष 1966-67 में आयात की गयी शराब का कुल मूल्य लगभग 2,70,000 रु० था ।

(घ) विनिधान समग्रतः मद्यसारीय पेयों के लिए होता है और शराब का अधिक आयात करने के लिए आयातकों ने अन्य मदों के वास्तविक आयात में कटौती कर दी थी ।

(ङ) इस समय ऐसा कोई सुझाव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Shri Gopal Saboo : There is shortage of foreign exchange in our country but Government of India is spending it for the import of wine. I want to know whether Government is not in favour of prohibition ? I also want to know the names of countries from where these wines are being imported and the difference of prices of wines and the steps being taken to save foreign exchange.

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : The import of foreign wine is being curtailed gradually. We had imported wine to the tune of Rs. 1.44 crores in 1956 and the same was reduced to Rs 25 lakhs in the last year. We import wine from United Kingdom, Spain, Federal Republic of Germany, Netherland Philipines, Denmark, Norway etc.

Shri Shri Gopal Saboo : May I know the reasons as to why the standard of indigenous wine is low and people use foreign wine inspite of its higher cost ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Now wine is used for a particular taste and foreign tourists and technicians do not find the indigenous wines of the tastes preferred by them. They have a taste for foreign wines.

Shri Bharat Singh Chauhan : May I know the effect of prohibition enforced in some of the States on the import of foreign wines ?

The second thing is that if standerd of indigenous wine is improved then we will not require to import wine. So I want to know the efforts being made in this direction ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I have already stated that the import of foreign wine is being reduced gradually. We have good quality of indigenous wine. However the wine is matter of taste and if we come to know a particular taste liked by the people, we shall try to manufacture the same.

श्री जुल्फिकार अली खां : क्या राज्यपालों को विदेशी शराब निःशुल्क आयात करने की अनुमति है और यदि हां, तो उसमें से कितने राज्यपालों ने इस सुविधा से लाभ उठाया है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस सम्बन्ध में इस समय मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या उन्हें निःशुल्क आयात करने की अनुमति है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस समय मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है । मुझे इस बात का पता लगाना होगा ।

Shrimati Lakshmikanthamma : The wine which is being imported for foreign dignitories, and embassies is being misused. Tekchand Committee had made certain recommendations in this regard and I want to know the extent to which they have been implemented ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : They are being looked into.

श्री पीलु मोडी : प्रश्न शराबों के बारे में पूछा गया था परन्तु उत्तर में सभी प्रकार के मद्यसारों को सम्मिलित कर लिया गया है। पहले लगभग एक करोड़ रुपये की शराब का आयात किया जाता था। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब इस धनराशि को घटा कर 25 लाख रुपये कर दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हिन्दुस्तानी में सब प्रकार की शराबों को 'शराब' ही कहा जाता है। परन्तु अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में उनके नाम बीयर ब्रांडी आदि है। मैंने जो उत्तर दिया है वह शराबों के बारे में है। इस में और कोई मद्यसार सम्मिलित नहीं है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारी प्रतिरक्षा प्रयोगशालाओं के लिये तो विदेशी मुद्रा की कमी है परन्तु भारतीय धन खर्च करके विदेशी शराब आयात करने की अनुमति दी जाती है। अतः क्या सरकार शराब के आयात पर प्रतिबन्ध लगा कर उस धन को हमारे देश के लिये अधिक महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण के कार्यों में लगायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : श्री पीलु मोडी इस सुझाव से सहमत नहीं होंगे।

Shri Ram Gopal Shalwale : The people of this country are demanding prohibition on the occasion of Gandhi Centenary. Shri Morarji had stated that if these will be Satyagrah in support of prohibition, he would be the first Satyagrahi, to go to jail. But in the same conference Union Food Minister Shri Jagjiwan Ram had said that wine has secured respectable place in our society it is considered to be sign of progress. There are two different views put forth by two Union Ministers and I want to know as to which is the correct one and who is supporter of Government policy ?

Shri Dinesh Singh : All of us are supporters of Government policy.

श्री मनु भाई पटेल : सरकार मद्यनिषेध की नीति पर चलने के लिये वचनवद्ध है और भारत में आने वाले विदेशी भारत के कानून का आदर करने के लिये तैयार हैं। परन्तु जब यह प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकार अगले वर्ष महात्मा गांधी की जन्मशताब्दी के अवसर पर विदेशी शराब का आयात बन्द करने पर विचार कर रही है तो मन्त्री महोदय ने उसका नकारात्मक उत्तर दिया था। तो क्या सरकार का विचार जन्मशताब्दी के अवसर पर महात्माजी की मूर्ति को शराब अर्पित करने का है ?

श्री दिनेश सिंह : इस प्रश्न को सभा की कार्यवाही से निकाल देना चाहिये। माननीय सदस्य ने यह बहुत ही अनुचित बात कही है।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल गलत बात है। नीति कुछ भी हो परन्तु ऐसी बात कहना उचित नहीं है।

श्री चेंगलराया नायडू : इस बात को कार्यवाही वृतान्त से निकाला जाना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : वह इस प्रकार महात्मा गांधी की मूर्ति का अनादर नहीं कर सकते ।

श्री रणधीर सिंह : इस बात को कार्यवाही वृतान्त से अवश्य निकाला जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त से निकालने का कोई प्रश्न नहीं हैं । मैंने कहा है कि माननीय सदस्य के लिये इस प्रकार की बात कहना उचित नहीं है ।

श्री स्वैल : इस प्रश्न के उत्तर में उप-मन्त्री ने कहा था कि विदेशी पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विदेशी शराब का आयात किया जाता है । पर्यटन मंत्रालय तो समय समय पर पर्यटकों को प्रोत्साहन देने की बात कहता रहा है, परन्तु वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि वे शराब का आयात धीरे-धीरे कम कर रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वाणिज्य और पर्यटन मंत्रालयों के बीच कोई सम्बन्ध है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जी, हां है ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

संसद-सदस्यों को आवासों का नियतन

+

अ० सू० प्र० 7. डा० मैत्रेयी बसु :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री वे० कु० दास चौधरी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **संसद-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने सरकारी सामान्य पूल से 70 से अधिक विशेष आवासों का कुछ चुने हुए सदस्यों को मनमाने तौर पर नियतन किया है;

(ख) यदि हां, तो ये आवास किन परिस्थितियों में दिये गये है;

(ग) क्या उनका किराया बाजार दर से लिया गया है;

(घ) क्या इस बारे में वित्त मंत्रालय से सलाह की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सदस्यों की एक सूची सभा-पटल पर रखेगी, जिनको ऐसे आवासों का नियतन किया गया है;

(च) क्या इन मामलों में नियतन आवास समिति ने किया था; और

(छ) यदि नहीं, तो इन आवासों का नियतन किन मामलों के अन्तर्गत किया गया है ?

संसद्-कार्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ): प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सदस्यों को सरकारी सामान्य पूल से नियतन किये गये 71 आवासों की सूचि सभा-पटल पर रख दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1784/68]**

(च) जी, नहीं।

(छ) इन बंगलों का नियतन प्रचलित प्रक्रिया के आधार पर निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है।

डा० मैत्रेयी बसु : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सूची को किस आधार पर बनाया गया है? यह सूची न वर्णक्रमानुसार बनायी गई है और न डिविजन नम्बर के अनुसार बनायी गयी है।

डा० रामसुभग सिंह : हम इस समय प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार बंगले अलाट किये जा रहे हैं।

श्री वासुदेवन नायर : यह प्रक्रिया क्या है?

डा० रामसुभग सिंह : प्रक्रिया यह है कि भूतपूर्व मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों, भूतपूर्व उच्चायुक्तों, भूतपूर्व राज्य प्रमुखों, भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों और भूतपूर्व अध्यक्षों को सामान्य पुंज (जनरल पूल) से बंगले अलाट किये जाते है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किन नियमों के अधीन?

डा० राम सुभग सिंह : यह प्रक्रिया है। विरोधी पक्ष के नेताओं और सुप्रसिद्ध संसद्-विज्ञों को भी बंगले दिये जाते हैं। श्री मसानी, प्रोफेसर रंगा को जो सुप्रसिद्ध संसदविज्ञ हैं, बंगले दिये गये हैं। श्री मधोक और श्री बाजपेयी को भी ये बंगले दिये गये है।

श्री बलराज मधोक : मुझे तो बंगला नहीं मिला है।

डा० रामसुभग सिंह : श्री मधु लिमये तथा अन्य सदस्यों पर भी यही बात लागू होती है।

श्री स० मो० बनर्जी : 'सुप्रसिद्ध संसदविज्ञ' की परिभाषा क्या है? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार शोर करने से कार्य संचालन नहीं हो सकता। एक एक कर के प्रश्न पूछे जाने चाहिये।

डा० मैत्रेयी बसु : इस सूची से पता चलता हैं कि सामाजिक स्तर तथा राजनीतिक प्रभाव के आधार पर ये बंगले अलाट किये गये हैं। क्या मन्त्री महोदय हमें यह बतायेगे कि

बंगला प्राप्त करने के लिये हमारी सामाजिक स्थिति क्या होनी चाहिये ? क्या हमें भूतपूर्व शासक, मंत्री, अध्यक्ष होना चाहिये ? यह क्या बात हुई ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसे मैंने पहले बताया है कि इस मामले की जांच करने के लिये एक समिति बनाई गई है और यदि उसमें कोई त्रुटि पायी गयी तो सारे मामले की जांच की जायेगी । परन्तु वर्तमान प्रक्रिया कोई एक वर्ष पुरानी नहीं है, इसका अनुसरण वर्ष 1953 से किया जा रहा है । (**व्यवधान**)

श्री बे० कृ० दास चौधरी : मंत्री महोदय का उत्तर संतोषजनक नहीं है । उन्हें स्थिति को स्पष्ट करना चाहिये । यह कहा गया है कि आवास समिति माननीय सदस्यों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगायेगी । मेरे विचार में इस कार्य में आवास समिति के साथ परामर्श नहीं किया गया । 30 जुलाई, को एक माननीय सदस्य ने यह मामला राज्य सभा में उठाया था और श्री जगन्नाथ राव ने उत्तर दिया था कि "मैंने संसद्-कार्य मंत्री की सिफारिश के बिना सामान्य पुंज से कोई भी बंगला अलाट नहीं किया है ।"

श्री रणधीर सिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । वह राज्य सभा की कार्यवाही से उद्धरण नहीं दे सकते ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य समाचार-पत्र से उद्धरण दे सकते हैं । क्या वे संसद् में दिये गये मंत्री के वक्तव्य से उद्धरण नहीं दे सकते ?

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहिये ।

डा० रामसुभग सिंह : इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में स्पष्टीकरण दिया जा चुका है ।

डा० रानेन सेन : यह सबसे निकृष्ट भ्रष्टाचार हैं । (**व्यवधान**)

डा० रामसुभग सिंह : यदि यह भ्रष्टाचार है तो आप सबसे अधिक भ्रष्ट व्यक्ति हो ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : It is very difficult for us to find-out as to who is renowned parliamentarian and who is not so. This list includes Members who have recently become Member of Parliament or who come to the House very rarely or there is a single member of family and they have got bungalows. There is only one criteria for allotment of accommodation and that is recommendation even in the case of Members of Parliament. I want to know as to how this procedure has been laid down ? What is it a rule ?

Dr. Ram Subhag Singh : I fully agree with hon. Shastri ji. I have put before you the allotments made during Fourth Lok Sabha. It is quite untrue that renowned people are not there. Also I do not say that there has been absolutely no mistake. If there is any, I gladly accept that. If someone says that this all has happened under me only, it is wrong. If we received any petition either from the Speaker or in his name, I pass that on to the Prime Minister. This list includes all people from opposition as well as Congress. You see to it, 37 to Congress and 35 to opposition.....

Shri Randhir Singh : Opposition should have got less.

Dr. Ram Subhag Singh : I am putting factual things. I too have not been living in a bungalow so far, and lived in 'A' type only. So, I am not fond of that. But if some one from amongst our colleagues comes to me or to Shri Jagannath Rao, we consider what he says and tell him also that he too should get it. I would like it; whether he is a Minister or a Member, all should get type A. I do not know why people ask for a bungalow ? When they come to my room, naturally we have to give them some reply.

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बड़े खेद का विषय है कि यह स्थान जो कि प्रजातंत्र का एक स्थान है, जहां हम बन्धुत्व, भावना, पक्षपात तथा सरकारी कर्मचारियों नौकरशाहों की आलोचना की बातें करते हैं, वह स्थान अब बन्धुत्व-भावना तथा पक्षपात का स्थान बन गया है, जैसाकि संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से प्रकट होता है । वह दलीय भावनाओं तथा अन्य प्रकार की भावनाओं के प्रकाश में कार्य करते हैं.....(व्यवधान) कल हमने श्री एम० आर० मसानी को कांग्रेस तथा श्री मोरारजी देसाई की प्रशंसा करते देखा और यही कारण है कि हमने एक बड़ी सूची देखी जिसमें श्रेणी VIII के बंगलों की इच्छा रखने वाले स्वतंत्र पार्टी के लोगों के नाम थे.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये ! कृपया अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रश्न है (क) चतुर्थ लोक-सभा के आरम्भ होने के समय, कांग्रेसी सदस्यों के पास जो बंगले थे क्या उनका पुनराबंटन हुआ था; (ख) क्या कोई ऐसा विभागीय समझौता अथवा निर्देश है कि भूतपूर्व मंत्रियों, राजदूतों, राज्यपालों, सिविल कर्मचारियों, राज्यों के कांग्रेसी मंत्रियों, उनके पुत्रों और पुत्रियों को विशेष प्राथमिकता दी जाये, और यदि ऐसा है तो किन नियमों के अधीन है; तथा (ग) जबकि आवास समिति आवास मंत्रालय को यह लिख रही है कि सामान्य पूल से कुछ बंगले संसत्सदस्यों के पूल में आबंटित कर दिये जायें, परन्तु यह नहीं किया गया । दूसरी ओर, वे वर्तमान निवास कब्जों सहित ही उन्हें संसत्सदस्यों के पूल में स्थानान्तरित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि किराये कम हो जायें ।

मै एक और बात कहना चाहता हूँ । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आवास समिति के अध्यक्ष का नाम भी सामान्य पूल की सूची में है । यह क्या है ? यह बड़ी लज्जा की बात है ।

डा० राममुभग सिंह : उन्होंने मुझे पक्षपाती बनाकर स्वार्थी होने का दोषी बताया है । मेरे विचार से वह स्वयं सबसे अधिक पक्षपाती हैं । उन्होंने स्वयं मुझ से प्रार्थना की थी..... (व्यवधान) मुझे आवास के आबंटन के लिये आपके पत्र प्राप्त हुए थे तथा आपने उन पत्रों को आवास समिति के अध्यक्ष को कहा है । और आप रोज ही मेरे पास किसी रियायत के लिये आते हैं; आप आते हैं और कहते हैं कि सदस्यों के वेतन बढा दिये जायें । परन्तु सभा में आकर कहते है कि इसकी अनुमति न दी जाये । नित्य ही आप मेरे पास आकर रियायतें मांगते हैं । आप ही बताइये कि आप कितनी बार मेरे कमरे में रियायतें मांगने आये हैं.. (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये । क्या आप कृपया बैठ जायें । उन्होंने एक प्रश्न पूछा है और उन्होंने उत्तर दिया है । हमारे लिये आवेश में आने की कोई बात नहीं है । मेरा विचार है कि विषय-वस्तु से माननीय सदस्य आवेश में आये हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने मुझे पक्षपाती कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें बात बढ़ानी नहीं चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मुझे स्पष्टी करण करने की अनुमति दें ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था रखिये । क्या मै आप दोनों को तथा सभा को यह बात यहीं समाप्त कर देने का सुझाव दे सकता हूं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह गलती पर हैं । उन्होंने सदन के सामने झूंठ बोला है ।

श्री हो० ना० मुकर्जी : यह खेद की बात है कि इसमें व्यक्तिगत बातें आ गई हैं । मैं फिर से सिद्धान्त की बात कहना चाहता हूँ । मैं वर्ष 1952 से सदस्य हूं और मंत्री महोदय भी । मैंने कभी ऐसा नहीं देखा । हमने कभी यह नहीं जाना मंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय की सलाह से सामान्य पूल के निवासों का अपनी स्वेच्छा से आबंटन किया हो ।

अध्यक्ष महोदय : वह कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें । मैं उन्हें फिर बुलाऊंगा । दुर्भाग्य से 5 अगस्त के अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते समय इस मामले में अध्यक्ष का नाम भी घसीट लिया गया है । कोई एक सामान्य आदेश है जिस के बारे में मै नहीं जानता कि यह अध्यक्ष की सलाह से क्या है । परन्तु मैं सदन को बता दूं तथा यह अच्छा भी है कि सब जान लें कि किसी एक मामलें में भी मेरी सलाह नहीं ली गई है । केवल एक मामले में, मुझे याद है, जब मंत्री महोदय मेरे कक्ष में बैठे थे तथा एक माननीय सदस्य आये । मैंने मंत्री से कहा— "आप उन्हें मकान क्यों नहीं दे देते ? वह कष्ट पा रहे हैं । यही केवल एक मामला था जहां मैंने किसी सदस्य के लिये मंत्री से अपने कक्ष में कहा था । अन्यथा अन्य 70 मामलों के बारे में मै कुछ नहीं जानता । मेरा नाम बीच में न घसीटा जाये । किसी सदस्य को मकान मिले अथवा न मिले । आवास समिति की भी कोई बात नहीं है । मुझे इस की कोई चिन्ता नहीं कि किसको मकान दिया गया है तथा किसको नहीं । इसमें अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं है । जो उत्तर दिया गया है उसमें कहा गया है "अध्यक्ष की सलाह से ।" मैं इसको अस्वीकार करता हूं । अध्यक्ष की कोई सलाह नहीं ली गई तथा उसकी सलाह से कोई मकान नहीं दिया जाता ।

डा० रामसुभग सिंह : जैसा कि मैंने बताया, वर्ष 1953 में ऐसी पद्धति थी कि अध्यक्ष तथा सभापति, अथवा सभापति जो भी हो या फिर संसदीय कार्य-मंत्री से भी निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्री सलाह करे । तीसरी लोक सभा के आरम्भ से अर्थात् वर्ष 1962 से इस प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया तथा अध्यक्ष अथवा सभापति से सलाह नहीं ली जाने लगी । मैं यह

नहीं कहता कि मुझ से सलाह ली गई परन्तु मेरी किसी चीज को अस्वीकार करने की आदत नहीं है तथा मै सभी गलतियों को स्वीकार करने को तैयार रहता हूँ ।

श्री हो० ना० मुकर्जी : इसलिये, अध्यक्ष की सलाह वाले मामले से अलग, मै देखता हूँ कि जो सूची हमें दी गई है उसमें उन सदस्यों के नाम हैं (मैं उनका नाम नही लूंगा) जो कि मंत्री महोदय द्वारा वर्णित किसी भी मापदंड को पूरा नहीं करते, वे मापदंड जो कि वर्ष 1952-53 में बताये गये थे, जैसे भूतपूर्व राजदूत, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, स्वीकृत विपक्षी दलों के नेता तथा अन्य ऐसे ही; परन्तु उन्होंने एक और वाक्यांश जोड़ा है "अन्य संसत्सदस्य" वे संसत्सदस्य जिनको वे सामान्य पूल के नियतभागियों की सूची में शामिल कर लेते हैं जो कि मंत्री महोदय की ओर से रियायत पाने के लिये एक निमंत्रण रूप सा होती है, जिसका प्रचार अभी अभी मंत्री महोदय ने श्री बसु तथा अन्य सदस्यों के बारे में किया कि वे लोग उनके पास रियायतें पाने के लिये आते हैं । सामान्य पूल से भव्य और लम्बे चौड़े निवास देने के बारे में 'अन्य संसत्सदस्य" वाक्यांश रखने के पीछे क्या सरकार की यही भावना है तथा क्या वह इस प्रकार रियायतें देने तथा पक्षपात करने की घोर अवांछित प्रणाली अपनाना चाहते है ?

डा० रामसुभग सिंह : मैं श्री मुकर्जी की भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूँ कि हर कार्य वांछित तरीके से किया जाना चाहिये । वर्ष 1953 में जो हुआ वह उस समय की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हुआ । मुझे उस प्रक्रिया को मानने से इन्कार नहीं परन्तु यह प्रक्रिया थी, श्री मुकर्जी जानते है । वह मेरे साथ ही के मकान में रह रहे थे । वह बड़ी जगह में रहते थे तथा मैं छोटी जगह में ।

एक माननीय सदस्य : श्रीमन यह बड़ी अन्यायपूर्ण बात है ।

डा० रामसुभग सिंह : मैं इसे वापस लेता हूं । परन्तु यहां मैं यहीं नही कहता कि मैं कोई मकान नहीं देता, क्योंकि मैं यहां अपना गला कटवाने को तैयार हूँ..... (व्यवधान) इसीलिये मैंने अल्पकालीन प्रश्न तुरन्त ही स्वीकार कर लिया । मैं जानता हूं कि मैं इस मामले में नहीं हूं । परन्तु जसा कि मैंने कहा हमारी एक समिति है और वह इसकी जांच करेगी ।

श्री वासुदेवन नायर : वह समिति कैसी है ?

डा० रामसुभग सिंह : पांच सदस्यों की एक मंत्री मंडलीय समिति ।

इन 71, अथवा 72—क्योंकि दो आदमी एक बंगले में है-के बारे में मैं किसी को भी यह स्वीकार करा सकता हूं कि उनमें से 60 मामले तो सबसे अधिक इसके पात्र थे । परन्तु मैं सदन की बात मानने को तैयार हूं । आइये हम कोई अन्य मानदंड स्थापित करें कि प्रत्येक को किसी होस्टल में केवल एक कमरा दें । मै बहुत प्रसन्न हूँगा ।

श्री राममूर्ति : मंत्री महोदय बहुत ही आवेश में आगये थे तथा कहने लगे कि श्री ज्योतिर्मय बसु उनके पास बंगले आदि के लिये आते रहे । वास्तव में श्री ज्योतिर्मय बसु विट्ठल भाई पटेल हाउस में केवल एक कमरे में रह रहे हैं, तथा वह एक मकान के आबंटन के लिये कहते

आ रहे हैं । उन्होंने कभी बंगले के लिये नहीं कहा । श्री भगवती और श्री वासुदेवन नायर इस बात की गवाही देंगे । यदि किसी व्यक्ति को मकान न मिले और वह उसके लिये कहे तो इसमें कुछ गलत नहीं है । अतः उनके लिये इस प्रकार की बातें कहना सर्वथा अवांछित है तथा मैं अध्यक्ष महोदय को सुझाव दूंगा कि वह उन्हें वे बातें वापस लेने को कहें ।

डा० रामसुभग सिंह : श्री ज्योतिर्मय बसु मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, वह भी जानते हैं । परन्तु जब उन्होंने स्वार्थ का आरोप लगाया तो उन्हें और उनके नेता को स्थिति का सामना करना पड़ा ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में समुचित स्पष्टीकरण हो गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे प्रिय मित्र, डा० राम सुभग सिंह ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों प्रिय मित्र हैं और हमें मुसीबत में डाल रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक ऐसा मामला है कि समाप्त किया जाना चाहिये । आरम्भ से ही मैं विट्ठल भाई पटेल हाऊस में एक कबूतर खाने में रह रहा हूं । मैं विन मन्त्री से दो या तीन बार मिला कि वह संसत्सदस्यों वाली दर पर मुझे उस भवन में कुछ अधिक बड़ी जगह प्रदान कर दें । वह काम किसी न किसी बहाने को लेकर अभी तक नहीं हुआ । मैंने कभी बंगला नहीं मांगा । मैंने कहा है "यदि आप मुझे वहां और दो कमरे नहीं दे सकते तो फिर मुझे एक बंगला दे दो ।" उन्होंने संसत्सदस्य सुविधा समिति के बारे में कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात आप उचित समय पर स्पष्ट कर सकते हैं जबकि हमारे सामने विधेयक आये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं श्रीमान, यह एक अमिश्रित असत्य है । उन्होंने सदन के सामने झूठ बोला है ।

डा० रामसुभग सिंह : यह सत्य है । मैं इसे सिद्ध करूंगा, इसे सिद्ध करने के लिये मैं आदमी पेश कर सकता हूं । आप झूंठ बोलने के आदी है..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब इससे आवेश बढ़ता जा रहा है ।

Shri Rabi Ray : He should state the criterion relating to a house in general pool.

श्री जी० भा० कृपालानी : यह जो मतभेद चल रहा है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है परन्तु किसी मन्त्री का यह कहना कि कोई उनके पास किसी रियायत के लिए आता है, यह बड़ी अवांछित सी बात है, क्योंकि मन्त्रियों के पास अधिकार है वह हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं । यदि हमारी कोई वैध आवश्यकता है तो हम कहां जाये ? क्या हम उनके चपरासियों के पास जायेंगे ? स्वभावतः ही हम उनके पास जायेंगे । हमने इस बात को समझना है

और किसी का इस प्रकार अनादर नहीं करना है कि वह अमुक प्रार्थना लेकर हमारे पास आता है चाहे वह प्रार्थना वैद्य है अथवा अवैद्य। यही प्रश्न है। प्रश्न यह नही है कि हम मन्त्रियों के पास जाते हैं। जब उन्हीं के पास सारे अधिकार हैं तो हम किसके पास जाये ?

अध्यक्ष महोदय : अच्छा होता कि मन्त्री महोदय जो कि सब कुछ जानते हैं, इसका उत्तर देते। मुझे बताया गया है कि डा० राम सुभगसिंह मकानों का आबंटन नहीं करते, अतः उनको इस बारे में पूरा पता नहीं है। मैं मंत्रियों से अपील करूंगा कि वे नियमितता बनाये, कोई नियम निश्चित करें तथा मन्त्रियों, अध्यक्ष अथवा किसी अन्य को ऐसी दुर्भाग्य पूर्ण बातों में न लायें। उन्होंने कोई समिति बना रखी है–आवास समिति है–तथा वह समिति कोई नियम बनाए तथा सदस्यों को निवास आबंटित करे ताकि ये नाम बीच में नहीं आये। यदि माननीय सदस्य चाहें तो वे समिति से सम्पर्क करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन, आप एक समिति नियुक्त कर दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आवास समिति बनी हुई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उस से काम नहीं चलेगा उस पर तो मन्त्री छाये हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रूस को मन्त्री स्तर का प्रतिनिधि मंडल

***542. श्री कामेश्वर सिंह :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का एक उच्च अधिकारी मन्त्री स्तर के एक प्रतिनिधि मण्डल के साथ मास्को गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री श्री दिनेश सिंह : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर

***549. श्री प्र० कु० घोष :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री बी० बी० के० मूर्ति को माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर से प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या उक्त अधिकारी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, रांची में चीफ इंजीनियर इलैक्ट्रीकल-मकैनिकल के रुप में कार्य कर रहे थे और क्या उन्होंने उक्त पद से त्यागपत्र दे दिया था;

(ग) क्या जब वे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में कार्य कर रहे थे तब उनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच कार्यवाही करवाई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट की जांच की है तथा वर्तमान नियुक्ति से पहले राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से उनके त्यागपत्र देने का क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां । श्री बी० बी० के० मूर्ति को माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० दुर्गापुर ने 1 अगस्त, 1968 से प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) इस अधिकारी पर लगाये गये कुछ आरोपों की जांच 1964–65 में की गई थी और यह निष्कर्ष निकला था कि अधिकारी के विरुद्ध कोई भी मामला नहीं है । श्री मूर्ति ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से निजी कारणों पर 30 अप्रैल, 1968 से त्याग पत्र दे दिया था ।

भारत का विदेश व्यापार

***550. श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का विदेशी व्यापार वस्तुओं के तुलनात्मक कीमतों के सिद्धान्त पर आधारित है ।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय अन्य देशों के साथ भारत का व्यापार निर्धारित करने वाली मूल बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) (क) से (ग) : भारत का विदेशी व्यापार कतिपय परम्परागत विशेषताओं पर और साथ ही सहायता पर हमारी निर्भरता को कम करने तथा विदेशी मुद्रा कमाने की आवश्यकता से उत्पन्न नवीन प्रेरणा पर आधारित है । लागत तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में लाभ प्राप्त करने के लिए हम निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं जिससे हम अपने विदेशी व्यापार का पर्याप्त विस्तार कर सकें ।

कारों का गुण-प्रकार

***551. श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग ने कार निर्माताओं को पत्र लिख कर उनसे यह पूछा है कि उन्होंने कारों के गुण प्रकार को सुधारने के लिए सरकारी निदेशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है।

(ख) क्या सभी कार निर्माताओं से इस बीच उत्तर प्राप्त हो गये है और यदि नहीं, तो अभी तक किन किन के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में किन-किन कार निर्माताओं ने सरकारी निदेशों क पालन किया है ; और

(घ) क्या सरकारी निदेशों की क्रियान्विति से कारों की निर्माण लागत में कोई वृद्धि हुई है और उसके परिणामस्वरूप विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो प्रत्येक प्रकार की कार के मूल्य में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) .जी, हां।

(ख) और (ग) : सभी कार निर्माताओं के उत्तर मिल गए हैं और उनकी इस समय जांच की जा रही है। निर्माताओं की सूची के नाम से रखा जाय तो अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए सहमत हो गये हैं।

(घ) दो कार निर्माताओं ने जिनके मामले में वारण्टी की अवधि मोटर कार किस्म जांच समिति की सिफारिशें स्वीकार किये जाने के पश्चात अब निर्धारित की गई हैं उससे पहले कम थीं, यह कहा है कि मोटर कार किस्म जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किये जाने से अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी तथापि इस कारण उन्होंने मूल्य में वृद्धि करने के लिए अभी तक कोई विशेष निवेदन नहीं किया है।

हातकणगले स्टेशन (दक्षिण मध्य रेलवे) पर रेल गाड़ियों की टक्कर

***552 श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 जून, 1968 को हुबली डिवीजन (दक्षिण-मध्य रेलवे) के मिराज-कोल्हापुर सेक्शन में हातकणगले स्टेशन पर कोल्हापुर-सांगली यात्री गाड़ी तथा स्टेशन पर खड़ी हुई मालगाड़ी के बीच सीधी टक्कर हुई थी।

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने व्यक्ति जख्मी हुए थे ;

(ग) इस दुर्घटना का क्या कारण था; और

(घ) क्या किसी रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध कथित लापरवाही के बारे में, जिसके परिणाम-स्वरुप यह दुर्घटना हुई थी, कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) यह टक्कर सांगली-कोल्हापुर सवारी गाड़ी और एक इंजिन के बीच हुई जो कुछ डिब्बे शन्ट कर रहा था।

(ख) इस दुर्घटना में एक व्यक्ति मर गया और 29 व्यक्ति घायल हुए जिनमें तीन को गहरी चोटें आई।

(ग) और (घ) : रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की विधिक जांच की। उनके अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

रांची में भारी मशीन निर्माण संयंत्र

*553. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 23 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 45 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सोवियत विशेषज्ञों ने यह सही बताया है कि रांची स्थित भारी मशीन-निर्माण संयंत्र के विभिन्न विभागों में 280 इंजीनियरों तथा 69 तकनीशनों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो देश में योग्यता प्राप्त इंजीनियरों की बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के बावजूद इतनी कमी होने देने के क्या कारण है, और

(ग) इस मामले में बाद में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस प्रकार की एक सिफारिश सोवियत दल के विशेषज्ञों ने की थी।

(ख) और (ग) : इस उपक्रम में इंजीनियरों और तकनीशियनों की भर्ती और नियुक्ति विभिन्न विभागों में हो रहे उत्पादन और कार्य-भार को ध्यान में रखते हुए की गई है। फिर भी, तकनीकी कर्मचारियों की अतिरिक्त आवश्यकताओं पर नये सिरे से पुनर्विचार किया गया है और अपेक्षित कर्मचारियों को इन स्थानों पर नियुक्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

वाद्य यंत्रों का निर्यात

*554. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि पश्चिमी और अमेरिकी देशों विशेषकर अमरीका में सितार, वीणा, तबला आदि भारतीय वाद्य-यंत्रों की मांग है।

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है, और

(ग) उक्त वाद्य यंत्रों के निर्यात के लिए और विदेशी बाजारों की सम्भावना का पता लगाने तथा भारत से बाहर इन को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें वर्ष 1965-66 से 1967-68 तक का वाद्य-यंत्रों का निर्यात दिखाया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1785/68]

(ग) वाद्य यंत्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किये है। इनमें से सर्वाधिक महत्व के उपाय ये हैं—

(1) सितार तथा तम्बूरे जैसे वाद्य-यंत्रों की किस्म में सुधार के लिए मद्रास में वाद्य यंत्रों के लिए एक प्रायोगिक केन्द्र चलाया जा रहा है;

(2) वाद्य-यंत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए इन्हें विदेश स्थित प्रदर्शन कक्षों में प्रदर्शित किया जा रहा है ; और

(3) वाद्य-यंत्रों का निर्यात निर्बाध रुप में, बिना निर्यात लाइसेंस के करने दिया जाता है। पंजीकृत निर्यातकों को इनके निर्यात के जहाज पर मूल्य के 10 प्रतिशत तक आयात प्रति-पूर्ति लाइसेंस दिए जाते है।

रेलवे माल यातायात

*555. **डा० रानेन सेन** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा माल के यातायात में कमी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों के कोई परिणाम निकले हैं ?

(ख) यदि हां, तो माल के यातायात की इस कमी को कहां तक रोका जा सका है, और

(ग) इस बारे में चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों में रेलवे का कार्य कैसा रहा ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) यह बताना सम्भवतः कठिन है कि माल यातायात में गिरावट किस सीमा तक रेलों द्वारा किये गये उपायों से रुकी है और किस सीमा तक अन्य कारणों से। इसका तो केवल प्रारम्भिक टन भार और आमदनी से सम्बन्धित उपलब्ध आंकडों के आधार पर अनुमान ही लगाया जा सकता है।

(ग) इस कलेंडर वर्ष के पहले छः महिनों में रेलों ने पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में लगभग 17.5 लाख मीटरिक टन अधिक राजस्व उपार्जक माल ढोया।

Ashok Paper Mills Ltd.

*556. **Shri Bhogendra Jha :**
Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 55 on the 23rd July, 1968 and state :

(a) whether Government have received the information contained in the Twenty-second Report of the Public Accounts Committee of Bihar Vidhan Sabha wherein it has

been strongly recommended to Government to take over the Ashok Paper Mills Ltd. (Public Accounts Committee Publication No. 23, page No. 20);

(b) whether Government are aware that this report was presented by the State P. A. C. on the 27th June, 1968 while the Bihar Government resigned from office on the 25th June, 1968 and after some days, the Vidhan Sabha was dissolved;

(c) if so, the steps being taken to implement this recommendation; and

(d) whether Government are aware that the Mill is likely to be auctioned and ruined if the actions is delayed ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) to (d) No information has been received from the Government of Bihar.

Khadi and Village Industries Commission

***557. Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) the number of complaints regarding the irregularities in Khadi and Village Industries Commission received by Government during the last two years and in respect of which inquiries have so far been completed;

(b) whether it is a fact that these complaints still continue to be there in some Centres of Uttar Pradesh; and

(c) if so, whether any high level inquiry has been conducted in this respect ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) During the last two years i. e. 1966-67 and 1967-68, complaints were received by the Khadi and Village Industries Commission about two institutions regarding which enquiries were made and completed.

(b So far as the Commission is aware, there is no such case now.

(c) Does not arise.

औद्योगिक सहयोग

***558. श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी भारतीय फर्मों ने विदेशी सहयोग से विदेशों में उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन किया है;

(ख) भारतीय फर्मों द्वारा विदेशी सहयोग से उन विदेशों में किस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) अब तक कितनी फर्मों को मन्जूरी दे दी गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1963 से जुलाई, 1968 तक की अवधि में भारतीय उद्यमकर्त्ताओं से विदेशों में संयुक्त औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिये लगभग 120 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। अभी तक उनमें से 38 भारतीय फर्मों के 60 प्रस्ताव मन्जूर किये गये हैं।

स्वीकृत प्रस्ताव विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं । उनमें से प्रमुख उद्योगों में ये शामिल हैं : एस्वेस्टास सीमेंट उत्पाद संयंत्र, कपड़ा तथा जूट मिलें; हाईबोर्ड संयन्त्र; भेषजीय उत्पाद तथा कुछ इंजीनियरी कम्प्लेक्स ।

Manufacture of Motor Vehicles

*559. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that about 50 per cent of manufacturing capacity of Motor vehicles is lying unutilised in the country;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the measures proposed to be taken by Government for the development of this industry ?

The Minister of Industrial Development and Company Affa rs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : A statement is attached.

Statement

Production of passenger cars is up to full capacity in ? out of 3 units. But, as regards trucks. production in some of the units has been far below capacity, partly on account of general slackness in the demand and partly on account of consumer preference for particular makes of vehicles. In two of the manufacturing units, the vehicles produced by which enjoy relative consumer preference, production has recently been near capacity. The fact that there was a freeze on new schemes and projects for over two years and the receission in the engineering industries in general, have also contributed to the fall in total demand. The rise in the selling prices of vehicles consequent on the devaluation of the rupee in June, 1966 and the lack of finance for purchase of vehicles, due to the Reserve Bank's restriction on Banks financing such purchases, have been among other factors affecting the demand of vehicles.

The Reserve Bank has since relaxed the restrictions on Banks and this has helped to ease the situation. Government has under consideration a bill to regulate hirepurchase transaction in Commodities, including automobiles. This legislation is expection to result in the provision of more adequate finance for the purchase of commercial vehicles by small operators It is also hoped that with the resuption of industrial activity, when the Fourth Year Plan is taken up for implementation, the demand for vehicles will pick up.

Study of Japanese Industrial System

*560. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are of the view that the Japanese Industrial system is more suitable to India than the western one;

(b) if so, the difficulties in the way of adopting the Japanese Industrial system;

(c) whether Government had sent a delegation to study the Japanese system;

(d) whether the delegation has submitted its report; and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) Modern industrial systems in all countries have certain common-features in terms of scale of production, the use of technology, and distribution errangements. There are, however, differences in the structure and organisation of industries in different countries arising from differences in the social, political and economic environments. It is neither possible nor desirable for a country to adopt, in its entirety. The industrial system obtaining in another country, but it is possible to benefit from the experience of others.

(c) No, Sir. No delegation has been specifically sent for this purpose.

(d) and (e) Do not arise.

रेलवे मन्त्री की विदेश-यात्रा

*561. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठीक उस समय जब कि देश में रेल दुर्घटनाएं, रेल गाड़ियों में टक्करें और रेलवे लाइनों के टूटने की घटनाएं हो रही थी, मन्त्री महोदय के विदेश यात्रा पर चले जाने के कारण क्या थे; और

(ख) क्या यह सच है यदि वह भारत में ही होते और उन्होंने समयोचित कार्यवाही की होती तो हाल ही हड़ताल को टाला जा सकता था, जिसमें माल के न ढोये जाने और यात्रियों की यात्रा न होने से रेलवे को हानि हुई ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) राष्ट्रपति के अनुगामी मन्त्री का कार्यभार सौंपे जाने पर 8 से 18 जुलाई, 1968 तक उनकी रूस यात्रा के दौरान मैं उनके साथ रहा। मेरे विदेश यात्रा पर रवाना होने के समय रेलों पर कोई असामान्य स्थिति नहीं थी और माननीय सदस्य ने जिस तरह के प्रशासनिक और परिचालन सम्बन्धी मामलों का जिक्र किया है, मन्त्रिमण्डल स्तर के किसी मन्त्री द्वारा राष्ट्रपति से सम्बद्ध कुछ विशेष कार्यों को पूरा किये जाने के सन्दर्भ में उनकी किसी भी तरह कोई संगति नहीं है। प्रश्न के भाग (ख) में हड़ताल की जिस स्थिति का उल्लेख किया गया है सम्भवतः उससे अभिप्राय पिछले महीने दक्षिण-मध्य और दक्षिण रेलवे में फायर मैनों के बड़ी संख्या में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने से है। यदि ऐसा है, तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिये सुस्थापित कार्यविधियां निर्धारित हैं। मेरे विदेश में रहने के दौरान मुझे भी इन बातों की सूचना दी जाती रही और मेरे दोनों सहयोगी रेल राज्य मंत्री तथा रेल उप-मन्त्री आवश्यक मार्ग-दर्शन के लिए यहां मौजूद थे। उपर्युक्त फायरमैनों ने 18 / 19 जुलाई, 1968 की मध्य रात्रि से अपने काम पर लौटने का फैसला किया।

टिटेनियम डायोक्साइड कारखाना

*562. **श्री आदिचन** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री 22 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की पावर गैस कारपोरेशन द्वारा केरल में त्रिवेन्द्रम में एक टिटेनियम डायोक्साइड कारखाना स्थापित किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो सहयोग समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा इस कारखाने की उत्पादन क्षमता तथा लागत और उसमें विदेशी मुद्रा के अंश सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कारखाना स्थापित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) मेसर्स ट्रावनकोर टिटेनियम प्राडक्टस लि० त्रिवेन्द्रम ने जिन्हें 1961 में टिटेनियम डाइ आक्साइड बनाने की वार्षिक क्षमता 6,500 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 24,500 मीट्रिक टन कर देने के लिए एक औद्योगिक लाइसेन्स स्वीकृत किया गया था, बिना किसी विदेशी सहयोग के विस्तार कार्यक्रम को कार्यान्वित करना प्रारम्भ कर दिया है। इसे बनाने की सम्पूर्ण जानकारी कम्पनी की अपनी ही है। उन्होंने मे० पावर गैस कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं जिससे मे० ट्रावनकोर टिटेनियम प्राडक्टस लिमिटेड द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इंजीनियरी डिजाइन समेत इंजीनियरी सेवाओं की व्यवस्था की जा सके। देश से खरीदे जाने वाले उपकरण प्राप्त करने, निर्माण, लगाने, निरीक्षण तथा संयंत्र को चलाने के लिये सेवाएं प्राप्त की जा सकें। इन सेवाओं के लिये मेसर्स पावर गैस कारपोरेशन लिमिटेड की भारतीय मुद्रा में 19.50 लाख रु० का भुगतान किया जाना है।

(ग) मेसर्स ट्रावनकोर टिटेनियम प्राडक्टस लिमिटेड द्वारा दी गई निर्माण सम्बन्धी जानकारी को उपयुक्त फ्लो शीटों, खाकों, उपकरण तालिकाओं आदि में परिणत कर दिया गया है और उन्हें पावर गैस कारपोरेशन लिमिटेड को भेज दिया गया है, जिससे वे इंजीनियरी डिजाइन सम्बन्धी कार्य कर सकें। मैं० ट्रावनकोर टिटेनियम प्राडक्टस लिमिटेड को अधिकांश आयातित संयंत्र और मशीनों के लिए उद्धरण प्राप्त हुए हैं। आयातित संयत्र और मशीनों के मूल्य का अनुमान लगभग 65 लाख रु० लगाया गया है। स्थल का सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है तथा बिजली पानी आदि की व्यवस्था के लिए इमारतों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना को अप्रैल, 1971 तक पूरी कर लेने का समय निर्धारित किया गया है।

राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति

*563. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक गैर-सरकारी फर्म के निदेशक को राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र से एक व्यक्ति को नियुक्त करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नियुक्ति करने से पूर्व गृह-कार्य मन्त्रालय की स्वीकृति ली गई थी;

(घ) क्या नियुक्त किया गया व्यक्ति किसी अन्य सरकारी उपक्रम का निदेशक अथवा किसी बोर्ड का सदस्य भी है; और यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों और बोर्डों के नाम क्या हैं; और

(ङ) उनकी नियुक्ति, वेतन भत्ते आदि, पदावधि की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) राज्य व्यापार निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष, जो कि एक सिविल कर्मचारी था, की पदावधि समाप्त हो जाने के बाद सरकार निगम का अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए एक ऐसे उपयुक्त व्यक्ति की खोज में थी जिसको विपणन का व्यवहारिक अनुभव हो। निगम के तेजी से बढ़ते हुए व्यापारिक कार्यों को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि एक ऐसा व्यक्ति, जो आधुनिक प्रबन्ध प्रविधियों से परिचित है और जिसे बिक्री संवर्धन का अनुभव है, निगम की विपणन दक्षता को और आगे विकसित करने में तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी स्थिति का विस्तार तथा समेकन करने में सहायक सिद्ध होगा। सौभाग्यवश सरकार को इस महत्वपूर्ण पद के लिये उसी प्रकार का व्यक्ति मिल गया, जिस प्रकार का व्यक्ति वह ढूंढ रही थी। इस नियुक्ति का अनुमोदन मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति समिति द्वारा किया गया है।

(घ) वर्तमान अध्यक्ष (1) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और (2) रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा स्वाभवतः इसके सहायक, औद्योगिक विकास बैंक का भी निदेशक है। अध्यक्ष कुछ शैक्षिक संस्थाओं जैसे भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद, प्रशासकीय स्टाफ कालिज, हैदराबाद तथा व्यावहारिक आर्थिक गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद से भी सम्बन्धित है। वह भारतीय वैदेशिक व्यापार संस्थान के शासी निकाय का सदस्य भी है।

(ङ) नियुक्ति की शर्तें अध्यक्ष को उसके भूतपूर्व पद पर मिलने वाली शर्तों से काफी कम हैं, और उनके पूर्वाधिकारी को दी गई शर्तों के लगभग समान हैं। वे निम्न प्रकार हैं:—

(1) उसको 4 000 रु० का नियत वेतन दिया जायेगा।

(2) वह 10 जून, 1973 तक के संविदा पर है। संविदा, प्रत्येक पक्ष की ओर से छः महीने का नोटिस देने पर समाप्त की जा सकेगी।

(3) वह, निगम के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता, मंहगाई भत्ता, भविष्य निधि, उपदान, चिकित्सा सुविधाओं, सेवांत लाभों का अधिकारी होगा।

(4) परिवहन सुविधाएं जैसी कि सामान्यतः दी जाती हैं।

(5) निदेशकों के बोर्ड द्वारा निर्धारित आतिथ्य भत्ता।

(6) निगम उसके लिये उपयुक्त आवास भी किराये पर लेगा, जिसके लिये उसे अपने वेतन का 10 प्रतिशत देना पड़ेगा।

कुलटी इस्पात कारखाना

*564 **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि कुलटी इस्पात कारखाना बन्द होने वाला है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल में यह पता लगा है कि उस कारखाने को बन्द कोयला खान पर बनाया गया है; और

(ग) इस कारखाने को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बताया गया है कि प्रबन्धकों ने संयंत्र को सुरक्षित रखने के लिये भूमि को मजबूत करने जिसमें सीमेंट भरने और इमारतों को फिर से ठीक करने का काम शामिल है, शुरू कर दिया है ।

नेशनल इंस्ट्रूमेंटस, कलकत्ता

***565. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस, कलकत्ता में नई-नई मदों का निर्माण करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है;

(ख) क्या इस कारखाने में प्रतिरक्षा सामग्री का निर्माण किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या कम काम होने के कारण फालतू घोषित किये जाने के विरुद्ध कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिये कार्यवाही की गई हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग): नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा उत्पादन के लिए कुछ नयी वस्तुओं का विकास किया जा चुका है । प्रतिरक्षा के लिए कुछ वस्तुओं के उत्पादन हेतु आर्डर प्राप्त भी किये जा चुके हैं और वे क्रियान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

(घ) कम्पनी की कार्य-भार सम्बन्धी स्थिति सुधर गयी है और कार्य-भार की स्थिति सुधरने से कम्पनी के सभी श्रमिक काम में लग जायेंगे ।

Direct Train Between Daltonganj and Patna

***566. Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have received any suggestion for introducing a direct fast Passenger train/direct train service between Daltonganj and Patna;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) whether Government have considered the suggestion from the point of view of convenience to public and commercial interests; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, Sir.

(b), (c) and (d) : The suggestion for introduction of a direct train between Patna and Daltonganj has been examined from all points of view. It has not been found justified as the quantum of traffic at present is meagre and as the existing facilities between these points are considered adequate.

मिश्रित धातुओं और विशेष इस्पात का उत्पादन

*567. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस समय तैयार किये जाने वाली मिश्रित धातुओं और विशेष इस्पात को देश की मण्डियों में भी काफी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इन वस्तुओं को आयात करने की हमारी नीति उदार है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रमुख मानकों के अनुसार इन उत्पादों का मानकीकरण करने के लिये अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा इस कारण भारतीय बाजार में भी इन उत्पादों की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं । सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वर्तमान आयात-नीति के कारण देश की मण्डियों में काफी स्पर्धा है । आयात के लिए अनुमति तभी दी जाती है जब देशीय उत्पादक अनुपलब्धता प्रमाणपत्र दे देते हैं ।

(ख) जी नहीं । भारतीय मानक संस्था ने मिश्र और विशेष इस्पात की अधिकांश किस्मों का मानकीकरण कर दिया है और कई पुस्तिकाएं निकाली हैं । भारतीय उत्पादकों से कहा गया है कि वे इस प्रकार का इस्पात भारतीय मानक संस्था के निर्देशन के अनुसार बनायें ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

फायर मैनों द्वारा आन्दोलन

*568. **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री रा० बरूआ :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई के चौथे सप्ताह में बीकानेर में हुए अपने अखिल भारतीय सम्मेलन में रेलवे फायरमैनों ने निर्णय किया है कि यदि सरकार ने उनकी 14 मांगें नहीं मानी तो वह दोबारा आन्दोलन करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलवे के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इंडियन रेलवे फायरमैन्स एसोसिएशन ने 25-7-1968 को बीकानेर की एक सभा में कुछ संकल्प पारित किये थे ।

(ख) जब मान्यता प्राप्त यूनियनों/फेडरेशनों द्वारा ऐसी मांगें रखी जाती हैं तो सरकार सदैव उन मांगों पर उनके गुण-दोष के आधार पर विचार करती है ।

पूर्वी यूरोप के देशों को भारतीय सामान का पुनर्निर्यात

*569. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री कु० मा० कौशिक :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में पूर्वी यूरोप के प्रत्येक देश को रुपयों में अदायगी के आधार पर, कितनी चाय का निर्यात किया गया;

(ख) इन देशों में चाय की कितनी खपत होती है;

(ग) क्या यह सच है कि ये देश डालर अर्जित करने के लिए अन्य देशों को चाय, बोरों और कई अन्य चीजों का निर्यात करते हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन देशों ने यूरोपीय साझा बाजार देशों में अपने एजेन्ट नियुक्त किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन देशों को भारतीय माल के पुनर्निर्यात को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख): विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखे जाते हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1776/68**] ।

(ग) पूर्वी यूरोप के देशों की निर्यात सूचियों में ऐसी कई वस्तुएं हैं, जो विश्व के विभिन्न भागों को, जिनमें सामान्य मुद्रा क्षेत्र भी शामिल हैं, भेजी जाती हैं । जहां तक चाय का संबंध है, निर्यात की जाने वाली अधिकांश चाय देश में ही उत्पादित, साधित अथवा सम्मिश्रित होती है और निर्यात अधिकांशतः समाजवादी देशों को किये जाते हैं । इन देशों से पटसन के माल के निर्यात का कोई प्रमाण नहीं है, सिवाय एक देश के जिस पर उपयुक्त कार्यवाही की गई है । भारत से मूलतः आयात की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पुनर्निर्यात के जहां तहां कुछ मामले हो सकते हैं परन्तु निर्यातित मात्राएं महत्वपूर्ण नहीं हो सकती ।

(घ) इन देशों द्वारा यूरोपीय साझा बाजार के देशों में अपने एजेन्ट नियुक्त किये जाने के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ङ) जब कभी भारतीय माल के पुनर्निर्यात के बारे में कोई जानकारी सरकार के ध्यान में लाई जाती है, तब उचित कार्यवाही की जाती है तथा जहां आवश्यक होता है वहां उस विषय में सम्बन्धित सरकार से कहा जाता है ।

चुनावों के लिये मैसर्स डोडसाल (प्राईवेट) लिमिटेड द्वारा कांग्रेस दल को चन्दा दिया जाना

*570. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डोडसाल (प्राईवेट) लिमिटेड ने फरवरी, 1967 में आम चुनाव के लिये गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति को 35,000 रु० तथा बम्बई प्रदेश कांग्रेस समिति को 25,000 रु० चन्दा दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह चन्दा श्री कांतिलाल मोरारजी देसाई के माध्यम से दिया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि मैसर्स पी० सी० हंमोटिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड लेखापाल, ने वह टिप्पणी की है कि यह राशि 23,105/ रु० अधिक होने के कारण कम्पनी अधिनियम की धारा 239-क के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो डोडसाल (प्राईवेट) लिमिटेड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : 31 मार्च, 1967 की वर्ष समाप्ति के लाभ-हानि के लेखे में दिया गया है कि कम्पनी ने उक्त वर्ष में कांग्रेस पार्टी को 60,000 रु० का धन, अंशदान दिया था, परन्तु उस पार्टी को एकाकी समितियों को दिया गया अंशदान उसमें नहीं दिया गया है। फिर भी जांच करने से पता चलता है कि, 35,000 तथा 25,000 रुपयों का दान क्रमशः गुजरात तथा बम्बई की समितियों को दिया गया, एवं केवल गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाम दिया गया चैक श्री कान्तीलाल मोरारजी देसाई के माध्यम से कांग्रेस कमेटी के अहमदाबाद के पते पर भेजा गया था।

(ग) हां श्रीमान्।

(घ) मामला परीक्षान्तर्गत है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सोडियम नाईट्रेट का आयात

4421. श्री स० चं० सामन्त : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोडियम नाइट्रेट के आयात सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका नाइट्रिक एसिड उद्योग विशेषकर लघु तथा कुटीर उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां। वर्तमान लाइसेंसिंग अवधि-अप्रैल, 1968-मार्च, 1969 में, भारतीय राज्य व्यापार निगम के जरिये इस मद का आयात करने की अनुमति दी गई है, जबकि गत लाइसेंसिंग अवधि में इसकी अनुमति नहीं थी। आयात पर 60% का सीमाशुल्क लगाया गया है और इसे अब रसायन की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है।

(ख) सोडियम नाइट्रेट पर सीमाशुल्क लगने से इसका एवं इसके उत्पाद नाइट्रिक एसिड का मूल्य बढ़ गया है ।

(ग) जी, हां । एसिड्स एण्ड केमीकल्स मैन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन लिमिटेड ने एक अभ्यावेदन भेजा है कि सीमाशुल्क लगने से सोडियम नाइट्रेट का मूल्य बढ़ गया है ।

(घ) अभ्यावेदन में मुख्य सुझाव ये हैं । सीमाशुल्क के भुगतान से छूट, चिली से सोडियम नाइट्रेट का आयात तथा सस्ते मूल्य पर लघु स्तरीय उद्योगों की इकाईयों को इसका दिया जाना, राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सोडियम सल्फेट के आयात पर पाबन्दी तथा भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सोडियम नाइट्रेट का निर्माण । इन सुझावों पर सरकार विचार कर रही है ।

अखिल भारतीय रेलवे संस्था कर्मचारी संघ से ज्ञापन

4422. श्री भगवान दास : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय रेलवे संस्था कर्मचारी संघ से कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) उनकी मांगों का सम्बन्ध निम्नलिखित बातों से है :—

(i) इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों की यूनियन को मान्यता देना ।

(ii) वेतनमान आदि के मामले में रेल कर्मचारियों को जो हैसियत और सुविधाएं प्राप्त हैं वे रेलवे इंस्टीट्यूटों के कर्मचारियों को भी दी जायें ।

(iii) इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा, समयोपरि भत्ते की मंजूरी और विशिष्ट काम के लिये निश्चित कर्मचारियों की नियुक्ति ।

(ग) रेलवे इंस्टीट्यूटों के कर्मचारी रेल कर्मचारी नहीं हैं । उन्हें इंस्टीट्यूट निधि से वेतन मिलता है, इसलिए उन्हें रेल कर्मचारियों के समान नहीं माना जा सकता । अतः ये मांगें स्वीकार नहीं की जा सकतीं ।

परिचय पत्र के गुम हो जाने पर भोपाल स्टेशन पर एक संसद् सदस्य द्वारा टिकट का खरीदा जाना

4423. श्री हीरजी भाई : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 जुलाई, 1968 को श्री भा० सुन्दर लाल, संसद, सदस्य, को जो सदर्न एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे, सहायक स्टेशन मास्टर, भोपाल के आग्रह पर मध्य रेलवे के भोपाल स्टेशन पर रेल टिकट खरीदना पड़ा था क्योंकि उनका रेलवे पास तथा

परिचय-पत्र गुम हो गया था, हालांकि उन्होंने पूछताछ कार्यालय, भोपाल में लोक-सभा के लैटर-हैड (सरनामा) पैड पर इस सम्बन्ध में रपट कर दी थी और भोपाल रेलवे पुलिस को भी इस मामले की सूचना दे दी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त सदस्य ने संसद्-सदस्य होने के प्रमाण के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के एक मन्त्री का एक प्रमाण-पत्र भी उस रेलवे अधिकारी को दिखाया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस रेलवे अधिकारी ने संसद् द्वारा निर्धारित विधिवत् भरे रेल यात्रा प्रपत्र को स्वीकार नहीं किया था;

(घ) यदि हां, तो उस रेलवे अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ङ) इस घटना के बाद उक्त सदस्य को रेल किराये के रूप में कितनी राशि देनी पड़ी और क्या वह उन्हें वापस लौटा दी गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम के अधिकारियों के विदेशों के दौरे

4424. श्री बाबूराव पटेल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम की श्रीमती पूपुल जयकार तथा श्रीमती किट्टी शिवराव ने गत तीन वर्षों में किन-किन देशों के दौरे किये तथा प्रत्येक दौरे की तारीखें क्या-क्या हैं और प्रत्येक दौरे पर भारतीय मुद्रा में तथा विदेशी मुद्रा में कितना-कितना धन खर्च हुआ;

(ख) इन विभिन्न विदेशी दौरों से देश को क्या वास्तविक लाभ हुआ है;

(ग) क्या इन महिलाओं के साथ उनके पति भी गये थे; और

(घ) यदि हां, तो किस-किस दौरे में इन महिलाओं के पति उनके साथ गये थे तथा किसके खर्च पर गये थे ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जानकारी नीचे दी जाती है:—

वर्ष	विदेश यात्रा की अवधि	देश, जिसकी यात्रा की	व्यय (रुपये) विदेशी मुद्रा	भारतीय मुद्रा
श्रीमती पूपुल जयकर :				
1965–66	30–4–65 से 1–7–65	ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, सं० रा० अमेरिका तथा कनाडा	7,197.00	11,345.72

1966–67	9–5–66 से 25–7–66	जापान, सं० रा० अमेरिका, कनाडा इटली, फ्रांस, नीदरलैंड	5,996.26	13,042.16
1967–68	12–6–67 से 15–7–67	फ्रांस, स्विटजरलैंड, सं० रा० अमेरिका, कनाडा	7,211.93	17,338.21

श्रीमती के० शिव राव :

1965–66	–	–	–	–
1966–67	–	–	–	–
1967–68	24–3–68 से 30–4–68	ब्रिटेन, सं० रा० अमेरिका, कनाडा तथा फ्रांस	7,762.85	14,657.95

(ख) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम की कार्यकारी निदेशक के रुप में श्रीमती जयकर की यात्राओं का उद्देश्य हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम के बिक्री कार्यों का पर्यवेक्षण करना और भारतीय हथकरघा तथा हस्तशिल्पों के निर्यातों को प्रोत्साहन देना था। उनकी यात्राओं की अवधि में उनके द्वारा किये गये विभिन्न व्यावसायिक सम्पर्कों तथा वार्ताओं से हथकरघा तथा हस्तशिल्पों के निर्यात को बढ़ाने और विशेषत: इन मदों से निगम की निर्यात आय बढ़ाने में योग मिला है।

श्रीमती शिव राव की यात्राओं से, जो हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम की निदेशक हैं, सामान्यत: हस्तशिल्पों के निर्यातों को बढ़ाने और विशेषत: पहनावे के आभूषणों के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिली है। उनकी यात्रा के फलस्वरूप प्रमुख बहुविभागीय भण्डारों से चांदी जरदोजी तथा अन्य समान वस्तुओं के लिये क्रयादेश आने लगे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बागान उद्योग में विदेशी कम्पनियां

4425. श्री बाबूराव पटेल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी कम्पनियां चाय, काफी और रबड़ बागान की स्वामी हैं या चला रही हैं और उनके नियन्त्रण में कुल कितने एकड़ भूमि है और प्रत्येक फसल की कितने प्रतिशत भूमि में काश्त की जाती है;

(ख) इन कम्पनियों का उनमें कुल कितना धन लगा हुआ है और इन कम्पनियों का करारोपण से पहले और बाद का कितना वार्षिक लाभ होता है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में इन विदेशी कम्पनियों ने प्रति वर्ष लाभ की कितनी राशि विदेशों को भेजी;

(घ) सरकार की सभी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण की नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन विदेशी कम्पनियों को कब तक चलते रहने देने का निर्णय किया है;

(ङ) क्या इन बागानों के तुरन्त राष्ट्रीयकरण की कोई सम्भावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क):

	विदेशी कम्पनियों की संख्या	विदेशी कम्पनियों के नियन्त्रण में क्षेत्रफल	काश्त के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल में से स्तंभ (2) में दिये गये क्षेत्रफल का प्रतिशत
चाय	126	3,60,048 एकड़	43 प्रतिशत
काफी	2	372 हेक्टेयर	0.29 प्रतिशत
रबड़	3	11,391 हेक्टेयर	6.7 प्रतिशत

(ख) मार्च, 1965 के अन्त में बागान उद्योगों में विदेशी कम्पनियों द्वारा लगाई हुई कुल विदेशी पूंजी 121 करोड़ रु० थी, जिसमें से 10.1 करोड़ रु० विदेश नियन्त्रित रुपया कम्पनियों में, 107.9 करोड़ रुपया विदेशी कम्पनियों की शाखाओं में और 3 करोड़ रु० विदेशियों द्वारा रुपया कम्पनियों में "पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट" के रुप में निवेशित थे।

1964-65 तथा 1965-66 में विदेशी कम्पनियों की शाखाओं द्वारा कमाये गये कुल लाभ निम्नलिखित थे :

(करोड़ रु०)

वर्ष	कर देने से पहले लाभ	कर देने के बाद लाभ
1964-65	9.02	3.79
1965-66	7.19	2.22

(ग) विदेशी देयताओं तथा परिसम्पत्तियों के सर्वेक्षण पर आधारित तथा बागान उद्योग में विदेशी कम्पनियों की भारतीय शाखाओं एवं विदेशियों द्वारा नियन्त्रित रुपया कम्पनियों सहित विदेशों में भेजे गये लाभों के विषय में जानकारी निम्न प्रकार है :-

वर्ष	भेजे गये लाभ (करोड़ रु०)
1963-64	6.8
1964-65	6.0

बाद की अवधि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) से (च): सरकार ने बागानों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी ।

बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण कार्य का गैर-सरकारी उद्योगपतियों को दिया जाना

4426. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने का 1,10,000 टन का निर्माण काम छोटे उद्योगपतियों को दिया गया है जिनको कि इस काम का बहुत कम अनुभव है;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगपतियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि रूसी इंजीनियरों ने इस प्रक्रिया के प्रति आपत्ति की है जिससे कि कारखाने के चालू किये जाने में विलम्ब होने की संभावना है;

(घ) क्या इस स्थिति के बारे में एक शिकायत प्रधान मन्त्री से की गई है ;

(ङ) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(च) परियोजना में विलम्ब और क्षति न हो इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(छ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात खान तथा धातु-मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड ने प्रतियोगिता के आधार पर खुले टेंडर मांगे थे और विभिन्न पार्टियों की उनकी क्षमता का अनुमान लगाने बाद निर्माण कार्य दिया गया है ।

(ख) इन पार्टियों के नाम तथा प्रदत्त टनभार इस प्रकार हैं:-

फर्मों के नाम	प्रदत्त टनभार
1. मैसर्स सीस्टा इन्डस्ट्रियल एण्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन, बम्बई,	3,000
2. मैसर्स कन्सोलिडेटेड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली,	5,600
3. मैसर्स हिन्दुस्तान डवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता,	9,043

4.	मैसर्स कावेरी स्ट्रक्चरल्स, मद्रास	15,236
5.	मैसर्स तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा	4,700
6.	मैसर्स आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	6,606
7.	मैसर्स भारत इन्डस्ट्रियल वर्क्स, भिलाई	6,650
8.	मैसर्स सैन्ट्रल इंडिया मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, भरतपुर	8,400
9.	मैसर्स मॉडर्न इंडिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	10,000
10.	मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स, लिमिटेड, कलकत्ता	6,494
11.	मैसर्स आन्ध्र फाउन्ड्री एण्ड मशीन कम्पनी लिमिटेड, सिकन्दराबाद	3,980
12.	मैसर्स प्रेम इंजीनियरिंग वर्क्स, मेरठ	9,903
13.	मैसर्स त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद	20,600
14.	मैसर्स न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	10,100
15.	मैसर्स ब्रिज एण्ड प्रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता	9,000
16.	मैसर्स माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर	2,000
	कुल	131512 अथवा 131500 टन

(ग) और (घ): जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(च) और (छ): इस परियोजना को दिसम्बर, 1971 के अन्त तक पूरा करने का एक पुनरीक्षित निर्माण कार्यक्रम तैयार किया गया है, पुनरीक्षित कार्यक्रम के अनुसार, इस परियोजना की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये सिविल इंजीनियरिंग तामीराती काम तथा भारी इंजीनियरी निगम खान तथा खनिज निगम तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के सहयोग से उपकरणों की सप्लाई के सम्बन्ध में योजना तथा कार्यक्रम का समायोजन करने की टेक्निक अपनायी जा रही है और निर्माण की प्रगति पर निरन्तर नजर रखी जा रही है।

टायरों के रेयन के धागे का पोलैंड को निर्यात

4427. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पौलैंड के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत टायरों के रेयन के धागे का पोलैंड को पहली बार निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केवल पोलैंड ही एक ऐसा समाजवादी देश है जो निर्यात की जाने वाली इस नयी वस्तु का आयात करता है; और

(ग) इस वर्ष में इस धागे के निर्यात से कितनी आय होने की सम्भावना है और भविष्य में इसमें कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) पोलैंड को हाल ही में एक गैर-सरकारी पार्टी द्वारा टायरों के रेयन धागे तथा कौर्ड की 5 मे० टन की एक खेप का परीक्षण के लिये निर्यात किया गया है ।

(ख) पोलैंड पूर्वी यूरोप में इस मद का आयात करने वाला पहला समाजवादी देश है ।

(ग) यदि परीक्षण के लिये भेजी गई खेप सन्तोषजनक पाई जाती है तो और आर्डर प्राप्त हो सकते हैं । अतः इस समय इस वर्ष में इस धागे के निर्यात से होने वाली प्रत्याशित आय तथा भविष्य में होने वाली वृद्धि की सम्भावना का आकलन करना सम्भव नहीं है ।

महिलाओं के 'कुरते' तथा जोधपुरी कोट का निर्यात

4428. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम अमरीका में महिलाओं के लिये कुरतों तथा पुरुषों के लिए जोधपुरी कोटों के निर्यात का विकास कर सका है और ये शीघ्र ही लोकप्रिय होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे प्रति वर्ष कितनी बिक्री होने की संभावना है; और

(ग) इनकी बिक्री को बढ़ाने के लिये अमरीका तथा यूरोप के अन्य नगरों में कहां-कहां विक्रय-गृह अथवा प्रदर्शनालय खोले गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 1968 में सिले-सिलाये सूती तथा रेशमी वस्त्रों, जिनमें कुरते तथा जोधपुरी कोट भी शामिल हैं, का निर्यात लक्ष्य क्रमशः 16.5 लाख रु० तथा 50 लाख रु० है जब कि 1967 में क्रमशः 5.47 लाख रु० तथा 32.00 लाख रु० का निर्यात हुआ था । इसमें से 1968 में निगम द्वारा परिधान की अनुमानित निर्यात बिक्री 10 लाख रुपये है जबकि 1967 में 4.96 लाख रुपये थी ।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका में न्यूयार्क तथा बोस्टन, कनाडा में मोंट्रियल तथा फ्रांस में पेरिस ।

खादी के सिले हुए कपड़ों पर से बिक्री कर हटाना

4429. श्री जी० एस० रेड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने खादी के सिले हुए कपड़ों पर से बिक्री कर हटा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह छूट किस तारीख से लागू होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख): खादी के सिले हुए कपड़ों पर से बिक्री कर को हटाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

रूरकेला इस्पात कारखाने को पानी की सप्लाई

4430. श्री महेन्द्र माझी :
श्री दे० अमात :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने को पानी सप्लाई करने के हेतु जलाशय बनाने के प्रयोजन के लिये सुन्दरगढ़ जिले (उड़ीसा) में सांखा नदी पर मन्दिरा बाँध के निर्माण से राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा इस नदी पर बनाया गया पुल पानी में डूब गया है और इससे नदी के पार संचार व्यवस्था नष्ट हो गई हैं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप जिला मुख्यालय सुन्दरगढ़ से रूरकेला होकर बीरमित्रपुर के लिये, जो खान-क्षेत्र है, वर्तमान सड़क मार्ग लगभग 60 मील बढ़ गया है जिससे मोटर गाड़ियों को अनावश्यक व्यय करना पड़ता है और असुविधा होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने पुल के लिये कोई मुआवजा दिया है और यदि नहीं तो क्या ऐसा करने का उनका विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) (ख) और (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

रूरकेला में विस्थापितों को दुकानों का आवंटन

4431. श्री महेन्द्र माझी :
श्री गु० च० नायक :
श्री दे० अमात :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला के हिन्दुस्तान स्टील प्लांट के सिविल टाउनशिप के इस्पात मार्किट में दुकानों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) कितने विस्थापितों ने दुकानों के आवंटन के लिये आवेदन-पत्र दिये और उनके नाम तथा पते क्या हैं;

(ग) दुकानों के आवंटन के लिये आये कितने आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिये गये और वे किन कारणों से अस्वीकृत किये गये; और

(घ) जिन व्यक्तियों को दुकानें दी गई उनकी संख्या कितनी है और उनके नाम तथा पते क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ): रूरकेला में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड टाउनशिप के इस्पात मार्किट में 100 नियमित दुकानें और लगभग 200 प्लेटफॉर्म तथा अस्थायी खोखे (शैड्स) हैं। आठ विस्थापित व्यक्तियों ने दुकानों के आवंटन के लिये हाल में आवेदन-पत्र दिये है। निर्धारित नियमों के अनुसार इस प्लांट की दुकान आवंटन समिति ने इन आवेदन-पत्रों पर विचार किया था और आवंटन इनमें से केवल एक आवेदक को किया गया।

रूरकेला इस्पात कारखाने में विस्थापितों की भर्ती

4432. श्री महेन्द्र माझी :
श्री गु० च० नायक :
श्री दे० ग्रमात :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के रूरकेला इस्पात कारखाने में कुछ व्यक्तियों ने विस्थापित होने के बहाने रोजगार पाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पक्षपात और भाई-भतीजावाद किये जाने के कारण वास्तविक विस्थापितों की उचित मांगों की उपेक्षा कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की उचित जांच के लिये क्या कार्यवाही की गयी है कि वह विस्थापित व्यक्ति हैं अथवा नहीं; और

(घ) क्या कारखाना प्राधिकारियों द्वारा की गयी नियुक्तियों के मामले में विस्थापितों और आदिम जाति के लोगों के साथ बरते गये इस प्रकार के भेद-भाव पर जो असंतोष व्याप्त हैं, क्या सरकार को उसकी जानकारी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) रोजगार में वरीयता देने सम्बन्धी भारत सरकार की निर्धारित सामान्य नीति के अनुसार रूरकेला इस्पात कारखाने की नीति केवल वास्तविक विस्थापित व्यक्तियों को ही रोजगार में प्राथमिकता देने की नीति रही है। चूंकि इस कारखाने के लिये कई वर्ष पूर्व भूमि अर्जित की गयी थी, इसलिये इस प्रक्रम पर यह मालूम करना तथा बताना सम्भव नहीं है कि क्या किसी व्यक्ति ने विस्थापित होने के बहाने रोजगार पाया है।

(ख) और (ग) : सरकार की नजर में ऐसी कोई बात नहीं आई है । तथापि, वास्तविक विस्थापित परिवारों की पूरी तथा विस्तृत सूची प्राप्त करने में 1965 के पश्चात् सिविल अधिकारियों की सहायता ली गई है ।

(घ) जी नहीं ।

छोटी कार परियोजना

4433. श्री देवराव पाटिल : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी कार परियोजनाओं की स्थापना के लिए किन-किन राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को योजनायें भेजी हैं; और

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) छोटी कारों के निर्माण के लिए एक परियोजना की स्थापना हेतु एक ही राज्य सरकार अर्थात्, मैसूर से ही प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ख) मैसूर राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोजन निगम से प्राप्त प्रस्ताव की मुख्य विशेषतायें निम्न प्रकार हैं:–

कारों का मार्का	....	मज़दा 800, 782 सी० सी० 4 सिलेंडर, 4 दरवाजे
प्रस्तावित क्षमता	...	50,000 सख्या प्रतिवर्ष
विदेशी सहयोग	...	जापान के मेसर्स तोयो कोग्यो
संयंत्र तथा मशीनों पर विनियोजन	...	28 करोड़ रुपये, जिसमें से 8 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में होगा ।
प्रत्याशित मूल्य	....	6,330 रुपये कारखाने से निकलते समय का मूल्य

छोटी कार परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किए जाने के पश्चात् इस प्रस्ताव का अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जायेगा ।

सेन्ट्रल प्रोविन्सेस रेलवे कम्पनी लिमिटेड

4434. श्री देवराव पाटिल : क्या **रेलवे** मन्त्री 22 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5437 और 5438 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अचलपुर से यवतमाल तक जाने वाली सेन्ट्रल प्रोविन्सेस की रेलवे लाइन के स्वामी, सेन्ट्रल प्रोविन्सेस रेलवे कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है, और जिन्होंने प्लेटफार्मों,

शेडों को बनाने, पंखों और बिजली का प्रबन्ध करने जैसे सुधार करने तथा स्टेशनों के विद्युतीकरण के लिए धन की व्यवस्था करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है । चूंकि यह एक प्राइवेट रेलवे है और प्रस्तावित काम यात्रियों और अन्य रेल उपयोग कर्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं के अन्तर्गत आते हैं और परिचालन में संरक्षा आदि की दृष्टि से अनिवार्य नहीं हैं इसलिए इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं की गयी ।

Loading of Sambhar Lake Salt at Railway Stations

4435. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the names of stations at which salt from Sambhar Lake (Rajasthan) was loaded during the last five years along with the number of wagons loaded at each station year-wise; and

(b) the expenses which Railways have to incur and the time which is spent by them for transhipment of salt from the wagons plying on broad gauge to those plying on metre gauge ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) A statement furnishing the particulars asked for is attached, As figures of loading of salt from each station in the Sambhar Lake area are not available for the years 1963, 1964 and 1965, only the overall loading of salt from these stations for these years has been indicated in the statement.

(b) Salt loaded at loading points in Sambhar Lake is transhipped from Metre Guage to Broad Gauge wagons at Agra East Bank and Sawaimadhopur. The rates for transhipment of salt are not fixed separately, but this commodity is included under "General Goods" and the Handling Contractors are paid at the rate fixed after calling open tenders for allotment of contract. The present rates are Rs 6.20 at Agra East Bank and Rs. 6.76 at Sawaimadhopur transhipment points for day and night work per 100 quintals.

The time allowed for transhipment of wagons is the normal "Free time", which is five hours and demurrage is levied when detention to wagons exceeds the free time allowed.

Statement

Names of the stations where salt of Sambhar Lake is loaded.	Number of metre gauge wagons loaded with Sambhar Lake salt in the year.				
	1963	1964	1965	1966	1967
(i) Guda	*	*	*	2091	2898
(ii) Kuchaman Road	*	*	*	1299	1428
(iii) Sambhar	*	*	*	10195	10629
Total—	14469	12843	15084	13585	14955

*(Particulars of loading from individual stations in the Sambhar lake area are not available).

Loading of Wagons with Stones

4436 Shri Metha Lal Meena : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of wagons loaded with stones on Hindon City, Shri Mahabirji and Gangapur City Railway stations on the Western Railway and Sirmuttra Railway station on the Central Railway, separately.

(b) whether it is a fact that there is no modern equipment available on the stations for the loading of stones;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) the future schemes to bring about an improvement in loading system on these stations; and

(e) the per wagon expenditure that the Railways have to incur in transferring the stones from the narrow gauge wagons to broad gauge wagons and the average time taken in transferring stones from one wagon to the other ?

Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 220 Broad Gauge wagons at Hindaun City and 145 Broad Gauge wagons at Shri Mahabirji station were loaded with stone during the period May to July 1968. No wagons were loaded with stone from Gangapur City. During the same period 1436 narrow gauge wagons were loaded with stone from Sirmuttra station on Central Railway.

(b) Yes.

(c) and (d) The loading and unloading is done by the trading community itself by utilising manual labour. This is a commodity which is loaded and unloaded by consignor and consignee. There are no new schemes for improvement in loading being introduced by the loading community according to extent information within the knowledge of the Railway Administrations concerned.

(e) The stone loaded in narrow gauge wagons at Sirmuttra is transhipped into broad gauge wagons at Dholpur station. The expenditure for transhipment comes to about Rs. 3/- per narrow gauge wagon. The average time taken in transhipment from narrow gauge to broad gauge wagons is about 1½ hrs.

भारतीय रेलवे कर्मचारियों का वर्गीकरण

4437. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 के अन्तर्गत कर्मचारियों के वर्गीकरण पर विचार करने के लिए, एक विशेष दल बनाया गया है क्योंकि इस कार्य को करने के लिए वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त थी;

(ख) क्या यह दल वर्गीकरण में दर्जा बढ़ाने और कम करने पर विचार कर रहा है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या उक्त दल वर्गीकरण में दर्जा कम करने से सरकार के लिये बचत कराने में सफलता मिली है, यदि हां, तो कितनी राशि की बचत हुई और क्या यह बचत आवर्ती होगी अथवा अनावर्ती ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां । केवल वर्गीकरण का दर्जा घटाने के कारण इस समीक्षा के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 1,87,544.00 रुपये की आवर्ती बचत हुई है ।

हाई प्रेसर सिलेण्डरों का निर्माण और आयात

4439. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 से 1968 तक रेलवे प्रतिरक्षा, सिविल विभाग, राज्य सरकारों, सरकारी उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और गैर-सरकारी उद्योगों ने किस-किस श्रेणी के, कितने रूपये के मूल्य के तथा कितने हाई प्रेसर सिलेण्डर आयात किये ।

(ख) एल० पी० जी० सिलेण्डर निर्माताओं द्वारा देश में इन सिलेण्डरों का निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं, और क्या कच्चे माल व तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण ये सिलेण्डर देश में नहीं बनाये जाते;

(ग) क्या सरकार को हाई प्रेसर सिलेण्डरों के निर्माण के बारे में कोई प्रस्ताव मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं, उनके प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) हल्के दबाब के गैस सिलेण्डरों के केवल एक निर्माता से अधिक दबाब वाले गैस सिलेण्डर बनाने में रूचि दिखायी है । बाकी निर्माताओं ने अधिक दबाब वाले गैस सिलेण्डर का निर्माण न करने के कोई कारण नहीं बताये हैं ।

(ग) तथा (घ) : मेसर्स गैनन डन्करली एण्ड कम्पनी, मेसर्स गैस सिलेण्डर्स इण्डिया लि० कलकत्ता और मेसर्स प्रेस्ड स्टील टैंक कम्पनी, कलकत्ता से क्रमश: 18,000,50,000,77,000 वार्षिक क्षमता के सिलेण्डर बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । अब ऐसा निर्णय किया गया है कि इस परियोजना को सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाय और इसकी विस्तृत सम्भाव्यता रिपोर्ट राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा तैयार की जा रही है ।

मैसूर में खनिज

4440. श्री जे० एच० पटेल : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में इंगाल दल चितुर्गद्रुग नामक स्थान में नीले थोथे तथा पाइराइट खानों की खोज के कार्य में प्रगति हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था अपना लेखा राज्य/अन्वेषण अनुसार नहीं रखती । व्यय भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था की स्वीकृत बजट अनुदान में से किया जाता है ।

ट्रैक्टरों का निर्माण

4441. श्री कीर्ति विक्रम देव बर्मन : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टरों के निर्माण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितनी लागत आयेगी, बनाये जाने वाले ट्रैक्टरों का ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के लिये जिन देशों से सहयोग प्राप्त हो रहा है; उनके नाम क्या हैं; और

(ग) संयंत्र को कहां स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) चेकोस्लोवाकिया की मेसर्स मोटोकोव नामक फर्म के सहयोग से प्रति वर्ष 12000 कृषि ट्रैक्टर (20 अश्वशक्ति के माडल जीटर—2011) बनाने की क्षमता वाले कारखाने को सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन रहा है । इस परियोजना की आर्थिक संभाव्यता सम्बन्धी रिपोर्ट की इस समय जांच की जा रही है । जांच हो जाने पर जब यह निर्णय हो जायेगा कि इस परियोजना को पूरा करना है तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के रामनगर में स्थापित की जायेगी । आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट में दिये गये अनुमानों के अनुसार इस परियोजना पर लगभग 10·64 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना हैं ।

गुजरात में औद्योगिक बस्तियां

4442. श्री वीरेन्द्रकुमार शाह : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को गुजरात राज्य में 1968-69 में लघु उद्योगों के विकास और औद्योगिक बस्तियों की स्थापना सम्बन्धी कोई योजना दी है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या है और उसका स्वरूप क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उस योजना की स्वीकृति दे दी हैं और यदि हां, तो किन परिवर्तनों के साथ; और

(घ) इस योजना के परिणामस्वरूप रोजगार के कितने अवसर बढ़ेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1787/68]**

(ग) वर्ष 1968-69 के लिए गुजरात राज्य सरकार के लघु उद्योग व औद्योगिक बस्ती सम्बन्धी प्रस्ताव योजना आयोग के ग्रामीण एवं लघु उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल ने बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए हैं ।

(घ) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात में मध्यम उद्योग

4443. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य में 1968–69 में मध्यम स्तर के उद्योगों के विकास सम्बन्धी कोई योजना केन्द्रीय सरकार को दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का स्वरूप और ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम-स्वरूप प्रत्येक उद्योग की क्षमता कितनी-कितनी बढ़ जायेगी ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उस योजना की स्वीकृति दे दी है और यदि हां, तो किस परिवर्तन के साथ ; और

(घ) इस योजना के परिणाम-स्वरूप रोजगार के अवसर किस सीमा तक बढ़ जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : उद्योग तथा खनिज पदार्थ संबंधी कार्यकारी दल ने गुजरात सरकार से प्राप्त 1968–69 की वार्षिक योजना पर विचार किया था और बड़े तथा मंझोले उद्योगों के लिये 432.80 लाख रु० की राशि की व्यवस्था करने की सिफारिश की थी। राज्य सरकार ने 1968–69 के अपने बजट में इन योजनाओं के लिए 400 लाख रु० की व्यवस्था की है। इस धन राशि का विभन्न योजनाओं के लिए वितरण सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1788/68**]

(घ) जानकारी गुजरात सरकार से मांगी गई है और वह प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात में कपड़ा मिलों का बन्द होना

4444. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों में गुजरात राज्य में कुछ कपड़ा मिलें बन्द हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या हैं और उनके नाम क्या हैं तथा गुजरात में अब तक कितनी कपड़ा मिलें बन्द हुई हैं ;

(ग) इनके बन्द होने के क्या कारण है; और

(घ) उन्हें फिर से चालू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रभा मिल्स लि०, वीरमगाम नामक एक मिल 6 मई, 1968 को गुजरात में बन्द हुई थी। जुलाई, 1968 के अन्त में राज्य में बन्द सूती कपड़ा मिलों की संख्या 9 थी।

(ग) वित्तीय / कार्य चालन सम्बन्धी कठिनाइयां, भूमि सम्बन्धी झगड़े तथा बिजली की पूर्ति का बन्द हो जाना ।

(घ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन नियुक्त समिति द्वारा तीन मिलों के मामलों की जांच की गई है । दो मिलों से सम्बन्धित प्रतिवेदनों पर विचार किया जा रहा है जबकि तीसरी मिल के सम्बन्ध में मुकदमा चल रहा है जो हाई कोर्ट में अभी अनर्णीत पड़ा है । तीन मिलों के मामलों की जांच की जा रही है और जांच समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद उनपर आगामी कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा । एक मिल ने स्थान परिवर्तन किया है, उसकी मशीनें आदि लगाई जा रही हैं और आशा है कि बिजली की पूर्ति होते ही मिल कार्य आरम्भ कर देगी । शेष दो मिलों के मामलों की राज्य सरकार के परामर्श से जांच की जा रही है ।

चार पहिये वाले माल-डिब्बे

4445. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा के कुछ औद्योगिक एककों ने रेलवे के माल डिब्बों की अनुपलब्धता से तंग आकर अपने यहां उत्पादन घटा दिया है और कारीगरों की छंटनी कर दी है ; और

(ख) प्रतिवर्ष भारत में चार पहिये वाले बन्द माल के डिब्बे कितने बनाये जाते हैं और उनमें से कितने पश्चिम रेलवे, मुख्यत: बड़ौदा डिविजन को दिये जाते हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु०पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेलों के लिए बड़ी लाइन के आम इस्तेमाल के जितने बन्द चौपहिया माल डिब्बे तैयार किये गये थे उनकी वास्तविक संख्या इस प्रकार है :–

1965–66	1966–67	1967–68
7271	4600	2912

भारतीय रेलों में कुल जितने माल डिब्बे हैं उनमें से अलग-अलग क्षेत्रीय रेलों के लिए, उनकी जरूरतों के आधार पर, समय-समय पर माल डिब्बों का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। पश्चिम रेलवे के लिए इस समय 18177 बन्द चौपहिया माल डिब्बों का लक्ष्य निर्धारित है । बड़ौदा मंडल के लिये बन्द माल डिब्बों की कोई निश्चत संख्या निर्धारित नहीं है । एक ही रेलवे के विभन्न मंडलों में माल डिब्बे यातायात की जरूरतों के अनुसार दिन प्रतिदिन के आधार पर वितरित किये जाते हैं ।

खनन पट्टे का दिया जाना

4446 : श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में गुजरात में खनन पट्टे के लिए कितने प्रमाण-पत्र दिये गये हैं ; और

(ख) ये प्रमाण-पत्र किन व्यक्तियों को दिये गये हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात में खनिज

4447. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के धवन जिले के छोटा उदयपुर तालुके में उपलब्ध अयस्क तथा खनिजों की मात्रा के बारे में सर्वेक्षण किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और जब प्राप्त हो जायेगी सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात का औद्योगिक विकास

4448. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के औद्योगिक विकास सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और इसमें क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गुजरात राज्य में सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक विकास की प्रमुख विशेषताएं सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई हैं [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 1789/68**]

(ख) चूंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । अतः इस अवस्था में कोई निश्चित जानकारी नहीं दी जा सकती ।

अधिक दबाव वाले सिलेंडर

4449. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) कितने दबाव से अधिक दबाव वाले गैस सिलेण्डरों को अधिक दबाव वाले सिलेण्डर माना जाता है और इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट विशिष्टतायें क्या हैं ;

(ख) अधिक दबाव वाले एक आयातित सिलेण्डर का मूल्य कितना है ;

(ग) भारत में एल० पी सिलेण्डर बनाने वाले तीन एककों की प्रति सिलेण्डर (एल०-पी०) उत्पादन लागत कितनी है और मैसर्स इंडियन आयल कारपोरेशन एल०पी० गैस सिलेण्डर बनाने वाले एककों से अपने घरेलू गैस वितरण विभाग के लिये यह सिलेण्डर किस मूल्य पर खरीदते हैं ; और

(घ) इन एककों को सरकारी क्रियादेशों के लिये कच्चे माल के रूप में कितनी सहायता मिलती है और उनसे सिलेण्डरों के सम्भरण के बारे में शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) ; (क) सिलेण्डर तीन किस्मों के होते हैं : अर्थात

1. कम दबाव की तरल बनने योग्य गैसों के लिए सिलेण्डर
2. अधिक दबाव की तरल बनने योग्य गैसों के लिए सिलेण्डर
3. दबाई गई गैसों के लिए सिलेण्डर

अधिक दबाव वाले सिलेण्डरों के संबंध के उच्चतम भराई दबाव 1800 पौंड प्रति वर्ग इंच होता है। जैसा इस्पात इस्तेमाल किया गया है उसके अनुसार 3600 पौंड प्रति वर्ग इंच की अधिकतम सीमा भी मानी जाती है।

(ख) अधिक दबाव वाले आयातित गैस सिलेण्डरों की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि वे किस देश के हैं तथा उनकी क्षमता क्या है ?

(ग) कम दबाव वाले सिलेण्डर बनाने वाले तीनों कारखाने के सिलेण्डरों की उत्पादन लागत का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक फर्म द्वारा लिए जाने वाले कारखाना निकले मूल्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

मैसर्स कोसान मैटल प्रोडक्ट्स, बम्बई	60रु० प्रति सिलेण्डर
मैसर्स गैनन डन्करले एण्ड कं० लि० बम्बई	55रु० प्रति सिलेण्डर
मैसर्स हैदराबाद एल्विन मेटल वर्क्स, हैदराबाद	77रु० प्रति सिलेण्डर

आई०ओ०सी० इनको जिन मूल्यों पर खरीद रहा है, उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

रोहतक और गोहाना के बीच गाड़ी का समय से चलना

4450. श्री अब्दुल गनी दार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) रोहतक और गोहाना के बीच चलने वाली 1-जी०आर, 3-जी०आर०, 5-जी० आर०, 5-जी०आर० डाउन और 2-जी०आर०, 4-जी०आर० और 6-जी०आर० अप गाड़ियों की समय पर चलने सम्बन्धी प्रतिशतता क्या है;

(ख) अब तक कुल कितनी बार विशेष जांच की गई हैं ?

(ग) इस वर्ष कितनी बार आम जांच की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) पिछले तीन महीनों अर्थात अप्रैल से जून, 1968 तक गाड़ियों द्वारा समय-पालन का प्रतिशत इस प्रकार रहा :

1 जी आर	74.7%
2 जी आर	74.7%
3 जी आर	72.5%
4 जी आर	82.4%
5 जी आर	66.0%
6 जी आर	67.0%

(ख) और (ग) जनवरी से जुलाई, 1968 तक की अवधि में गोहतक-गोहाना खण्ड पर बिना टिकट यात्रा की तीन बार विशेष और चौबीस बार साधारण जांच की गयी थी ।

धुरी बक्सों का तोड़ा जाना और तांबे का चुराया जाना

4451. श्री वी० नरसिम्हा राव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1968 तक रेलवे बोर्ड और दक्षिण, मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर को माल डिब्बों के धुरी बक्सों के तोड़े जाने और तांबे के चुराये जाने के सम्बन्ध में कितनी रिपोर्टें मिली हैं ।

(ख) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे के मुख्य वर्कशाप के कुछ सम्बन्धित लोगों पर इस मामले में आरोप लगाये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं तो कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु०पुनाचा) : (क) एक्सिल बक्सों के तोड़े जाने और तांबे की चोरी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नोटिस में नहीं आयी है । लेकिन एक्सिल ब्रास चुराये जाने के 42 मामलों से सम्बन्धित 6 रिपोर्टें मिली हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया था लेकिन बाद में अदालत ने उसे छोड़ दिया । एक व्यक्ति को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और दो को निलम्बित कर दिया गया । एक मामले में अनुशासन और अपील नियमों के अधीन जांच की जा रही है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

Industrial Estates Project in Uttar Pradesh

4452. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that the Industrial Estates Project in Uttar Pradesh could not achieve complete success during 1967-68 and, if so, the reason therefor ;

(b) whether it is also a fact that no other assistance except houses and loans was given by Government ; and

(c) whether it is also a fact that the industries were not set-up according to the need of consumption

The Minister of Industrial Development and Company affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Due to bad location, lack of entrepreneurs and necessary infra-structure, the industrial estates in Uttar Pradesh could not achieve complete success. Requisite facilities like electricity and water for industrial purposes have also not yet been provided in many industrial Estates.

(b) As far as the Central Government is aware no special assistance except the usual facilities and assistance available for Small Scale Industries and Industrial Estates have been offer to industrial units located in industrial estates.

(c) The information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the House.

भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के विस्तार की योजनायें

4454. **श्री क० लक्कप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलोर स्थित भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के अधिकारियों ने मैसूर सरकार के माध्यम से इन कारखानों के विस्तार सम्बन्धी योजनाएं भेजी हैं ;

(ख) यदि हां तो यह योजनायें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) क्या ये योजनायें चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत इलेक्ट्रिकल्स के द्वारा माननीय सदस्य सम्भवत: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० का उल्लेख कर रहे हैं। न तो मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० ने और न मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० ने ही मैसूर सरकार के जरिये विस्तार की कोई योजना प्रस्तुत की है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते

नागदा में रेयन कारखाना

4455. श्री कामेश्वर सिंह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नागदा के रेयन कारखाने में हुई 'फरनेस बिस्फोट' के सम्बन्ध में न्यायिक जांच के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नागदा में बिड़ला के कारखाने

4456. श्री कामेश्वर सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिड़ला द्वारा नागदा के कारखाने के खतरनाक क्षेत्रों में घटिया किस्म के उपकरणों के प्रयोग की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सोवियत संघ को वैगनों का निर्यात

4457. श्री कामेश्वर सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत सरकार ने सोवियत संघ को निर्यात होने वाले वैगनों में विस्तृत प्रकार के व खर्चीला सुधार करने की मांग की है ;

(ख) क्या सोवियत सरकार ने स्प्रिंग को मजबूत बनाने और उच्च टेनिसिबल सामग्री के प्रयोग करने के लिये कहा है ;

(ग) यदि हां, तो सोवियत संघ द्वारा निर्धारित विशिष्ट विवरण वाले वैगनों के निर्माण पर कितनी लागत आती है ; और

(घ) सोवियत सरकार के साथ निर्यात हेतु परस्पर-तय मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :(क), (ग) तथा (घ) : सोवियत संघ को निर्यात किये जाने वाले वैगनों की विशिष्टयां भारत में प्रयुक्त होने वाले वैगनों से अलग हैं । लागत तथा मूल्यों के प्रश्नों पर भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा वैगन निर्माताओं के साथ बातचीत की जा रही है तथा बाद में ग्राहकों के साथ बातचीत की जायेगी ।

(ख) जी, हां ।

New Stations in Bikaner Division

4458. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total number of new Railways stations proposed to be set up in the Bikaner Division of the Northern Railway;

(b) the number of Railway stations which have been set up there till now and the number of stations to be set up in the near future;

(c) whether it is a fact that sanction has been accorded for some Railway stations but administrative delay is taking place in setting them up; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Administrative sanction was accorded for the opening of 15 new train halts in Bikaner Division during the last five years ending June 1968.

(b), (c) and (d) Out of the fifteen train halts, nine have since been opened and steps are being taken by the Notthern Railway Administration to open the remaining six also as early as possible.

There has, however, been delay in opening some of the remaining six train halts, due to either of the following reasons :-

(1) Dispute over the site of the proposed train halts,

(II) Non-availability of the contractor to work the halt; and

(III) Finalisation of the name of the train halts.

हार्ड बोर्डों, ब्लेक बोर्डों तथा टिम्बर पार्टिकल बोर्डों का वर्गीकरण

4459. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या रेलवे मंत्री 22 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5627 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई० आर० सी० ए० माल प्रशुल्क संख्या 32 में हार्ड बोर्डों, ब्लेक बोर्डों तथा टिम्बर पार्टिकल बोर्डों के वर्गीकरण के बारे में मार्च, 1967 में बम्बई में हुई रेलवे बोर्ड की वाणिज्यिक समिति की बैठक में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें इतनी लम्बी अवधि तक क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) वाणिज्य समिति की सिफारिशों की जांच करने के बाद 15.4.1968 से इन वस्तुओं का वर्गीकरण वर्ग 75-सी (फुटकर) और 62.5- बी (मालडिब्बा) से गिरा कर वर्ग 67.5 – सी (फुटकर) और 52.05– बी (मालडिब्बा भार) कर देने का विनिश्चय किया गया ।

तीसरे दर्जे के टिकट की राशि की वापसी का दावा

4460. **श्री ना० रा० देवघरे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से हावड़ा की यात्रा के लिये 8 मई, 1967 को जारी किये गये तृतीय श्रेणी के टिकट संख्या 02136 की राशि की वापसी के लिये मई, 1967 को किये गये दावे के मामले को नहीं निपटाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे छोटे दावों को निपटाने में बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या रेलवे पर दावों को शीघ्र निपटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सम्बन्धित फाइल मिल नहीं रही है। रजिस्टरों में जो इन्दराज किये गये हैं उनसे पता चलता है कि 31.7.1967 को इस दावे को अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसे देखते हुए इस मामले की आगे और जांच की जा रही है।

(ग) टिकटों के सम्बन्ध में धन वापसी के दावों को आमतौर पर बहुत जल्द निपटाया जाता है। उत्तर रेलवे पर औसतन लगभग 20 दिन का समय लगता है।

नवल गव्हान तथा मलसैलु स्टेशन के बीच बस तथा गाड़ी में टक्कर

4461. श्री नो० र० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के नवलगव्हान और मलसैलु स्टेशनों के बीच एक बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक पर एक यात्री गाड़ी और बस की टक्कर हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितने यात्री मारे गये;

(ग) क्या इस दुर्घटना की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सम्भवतः आशय 27.7,1968 को नवलगव्हान और मलसैलु स्टेशनों के बीच बिना चौकीदार वाले समपार फाटक नं० 130 पर सवारी गाडी नं० 582 अप और राज्य सड़क परिवहन की एक बस के बीच हुई टक्कर से है।

(ख) से (घ) इस दुर्घटना में बस के 6 यात्री मारे गये और 26 घायल हो गये। रेल अधिकारियों की एक समिति ने इस दुर्घटना की जांच की है। जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार दुर्घटना के लिए केवल बस का ड्राइवर जिम्मेदार था, क्योंकि उसने उस समय तेजी से लाइन पार करने की कोशिश की जब गाड़ी वहां पहुंच रही थी।

निर्यात करने वाले कारखाने

4462. श्री नि० र० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल में किये गये एक सर्वेक्षण से पता लगा है कि वर्ष 1967-68 में कम से कम 180 निर्माणकर्ता कारखानों ने अपने उत्पादन से 10 प्रतिशत अधिक माल का निर्यात किया;

(ख) यदि हां, तो उस रिर्पोट में और क्या-क्या मुख्य बातें बताई गई है; और

(ग) क्या इन कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता के विस्तार से सम्बन्धित माल के आयात की सुविधाओं के मामले में वरियता देने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां। 1968-69 के लिए आयात नीति बनाते समय लगभग 175 औद्योगिक इकाइयों ने यह सिद्ध करने के लिये प्रमाण प्रस्तुत किये कि 1967-68 में उनके उत्पादन के वही मूल्य की तुलना में उनके निर्यातों का जहाज पर मूल्य 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक था।

(ख) उपरोक्त 175 इकाइयों में से 61 वरीयता प्राप्त उद्योगों में लगी हुई हैं और शेष 114 अन्य उद्योगों में, जिन्हें वरीयता प्राप्त नहीं है।

(ग) जी, हां। 1968-69 की आयात नीति में इन उद्योगों की अधिष्ठापित क्षमता का विस्तार तथा सुधार करने के लिये पहले से ही सुविधाओं की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोरवा कारखाने के क्षेत्रीय महाप्रबन्धक के विरुद्ध जांच

4463. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोरबा के क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरुद्ध विलम्बित जांच इस बीच पूरी हो गई है:

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) एरिया जनरल मैनेजर, कोरबा, के विरुद्ध कुछ आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इसके अन्तर्गत विभिन्न अधिकारियों तथा दस्तावेजों की परीक्षा की जानी थी।

(ग) रिपोर्ट के शीघ्र ही मिलने की सम्भावना है।

Late Running of Trains on Delhi-Ghaziabad Section.

4464. **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of students are facing great inconvenience because of the late running and less frequency of trains between Delhi and Ghaziabad; and

(b) if so, the action taken and proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) The existing quantum of train services is adequate for the needs of the students travelling between Delhi and Ghaziabad. There is, however, occasional late running of trains on this section caused by indiscriminate alarm chain pulling, teething troubles on account of installation of Power Signalling at Delhi etc. Every feasible effort is being made to ensure punctual running of trains to avoid inconvenience to students.

फरीदाबाद और दिल्ली सेक्शन में रेल गाड़ियों के चलने में विलम्ब

4465. श्री गोपाल साबू :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शारदा नन्द :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फरीदाबाद और दिल्ली के बीच की यात्रा पूरी करने में दक्षिण भारत से आने वाली जी० टी० ऐक्सप्रेस रेलगाड़ी कभी-कभी एक घन्टे से भी अधिक समय लेती है;

(ख) इस सैक्शन पर जो गाड़ियां प्रायः देरी से चलती हैं उनके नाम क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां।

(ख) 17 डाउन मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस, 23 डाउन बम्बई सेन्ट्रल-दिल्ली जनता एक्सप्रेस, 57 डाउन बम्बई वी० टी-अमृतसर एक्सप्रेस, 63 डाउन तूफान एक्सप्रेस, 3 डाउन फ्रंटियर मेल, 5 डाउन पंजाब मेल और 21 डाउन दक्षिण एक्सप्रेस अन्य गाड़ियां हैं जिन्हें इस खण्ड में कभी कभी रुके रहना पड़ता है।

(ग) जब संचलन के दौरान अन्यत्र विभिन्न कारणों से रुके रहने के फलस्वरूप ये गाड़ियां अपने निर्धारित समय से पिछड़ जाती हैं तो इस खंड पर इन्हें रास्ता मिलने तथा नयी दिल्ली/दिल्ली जं० आदि स्टेशनों पर इनके प्रवेश में कठिनाई होती है। इसके अलावा हाल में दिल्ली जं० स्टेशन पर बिजली चालित सिगनल लगाये जाने के फलस्वरूप होने वाली प्रारम्भिक कठिनाइयां और नई दिल्ली स्टेशन पर गाड़ियों का अन्तर्पाश रहित संचालन जैसे अन्य अस्थायी कारण है, जिनका, इस खंड की गाड़ियों, विशेषतः आने वाली गाड़ियों के संचलन पर प्रभाव पड़ा हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये हर संभव कार्रवाई की जा रही है कि इस खंड में गाड़ियों को रुके न रहना पड़े।

Production of Coal in Madhya Pradesh

4466. Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) the total quantity of coal mined from collieries in Madhya Pradesh during the First and Second Five Years Plans; and

(b) the amouut of royalty on coal paid to the State Government ?

The Deputy Minister of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) The total coal raisings in Madhya Pradesh during the First and Second Five Years Plans were as under :-

1st Plan	20.92 Million tonnes.
2nd Plan	28.45 Million tonnes.

(b) This relates to a matter which is not primarily the concern of the Government of India.

मफतलाल व्यापार गृह

4467. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार जांच आयोग द्वारा गणना के समय मफतलाल व्यापार गृह का बड़े व्यापार गृहों में चौदहवां स्थान था जबकि अब उसका चौथा स्थान है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) 1963-64 में मफतलाल व्यापार गृह की कुल सम्पत्ति कितनी थी और अब कितनी कुल सम्पत्ति है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, मकतलाल समूह 31 मार्च, 1964 तक पन्द्रहवें स्थान का अधिष्ठाता था। इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, मफतलाल समूह 31 मार्च, 1964 तक मफतलाल समूह में सम्मिलित कम्पनियों को कुल परिसम्पति, 4591 लाख रुपये थी। इन कम्पनियों की 31 मार्च, 1967 तक की परिसम्पति के बारे में सूचना संग्रह की जा रही है,तथा यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने में विनियोजन

4469. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पहली पंचवर्षीय योजना से अब तक की अवधि में इस्पात कारखानों के निर्माण पर कितना धन व्यय किया गया है;

(ख) इन कारखानों के नाम क्या हैं तथा ये किन-किन राज्यों में हैं;

(ग) इन पर अब तक कितने रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय की गई है तथा यह किन देशों की मुद्रा थी;

(घ) इस समय देश में इस्पात का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ङ) यदि इस्पात का निर्यात किया जाता है तो कितने इस्पात का;

(च) इससे प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा की कितनी आय होती है; और

(छ) आत्म निर्भर होने के लिये अनुमानतः इस्पात का कितना उत्पादन होना चाहिए ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (छ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

पशुओं का निर्यात

4470. श्री शिव चन्द्र झा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशों को पशुओं के निर्यात पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक भारत से विदेशों को सामान्यतः किस किस्म के पशुओं का निर्यात किया जाता रहा है और पिछले पांच वर्षों में इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूचि 1 में उल्लिखित पशुओं के ही निर्यात को विनियमित किया जाता है, क्योंकि इनकी प्राप्यता सीमित है और दुर्लभ नस्लों को पूर्णतः विलुप्त होने से बचाने की आवश्यकता है :

(ग) वर्ष 1963-64 से 1967-68 और अप्रैल 1968 में निर्यात किये गये जीवित पशुओं की संख्या तथा मूल्य सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1790/68]**

श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के रेलवे अधिकारियों की सेवा निवृति

4471 श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने उच्च अधिकारियों (श्रेणी 1 और 2) को गत दो वर्षों में उनकी असंतोषजनक सेवा के कारण 50 वर्ष की आयु हो जाने पर या 25 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर सेवा निवृत किया गया है; और

(ख) इसी अवधि में कितने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के कारण सेवा निवृत किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) किसी को नहीं । वर्तमान नियम और आदर्शों के अनुसार रेलवे अधिकारियों को चाहे वे श्रेणी I या 2 के, 55 वर्ष (50 वर्ष नहीं) या इससे अधिक उम्र होने के बाद ही कुल मिला कर उनके सेवा अभिलेख की समीक्षा करके, और तीन महीने का नोटिस देकर, सेवा निवृत किया जा सकता है ।

(ख) किसी को नहीं ।

चोरी के मामले

4472 श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलों पर वर्ष 1967-68 में (जोनवार) चोरी के ऐसे कितने मामले हुए जिनमें चोरी किये माल का मूल्य 5,000 रुपये से अधिक था ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में ऐसे मामलों की संख्या इस प्रकार है :--

रेलवे	मामलों की संख्या
मध्य	9
पूर्व	20
उत्तर	12
पूर्वोत्तर	4
पूर्वोत्तर सीमा	1
दक्षिण	5
दक्षिण-मध्य	2
दक्षिण-पूर्व	4
पश्चिम	11

थुरभोटा से भपतियाही तक पुनः रेलवे लाइन को चालू करना

4473. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: क्या थुरभोटा से भपतियाही (पूर्वोत्तर रेलवे) तक पुनः रेलवे लाइन चालू करने के बारे में सभी प्राथमिक अध्ययन पूरे हो गये हैं और क्या भारत-नेपाल सीमा के महत्वपूर्ण मण्डी-भपतियाही तक रेलवे संचार व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के भावी कार्यक्रम को तैयार कर लिया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : थुरभोटा से भपतियाही तक लगभग 13 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन को फिर से बिछाने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है । जब सर्वेक्षण

रिपोर्ट मिल जायेगी और रेलवे बोर्ड उसकी जांच कर लेगा, उसके बाद भपतियाही तक रेलवे लाइन को फिर से बिछाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

बिहार में सिग्रेट कारखाने

4474. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तम्बाकू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये सिग्रेट कारखाने (अथवा तम्बाकू गोदाम) डालमंग सावाई (बिहार) तम्बाकू के पत्तों को सुखाने का कार्य फिर से आरम्भ करेंगे;

(ख) क्या सरकार ने चौथी पंच वर्षीय योजना में उत्तरी बिहार में एक सिग्रेट कारखाना खोलने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दी इण्डिया लीफ टोबेको डेवलपमैंट कम्पनी, जो गैर-सरकारी क्षेत्र का एक औद्योगिक उपक्रम है, का तम्बाकू के पत्ते सुखाने और उनका परिष्करण करने का एक कारखाना था जो आज से लगभग दस वर्ष पहले हालसुंग सराय पट्टो में काम कर रहा था । इस कारखाने को इसलिए बन्द कर दिया गया था कि उस क्षेत्र में जो तम्बाकू होती है वह उपयुक्त किस्म की नहीं होती । इस एकक को पुनः चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बोकारो इस्पात कारखाने के लिये रूसी इंजीनियर

4475. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने में निर्माण कार्य का अधीक्षण करने के लिये वहां शीघ्र ही 600 और रूसी इंजीनियर भेजे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन इंजीनियरों को आमंत्रित करने की क्या आवश्यकता थी;

(ग) क्या केवल इससे बोकारो इस्पात कारखाने की लागत में 15 से 16 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है;

(घ) इस कारखाने को पूरा करने के लिये और कितने रूसी विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी और यह कारखाना कब चालू हो जायगा;

(ङ) क्या वर्तमान फालतू भारतीय कर्मचारियों को उत्पादन विभाग में काम पर लगाने के लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन नहीं होता।

(घ) कुल मिलाकर, 572 रूसी विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें भारत में दलों (बैचेज) में तथा बोकारो इस्पात कारखाने की आवश्यकता के अनुसार भिन्न-भिन्न अवधियों के लिये भेजा जायेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह कारखाना दिसम्बर, 1971 के अन्त तक चालू हो जायेगा।

(ङ) और (च) बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा कर्मचारियों की आवश्यकता, भर्ती का स्रोत प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता आदि का व्यापक अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान लगाये जाने के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू किये जायेंगे।

मद्रास में कपड़ा मिलें

4476. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में कपड़ा मिलों का संकट दूर करने के लिए सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है;

(ख) मार्च से जून, 1968 के प्रत्येक महीने में मद्रास की कितनी कपड़ा मिलें बन्द रही थीं; और

(ग) इन मिलों की कुल उत्पादन क्षमता क्या है तथा इसमें कितने लोग नियुक्त हो सकते हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) निम्नलिखित विशेष कदम उठाये गये हैं:—

(1) मद्रास सरकार को 50 लाख रु० का ऋण मंजूर किया गया है जिससे वह शीर्ष सहकारी समितियों को ऋण दे सकें ताकि वे समितियां सूत का क्रय करके स्टाक रख सके।

(2) तीन माह की अवधि के लिये सहकारी समितियों द्वारा हथकरघा कपड़े की बिक्री पर 5 प्रतिशत की सामान्य छूट के अलावा 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट घोषित की गई है।

(3) कोन / चीज सूत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये भाड़ाअन्तर के रूप में 2 रु० प्रति 10 पौंड की विशिष्ट अतिरिक्त सहायता दी गई है।

(4) मद्रास राज्य में मिलों के लिये सूत के स्टाक रखने की एक योजना का अनुमोदन किया गया है।

(5) मद्रास के 20 मिलों के मामलों की जांच करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत तीन जांच समितियां नियुक्त की गई हैं।

(ख) तथा (ग)

मास	मद्रास में बन्द मिलों की कुल संख्या	तकुए	करघे	उपस्थिति-रजिस्टर में दर्ज कर्मचारी।
मार्च, 1968	12	2.27 लाख	348	7353
अप्रैल, 1968	19	3.61 लाख	348	10869
मई, 1968	22	4.19 लाख	448	12105
जून, 1968	21	4.43 लाख	834	12729

कागज का मूल्य

4477. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 मई, 1968 को कलकत्ता में हुई भारतीय कागज निर्माता संघ की वार्षिक बैठक में कागज के मूल्यों को कम रखने के उपायों पर भी चर्चा की गई थी, और यदि हां, तो उस बैठक में क्या-क्या सुझाव आये और यदि कोई निर्णय किये गये तो उनका स्वरूप क्या है; और

(ख) उस बैठक में कागज उद्योग के प्रतिनिधियों ने क्या-क्या मांगें रखी थीं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 24 मई, 1968 की बैठक में कागज के मूल्यों के बारे में कोई भी विचार विमर्श नहीं हुआ था। कागज के मूल्य से नियन्त्रण हटा लेने से सम्बन्धित मामलों, इसके फलस्वरूप कागज उद्योग द्वारा मूल्यों में वृद्धि किए जाने और यथा सम्भव कागज के मूल्यों में वृद्धि को रोकने की आवश्यकता आदि पर भारतीय कागज निर्माता संघ के अध्यक्ष तथा औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री द्वारा केवल बल दिया गया था।

(ख) कागज उद्योग ने बन क्षेत्रों के पट्टे प्राप्त करने में अपनी कठिनाइयों का उल्लेख किया था और कागज उद्योग के लिए आवश्यक लकड़ी की लुग्दी तथा मशीनों के आयात के सम्बंध में उदारतापूर्ण नीति जारी रखने का अनुरोध भी किया गया था। उन्हें इस मामले में सभी सम्भव सहायता का आश्वासन दिया गया था।

सूती कपड़ा उद्योग का आधुनिकीरण

4478. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे सूती कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण, नवीकरण, वैज्ञानिकीकरण करने वाली योजना को कार्यान्वित

करने में पूरी सहायता दें और मद्रास, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे मुख्य औद्योगिक राज्यों में सहायक निगमों को स्थापित करें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बंध में क्या विशिष्ट सिफारिशें की गई हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी):(क) और (ख)(1) सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि वे राष्ट्रीय कपड़ा निगम के सहायकों के रूप में राजकीय कपड़ा निगमों की स्थापना करें। ऐसे निगमों के संबंध में वित्तीय आवश्यकताएं केन्द्र तथा राज्यों द्वारा पूरी की जायेंगी। ब्यौरे विचाराधीन है।

(2) कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण तथा पुनःस्थापन की आवश्यकता के प्रति राज्य सरकारें पहले ही सचेत हैं। राष्ट्रीय कपड़ा निगम तथा राज्यों में इसके सहायक, तो सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई तथा प्रबंध चलाने के लिये उन्हें सौंपी गई मिलों के आधुनिकीरण तथा पुनःस्थापन में सहायता करेंगे, और अन्य मिलें इसी प्रकार की सहायता के लिये संस्थात्मक वित्तपोषक अभिकरणों को निवेदन कर सकती है।

उत्तर रेलवे के दिल्ली क्षेत्र में स्थानीय रेल गाड़ियों का देरी से चलना

4479. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी पर दूसरे रेलवे पुल के आरम्भ हो जाने के बाद भी स्थानीय रेलगाड़ियां, जिनमें दिल्ली के छात्र तथा गाजियाबाद अथवा मेरठ में रहने वाले आम लोग यात्रा करते हैं, निर्धारित समय पर नहीं चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये स्थानीय रेलगाड़ियां सम्भवतः कब से ठीक समय पर चलने लगेंगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) मेरठ-गाजियाबाद और दिल्ली/नयी दिल्ली के बीच स्थानीय गाड़ियां प्रायः लेट हो जाती हैं।

(ख) और (ग) गाड़ियों के प्रायः लेट हो जाने के कई कारण हैं जैसे अंधाधुन्ध खतरे की जंजीर का खींचा जाना, बार-बार नियन्त्रण-व्यवस्था का विफल होना (जो अधिकतर तारों की चोरी के कारण होता है), दिल्ली स्टेशन पर बिजली के सिगनल लगाने से उत्पन्न प्रारम्भिक कठिनाइयां, नयी दिल्ली में अन्तर्पाशरहित परिचालन, विभिन्न कारणों से मुख्य लाइन की गाड़ियों का लेट चलना। स्थानीय गाड़ियों सहित सभी गाड़ियों के समय-पालन में सुधार करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जाते हैं।

बोकारो इस्पात परियोजना के लिए मशीन का निर्माण

4480. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोकारो इस्पात परियोजना के लिए अब तक हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची ने कितनी तथा कितने मूल्य की मशीनें बनाई थी तथा उक्त कारपोरेशन और कितनी मशीनें बनायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : जुलाई, 1968 के अन्त तक हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने बोकारो इस्पात परियोजना को 876 मीट्रिक टन मशीनी उपकरणों तथा 1,739 मीट्रिक टन ढांचों की सप्लाई की थी। उन्हें लगभग 71,074 मीट्रिक टन मशीनों, उपकरणों एवं लगभग 24,761 मीट्रिक टन इस्पाती ढांचों की सप्लाई करनी है। उपकरणों की कीमत अभी निश्चित की जानी है।

सफदरजंग तथा गाजियाबाद के बीच शटल गाड़ी

4481. श्री यशपाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों तथा सरकारी कर्मचारियों को गाजियाबाद के कालेजों में प्रातः काल की कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा के लिये नये पुल के रास्ते सफदरजंग रेलवे स्टेशन तथा गाजियाबाद के बीच एक शटल गाड़ी सेवा शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली में पटेल रोड पर रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल

4482. श्री बलराज मधोक : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटेल नगर और नई दिल्ली में कीर्तिनगर के बीच पटेल रोड रेलवे लाइन समपार पर उपरी पुल के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरी पुल के निर्माण का ठेका दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो यह उपरी पुल कब तक बन जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

काण्डला का निर्बाध क्षेत्र

4483. श्री बलराज मधोक : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काण्डला के निर्बाध क्षेत्र में अब तक कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं;

(ख) इन उद्योगों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है; और

(ग) इन से निर्यात द्वारा कुल कितनी कमाई होती है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में मार्च, 1968 तक पांच इकाइयां स्थापित की गई हैं :

(ख) इन इकाइयों द्वारा लगाई गई कुल पूंजी लगभग 18 लाख रुपये है ।

(ग) काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र से 31 जुलाई, 1968 तक 18,69,000 रु० का कुल निर्यात किया गया ।

दिल्ली मेन स्टेशन के बाहरी सिगनल पर गाड़ियों का रुकना

4484. श्री बलराज मधोक : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली आने वाली अधिकतर गाड़ियों को बाहरी सिगनल पर ही रोक दिया जाता है जिससे ठीक समय पर चलने वाली गाड़ियां भी लेट हो जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यात्रियों को परेशान करने वाली इस त्रुटि के सुधार के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) जून और जुलाई, 1968 में दिल्ली मेन स्टेशन पर कुल जितनी गाड़ियां आयीं, उनमें से लगभग 23.9 प्रतिशत गाड़ियां सिगनलों के बाहर 2 से 5 मिनट तक रुकी रहीं । इसके मुख्य कारण इस प्रकार थे । दिल्ली मेन स्टेशन पर बिजली के सिगनल लगाने से उत्पन्न प्रारम्भिक कठिनाइयां, गाड़ियों के निर्धारित समय-पथ पर न चलने के परिणामस्वरूप गाड़ियों को प्लेटफार्म पर ठहराने में अव्यवस्था आदि । गाड़ियों के चालन में सुधार करने और आने वाली गाड़ियां सिगनलों के बाहर न रुकें, इसे दूर करने के लिए सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की रूस यात्रा

4486. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में रूस की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो यात्रा का उद्देश्य क्या था, और उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) क्या जूट के गलीचों की विदेशों में मांग और उससे होने वाले मुनाफे की बड़ी राशि में कमी होने लगी है, जिसके फलस्वरूप नई वैकल्पिक मंडियों को ढूंढना आवश्यक हो गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) यात्रा का उद्देश्य था (1) महत्वपूर्ण ग्राहक के साथ सद्भावना बढ़ाना (2) परम्परागत पटसन के माल के निर्यात को बनाये रखना तथा जहां भी सम्भव हो बढ़ाना, और (3) कालीनों के अस्तर सहित विशिष्ट माल का संबर्द्धन । परिणाम सन्तोषजनक रहे हैं । व्यापार योजना में उल्लिखित परम्परागत पटसन के माल के आयात सम्बन्धी आश्वासनों के अलावा कालीनों के अस्तर और धुले हुए हैसियन में भी काफी दिलचस्पी दिखाई गयी ।

(ग) कालीनों के अस्तर की मांग बढ़ रही है। कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि के कारण शायद लाभ पर कुछ कुप्रभाव पड़ा हो। फिर भी उद्योग निरन्तर नये बाजारों का पता लगा रहा है।

दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाने का विस्तार

4487. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री अदिचन :
श्री जि० मो० बिस्वास :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मिश्रित इस्पात के उत्पादकों की बैठक बुलायी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के उत्पादक इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र के स्थान पर उनको अधिक क्षमता दी जाये और दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाने का अग्रेतर विस्तार रोक दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्माताओं से ऐसी कोई मांग नही आई है कि दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाने का विस्तार रोक दिया जाये।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

सीसे और तांबे के निक्षेप

4488. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगनीगुंडाला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सीसे के और छोटे पैमाने पर तांबे के भंडारों का पता चला है;

(ख) क्या यह निर्णय किया गया है कि इन भंडारों से लाभ उठाने के कार्य को हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड अथवा किसी अन्य फर्म को सौंप दिया जाये; और

(ग) भंडारों की जांच करने वाली अमरीकी सलाहकार फर्म ने सरकार को क्या राय दी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये अन्वेषणों के अनुसार अग्निगुन्डाला प्रदेश में बन्डला-मोट्टू खंड में सीसे के कार्य-योग्य दिखाई देने वाले निक्षेपों के संकेत मिले हैं। अग्निगुन्डाला सीसा–जस्ता पट्टी के नल्लाकोंडा और थुकोड़ा खंडों में तांबे के निक्षेपों के होने का पता लगा है।

(ख) अग्निगुन्डाला तांबा सीसा निक्षेपों के विदोहन सम्बन्धी सम्भाव्यता-अध्ययन का कार्य हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को सौंपा गया है ।

(ग) निक्षेपों की परीक्षा करने के लिये कोई परामर्शदाता नियुक्त नहीं किये गये हैं । तथापि, मैसर्स ऐशलैंड आयल कम्पनी ने, जिन की एक समय हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के सहयोग से प्रापर्टी के विकास करने में रुचि प्रतीत होती थी, प्रापर्टी का मूल्यांकन करने के लिये अपने विशेषज्ञ प्रतिनियुक्त किये और उन्होंने एक रिपोर्ट दी ।

टेनिस की गेंदों के निर्माण के लिए लाइसेंस

4489. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में टेनिस की गेंदों के निर्माण के लिए एक विदेशी फर्म को लाइसेंस देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि देश में टेनिस की गेंदों के निर्माण में हाल ही के वर्षों में संतोषजनक प्रगति हुई है; और

(घ) लाइसेंस देने के नये प्रस्ताव के फलस्वरूप स्वदेशी उद्योग पर किस हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) मैसर्स डनलप इण्डिया लिमिटेड से उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत मैसर्स इन्टरनेशनल स्पोर्ट्स कं० लि०, लन्दन के सहयोग से प्रति वर्ष 12,00,000 लॉन टेनिस के गेंद बनाने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने हेतु एक आवेदन प्राप्त हुआ है । यह आवेदन विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) विद्यमान निर्माताओं द्वारा निर्मित टेनिस के गेंदों की किस्म, उपलभ्यता और मूल्यों के बारे में शिकायतें मिली हैं ।

Iligh Powered Shah Committee on Security Measures on Railways

4490. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the probe by the high-powered Shah Committee, which was set up to determine the security measures to be taken on the Indian Railways, has been concluded; and

(b) if so, when its report is likely to be published ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) The High Powered Committee, under the Chairmanship of Shri Shantilal H. Shah is currently busy in drafting its report, which is expected to be submitted before the end of September 1968.

Agreement between Hindustan Steel Ltd. and Toristo Steel Corporation of Luxemberg

4491. Shri Mohan Swarup :
Shri J. M. Biswas :

Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindustan Steel Ltd. has concluded an agreement with the Toristo Steel Corporation, Luxemberg under which production of ribbed trasteel would be undertaken in the Bhilai and Durgapur Steel Plants;

(b) if so, the terms of collaboration;

(c) the target of production fixed; and

(d) the expenditure likely to be incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) and (c) HSL have entered into an agreement with M/s, Tor-Isteg Steel Corporation of Luxembourg to produce 42,000 tons/annually of Tor steel to be raised to 60,000 tons/ annually later.

(b) and (d) It is not common practice to disclose the details of collaboration agreements entered into with any particular party.

टैक्समाको, कलकत्ता में तालाबन्दी

4492. श्री समर गुह : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टैक्समाको, कलकत्ता में तालाबन्दी के फलस्वरूप रोल्ड स्टाक तथा बॉयलरों का उत्पादन स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कितनी हानि हुई है और कितने मूल्य की;

(ग) क्या उत्पादन की इस हानि का भारतीय उद्योग पर तथा बॉयलरों और रोल्ड स्टाक के विदेशों के निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा: और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी ने सूचित किया है कि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उन्होंने 15 अप्रैल, 1968 से रेल के माल डिब्बों और बॉयलरों का उत्पादक रोक दिया है ।

(ख) रेल के माल डिब्बों का उत्पादन न होने से प्रति मास 40 लाख रुपये की हानि का अनुमान है तथा बॉयलरों का उत्पादन न होने से 15–4–1968 से 31-7-1968 तक कुल 15.57 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है ।

(ग) और (घ) इलेक्ट्राडो, ढिबरियों, पेचों, रिबटों आदि जैसी चीजों का उत्पादन करने वाले सहायक उद्योगों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा । इस समय बॉयलरो का कोई खास निर्यात नहीं किया जाना है । माल डिब्बों पर हड़ताल के असर के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है ।

दक्षिण वियतनाम के साथ व्यापार

4493. **डा० रानेन सेन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अब भी दक्षिण वियतनाम के साथ व्यापार सम्बन्ध बनाये हुए है;

(ख) यदि हां, तो इस समय दोनों देशों के बीच प्रति वर्ष कितना व्यापार होता है; और

(ग) गत तीन वर्षों में दक्षिण वियतनाम को किस-किस प्रकार की वस्तुओं का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में दक्षिण वियतनाम से आयातित तथा उसे निर्यातित माल का मूल्य इस प्रकार है :—

(मूल्य लाख रु० में)

वर्ष	दक्षिण वियतनाम को निर्यात	दक्षिण वियतनाम से आयात	व्यापार की मात्रा
1965–66	287	नगण्य	287
+1966–67	490	,,	490
1967–68	117	,,	117

+तुलना के लिए अप्रैल तथा मई, 1966 के आंकड़ों में 57.5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है ।

(ग) दक्षिण वियतनाम को भारत से जिन प्रमुख वस्तुओं का निर्यात किया गया, वे थीं : लौह तथा इस्पात, बिजली सम्बन्धी मशीनों के अलावा अन्य मशीनें, बिजली की मशीनें, कागज तथा गत्ता, रासायनिक तत्व तथा यौगिक ।

जूतों का निर्यात

4494. **डा० रानेन सेन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के बाजारों को जूतों के निर्यात में भारत को पाकिस्तान से कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्व के बाजारों में पाकिस्तानी जूतों के मूल्य भारतीय जूतों के मूल्यों की अपेक्षा बहुत कम हैं;

(ग) क्या इस नई बात के परिणामस्वरूप कुछ विदेशी बाजारों के भारत के हाथों से निकल जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो जूतों के निर्यात में पाकिस्तान से प्रतियोगिता करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) विश्व के बाजारों में जूतों के निर्यात में पाकिस्तान के अतिरिक्त इटली, फ्रांस, ब्रिटेन भारत के प्रतियोगी हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) चीन, पाकिस्तान, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस से निरन्तर प्रतियोगिता के बावजूद भी 1963--64, 1964--65, 1965 66, 1966-67 और 1967-68 में भारत से जूतों के निर्यात का मूल्य क्रमश: 361 लाख रु०, 418 लाख रु०, 818 लाख रु०, 871 लाख रु० तथा 911 लाख रु० था । आयात प्रतिपूर्ति, जिससे निर्यात के लिए बढ़िया किस्म के जूतों के उत्पादन के निमित्त अपेक्षित दुलर्भ आयातित माल की व्यवस्था की जाती है तथा संवर्द्धनात्मक उपाय जैसे कि विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने, बिक्री-सह-अध्ययन दलों द्वारा मौके पर अध्ययन औरतैयार चमड़ा तथा चमड़ा निर्माताओं की निर्यात सम्वर्धन परिषद् द्वारा किये जाने वाले बाजार सम्बन्धी सर्वेक्षणों आदि सम्वर्धन उपायों से यह आशा की जाती है कि जूतों के निर्यात में हो रही वृद्धि को कायम रखा जायेगा ।

रेयन के कपड़े का निर्यात

4495. डा० रानेन सेन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के वर्षों में रेयन और कृत्रिम कपड़े के निर्यात में कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ आयातक देशों में राजनैतिक अशान्ति, अत्यधिक उद्योगीकृत देशों से बढ़ती हुई प्रतियोगिता, कुछ देशों में आयात पर प्रतिबन्धों का बना रहना और कुछ विकासशील देशों में स्वदेशी उद्योगों का उद्भव जैसे कतिपय बाहरी प्रतिकूल कारणों से वर्ष 1964 से भारत के रेयन तथा संश्लिष्ट वस्त्रों के कुल निर्यात घटते रहे हैं । जून, 1966 से कृत्रिम रेशम के वस्त्रों की भूतपूर्व निर्यात संवर्धन योजना की समाप्ति के फलस्वरूप धागे की कमी के साथ-साथ धागे के दाम भी बढ़ जाने से निर्यात को और भी धक्का लगा ।

(ग) रेयन तथा संश्लिष्ट वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा किए गये उपायों में ये भी शामिल हैं :—

(1) सेल्यूलोस के कृत्रिम रेशम के वस्त्रों के (रेयन तन्तु धागा वस्त्रों, कते हुए रेयन के वस्त्रों और एसिटेट के वस्त्रों) निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक योजना आरम्भ की है, जिसमें निर्यात के जहाज पर मूल्य के 25 प्रतिशत से अनधिक की नकद सहायता देने की व्यवस्था है, परन्तु प्रत्येक मामले में यह 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । यह नकद सहायता राज्य व्यापार निगम द्वारा दी जाती है और राज्य व्यापार निगम तथा/अथवा इसके व्यावसायिक सहयोगियों द्वारा बनाये गये सेल्यूलोस के कृत्रिम रेशम के निर्यात पर दी जाती है ।

(2) संश्लिष्ट वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रतिपूर्ति योजना आरम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत निर्यातकों को, 1 किलोग्राम नायलन धागे के बदले, यदि निर्यातित वस्त्रों में उसका प्रयोग सिद्ध हो जाये तो 1.2 किलोग्राम आयातित धागा दिया जायेगा।

(3) रेयक्स तथा राज्य व्यापार निगम का एक संयुक्त बिक्री दल कनाडा, ब्रिटेन, हालैण्ड, बेल्जियम, इटली, ईराक तथा केन्या गया और उसने कृत्रिम रेशम वस्त्रों के निर्यात के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये के क्रयादेश प्राप्त किये।

सेंचुरी ऐनका

4496. डा० रानेन सेन :
श्री अदिचन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिड़ला बन्धुओं द्वारा चलाये जाने वाले औद्योगिक उपक्रम 'सेंचेरी ऐनका' के लाइसेंस के नवीकरण के बारे में अन्तिम रूप से कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या इस विषय में निर्णय करने में सरकार को चौदह महीने लगे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) लाइसेंस का नवीकरण अब किन आधारों पर किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) ; (क) से (घ) सम्पूर्ण प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इस पर अन्तिम निर्णय अभी किया जाना है।

लौह अयस्क का उत्पादन

4497. श्री मोगेन्द्र झा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैलरी होस्पेट खानों में लोह अयस्क का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या यह अयस्क विश्व के किसी भाग में निकले जाने वाले सबसे अच्छे अयस्क में से हैं;

(ग) इस अयस्क की कितनी मात्रा निर्यात की जाती है और इसकी क्या कीमत है;

(घ) क्या खानों के निकट बिजली और पानी का बहुतायत है; और

(ङ) यदि हां, तो इस्पात मिल स्थापित किये जाने की बजाय अयस्क का निर्यात करने में क्या तुलनात्मक आर्थिक लाभ है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) लौह अयस्क का कुल उत्पादन 1967 के दौरान 25.8 लाख मैट्रिक टन और 1968 (जनवरी से मई) के दौरान 10.2 लाख मैट्रिक टन था ।

(ख) उत्पादित लौह-अयस्क का अधिकतर भाग 65 से 67 प्रतिशत के युक्त है जो कि ऊंची श्रेणी है ।

(ग) सारा उत्पादन निर्यात किया जाता है । प्राप्त किये जा रहे मूल्य वही हैं जो कि इसी प्रकार की तथा इसी श्रेणी की अन्य क्षेत्रों से निर्यात की जा रही अयस्क के लिये प्राप्त किये जाते हैं ।

(घ) तुंगभद्रा बांध और बिजली घर सप्लाई के निकटतम श्रोत हैं । तथापि, बिजली और पानी की बहुतायत के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) निवेश तथा इसके अन्तर्ग्रस्त अन्य प्राचलों में बहुत अधिक असमानता होने के कारण दोनों की तुलना करने में कठिनाई है, क्योंकि लौह-अयस्क का निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जन के दृष्टिकोण से किया जाता है जबकि इस्पात मिल की स्थापना के औचित्य को इसकी आर्थिक क्षमता, घरेलू तथा निर्यात मांग आदि के अनुसार सिद्ध करना जरूरी है ।

कोयला खानों का बन्द होना

4498. श्री भोगेन्द्र झा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी-हल्दिया पाइप-लाइन के बिछने से कई कोयला खानें बन्द हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इन खानों से कोककर तथा अन्य प्रकार के कोयले का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है और वर्तमान भाव पर उसका मूल्य कितना है; और

(घ) उन खानों में अनुमानत: कोयले का स्टाक कितना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) इस प्रकार बन्द हो जाने की कोई सूचना सरकार के पास नहीं आई है ।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

4499. श्री भोगेन्द्र झा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की गिरिडीह समूह की कोयला खानों के अनेक गढ़ों को ढकने का विचार है अथवा ये बन्द किये जा चुके हैं;

(ख) क्या प्रस्तावित बन्द किये जाने वाले विभिन्न गढ़ों में कोयले की कुल मात्रा का विशेषज्ञों द्वारा कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार का अनुमान लगाये जाने की कोई संभावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) गिरिडीह समूह की कोयला खानों में कुछ गढ़े, उपलभ्य राशियों के निःशेष हो जाने के कारण से, क्रमशः बन्द किये गये हैं और अन्य गढ़ों के बन्द किये जाने के प्रश्न की निदेशक-मंडल द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जा रही है, जो उपलभ्य राशियों सहित इस विषय के सब पहलुओं पर विचार करेगी ।

Delhi-Mughal Sarai Parcel Train

4500. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he had received a suggestion some time past that the Delhi-Mughalsarai Parcel train should run via Hapur-Bulandshahr;

(b) if so, whether Government have looked into the feasibility of the said suggestion; and

(c) the time by which a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M Poonacha : (a) Yes.

(b) The suggestion has been carefully examined but diversion of 71 Up/72 Dn. Parcel Express trains via Hapur-Bulandshahr has not been found justified not operationally feasible.

(c) Does not arise.

Industries taken over by Government

4501. Shri Prakash Vir Shastri: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of such industries in the country which were previously in the hands of private persons but are incurring loss even after being taken over by Government;

(b) whether Government have looked into the causes of loss in these industries; and

(c) if so, the remedial steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Production of Coking Coal

4502. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the possibility of finding coking coal has increased in Jharia, Rani Ganj and Bokaro Coal Mines; and

(b) if so, the quantity of coking coal likely to be produced annually in the said mines ?

The Deputy Minister in the Minisry of Steel Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) Additional capacity of coking coal to the tune of 7 million tonnes by 1973-74 is being built up.

Over-crowding in Local Trains on the Delhi-Ghaziabad Section

4503. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the local trains running between Delhi and Ghaziabad are so over-crowded that the people often travel on the roof;

(b) if so, whether Government propose to increase the number of coaches in the said train or run an additional local train; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) No.

(b) to (c) Do not arise.

Import of Coca-Cola Powder

4504. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the powder of Coca-cola is imported from the U. S. A. and a major portion of the income from the sale of Coca-cola in India goes to that country;

(b) if so, the quantity and the amount of foreign exchange spent on its import during the years 1965-66 and 1966-67 and the rate at which it was imported; and

(c) the reasons for its imports when good, things prepared indigenously are available?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) : Import of Coca-cola concentrate is not permitted. Only certain raw materials required in the manufacture of Coca-Cola concentrate in the county are allowed to be imported against export of Coca-Cola concentrates under the import policy for registered exporters. The import of these raw material was as follows:—

1965-66	—	Rs. 12,400
1966-67	—	Rs. 97,600

Other soft drink manufacturers are also being permitted import of raw materials for their manufacture.

Additional Train on Itarsi-Prayag Route

4505. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the frequency of trains between Itarsi and Prayag is not adequate to cope with the number of III Class passengers traffic;

(b) if so, whether Government propose to put an additional train on this route or to run the Bombay-Calcutta Janta train from Bombay to Varanasi daily; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) to (c) : Do not arise.

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए आयातित कच्चा माल

4506. श्री स० चं० सामन्त : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए आयातित कच्चे माल की आवश्यकता पूर्णतया पूरी की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो कमी कितनी है; और

(ग) स्थापित उद्योगों की आवश्यकता पूरी करने की सम्भावनायें कैसी है ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) वर्तमान नीति के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के बड़े पैमाने तथा लघु क्षेत्र के एकक आयात की आवश्यकता को सिद्ध करने पर समूचे उत्पादन के लिए आवश्यक आयातित कच्चे माल तथा पुर्जे प्राप्त कर सकते हैं । मै प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को आवन्टन उपलब्ध विदेशी मुद्रा तथा उद्योग के सापेक्षिक महत्व के आधार पर अधिक नियंत्रित रूप में किया जाता है । लघु उद्योग के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से लघु क्षेत्र में गैर-प्राथमिकता प्राप्त एकक सीधे ही लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं और उनके लिए कितने मूल्य के आयात लाइसेंस की आवश्यकता है इसका निर्धारण पिछले आवन्टन के आधार पर किया जाता है ।

(ग) प्राथमिकता प्राप्त तथा गैर-प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की आयात संबंधी आवश्यकताएं पूरी किए जाने की सम्भावनाएं निर्यात में वृद्धि तथा गैर-परियोजना सहायता के मिलने पर निर्भर करती है ।

दिल्ली-बम्बई मेल एक्सप्रेस गाड़ियां

4507. श्री स० चं० सामन्त : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि राजस्थान और गुजरात से होकर दिल्ली से बम्बई को चार या पांच गाड़ियां चलती हैं लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर दिल्ली से बम्बई को केवल दो मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियां चलती हैं, जबकि इस रास्ते पर यातायात की अधिक सम्भावनाएं हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आने वाले उन यात्रियों को जिन्हें मथुरा स्टेशन से आगे बम्बई जाना होता है, मध्य रेलवे पर बम्बई को जाने वाली दोनों गाड़ियों के बीच 14 घंटे से अधिक समय के अन्तर का सामना करना पड़ता है;

(ग) प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है; और

(घ) क्या निकट भविष्य में इस मार्ग पर और गाडियां चलाये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) बम्बई सेंट्रल और नयी दिल्ली/दिल्ली के बीच (पश्चिम रेलवे के रास्ते) चार जोड़ी सीधी डाक/एक्सप्रेस गाड़ियां चलती है जबकि बम्बई वी० टी० और नयी दिल्ली के बीच (मध्य रेलवे के रास्ते) दो जोड़ी सीधी डाक/एक्सप्रेस गाड़ियां चलती हैं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) रास्ते के कुछ खण्डों पर अपेक्षित लाइन-क्षमता का अभाव, चल-स्टाक की कमी और बम्बई वी० टी०/नयी दिल्ली स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण मध्य रेलवे के रास्ते बम्बई वी० टी० और नयी दिल्ली के बीच कोई अतिरिक्त सीधी गाड़ी चलाना परिचालन की दृष्टि से इस समय व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

स्वेज नहर का बन्द होना

4508. श्री अदिचन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वेज नहर के बन्द होने से पश्चिमी देशों के साथ भारत के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) नहर के बन्द होने के पश्चात जहाजों को अन्तरीप से होकर भेजने के परिणाम-स्वरूप भारत को प्रति वर्ष कितना अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : स्वेज नहर के बन्द होने से स्वेज नहर के पार स्थित देशों को निर्यातित हमारे उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धा शक्ति पर निसंदेह प्रभाव पड़ा है परन्तु हमारे निर्यात व्यापार पर इसके प्रभाव का परिमाणात्मक प्राक्कलन लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह निर्यात व्यापार के कुल परिमाण को प्रभावित तथा निर्धारित करने वाले कारणों में से केवल एक है।

(ग) स्वेज नहर के बन्द होने के परिणामस्वरूप भारत द्वारा व्यय किए गए अतिरिक्त भाड़े का अनुमान लगाना संभव नहीं है। परन्तु यह कहा जा सकता है कि उच्च भाड़ा दरों के कारण, जो कि स्वेज नहर के पश्चिम के देशों से हमारे आयातों पर देनी पड़ती हैं, भारत लगभग 30 लाख डालर प्रति मास अनुमानित अतिरिक्त व्यय कर रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे निर्यातों पर भी अतिरिक्त भाड़ा लगता है परन्तु इसका ठीक ठीक आकलन लगाना सम्भव नहीं है।

देहरादून एक्सप्रेस के साथ लगे भोजनयान को हटाना

4509. श्री अदिचन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने देहरादून एक्सप्रेस के साथ लगे भोजनयान को हटाकर एक सामान्य तीसरे दर्जे का डिब्बा जोड़ने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इससे यात्रियों को अनावश्यक कठिनाई नहीं होगी और क्या सरकार इस मामले में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) 19 डाउन /20 अप देहरादून एक्सप्रेस गाड़ियों में आमतौर पर बड़ी भीड़-भाड़ रहती है । भोजनयान को हटा देने और इसकी जगह साधारण तीसरे दर्जे का एक डिब्बा लगा देने से इन गाड़ियों में यात्रियों के लिए अधिक जगह की व्यवस्था की जा सकेगी और इस तरह भीड़-भाड़ भी कम होगी । चूंकि इन गाड़ियों में अधिक से अधिक जितने डिब्बे लगाये जा सकते हैं, उतने डिब्बे लगाये जा रहे हैं, इसलिए इनमें तीसरे दर्जे का एक और डिब्बा लगाना संभव नहीं है । भोजनयान से बिक्री भी बहुत कम होती है जिसकी वजह से बहुत हानि हो रही है ।

(ग) भोजयान को हटा देने से यात्रियों को अनावश्यक कठिनाई नहीं होगी । क्योंकि इन गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को भोजन और अल्पाहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए रास्ते के स्टेशनों पर खान-पान और खोमचे की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी ।

हिमाचल प्रदेश में चूने के पत्थर के निक्षेप

4510. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमालय प्रदेश में धर्मशाला के निकट अच्छी किस्म के चूने के पत्थर के भारी निक्षेप पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो निक्षेपों की मात्रा कितनी होने का अनुमान है और क्या उन निक्षेपों को निकालने के लिये कोई उद्योग स्थापित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) जांच पूरी करने तथा इस मामले में किये गये निर्णयों को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा 1957 में किये गये अन्वेषणों से धर्मकोट स्थान पर सीमेन्ट श्रेणी के चूना-पत्थरों की पर्याप्त उपलब्ध राशियों के संकेत मिले हैं । पंजाब की उस समय की सरकार के कहने पर, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने धर्मशाला के निकट पोर्टलैंड सीमेंट की फैक्टरी की स्थापना के लिये चूना पत्थर की उपलब्ध राशियों को विस्तार में सिद्ध करने के उद्देश्य से विस्तृत अन्वेषण कार्य हाथ में लिया । व्यघन कार्य 1966 में प्रारंभ किया गया था और अन्वेषण प्रगति पर है; जिनके जनवरी 1969 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है । राज्य सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय उपलभ्य राशि के वास्तविक रूप

से सिद्ध किये जाने तथा पर्याप्त विश्लेषक परिणामों के उपलब्ध हो जाने के पश्चात लिया जायेगा ।

रेलवे टिकटों का पकडा जाना

4511. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में कुछ लोगों के पास से 15 लाख रुपये के मूल्य के रेलवे टिकट, जिन्हें आधी दर पर बेचा जा रहा था, पकड़े गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये टिकट चोरी हुए थे अथवा जाली थे;

(ग) यदि इन टिकटों की चोरी की गई थी, तो क्या उनके पकड़े जाने से पहले इस चोरी के बारे में रिपोर्ट की गई थी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे; और

(घ) यदि ये टिकट जाली पाये गये हैं, तो क्या ऐसे मामलों का पता पहले भी लगा है और यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये, कि ये जाली टिकट न चलाये जा सकें, क्या कार्यवाही की गई है ।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

वाणिज्य मंत्रालय में भ्रष्टाचार के मामले

4512. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल से 30 जून, 1968 तक की अवधि में उनके मन्त्रालय में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरी तथा अन्य दाण्डिक अपराधों के कितने मामलों का पता लगाया गया है और प्रत्येक मामले में कितने सरकारी कर्मचारी हैं तथा बाहर के कितने व्यक्ति ग्रन्तर्ग्रस्त हैं;

(ख) कितने मामलों में मुकदमें चलाये गये और कितने मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गये;

(ग) वर्ष 1967-68 में कितने मामले पकड़े गये थे और कितने मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों को दण्ड मिला और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई थी; और

(घ) ऐसे अपराध न होने देने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है ।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) इस मंत्रालय के अधीन सभी महत्वपूर्ण संगठनों में उचित पदों के अधिकारियों को उन संगठनों में सतर्कता सम्बन्धी काम की देख-रेख करने तथा भ्रष्टाचार रोकने के लिये सतर्कता अधिकारी का पद नाम दिया गया है। इस मन्त्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों में सतर्कता सम्बन्धी क्रियाकलापों का समन्वय करने के लिये इस मन्त्रालय में एक प्रधान सतर्कता अधिकारी है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है ।

इस मन्त्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों में भ्रष्टाचार आदि को रोकने के लिये उठाये गये कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:--

(एक) सार्वजनिक सम्पर्क वाले संगठन में सुरक्षा उपाय सुदृढ़ किये गये हैं । इन कार्यालयों में मिलने के लिये आने वाले व्यक्तियों को केवल राजपत्रित अधिकारियों से मिलने दिया जाता है न कि अन्य कर्मचारियों से ।

(दो) स्वर्गीय श्री एच० सी० माथुर की अध्यक्षता में अध्ययन दल की सिफारिशों के परिणामस्वरुप, आयात व्यापार नियंत्रण संगठन में प्रक्रियाओं में कई सुधार किये गये हैं ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके और विलम्ब न होने पावे, आयात आवेदन पत्रों के निपटाने के लिये समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं । आवेदनपत्रों पर भी तिथिवार विचार किया जाता है । आयात नीति इस ढंग से बनाई जाती है जिसमें लाईसेंस देने वाले अधिकारियों को यथा संभव कम से कम स्वविवेक का उपयोग करना पड़े ।

(तीन) भ्रष्टाचार-रोक सम्बन्धी संथानम समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, लाइसेसों की शर्तों तथा निर्यात नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के लिये आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम में जिस दण्ड की व्यवस्था है, उसे बढ़ा दिया गया है, आयात नियंत्रण आदेश में एक ऐसा उपबन्ध भी बनाया गया है जिससे लाइसेंस देने वाले अधिकारी बीजक में माल के दाम ज्यादा तथा कम दिखाने के विरुद्ध कार्यवाही कर सकें ।

(चार) गलतियों तथा अनियमितताओं के, यदि कोई हो, स्वरुप का पता लगाने की दृष्टि से ताकि स्थिति में सुधार/ठीक किया जा सके, कई संगठनों द्वारा रिकार्डों के सामयिक निरीक्षण तथा कार्योत्तर जांच की जाती है ।

(पांच) किसी सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति अथवा स्थायीकरण किये जाने से पहले सत्यनिष्ठा का प्रमाण प्राप्त करना अत्यावश्यक है । इससे सर्विस में आगे बढ़ रहे सन्देहात्मक सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों पर रोक लग जाती है ।

(छः) निगमों/बोर्डों आदि ने सामान्यत : सरकारी कर्मचारी आचार नियम उपबन्ध अपना लिये हैं ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय मे कर्मचारीवृन्द का सर्वेक्षण

4513. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में उनके मन्त्रालय में नियुक्त कर्मचारीवृन्द का कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने फालतू कर्मचारियों का पता लगा था (वर्ग-वार) और इसके बारे में क्या नीति अपनाई गई है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों की छंटनी करने अथवा इनको किसी अन्य स्थान पर लगाने का प्रस्ताव है;

(घ) 1 अप्रैल, से 30 जून, 1968 तक की अवधि में कितने अतिरिक्त कर्मचारियों को (वर्ग-वार) नियुक्त किया गया और इस अवधि में राजपत्रित अधिकारियों के कितने नये पद बनाये गये थे; और

(ङ) मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों तथा उप-मंत्रियों के साथ काम कर रहे कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए उचित मन्जूरी नहीं ली गई है ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) विद्यमान रिक्त स्थानों पर 1-4-68 से 30-6-68 की अवधि में 42 निम्न श्रेणी लिपिकों की नियुक्ति की गई थी और इसी अवधि में सहायक निदेशक (ग्रेड 1) के 9 पद बनाये गए थे ।

(ङ) कोई भी नहीं ।

सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखानों का विस्तार

4514. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के और अधिक विस्तार का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) : आजकल लोहे और इस्पात की मांग का मूल्यांकन करने और इसकी अतिरिक्त क्षमता लगाने के समूचे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावों के जिनमें विस्तार कार्यक्रम भी सम्मिलित है, ब्यौरों को अन्तिम रुप तभी दिया जा सकेगा जब स्टीयरिंग ग्रुप अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगा ।

रेलवे में विद्युत-चालित संगणक-लगाना

4515. श्री स० मो० बनर्जी : क्या रेलवे मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलों में विद्युत-चालित संगणक लगाये जाने की संभावना है;

(ख) क्या इस प्रश्न पर श्रमिकों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उनकी इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ ने इसका घोर विरोध किया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) छः क्षेत्रीय रेलों और तीन उत्पादन यूनिटों में संगणक लगाये गये हैं और अन्य रेलवे, रेलवे बोर्ड कार्यालय तथा मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड में भी इनके जल्द लग जाने की संभावना है ।

(ख) से (घ) रेलवे श्रमिकों के दोनों फेडरेशनों को संगणक लगाने की योजना से पूर्णतः परिचित करा दिया गया है तथा उनसे योजना पर विचार विमर्श कर लिया गया है । उन्हें आश्वासन दिया गया हैं कि "कोई छंटनी नहीं की जायेगी," कर्मचारियों की वर्तमान या भावी परिलब्धियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जायेगा और संगणक लगाये जाने के फलस्वरुप दूसरे काम पर लगाये जाने वाले कर्मचारियों को, उनकी मर्जी के बिना उनके वर्तमान स्टेशनों से स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा । एक फेडरेशन ने इन आश्वासनों को मान लिया है, लेकिन आल इन्डिया रेलवे-मेन्स फेडरेशन ने इन्हें नहीं माना हैं ।

बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुनः चालू करना

4516. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को इस बीच पुनः चालू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) क्या इन मिलों को सरकार ने अपने नियन्त्रण में ले लिया हैं ।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) 1. कोचिन लक्ष्मी मिल्स, त्रिचूर (केरल) ।

2. जी० टी० एन० टेक्सटाइल्स लि० आल्वा (केरल) ।

3. वी० आर० टेक्सटाइल्स (प्रा०) लि० कोयम्बटूर (मद्रास) ।

4. दि गोवाल्ड टेक्सटाइल्स (प्रा०) लि० तिरपुर (मद्रास) ।

5. पार्वती मिल्स लि०, कोल्लम (केरल) ।

6. दि न्यू भोपाल टेक्सटाइल लि०, भोपाल ।

7. महबूबशाही कल्बुर्ग मिल्स कं० लि०, गल्बर्ग (मैसूर) ।

8. बिजली काटन मिल्स, हाथरस (उ० प्र०) ।

9. सर्वरय टेक्सटाइल्स लि०, विजियानगर ।

10. बधरा स्पिनिंग मिल्स (प्रा०) लि०, बंगलौर।

11. आर० वी० बंसीलाल अवीरचन्द स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० प्राइवेट लि० हिंघनघाट (जो विगत में व्यर्थ घोषित की जाने वाली मिलों की सूची में थी)।

(ग) न्यू भोपाल टेक्सटाइल लि०, भोपाल नामक एक मिल को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है।

Railway Lines in Allepey Cochin Area

4519. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that coastal area of Kerala is industrially very backward due to lack of Railways;

(b) whether it is also a fact that the people of coastal area of Kerala have demanded that railway lines should be laid in Allepey-Cochin area;

(c) if so, the action being taken by the Railways in this regard;

(d) whether Government propose to lay railway lines there for the industrial development of that area and also with a view to providing other facilities there; and

(e) if so, when; and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The coastal area of Kerala is well served with inland water road transport. The railways are not aware of any difficulties in the industrial growth of the region due to lack of rail transport.

(b) Yes.

(c) to (e) : At the time of construction of the Quilon-Ernakulam line the question of taking the line close to the coast was examined. The proposal was dropped as it involved heavy bridging across the Vembanad lake. Due to the present difficult ways and means position it is not possible to consider the construction of a coastal railway line between Allepey and Cochin.

Travelling Without Tickets

4521. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of persons who have been arrested since March, 1968 for travelling without tickets on the Western Railway;

(b) the amount recovered by Government during the said period as penalty for travelling without tickets; and

(c) the number of persons who were prosecuted and the number of those who were convicted during the same period ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 13,665 were arrested during the period from March, 68 to June, 68 for travelling without tickets on Western Railway.

(b) R.s 4,20,825/-.

(c) Number prosecuted 13,665.

Number convicted 13,291.

Expenditure on Checking Ticketless Travel

4522. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Railways be pleased to state the amount which Government have to spend annually on Ticket Examiners, Police personnel, Magistrates and Ticket Collectors appointed with a view to check ticketless travelling ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : The expenditure incurred during 1967-68 was Rs. 5, 91, 13, 171.

Chain-Pulling on Western Railway

4523. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of incidents of chain-pulling on the Western Railway since January, 1968 so far; and

(b) the amount realised as penalty by Government as a result thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) During the period from January, 1968 to June, 1968, there were 2,500 incidents of alarm chain pulling on Western Railway.

(b) Rs. 150.

कनिष्ठ सहायक स्टेशन मास्टरों तथा युद्ध सेवा वाले अभ्यार्थियों की पदोन्नति

4524. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के दिनांक 25 फरवरी, 1950 के पत्र संख्या ई 49/ आर० सी० 1/8/3 के प्रतिकूल 1 जून, 1942 से पहले भर्ती हुए रेलवे कर्मचारियों की उपेक्षा करके कनिष्ठ सहायक स्टेशन मास्टरों तथा युद्ध सेवा वाले अभ्यार्थियों को स्टेशन मास्टरों के पदों पर पदोन्नत किया गया है, जिसके कारण गत 8 वर्षों से जनरल मैनेजर, उत्तर रेलवे नई दिल्ली द्वारा संयुक्त वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण अतिरिक्त खर्च हुआ है;

(ख) क्या मुख्य लेखा परीक्षक दिल्ली द्वारा वर्ष 1966 में इस सम्बन्ध में जारी किये गये लेखा परीक्षा टिप्पण का अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है; और

(ग) गत आठ वर्षों में वरिष्ठता सूची तथा गत 1½ वर्ष से लेखा परीक्षा टिप्पण को अन्तिम रूप न दिये जाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चो० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) उत्तर रेलवे द्वारा वरिष्ठता सूची जारी की जा चुकी है, लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा जो नीति निर्धारित की गयी है उसका पालन किया गया है या नहीं इस बात की जांच करने के लिए इस सूची की समीक्षा की जा रही है । वरिष्ठता सूची अन्तिम रूप से तैयार हो जाने के बाद लेखा-परीक्षा नोट का उत्तर रेलवे द्वारा निवटारा कर दिया जायेगा ।

रेलवे कर्मचारियों को गृह निर्माण सोसाइटी

4525. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली में कार्य कर रहे रेलवे कर्मचारियों की एक गृह-निर्माण सोसाइटी रेलवे बोर्ड में कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 जुलाई, 1968 को उसके अंशों पर कुल कितनी राशि प्राप्त की गई थी,

(ध) सोसाइटी के राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के नाम क्या हैं, और उनकी प्राथमिकता की तिथि क्या हैं; और

(ङ) उनके कब तक और कहां भूमि मिलने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चें०मु० पुनाचा) (क)से(ङ): सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय रेलवे बोर्ड एम्पलाइज कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० से है, जो दिल्ली में कार्य करती है। यह एक स्वायत निकाय है और इससे निम्नलिखित सूचना प्राप्त की गयी है:-

"रेलवे बोर्ड एम्पलाइज कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० का पंजीकरण 1961 में किया गया था और उसकी पंजीकरण संख्या 1550 है। इसके 773 सदस्य हैं और इसकी हिस्सा पूंजी 38,650 रु० है। इसके अतिरिक्त सोसाइटी के पास 991 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं, जिन्होंने शेयर-राशि के रूप में 49,550 रुपये पेशगी दिये हैं।

सोसाइटी के सदस्यों की हैसियत एक समान है। इसलिए सोसाइटी उनके नाम राजपत्रित और अराजपत्रित कोटि में अलग अलग नहीं रखती। प्राथमिकता सदस्यता सूची में नाम लिखाने की तारीख के आधार पर दी जाती है।

जमीन प्राप्त करने के लिए सोसाइटी दिल्ली प्रशासन से पत्र-व्यवहार कर रही है। अभी तक सोसाइटी को कोई जमीन प्राप्त नहीं हुई है और यह कहना संभव नहीं है कि दिल्ली प्रशासन कब तक जमीन देगा।

कोकिंग कोयले का मूल्य

4526. श्री सु० कु० तापडिया : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल में कोकिंग कोयले के मूल्य में इस शर्त पर 1 75 रुपये प्रति-टन की वृद्धि करने के लिये सहमत हो गई है कि कोयले का नमूना निर्धारित करने की एक ऐसी योजना बनाई जाने के बाद, जो कोयला इस्पात दोनों ही उद्योगों को मान्य हो, कोकिंग कोयले की कीमत में और 0.75 रुपये की वृद्धि की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मूख्य शर्तें क्या है ;

(ग) कोकिंग कोयले का मूल्य बढ़ाने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इससे इस्पात की निर्माण लागत पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) इस्पात संयंत्रों, कोयला धावनशालाओं और कोकरीज को दिये जा रहे कोकिंग कोयले के विषय में प्रति मैट्रिक टन 1.75 रुपये की मूल्य वृद्धि स्वीकार कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, प्रति मेट्रिक टन 0.75 रुपये की राशि प्रतिचयन की विधि का आपस में संतोषजनक रूप से समाधान हो जाने पर देय होगी।

(ग) कोयले के उत्पादन की लागत में वृद्धि।

(घ) केवल सीमान्त रूप में।

भारत में इस्पात की मांग के बारे में अध्ययन

4527. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद और मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा भारत में इस्पात की मांग सम्बन्धी दो अध्ययन-पत्र तैयार किये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दोनों अध्ययनों के निष्कर्ष एक दूसरे से बहुत अधिक भिन्न हैं; और

(ग) दोनों अध्ययनों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं, और क्या सरकार ने उन दोनों पर विचार कर लिया है; तथा भारत में इस्पात की भावी आवश्यकताओं के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चे० सेठी) : (क) यह ठीक है कि व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद ने लोहे और इस्पात की कुल आवश्यकताओं की मांग जिसमें मिश्र-इस्पात भी शामिल है, की रिपोर्ट तैयार की है परन्तु मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी ने केवल मिश्र-इस्पात की मांग की रिपोर्ट तैयार की थी।

(ख) और (ग) इन दोनों रिपोर्टों में दी गई मिश्र-इस्पात की मांग पर इस समय विचार किया जा रहा है। अभी तक मिश्र-इस्पात की भावी आवश्यकताओं के बारे में अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में हड़तालें

4528. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र की इस्पात परियोजनाओं में कितनी हड़तालें हुई ;

(ख) इसके परिणाम स्वरूप कितनी जनशक्ति की हानि हुई और उत्पादन को कितनी क्षति पहुंची ;

(ग) कितनी हड़तालें अवैध थीं ;

(घ) क्या ऐसे मामलों में भी मजूरी देनी पड़ी थी ; और

(ङ) यदि हां, तो हड़ताल की अवधि के लिये कितना मजूरी बिल दिया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय खान विभाग तथा भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग का पुर्नगठन

4530. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुकर्जी आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने भारतीय खान विभाग तथा भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण को पुर्नगठित करने के लिये कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) (श्री बी० सी० मुखर्जी की अध्यक्षता में स्थापित) भारतीय खान ब्यूरो पुनर्गठन समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, ब्यूरो के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाया गया है । समिति की सिफारिश के अनुसार, भारतीय खान ब्यूरो को गवेषणा सम्बन्धी अतिरिक्त कार्यभार उठाने तथा खनन उद्योग को परामर्श देने के योग्य बनाने के हेतु संस्था में, एक परामर्शदाता-कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । योजना विचाराधीन है ।

समिति ने समन्वेषण कक्ष को भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था से भारतीय खान ब्यूरो को पुनर्हस्तान्तरण की भी सिफारिश की थी, जो कि सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई है ।

Manufacture of Telescopes

4531. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there was a scheme to manufacture telescopes and microscopes in the Industrial area near Lucknow with German collaboration, the terms in regard to which had been approved by the Central Government also, but the factory has now been closed down;

(b) whether it is also a fact that the U. P. Government had constructed a building at a cost of Rs. 8 lakhs which is now lying unutilised; and

(c) if so, the reasons for not restarting the factory and what other products are proposed to be manufactured therein ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Government of India had in August, 64 approved in principle the proposal

of the Government Precision Instruments Factory, Lucknow which is under the State Govt. of Uttar Pradesh for collaboration with M/s. Carl Zeiss Jena, GDR in the manufacture of certain Scientific Instruments including Microscopes of various types. Certain modifications in terms of collaboration were communicated to the State Government in 1965. The State Government of U. P. later informed this Ministry that they could not finalise the collaboration agreement on account of devaluation which raised the cost of the project and the cost of technical knowhow fee. In September 67, the State Government stated that the Collaborators had withdrawn their offer of collaboration The approval granted in this regard was eventually cancelled in March, 1968.

(b) and (c) : Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

रेलवे में सीनियर स्केल अधिकारियों के साथ काम कर रहे स्टेनोग्राफर

4532. श्री निहाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने जनवरी, 1965 में एक आदेश जारी किया था कि सीनियर स्केल अधिकारियों के साथ कार्य करने वाले स्टेनोग्राफरों को 1 अप्रैल, 1965 से 210–435 रुपये के ग्रेड में होना चाहिये और उनके चयन तथा पदस्थापना आदि का काम 1 अप्रैल, 1965 से पहले पूरा हो जाना चाहिये;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे ने निर्धारित तिथि तक उक्त चयन आदि का कार्य पूरा नहीं किया;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे बोर्ड ने मई 1966 में यह आदेश दिया था कि उन लोगों को जो इन पदों पर कार्य कर रहे हैं, 1 अप्रैल, 1965 से लेकर तब तक बकाया राशि का भुगतान किया जाये जब तक कि उन पदों के लिए चुने गए व्यक्ति उन पदों पर नहीं आ जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या कारण है कि उत्तर रेलवे ने वास्तव में इन पदों पर काम कर रहे व्यक्तियों को शेष राशि का भुगतान करने की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की है यद्यपि कर्मचारियों ने इस सम्बन्ध में प्रार्थना भी की है; और

(ङ) शेष राशि का भुगतान करने में कितना समय लग जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां। ग्रेड 210–425 रुपये है न कि 210–435 रुपये।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) जी हां। रेलवे बोर्ड ने मार्च, 1966 में आदेश जारी किये थे न कि मई, 1966 में। चूंकि उत्तर रेलवे में वरिष्ठ वेतन-मान अधिकारियों और सहायक अधिकारियों के लिए आशुलिपिक पूल में रखे जाते थे, इसलिए बढ़ाये गये ग्रेड वाले पदों पर वास्तव में कौन से कर्मचारी नियुक्त थे, सभी मामलों में इसका ठीक-ठीक पता लगाना सम्भव नहीं था। फलस्वरूप कुछ आशुलिपिकों से अभ्यावेदन और जवाबी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन पर विचार हो रहा है। रेल प्रशासन को आशा है कि लगभग दो महीने में बकाया रकम का भुगतान हो जायेगा।

Export of Raw Materials

4533. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the names of the firms which exported raw materials to foreign countries during the last three years and the quantum thereof; and

(b) the amount of foreign exchange there from ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) Export statistics are compiled for the country as a whole and not on firm-wise basis and as such it is not possible to furnish the information. The particulars of export licences issued by the Chief Controller of Imports & Exports are published in the Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences, copies of which are available in the Parliament Library.

State Trading Corporation

4534. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the amount invested by Government in the State Trading Corporation of India and the amount of foreign exchange earned by it during the last five years; and

(d) the number of Branches of the said Corporation along with the namas of places where they are situated and the number of employees working therein ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi): A sum of Rs. 2 crores has been invested by the Central Government in the State Trading Corporation. The amount of foreign exchange earned by the Corporation during the last five years is as follows.

Year	Amount of foreign exchange (in crores of Rupees) earned including from Rupee payment countries.
1963-64	19. 30 *
1964-65	10. 51
1965-66	13. 12
1966-67	30. 99
1967-68	Accounts have not been finalised

* (This includes foreign exchange earnings in respect of trade of Minerals and Metals from 1. 4. 63 to 30. 9. 63).

(b) The Corporation has six branches in India and twelve branches abroad. The names and places where these branches are situated and the number of employees working in each of the branch are given below :-

S. No.	Place where Branch Office is situated	No. of employees (all classes) working in the branch.
	In India	
1.	Bombay	283
2.	Calcutta	291

3.	Madras (a) Regional Office	156
	(b) Industrial Establish—ments.	104
4.	Agra	94
5.	Kanpur	6

Note : The above figures do not include casual labour.

	In foreign countries	India based	Local	Total
1.	Bangkok (Thailand)	1	2	3
2.	Beirut (Lebanon)	1	3	4
3.	Berlin (G. D. R.)	3	3	6
4.	Budapest (Hungary)	2	3	5
5.	Lagos (Nigeria)	1	3	4
6.	Montreal (Canada)	4	1	5
7.	Moscow (U. S. S. R.)	4	3	7
8.	Nairobi (Kenya)	4	13	17
9.	Prague (Czechoslavakia)	2	1	3
10.	Rotterdam (The Netherlands)	5	6	11
11.	Tehran (Iran)	2	1	3
12.	Colombo (Ceylon)	1	2	3

Theft of Goods from Meerut Railway Station

4535. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some goods were stolen from the Meerut Railway Station in January, 1967 and if so, the value of the goods stolen;

(b) whether it is also a fact that four Railway Security personnel were held guilty of the theft and inquiry was also held against them and, if so, the details of the inquiry report; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) A theft of 23 bags of wheat was reported at Meerut City. The estimated value of property lost in this is about Rs. 2,300/-. Two minor cases of pilferage worth Rs. 96 and Rs. 55 respectively were also reported.

(b) and (c) Yes, 4 R.P.F. Rakshaks were found to be involved following an enquiry held at Meerut City. They have been placed under suspension and departmental proceedings have been initiated against them. Show Cause notices for inflicting major penalties are being issued to these Rakshaks. No R.P.F. personnel were involved in the two minor pilferage cases.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कारखाने

4536. श्री विक्रम चन्द महाजन : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पांचों कारखानों की कुल उत्पादन

क्षमता कितनी है, इस समय कितनी उत्पादन क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है; तथा प्रत्येक कारखाने में कितने मूल्य का उत्पादन होता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर के पांचों कारखानों की वर्तमान उत्पादन क्षमता 2,080 लाख रुपये के मूल्य की मशीनें प्रतिवर्ष है । इस क्षमता का उपयोग निम्नलिखित मशीनों के निर्माण के लिए किया जा रहा है :—

सामान्य प्रयोजन की केन्द्रीय खरादें, टरेट खरादें, हेवी ड्यूटी खरादें, घिसाई मशीनें, विद्युत नियन्त्रित घिसाई मशीनें, गालाकार बरमें, गियर शेपर, विशिष्ट प्रयोजन की मशीनें, औजारों की घिसाई और लेपिंग मशीनें, सतह की घिसाई मशीनें, गियर हाबर्स, एकल तकुआ तथा बहु तकुआ आटेमेटिवस, मिनिचकर, रेम आकार की घिसाई मशीनें, ब्रोचिंग मशीनें, अत्यधिक सूक्ष्म केन्द्रीय खरादें, कापीइंग खरादें, ड्रम टरेट खरादें, बढ़िया छिद्रण मशीनें, बहु औजार आटेमेटिक खरादें और आड़े सूराख करने की मशीनें ।

मशीनी औजारों के कारखानों में हुए उत्पादन का मूल्य निम्न प्रकार है :—

		जनवरी–जून, 1968 (रुपये लाखों में)
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स 1 तथा 2 बंगलौर	—	202
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स 3 पिंजौर	—	105
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स 4 काला मेनकरी	—	67
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स 5 हैदराबाद	—	33
		407

Manufacture of Water Pipes

4537. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a material by the name 'techite' developed in America for use in the space exploration, is now being used on a large scale for manufacturing water-pipes, as the material is found to be harmless and strong; and

(b) if so, the progress made in India for producing this material ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No, Sir. However, certain National Laboratories are also being consulted in this regard.

(b) **Does not arise.**

Houses for Railway Employees in Chandsara Halt Station

4538. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the reasons for not constructing any accommodation/houses for the passengers and Railway employees in Chandsara Halt station on the Meerut-Hapur branch line, Northern

Railway which has been made a part of the Meerut City in the Meerut Master Plan and which is quite near to Gagol Cantonment ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : Sleeper Hut to serve as Booking Office-cum-Waiting Shed has already been constructed at Chandsara Halt. Accommodation for staff is not necessary, this being a Contractor Operated Halt.

Khadi and Village Industries Commission

4539. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the details of the recommendations of the Ashoka Mehta Committee accepted by Government on the Khadi and Village Industries Commission;

(b) whether Government propose to reorganise the Commission in a manner by which Government's grant could be considerably reduced; and

(c) if so, its probable impact on the method of production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The recommendations of the Asoka Mehta Committee on the Khadi and Village Industries Commission are under the consideration of the Central Government in consultation with the State Governments.

(b) and (c) Do not arise.

Extension of Ghaziabad Shuttle to Meerut City.

4540. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether a memorandum on behalf of the students, businessmen and employees, travelling from Delhi to Modinagar and Meerut was sent to the Deputy Chief Operating Superintendent (Coaching), Northern Railway on the 17th February, 1968 for extending 2 D. G. S. (Ghaziabad Shuttle) to Meerut city and, if so, the action taken by Government in this connnection ;

(b) Whether it is a fact that the Divisional Superintendent had recommended the extension of the said train to Meerut; and

(c) If so, the date by which the said shuttle is likely to be extended to Meerut ?

The Minister of Railway (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) : The proposal for extension of 1 DG/2 DG to and from Meerut City was carefully examined but not found feasible, since these trains are worked by the rakes of 45/46 Delhi-Amritsar Janata Expresses and such extension would not leave adequate margin for maintenance of these rakes.

(c) Does not arise.

यालविगी रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना से उत्पन्न दावों का निपटारा

4541 **श्री धरन** : क्या रेलवे मन्त्री 19 मार्च, 1968 को यालविगी रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना के सम्बन्ध में 16 अप्रैल 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1240 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दावा आयोग की नियुक्ति कर दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या उसने उपर्युक्त दुर्घटना से उत्पन्न दावे निर्धारित कर दिये है ? और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में मुआवजे की कितनी राशि दी गई ?

रेलवे मंत्री (श्री चें० मु० पुनाचा) : (क) जी हां । 1-7-1968 को दावा आयुक्त ने कार्यभार सम्हाल लिया है ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलायची की खेती

4542. श्रीधरन : क्या **वाणिज्य** मन्त्री 23 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1378 के उतर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची बोर्ड द्वारा भेजी गई शेष दो योजनाओं की इस बीच मंजूरी दे दी गई है ? और

(ख) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Discontinuance Of Uneconomic Railway Lines

4543. Shri Kanwar lal Gupta : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) the details about the uneconomic lines on which train service is proposed to be discontinued this year ;

(b) the particulars of the areas out of them, the people of which have protested against the discontinuance of the Railway service ,

(c) whether it is a fact that certain private agencies have offered to run Railway service on these lines : and

(d) if so, Governments reaction there to ?

The Minister of Railway (Shri C. M. Poonacha) : (a) No decision has yet been taken to discontinue train services on any of the uneconomic railway lines this year.

(b) to (d) : Questions do not arise in view of reply to part (a) above.

Amendment of Railway Rules

4544. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **Railways** be pleased to State :

(a) whether Government have a proposal to amend the Railway Rules or the relevant law.

(d) if so, the datails thereof, and

(c) the details of the legislation proposed to be brought forward by Government to check riots, lawlessness etc in the Railway premises ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) to (c) : The metter is under active consideration in consultation with the Ministries of Law and Home Affairs.

Confiscation of Indians Factories in Pakistan

4545. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to State :

(a) the number of factories in Pakistan belonging to the Indians which were confiscated by the Government of Pakistan during 1965 and the total capital outlay thereof ;

(b) the number of factorics belonging to the Pakistanis, which have been confiscated by the Government of India and the total capital outlay thereof ; and

(c) the details of the discussions held between the two Governments in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) (a) 47 Indian factories in Pakistan were seized by the Govt: of Pakistan during 1965. Thire value is estimated at Rs, 46,68, 99, 109.

(b) 5 Pakistani factories in India were vested in the Costodian of Enemy property for India during 1965. Their value is estimated at Rs. 8,06,213.

(c) The Govt. of India have been urging the Govt. of Pakistan to discuss the question of restoration of seized properties in terms of Artical VIII of the Tashkent Declaration. But there has been no response from Pakistan Government's side so far.

पश्चिम बंगाल में पटसन की मिलें

4546. **श्री वे० कु० दास चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री 12 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3758 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पश्चिम बंगाल में पटसन की मिलों के बारे में जानकारी इकठ्ठी कर ली गई है ?

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल में इस समय पटसन की 84 मिलें हैं । उनमें से इस समय 73 पटसन मिलें चालू हैं । दिसम्बर, 1967 के अन्त में इन मिलों में कार्य कर रहे कर्मचारियों, जिसमें लिपिक तथा पहरा और निगरानी अमला आदि भी शामिल हैं, की संख्या 2,39,562 थी ।

अलग-अलग संख्याएं निम्नलिखित हैं:--

स्थाई कर्मचारियों की संख्या :	1,33,251
बदली (अस्थाई) कर्मचारियों की संख्या :	90,468
लिपिक, पहरा-निगरानी अमला आदि कर्मचारियों की संख्या :	15,843

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गैर-सरकारी विदेशी उद्योग

4547. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों के गैर-सरकारी धन विनियोक्ताओं को नये उपक्रम शुरु करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने के बारे में कोई नियम व विनियमन विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तोवे नियम व विनियमन क्या हैं ; और

(ग) पिछले 10 वर्षों से इन नियमों व विनियमनों का उल्लंघन कितनी बार किया गया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद): (क) तथा (ख) नए एकक स्थापित करने के लिए जो नियम तथा विनियमन भारतीय विनियोजकों पर लागू होते हैं वही विदेशी विनियोजकों पर भी लागू होते हैं। यह सभी उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम तथा जारी किये गये प्रशासकीय अनुदेशों में दिये गये हैं। यदि कोई इच्छुक विदेशी विनियोजक कोई सुनियोजित योजना रखता है तो उस पर सर्वप्रथम आशय-पत्र दिये जाने की दृष्टि से विचार किया जाता है। आशय-पत्र में सन्निहत शर्तों को पूरा किए जाने तथा परियोजना को शुरू करने के लिए एक भारतीय कम्पनी के गठन के पश्चात उस आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित किया जायगा। आशय-पत्र निर्धारित अवधि के लिए ही मान्य रहता है और यदि उस अवधि के अन्दर-अन्दर लगाई गई शर्तें पूरी नहीं होती तो यह स्वतः ही रद्द हो जायगा।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रखदी जायगी।

विदेशों द्वारा नियन्त्रित ऐल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा उधार

4548. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री भागवान दास :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों द्वारा नियंत्रित एक एल्यूमिनियम कम्पनी ने वाशिंगटन स्थित एक्सपोर्ट/इम्पोर्ट बैंक से 20 लाख डालर उधार लिये है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त बैंक ने जो अमरीकी सरकार का संस्थान है, इस कम्पनी पर कुछ शर्तें लगा दी है ? और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) : इण्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड़, कलकत्ता ने, जिसके अधिकांश शेयर विदेशियों के पास हैं, कम्पनी के बेलगांव (मैसूर) और काल्बा (महाराष्ट्र) के स्थान पर क्रमशः नया एल्यूमिनियम प्रद्रावक और एल्यूमिनियम रोलिंग मिल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के एक भाग की पूर्ति के लिये अमरीका के निर्यात-आयात बैंक के साथ सितम्बर. 1967 में 20 लाख डालरों के विदेशी मुद्रा ऋण के लिए एक करार किया। करार

की मुख्य शर्तें यह है कि इसके अनुसार मूल राशि की वापसी तथा ब्याज की अदायगी लगातार 20 अर्द्ध वार्षिक किश्तों में की जानी है, जिनमें से पहली किश्त 30 जून 1970, को प्रारम्भ होगी। ऋण तीन वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित, 13 वर्षों की अवधि में प्रतिदेय है और इस पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज तथा न ली गई बकाया राशि पर 1/2 प्रतिशत की दर से दो वचन-बद्धता फीस दी जानी है।

रेलवे इंजन चालकों की शराब पीने की आदत

4549. **श्री वेणीशंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई 1968 के अन्त में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार दो रेलवे चालकों के उस समय शराब पीये हुए होने का पता चला है ?

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? और

(ग) रेलवे इंजन ड्राइवरों की शराब पीने की आदत रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) ; (क) 28-5-1968 को रेनीगुंटा स्टेशन पर जो दुर्घटना हुई थी उसमें ड्राईवर के मुह से देशी शराब की गंध आ रही थी।

(ख) और (ग) : रेल कर्मचारियों में शराब पीने की आदत की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है:-

(1) रेल प्रशासनों से कहा गया है कि वे स्टेशनों, यार्डों, शेड़ों आदि के आसपास स्थित शराब की दुकानों को वहां से हटा कर दूर ले जाने के लिए राज्य सरकारों से सहायता मांगें।

(2) यह हिदायत भी दी गयी है कि ऐसे रनिंग कर्मचारियों की एक सूची बनायी जाये जिन्हें शराब पीने की आदत है और उनके दैनिक काम के साथ-साथ रनिंग रूप में उनकी गतिविधियों पर भी गुप्त रूप से निगाह रखी जाये।

(3) ऐसा एक नियम भी बना दिया गया है कि कोई रेल कर्मचारी (चाहे वह गाड़ी के संचालन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो या न हो) जब ड्यूटी पर हो, तो नशे की हालत में या ऐसी हालत में न हो जिससे उसकी कर्त्तव्य पालन की क्षमता नष्ट होती हो। इसके अलावा कोई रेल कर्मचारी, जो गाड़ियों के संचालन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो, अपनी ड्यूटी शुरू होने से 8 घण्टे तक की पुर्व अवधि के दौरान शराब नहीं पियेगा और न अपनी ड्यूटी के दौरान शराब पियेगा।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में पुर्जों की कमी तथा उनका जमा होना

4550. श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फालतू पुर्जों के अभाव के कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कुछ एकक कई वर्षों से बेकार पड़े है अथवा इनमें निर्धारित क्षमता के अनुसार काम नहीं हो रहा है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि काफी संख्या में फालतू पुर्जे जमा हो गये हैं जिनका काफी समय बाद भी प्रयोग होने की बहुत ही कम गुंजाइश है और यदि हां, तो क्रयादेश देने के क्या कारण थे, यदि उनका कोई उपयोग हीं नहीं था, और

(ग) क्या इस मामले में जांच कराने की आवश्यकता समझी गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) फालतू पुर्जों की कमी के कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने की कोई भी इकाई बेकार नहीं रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी इकाइयां हैं जो अन्य कारणों के साथ साथ फालतू पुर्जों की कमी के कारण निर्धारित क्षमता पर काम नहीं कर रही है। कुछ हद तक फालतू पुर्जों की कमी देशीय सप्लाई के न हो सकने के कारण हैं।

(ख) और (ग) : कुछ पुर्जे इन्स्योरेन्स पुर्जों के रूप में रखे जाते हैं जिन्हें रखना पड़ता है, यद्यपि वास्तव में काफी समय तक उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। पाण्डे समिति ने भी यह कहा है कि फालतू पुर्जों की संख्या में कमी करने की गुंजाइश थी। फालतू पुर्जों की सूची को यथा-आवश्यकता बनाने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड़ ने एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है।

दुर्गापुर में कोयला धोने का कारखाना

4551. श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर के कोयला साफ करने वाले कारखाने में कनवेयर बैल्ट के कारण संकट पैदा हो गया है।

(ख) क्या सिक्स को तापीय बिजली घर में जलाने के लिये ले जाने के हेतु कनवेयर बैल्ट स्थापित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) दुर्गापुर के तापीय विद्युत-घर को मिडलिंग पहुँचाने के लिए कन्वेयर बैल्ट हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

छोटी कार परियोजना

4552. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि प्रस्तावित छोटी कार परियोजना को राज्य में सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाये ।

(ख) क्या आन्ध्र सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले है ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : आंध्र सरकार को सूचित कर दिया गया है कि छोटी कार परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिए जाने के पश्चात उनके निवेदन पर अन्य राज्य सरकारों के इसी प्रकार के निवेदनों के साथ विचार किया जाएगा ।

खराब रेलों का आयात

4553. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन स्थित इण्डिया सप्लाई मिशन के महानिदेशक द्वारा अच्छी तरह से निरीक्षण किये जाने के बाद आयात की गई कुछ रेलें कुछ समय बाद खराब पाई गई थी, जिससे रेलवे को बहुत नुकसान हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो इस गलती को करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि भविष्य में ऐसी घटनायें पुनः न हो ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) आयात की हुई सभी पटरियों के लिए 5 वर्ष की गारंटी होती है और यदि इस अवधि में इनमें कोई खराबी आती है तो संभरणकर्ता उसकी लागत की प्रतिपूर्ति करते हैं । 1960-61 में जो एक लाख मीटरिक टन पटरियां आयात की गयी थीं, उनमें से 4 पटरियों (तोल में लगभग 2 मीटरिक टन) के बारे में गारंटी की अवधि समाप्त हो जाने के बाद खराबी होने का पता चला । इन चार पटरियों की लागत संभरणकर्ताओं से वसूल नहीं की जा सकी ।

(ख) प्रत्येक पटरी की जांच नहीं की जाती और इस तरह की खराबी कभी-कभी नजर में आती है। इस तरह के मामलों में व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं ठहरायी जा सकती।

(ग) खराबियों के जो मामले देखने में आये हैं, उनकी वास्तविक संख्या बहुत कम होती है (इस मामले में 50,000 में 1) और इस कारण विशिष्टियों अथवा परीक्षणों को और कड़ा बनाने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस कार्यवाही पर बहुत अधिक खर्च आयेगा।

दक्षिण रेलवे पर स्टेशनों के नाम दर्शाने वाले बोर्ड

4554. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे पर स्टेशनों के नाम दिखाने वाले बोर्डों पर से देवनागरी लिपि के अक्षर पूर्णतः हटा दिये गये हैं ?

(ख) रेलवे बोर्ड द्वारा इस बारे में कोई आदेश जारी किये गये थे ? और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

Land Subsidence in Kulti Factory Area

4556. Shri Mrityunjay Prashd : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the details about the damage caused so far to the Kulti factory, other factories, roads, railway line, houses, etc. as a result of sinking of land under the Kulti factory and in its adjoining areas;

(b) whether the land has now stopped sinking,

(c) the steps being taken to check the sinking of land; and

(d) whether a decision has been taken to hold an enquiry as to whether this danger was kept in view before setting up of the Kulti factory and whether all possible and legally essential measures were adopted to strengthen the land permanently and to prevent it from sinking ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) An area of about 162 metres X 150 metres only was affected by the subsidence which occurred on 9th & 10th March, 1968. So far as the damage to the foundry is concerned, it is reported that some of the column bases of the steel foundry building were slightly depressed, putting the columns somewhat out of plumb and thereby disturbing the level of the crane girders. The plant and machinery of the Steel foundry, including the electric furnace, were not damaged and the large machine shop adjacent to the Steel Foundry remained completely unaffected. No report about the damage to other factories, roads railway line, houses etc. has been reported.

(b) Yes, Sir,

(c) The management is reported to have undertaken soil consolidation work including cement stowing and re-alignment of buildings to save the plant.

(d) The Director General of Mines Safety undertook an investigation and he has reported that the subsidence was caused due to the collapse of small size stooks formed in the early 1900's at depth of about 75 metters from the surface. These stooks were formed at a time when no mining law specifying the size of pillars or the manner of extraction of the pillars existed. Private persons are not required to obtain any permission before setting up the factory. No permission appears, therefore, to have been sought for nor granted before putting up the steel foundry.

अप्रयुक्त औद्योगिक क्षमता

4557. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रयुक्त औद्योगिक क्षमता सम्बन्धी नवीनतम आंकड़े क्या है ?

(ख) अप्रयुक्त क्षमता के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या जांच-पड़ताल करवाई है ?

(ग) क्या सरकार का अप्रयुक्त क्षमता में से उत्पादन की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए नकद इनामों के रूप प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार बन्द कारखानों पर ऐसे बेकार श्रमिकों के मामले में जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के उन पर लागू किये जाने के इच्छुक नहीं है, यह अधिनियम लागू न करने का है।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन के बारे में जानकारी से "मन्थली स्टेटिस्टिक्स आफ दि प्रोडक्शन आफ सेलेक्टेड इण्डस्ट्रीज इन इण्डिया" नामक पत्रिका में नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है।

(ख) जिन कठिनाइयों के कारण अर्थव्यवस्था में औद्योगिक सुस्ती आई और उद्योग के कुछ क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता अधिक मात्रा में बेकार रही जिसका वास्तविक और स्पष्ट रुप से अनुमान लगाने के लिए 1967 के आरम्भ में एक विशेष सूचना प्रणाली चालू की गई थी। इस प्रणाली के अन्तर्गत बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के चुने हुए कारखानों के लगभग 300 उच्च अधिकारियों से उन विभिन्न बाधाओं के बारे में बताने का निवेदन किया गया जिससे औद्योगिक विकास में रुकावट पड़ रही है और उनसे यह भी कहा गया था कि वे उन बाधाओं को दूर करने के उपाय भी बताएं। औद्योगिक विकास विभाग, वाणिज्य, योजना आयोग, पेट्रोलियम तथा रसायन, लोहा और इस्पात, आर्थिक कार्य विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालयों के सचिवों, तकनीकी विकास महानिदेशक तथा औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार की एक संचालन समिति स्थापित की गई जिसका काम उन कठिनाईयों का पता लगाने की दृष्टि से विशेष रिपोर्टों की जांच करना है जिनका सामना अधिकांश उद्योगों को करना पड़ रहा है और जिनके सम्बन्ध में उपचार सम्बन्धी उपाय करना आवश्यक है।

(ग) और (घ) इस मन्त्रालय में ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज का कारखाना

4558. श्री लोबो प्रभु : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज का कोई कारखाना स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस समय सरकारी क्षेत्र में स्थापित कारखाने की तुलना में इसकी उत्पादन लागत कम होगी और इसकी किस्म में सुधार होगा :

(ग) वर्तमान कारखाने (नेपा) के अखबारी कागज के उत्पादन मूल्य में क्या अन्तर है, और

(घ) भारत में उत्पादित अखबारी कागज का अधिक मूल्य होने के क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) सरकारी क्षेत्र के अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अभी छान-बीन की जा रही हैं ।

(ख) प्रस्तावित कारखाना 'सलाई' लकड़ी के स्थान पर, जो देश में अखबारी कागज के वर्तमान कारखाने के लिये आधारभूत कच्चा माल है, कच्चे माल के रूप में यूकलिप्टस पर आधारित होगा । इस परिवर्तन से कागज की किस्म तो अच्छी होगी किन्तु उत्पादन लागत के कम होने की सम्भावना नही हैं ।

(ग) आयातित अखबारी कागज की देश में उतरने पर लागत लगभग 60 रु० से लेकर 100 रु० प्रति मीट्रिक टन है, जो नेपा अखबारी कागज के रेल-भाड़ा सहित मूल्य से अधिक है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्कूटरों का उत्पादन

4559 श्री लोबो प्रभु : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन कितना है और उनके लिये कितने आवेदन पंजीकृत है,

(ख) भारत में बने स्कूटरों के मूल्य मूल-निर्माण वाले देशों में बने स्कूटरों के मूल्यों की तुलना में क्या है, और

(ग) अत्यधिक मूल्य को कम करने और स्कूटरों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) देश में 1965 से स्कूटरों का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है : –

वर्ष	उत्पादन संख्या में
1965	20,296
1966	20,971
1967	30,296
1968 (जुलाई, 1968 तक)	21,075

30-6-1968 तक देश के विभिन्न विक्रेताओं के पास अपने आर्डर रजिस्टर कराने वाले आवेदकों की संख्या निम्न प्रकार है :—

लैम्ब्रेटा	74,973	संख्या
वेस्पा	1,35,572	संख्या
फेंटा बुलस	41	संख्या

(ख) भारत तथा जिन देशों में इन तीनों मार्के के स्कूटरों का मूल रूप से निर्माण हुआ है, 1966 में इनके मूल्य तथा भारत में कारखाने से चलते समय के प्रचलित मूल्य नीचे दिये गये है:

स्कूटर का मार्का	जिस देश में इनका निर्माण हुआ है वहां के मूल्य (कोष्ठक में दिखाए गए है)	तैयार गाड़ियों पर उत्पादन शुल्क, तथा अधिभार को निकाल कर, भारत में कारखाने से चलते समय के वर्तमान मूल्य।
लैम्ब्रेटा	2,085 रुपये (इटली)	2,389 रुपये
वेस्पा	1,813 रुपये (इटली)	2,402 रुपये
फेंट बुलस	2,691 रुपये (ब्रिटेन)	3,200 रुपये

(ग) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर स्कूटर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने उपयुक्त क्षमता वाले एक और एकक को लाइसेंस देने का निश्चय किया है।

आयात मूल्यों में कमी

4560. **श्री एस. आर. दामानी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन देशों ने पौण्ड स्टर्लिग मुद्रा में वस्तुओं की दरें नियत कर रखी थीं उनसे आयात होने वाली वस्तुओं की दरों में पौण्ड स्टर्लिग मुद्रा के अवमूल्यन के बाद कमी किए जाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(ख) इससे कितनी राशि की बचत हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : जिन देशों में निर्यात मूल्य स्टर्लिग मुद्रा में नियत किये गये थे, वहां के निर्यात मूल्यों में स्टर्लिग का

अवमूल्यन हो जाने के परिणाम स्वरूप स्वतः कमी हो जायेगी, और इसलिये कमी करने के लिये कहने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामोद्योग समिति

4561. श्री एस. आर. दामानी ; क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा परियोजना सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत 1962 में नियुक्त की गई ग्रामोद्योग समिति ने अब तक क्या काम किया है ; और

(ख) ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को इससे कितनी सहायता मिली है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री(श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी· 1791/68]** ।

Passenger Trains on Delhi–Bombay Line

4563. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he has received any memorandum from the Madhya Pradesh Chamber of Commerce and Industries, Gwalior for increasing the number of passenger trains on the Delhi–Bombay line; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Introduction of an additional train between Bombay and New Delhi via the Central Railway route has not been found operationally feasible for want of requisite line capacity on certain sections enroute, paucity of rolling stock, and non-availability of terminal facilities at Bombay VT/New Delhi stations, at present.

गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग

4564. श्री अ० दीपा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967–68 में गैर-सरकारी क्षेत्र के कितने उद्योगों को लाइसेंस मंजूर किये गये थे;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों को ऐसे लाइसेंस किन शर्तों पर दिये गये थे;

(ग) क्या उक्त अवधि में किसी उद्योग ने लाइसेंस जारी किये जाने के बाद इन शर्तों का उल्लंघन किया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) लाइसेंसों के लिए कितने उद्योगों के आवेदन पत्रों को अस्वीकार किया गया था;और

(च) इसके क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थित उद्योगों को 1965 से 1968 (30-6-68) तक की अवधि में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या
1965	515
1966	388
1967	280
1968 (30 जून, 1968 तक)	91

(ख) लाइसेंसों के साथ सामान्यतयः लगाई जाने वाली शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1) तिथि जब तक परियोजना लागू किए जाने के लिए प्रभावी पग उठाए जायेंगे;

(2) तिथि जब तक परियोजना स्थापित हो जानी चाहिए;

(3) निर्मित की जाने वाली वस्तु (वस्तुएं) तथा उनकी क्षमता;

(4) एकक का स्थापना स्थल ।

(ग) तथा (घ) कुछ ऐसे मामले सरकार की जानकारी में आए हैं जिनमें लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक क्षमता स्थापित की गई है । ऐसे मामलों में की जाने वाली कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है ।

(ङ) उन आवेदकों की संख्या नीचे दी गई है जिन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन दिए थे, किन्तु जिन्हें लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया गया है ।

वर्ष	आवेदकों की संख्या जिन्हें लाइसेंस दिये जाने से इन्कार कर दिया गया
1965	1,020
1966	571
1967	383
1968 (30 जून, 1968 तक)	55

(च) लाइसेंस के लिए प्राप्त सभी आवेदनों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। सामान्य रूप से लाइसेंस दिए जाने से इन्कार निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या इससे अधिक कारणों से किया जाता है :—

(1) पर्याप्त क्षमता के लिए पहले ही जारी किए जा चुके हैं अथवा स्थापित की जा चुकी है और अतिरिक्त क्षमता की स्थापना की आवश्यकता नहीं है ।

(2) विदेशी मुद्रा के व्यय की अधिकता ।

(3) परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ नहीं ।

(4) परियोजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं तथा लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है ।

जापानी सहायता से केरल में औद्योगिक परियोजनाएं

4565. श्री अदिचन : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की कुल प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं के लिये जापानी सहयोग का प्रस्ताव रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो यह किन परियोजनाओं के लिये था और इस सहयोग की शर्तें क्या थीं; और

(ग) इस सहयोग करार को अन्तिम रूप देने में क्या कठिनाइयां हैं और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मोंबर का निर्माण

4566. श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन लिमिटेड, रांची ने कुओं की खुदाई के लिए बरमों का निर्माण आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता तथा उत्पादन लागत कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के भारी मशीनें बनाने वाले संयंत्र की तेल तथा सूराख करने वाले रिंग बनाने की क्षमता 5,500 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है । कुएं खोदने वाले रिंगों का उत्पादन आर्डरों के अनुसार किया जाता हैं । जिस प्रकार के रिंगों का निर्माण शुरु किया गया है वे निम्न प्रकार हैं :—

1.	मीडियम ड्यूटी परक्यूजन रिंग	यूपी–200
2.	लाइट ड्यूटी रोटरी रिंग	यू आर० बी--30 ए० एम०
3.	मीडियम ड्यूटी रोटरी रिंग	एच० एम० वी० डी० आर०–15

घड़ियों के पुर्जों का निर्माण

4567. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने कारखाने घड़ियों के पुर्जे बनाते हैं और पुर्जों को जोड़ कर घड़ियां बनाने वाले कारखानों की संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1967–68 में कुल कितनी घड़ियों का आयात किया गया था; और

(ग) उपर्युक्त अवधि में इनके आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस समय पुर्जे जोड़ कर घड़िया बनाने का काम दो बड़े कारखाने कर रहे हैं जिनमें से एक सरकारी क्षेत्र में है और दूसरा गैर-सरकारी क्षेत्र में। वे अपने प्रयोग से लिए घड़ियों के पुर्जों का उत्पादन भी करते हैं।

(ख) और (ग) अप्रैल, 1967 से मार्च, 1968 की अवधि में घड़ियों के आयात के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

विवरण	मात्रा (संख्या)	मूल्य (हजार रुपये)
जेबी घड़िया	8	1
कलाई घड़ियां	373	24
स्टाप घड़ियां	2,127	88
अन्य घड़ियां	134	11
	योग : 2,642	124

खनिज तथा धातु व्यापार निगम

4568. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण थे; और

(ग) इस घाटे को किस प्रकार पूरा करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) वर्ष 1967-68 के लिये निगम के लेखे अभी तैयार नहीं हुए हैं परन्तु कुल मिलाकर इस वर्ष कोई घाटा नहीं होगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान के लिये स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंस

4569. श्री धुलेश्वर मीना : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में राजस्थान तथा उड़ीसा से औद्योगिक लाइसेंसों के लिए क्रमश: कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में उनमें से स्वीकृत तथा अस्वीकृत किये गये आवेदन-पत्रों की क्रमश: संख्या क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के आधीन राजस्थान और उड़ीसा से लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा 1967 और 1968 (30 जून, 1968 तक) स्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	1967 और 1968 (30 जून, 1968 तक) प्राप्त आवेदनों की संख्या।	कालम संख्या 2 में से स्वीकृत आवेदनों की संख्या
1	2	3
राजस्थान	33	6
उड़ीसा	17	2

जहां तक एककों के पंजीकरण का सम्बन्ध है ऐसे औद्योगिक एककों, जिनकी अचल परिसम्पत्तियां 7.5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक है, को पंजीकरण के लिए सम्बन्धित प्राधिकारों जैसे तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली वस्त्र आयुक्त, बम्बई, जूट आयुक्त, कलकत्ता और लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक, कलकत्ता को अलग से आवेदन देने पड़ते हैं तथा औद्योगिक एककों का पंजीकरण उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जारी किए लाइसेंसों के आधार पर नहीं किया जाता है।

बिजली से चलने वाले हलों का निर्माण

4570. **श्री धुलेश्वर मीना :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान और उड़ीसा राज्यों में अलग-अलग बिजली से चलने वाले हलों के निर्माण करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : शक्ति चालित हलों के निर्माण के लिए राजस्थान राज्य में एक कारखाना स्थापित करने की कोई भी योजना अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

मेसर्स एफ० डब्ल्यू० हीलगर्स एण्ड कं० प्राइवेट लि०, कलकत्ता का उड़ीसा राज्य के चोधवार नामक स्थान में शक्तिचालित हलों के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने का विचार है । प्रस्तावित स्थल पर भूमि, इमारत, पानी और बिजली आदि की सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं । सरकार ने प्रति वर्ष 12,000 शक्ति चालित 'कुबोता' हलों के निर्माण के लिए मेसर्स कुबाता आयरन एण्ड मशीनरी वर्क्स लि०, ओसाका (जापान) के उनके सहयोग सम्बन्धी करार की शर्तों को स्वीकार कर लिया है । अब यह फर्म अपनी सहयोगी फर्म के परामर्श से पूंजीगत सामान की आवश्यकताओं का हिसाब लगा रही है । जब उपकरणों की सूची तैयार हो जायेगी और देश में उनकी उपलब्धि की दृष्टि से उस सूची पर विचार कर लिया जायेगा तभी वे पूंजीगत सामान के आयात के लिए अपना आवेदन-पत्र देंगे ।

Cement Factory Near Patharia Station

4571. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a cement factory was sanctioned near Patharia station, District Damoh, but because of interference by some businessmen the factory has not been set up there so far; and

(b) whether the licence has been given to some other party and, if so, the name thereof and the date by which the work would start ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) A letter of intent had been issued on 7.11.64 to Birla Jute Manufacturing Co. Ltd., valid for a period of six months (later extended) for setting up a cement factory at Patharia with an annual capacity of 200,000 tonnes. Cement industry has since been exempted from the licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, with effect from 13th May, 1966 and it is no longer necessary for anyone to obtain a licence for setting up cement factories or to seek extension of validity of old letters of intent. No progress has been reported by Birla Jute Manufacturing Company Limited. Government are also not aware of any other scheme coming up in this area.

Bridge on Level Crossing between Sagar City and Sagar Railway Station

4572. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no attention has been paid to the problem of providing a level crossing between Sagar city (Madhya Pradesh) and the Railway Station despite constant demands being made for the past fifteen years and, if so, the reasons therefor;

(b) whether it is a fact that the State Government is not prepared to make its contribution for the under-bridge or over-bridge on this level crossing; and

(c) whether it is a fact that because of the absence of this Railway bridge, the traffic of the city is blocked for as much as half an hour, and if so, whether Government propose to ask the State Government to expedite this work ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) There already exists a level crossing at Sagar. Requests were received from the State Government for replacement of this level crossing by a road overbridge, but the proposal could not be progressed so far due to the State Government themselves not having indicated their firm decision.

(b) Yes.

(c) The level crossing is a busy one, The decision for replacing this level crossing by a road overbridge has to be taken exclusively by the State Government.

Reservation of sleeping berths at Bina, Sagar and Katni Station

4573. Shri Ram Singh Ayarwal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no quota has been fixed for reservation of sleeping berths in I and III Class compartments even at such important railway stations as Bina, Sagar and Katni and if so, whether arrangements would be made to fix reservation quota in important trains; and

(b) whether it is also a fact that many I class passengers have to return disappointed in the absence of reservation quota for Ist class compartments at Sagar which is a University, Military Centre and District Headquarters and if so, the steps proposed to be taken to provide the necessary facilities ?

The Minister of Railways (Shri C M. Poonacha) : (a) It is a fact that no specific quotas for reservation of first class and third class sleeper berths have been allotted to Bina, Sagar and Katni but these stations are served out of the general quota set apart for intermediate stations. Specific quotas for individual stations are fixed only where there is a regular and heavy demand for reservations and on the basis of this criterion, the aforesaid stations do not qualify for specially set apart quotas.

(b) The requirements of first class passengers for reservations from Sagar are being met to a reasonable extent though there are cases, as there are even at train originating stations, of some requests for reservation remaining uncomplied with. With the present demand supply ratio for first class berths, it is not possible to offer any additional facilities for reservations at Sagar.

Development of Small Scale Industries

4574. Shri Ram Singh Ayarwal : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the percentage of the amount proposed to be spent on small-scale industries to that proposed to be spent on large-scale pubiic sector industries; and

(b) whether it is a fact that the number of small scale industries in Madhya Pradesh is less than in other States and, if so, whether Government propose to allocate larger amount for small scale industries there in view of the conditions of poverty and unemployment prevailing in that State ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) It is not clear for which year the Hon'ble Member wants information. If he desires information for the 4th Plan Period, this has not yet been formulated. However, a sum of Rs. 41.41 crores has been approved for expenditure on village and small scale industries during the year 1968–69. The overall outlay envisaged in Public Sector during 1968-69 for Central and State Schemes is Rs. 539 crores.

(b) No, Sir.

बगल कोट सीमेंट फैक्टरी

4575. श्री क० लकप्पा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने बगलकोट सीमेन्ट फैक्टरी, मैसूर को गैर-सरकारी क्षेत्र को बेचने का निर्णय किया है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास एवं समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अन्दमान द्वीप में प्लाइवुड कारखाना

4576. श्री के० आर० गणेश : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "लिटल अन्डमान द्वीप" में प्लाइवुड कारखाना आरम्भ करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाने की क्षमता क्या है और इस पर कुल कितने व्यय का अनुमान है; और

(ग) क्या इस कारखाने को सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में प्लाईवुड का उद्योग

4577. श्री के० आर० गणेश : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी 1968 में अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के दौरान राज्य-मंत्री को प्लाईवुड उद्योग की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में किन-किन समस्याओं का उल्लेख किया गया है; और

(ग) स्थानीय प्लाईवुड उद्योग को राहत देने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अन्डमान के प्लाईवुड निर्माता संघ ने अन्डमान में प्लाईवुड उद्योग के बारे में प्रधान मंत्री को दिनांक 5 फरवरी, 1968 को ज्ञापन दिया था ।

(ख) यह ज्ञापन मुख्यतः लकड़ी उद्योग के पुनरुत्थान के लिए लट्ठों पर रायल्टी की दर घटाने के बारे में था ।

(ग) विषय विचाराधीन है ।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह का औद्योगिक विकास

4578. श्री के० आर० गणेश : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार के विकास के लिये कोई एकीकृत योजना विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना में जो उद्योग सम्मिलित हैं उनका ब्यौरा क्या है और परियोजना का कुल अनुमानित व्यय कितना है; और

(ग) क्या इन उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) जी, हां । अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिए गए विभिन्न विकास मदों के लिए 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1792/68]** अण्डमान निकोबार प्रशासन से कहा गया है कि वह नई चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए अपने प्रस्ताव भेजे । इन पर केन्द्रीय कार्यकारी दलों तथा अण्डमान और निकोबार प्रशासन के बीच विचार-विमर्श होगा और उसके पश्चात् इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के आकार के बारे में अन्तिम निर्णय किया जायगा ।

(ग) चूंकि चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः इस अवस्था में यह बता सकना सम्भव नहीं है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में कौन-कौन सी औद्योगिक परियोजनाएं सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जायेंगी ।

Schemes Pending Implementation With Central Railway

4579. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of schemes lying with the Central Railway Zone pending implementation and the years in which these schemes were approved by Government;

(b) whether the preliminary and detailed survey has been completed and whether final shape has been given to the plans and estimates thereof;

(c) if so, the estimated expenditure likely to be incurred thereon;

(d) whether the administrative and technical approval has been accorded and, if so, the years in which such approval was accorded; and

(e) when the work is likely to be started ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) In all 24 works are pending implementation. Of these 1 was approved in 1963-64, 1 in 1964-65, 2 in 1965-66, 9 in 1966-67 and 11 in 1967-68.

(b) Preliminary and detailed surveys have been completed for 19 works. Final drawings have been prepared for 18 works.

(c) Estimated cost of 24 works is Rs. 332.80 lakhs.

(d) All the 24 works have been administratively approved as indicated against item (a).

(e) Year in which work was approved.	No. of works.	When work is likely to start.
1963-64	1	Likely to be started in the current year.
1964-65	1	
1965-66	2	
1966-67	1	
1966-67	3	Road overbridges will be started after receipt of State Govt.'s approval.
1967-68	8	Likely to be started in 1968-69.

The remaining works are being reviewed and a decision to start the works will be taken as early as possible.

Financial Assistance to Textile Mills in Madhya Pradesh

4580. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government have received any request for providing financial assistance to reopen and closed textile mill in Madhya Pradesh;

(b) if so, when such request was received and the details thereof; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise

Financial Assistance to Co-operative Cotton Mills

4581. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government propose to give financial aid in the shape of loans to the Co-operative Cotton Mills during the Fourth Five Year Plan period;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the time by which the said proposal is likely to be given a final shape ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) : The Fourth Five Year Plan is under preparation at present and the provision of loans to cooperative cotton mills will be settled at the time of its finalisation. It is, therefore, not possible at this stage to give any definite information.

Industrial Estates in Madhya Pradesh

4582. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Industrial Estates which had been sanctioned in 1960 have not so far been built in Madhya Pradesh ;

(b) the number of industrial estates and units that had been sanctioned for Madhya Pradesh and the number out of those built so far ; and

(c) the reasons for not encouraging private under-takings in this State ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) : The information is being collected and it will be placed on the Table of the House.

Wheat Carried in open Wagons on Central Railway

4583. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that wheat is being carried in open wagons on the Central Railway during the monsoon ;

(b) if so, the quantity of wheat destroyed due to rain and the quantity of wheat that has been stolen ;

(c) whether it is a fact that the wheat-bags loaded in the open wagons are pilfered on the way ; and

(d) whether it is a fact that eight wheat bags were pilfered from the open wagon near Burhanpnr station (Madhya Pradesh) during the last three months?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, to a limited extent to supplement covered wagons.

(b) Figures in respect of quantity stolen or destroyed are not available. However during the period 1.5.1968 to 14.7.1968, about 640 tonnes of wheat was received damaged by wet over the Central Railway.

(c) Yes, some pilferages from wheat consignments loaded in open wagons during monsoon have occurred.

(d) No.

Import of Manila and Sisal Rope

4584. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8985 on the 30th April, 1968 and state the action taken by Government on the representation received from the Indian Rope Manufacturers Association, Calcut a against the import of Manila and Sisal ropes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : The matter is still under consideration in consultation with other authorities concerned.

Newsprint Factory in Madhya Pradesh

4585. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to set up a Newsprint Factory in Madhya Pradesh ;

(b) if so, its proposed annual production capacity ; and

(c) the place where it would be set up?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा आयात की गई मशीनें

4587. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय को बहुत अधिक मशीनें विदेशों से आयात करने की अनुमति दी गई थी हालांकि वे देश में ही उपलब्ध थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस आयात पर प्रधान मन्त्री द्वारा कोई आपत्ति उठाई गई थीं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

कच्चे माल का आयात

4588. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967-68 और 1968-69 में 30 जून 1968 तक राज्य व्यापार निगम तथा निजी पार्टियों को अलग अलग कितने ऊनी धागे, नायलोन के धागे, शोडी धागे, कच्ची ऊन, कपास, सूती धागे और वोरसटिड धागे तथा स्टेनलैस स्टींल का आयात करने की अनुमति दी गयी थी?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : विवरण सभा पटल पर रखा गया है, जिन में वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 (अप्रैल, 1968) में ऊनी धागे, सूती धागे, अविकारी इस्पात की चादरों आदि के कुल आयात तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये आयात दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1793/68]**

Industrial Undertakings Run by U. P. Government

4589. Shri Molahu Prashad: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 348 on the 23rd July, 1968 and state :

(a) the District-wise details regarding the light industrial undertakings run by the U. P. Government ;

(b) the amount invested on each such light industrial undertakings ; and

(c) the time by which decisions would be taken for the establishment of light and heavy industrial undertakings, District-wise ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Development of Industries

4590. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 347 on the 23rd July, 1968 regarding the development of industries and state :

(a) the names of the States which have furnished the requisite information and also of those from where the information is still awaited ; and

(b) the dates on which the State Governments and other departments concerned were addressed to send the requisite information and the time by which they have promised to do so ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : Replies forwarding the information available with them have been received from Assam, Gujarat, Haryana, Kerala, Madhya Pradesh, Madras, Maharashtra,Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal, Andaman & Nicobar, Dadra and Nagar Haveli. Delhi, Goa, Daman and Diu, Laccadive and Minicoy, Nagaland, Pondicherry, Manipur, and Tripura. Final replies are still awaited from Andhra Pradesh, Bihar, Orissa, Rajasthan, Jammu & Kashmir, Mysore, and Himachal Pradesh.

(b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library See No. L.T. 1794/68]**

Action against U. P. Mill-Owners for Non-Payment of Government Loans and dues

4591. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No.351 on the 23rd July, 1968 and state the action taken so far against the owners of the mills confiscated or auctioned by the Uttar Pradesh Government for the non-payment of Government loans or other Government dues?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : The information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the House.

Advertisement of Posts in Railways

4592. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 350 on the 23rd July, 1968 regarding the advertisement of posts on Railways and state ;

(a) whether the required information has since been collected ; and

(b) if so, the details thereof and if not, the time by which it is likely to be made available ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) (a) and (b) : The information is still being collected.

Railway Week at Gorakhpur

4593. **Shri Molahu Prashad** ; Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) The names and designations of the persons who received the General Manager's award on the occasion of Railway Week organised by the North Eastern Railway's office at Gorakhpur ; and

(b) the amount paid to each one of them as award and the details of the work done by each person ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) 28 persons were awarded certificates of Merit and also a wrist watch each costing Rs. 118.66 for various acts of devotion to duty. Another 35 persons were awarded certificates of merit and cash awards/wrist watches/shield/ Trophy etc. for best maintained gang, stations etc. The names of all of the 63 persons and details of work done by each person has not been furnished as the information is voluminous.

Export of Railway Wagons and Equipment

4594. **Shri Sheopujan Shastri** : Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9011 on the 30th April, 1968 regarding export of Railway wagons and equipment and state :

(a) the names of firms against whom complaints were received and the action taken against them ; and

(b) the nature of irregularities committed by these firms ?

The Minister in the Ministry of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b) : The particulars are being collected and will be laid on the Table of the House.

किरकी से पट्टी तक यात्री गाड़ी से गोला बारुद के बक्सों को भेजा जाना

4595. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मई, 1968 को गोला बारुद फैक्टरी किरकी (पूना) के महा प्रबन्धक द्वारा पट्टी (अमृतसर) की एक फर्म को एक सवारी गाड़ी से 12 बोर बंदूक के 10,000 कारतूसों से भरे बक्से भेजे गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि गोला बारूद के वे बक्से प्रेषिती तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं ;

(ग) क्या उन बक्सों के न मिलने के बारे में उस फर्म के प्रतिनिधियों की ओर से सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) क्या सरकार ने कोई ऐसी उपचारीय कार्यवाही की है ताकि गोलाबारूद अवांछनीय और राष्ट्रविरोधी लोगों के हाथों में न पड़ जायें ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में जो जांच की गई है, उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । परेषण अपने गंतव्य स्टेशन पर 1.8.1968 को पहुंचा और उसे 2.8.1968 को माल पाने वाले को सुपुर्द कर दिया गया ।

(ग) जी हां । उत्तर रेल प्रशासन को 2.7.1968 की एक शिकायत मिली थी ।

(घ) और (ङ) : भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए ये सवाल नहीं उठते ।

दिल्ली तथा नई दिल्ली में रेल कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधाएं

4596. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या रेलवे मन्त्री 22 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5556 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य मन्त्रालय दिल्ली/नई दिल्ली क्षेत्र में काम कर रहे रेल कर्मचारियों/उनके परिवारों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत वहिरग उपचार सुविधाएं देने के लिये राजी हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मन्त्रालय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक कर्मचारियों/उनके परिवारों के लिये अन्य विभागों/मन्त्रालयों में काम करने वाले उनके समकक्ष कर्मचारियों के बराबर भुगतान करने पर अथवा रेलवे मन्त्रालय उत्तर रेलवे द्वारा अतिरिक्त भुगतान के आधार पर इसकी व्यवस्था करने के लिये स्वास्थ्य मन्त्रालय से अनुरोध करना चाहेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस बारे में अपने कर्मचारियों की शिकायतें कैसे दूर करने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना के प्राधिकारी दिल्ली /नई दिल्ली के क्षेत्रों में रहने वाले रेल कर्मचारियों/उनके परिवारों को वहिरंग उपचार की सुविधाएं उन शर्तों पर देने को राजी नहीं हुए, जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं। लेकिन उन्होंने, कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक दरों पर इन सुविधाओं को देने का प्रस्ताव किया है, जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू दरों से कहीं अधिक हैं ।

(ग) यह प्रस्ताव, न तो वित्तीय दृष्टि से उचित है और न प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक ही है । लेकिन शिकायत का कोई कारण नहीं होना चाहिए क्योंकि वर्तमान नियमों में इस बात की व्यवस्था है कि रेलवे चिकित्सा संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले रेल कर्मचारी निकटतम सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालों या धमार्थ संगठनों द्वारा संचालित

औषधालयों में इलाज करा लें और बाद में चिकित्सा पर खर्च की गयी रकम की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत कर दें।

सोडियम सल्फेट

4597. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सोडियम सल्फेट का निर्माण हो रहा है और यदि हां, तो कहां और कितनी मात्रा में ;

(ख) क्या इसकी देश में उत्पादित मात्रा हमारी आवश्यकता के लिये पर्याप्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसका आयात किया जा रहा है और यदि हां तो कहां से, और कितनी मात्रा में ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। भारत में डीडवाना (राजस्थान) तथा अन्य छोटे कारखानों में प्रतिवर्ष लगभग 5,000 मीट्रिक टन और विभिन्न रेयन कारखानों में प्रति वर्ष लगभग 45,000 मीट्रिक टन सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जा रहा है।

(ख) देशी उत्पादन देश की लगभग 90 प्रतिशत मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) जी हां, 1967-68 में जिन-जिन देशों से जितना-जितना सोडियम सल्फेट मंगाया गया, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

देश	परिमाण (मीट्रिक टनों में)
1. ब्रिटेन	नगण्य
2. चेकोस्लोवाकिया	2
3. जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य	10
4. नीदर लैण्ड	31
5. संयुक्त राज्य अमरीका	408
कुल	451

उत्तर प्रदेश में कागज बनाने का कारखाना

4598. श्री बाल गोविन्द वर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के खेहड़ी जिले के गोला गोकरन नाथ स्थान पर एक कागज का कारखाना स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाने में कितनी पूंजी लगाई जायेगी ;

(ग) क्या यह कारखाना निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा ; और

(घ) इस में कब से उत्पादन शुरू हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जी, नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

सोडियम सल्फेट का उत्पादन

4599. श्री जे० एच० पटेल : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोडियम सल्फेट का कितना उत्पादन होता है और देश में उसकी वास्तविक आवश्यकता कितनी है ; और

(ख) सोडियम सल्फेट के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क)

(1) देशी उत्पादन लगभग 50,000 मी० टन प्रति वर्ष ।

(2) देश की आवश्यकता–लगभग 62,000 मी० टन प्रति वर्ष ।

(ख) सोडियम सल्फेट यदि पूर्ण रूप से देखा जाय तो रेयन उद्योग का उपोत्पाद है, जिससे उसका अधिकतम उत्पादन करने के लिये कहा गया है । राजस्थान सरकार ने अपने डीडवाना के कारखाने में सोडियम सल्फेट के उत्पादन को दुगना कर रही है ।

रेलवे बोर्ड की सेवाओं में आशुलिपिकों की वरिष्ठता

4600. श्री जि० मो० विस्वास : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड की सेवाओं के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर भर्ती किये गये आशुलिपियों की वरीष्ठता निर्धारित करने के मामले में क्या नीति अपनाई गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1957 तथा 1958 में घोषित परिणामों के आधार पर नियुक्त किये गये आशुलिपियों को उनके योग्यता-क्रम के अनुसार उनकी उचित वरिष्ठता नहीं दी गई है ;

(ग) क्या वर्तमान वरिष्ठता सूची सरकार की उस नीति के अनुसार तैयार की गई है, जो वह रेलवे बोर्ड की सेवाओं के लिये सीधी भर्ती वालों की वरिष्ठता निर्धारित करने के मामले में अपनाती है ;

(घ) यदि नहीं, तो सीधी भर्ती वाले आशुलिपिकों की श्रेणी तथा रेलवे बोर्ड की सेवाओं के दूसरे वर्ग के कर्मचारियों के बीच भेद-भाव करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनाई गई नीति को दृष्टि में रखते हुए इस वरिष्ठता सूची का पुनरीक्षण करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी स्टेनोग्राफरों की परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो उम्मीदवार स्टेनोग्राफर के रूप में भर्ती किये गये हैं उनकी पारस्परिक वरिष्ठता उनकी योग्यता के क्रम से निर्धारित की जाती है और जो स्टेनोग्राफर किसी पहले की परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती किये गये हैं, वे उन स्टेनोग्राफरों से वरिष्ठ हैं जो बाद की किसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती किये गये हैं ।

(ख) से (ङ) स्टेनोग्राफरों के रूप में नियमित और दीर्घकालीन नियुक्ति के लिए केवल उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में विचार किया गया था, जो पहले से रेल सेवा में थे और जिन्होंने बाद में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1957 और 1958 में ली गयी स्टेनोग्राफरों की परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली थी । इनमें से जिन कर्मचारियों को केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा में नियुक्ति का प्रस्ताव मिला था, उन्होंने यह लिख कर दे दिया था कि उस सेवा के लिए उनके नामों पर विचार न किया जाये और वे बोर्ड कार्यालय में ही बने रहना चाहते हैं । ऐसे सभी स्टेनोग्राफरों और इसी प्रकार से पहले नियुक्त किये गये स्टेनोग्राफरों की पारस्परिक वरिष्ठता बोर्ड कार्यालय में उसी ग्रेड में निरन्तर सेवा की अवधि के आधार पर निर्धारित की गयी थी । चूंकि अन्य कोटियों में भर्ती इस प्रकार नहीं की जाती, इसलिए इन कोटियों और ऊपर बताये गये स्टेनोग्राफरों के बीच कोई समान नीति नहीं अपनायी जा सकती।

रेल की पटरियों में दरारें

4601. श्री सं० चं० सामन्त : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने रेल की पटरियों को सुधारने तथा जहां आवश्यक हो वहां पर तल ऊंचा करने के लिये कोई योजनायें बनाई हैं ताकि ऐसे स्थानों पर जहां पहले दरारें पड़ चुकी हैं अथवा पड़ने की सम्भावना है, वर्षा ऋतु में रेल सेवा अस्तव्यस्त न होने पाये ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में रेल लाइनों में दरारें पड़ने से मरम्मतों पर हुए व्यय और मुआवजे के रूप में दी गई राशि समेत रेल सम्पत्ति को कितनी हानि हुई थी ; और

(ग) क्या किसी व्यक्ति के मरने का समाचार मिला है और यदि हां तो कितने व्यक्तियों का ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अलकली एण्ड कैमिकल कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड

4602. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह **बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलकली एण्ड कैमिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को 31 मार्च 1968 को समाप्त होने वाले छः मास में आठ लाख रुपये की भारी हानि हुई; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है तथा अग्रतर हानि से बचने के लिये स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अंश धारियों के लिये अर्ध वार्षिक व्यापार परिणामों को प्रकाशित करने वाली निदेशकों की रिपोर्ट में, जो 16 मई, 1968 को जारी की गई थी, बताया गया है कि कम्पनी को 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले छः महीनों के दौरान 8 लाख रुपये की हानि हुई है ।

(ख) इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एल्कोहाल की कमी निरन्तर मन्दी तथा बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण हानि होना स्वाभाविक था, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गत वर्ष में इसी अवधि की तुलना में कच्चे माल तथा अन्य लागतों में काफी वृद्धि होने के कारण स्थिति ज्यादा बिगड़ गई थी ।

निदेशकों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लागतों में कमी करके तथा कच्चे माल की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करके स्थिति में सुधार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

उत्तर रेलवे मुख्यालय में स्टेनोग्राफर

4603. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे मुख्यालय के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे 210-425 रुपये के वेतनक्रम वाले स्टेनोग्राफरों के छुट्टी पर जाने पर होने वाले अल्पकालिक रिक्त स्थानों पर 130-300 रुपये के वेतनक्रम वाले स्टेनोग्राफरों को लगाया जाता है, परन्तु उन्हें कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलता है;

(ख) क्या सरकार ऐसी हिदायतें देना उचित समझती है कि कम तथा अधिक वेतन-मानों वाले स्टेनोग्राफरों के लिये छुट्टी के लिये रक्षित पद पृथक-पृथक रखे जायें ताकि उस वर्ग में विद्यमान असंतोष दूर किया जा सके;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि कम वेतनक्रम वाले स्टेनोग्राफरों का अल्पकालिक आधार पर छुट्टी की अवधि के लिये अधिक वेतनमान वाले अधिकारियों के साथ कार्य करना जारी रखा जाये तो उन्हें समान दर पर वेतन देने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) छुट्टी के कारण खाली होने वाली ऊंचे ग्रेड की जगहों में जितनी अवधि के लिए स्थानापन्न प्रबन्ध किये जा सकते हैं उतनी अवधि के लिए उन जगहों को पदोन्नति के पात्र पेनल में रखे गये । वरिष्ठतम कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा भरा जाता है और उनकी जगह पर 130-300 रुपये (अधिकृत वेतनमान) के छुट्टी रिजर्व से काम लिया जाता है ।

(ख) और (ग) जी नहीं । वर्तमान नियमों के अनुसार इस वर्ग के निम्नतम ग्रेड अर्थात् 130-300 रुपये (अ० वे०) में ही छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था की जा सकती है ।

(घ) और (ङ) जी नहीं । ऊंचे ग्रेड में स्थानापन्न रूप से काम करने के लिये वर्तमान नियमों और आदेशों के अनुसार भुगतान किया जाता है । इन नियमों और आदेशों में एक महीने या इससे अधिक लम्बी अवधि के लिये नियुक्ति होने पर ही स्थानापन्न भत्ता देने की व्यवस्था है ।

उत्तर रेलवे के मुख्य कार्यालय में स्टेनोग्राफर

4604. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के मुख्य कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में जनरल मैनेजर और रेलवे बोर्ड के विभिन्न अनुदेशों के बावजूद 130-300 रुपये के वेतनमान वाले स्टेनोग्राफरों को वरिष्ठ वेतन-मान वाले अधिकारियों के साथ काम करने के लिये लगाया हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, आदेशों का उल्लंघन करने वाली शाखाएं कौन सी हैं, आदेशों की क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है और इसके लिये दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, कुछ थोड़े से मामलों में ।

(ख) उत्तर रेलवे की निम्नलिखित शाखाओं में, कुछ मामलों में, वरिष्ठ वेतन मान अधिकारियों के साथ 210-425 रुपये वेतन-क्रम वाले आशुलिपिकों की बजाय 130-300 रुपये वेतन-क्रम के आशुलिपिक काम कर रहे हैं । भण्डार, बिजली, प्रशासन, परिचालन, सिगनल और दूरसंचार तथा सुरक्षा ।

स्थिति को ठीक करने के लिये रेल प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है । रेलवे को यह हिदायत भी दी गयी है कि इस प्रयोजन के लिए एक तिथि निर्धारित की जाये और आदेशों पर अमल करने में जो विलम्ब हुआ है, उसके लिये जिम्मेदारी ठहरायी जाये ।

'ए' ग्रेड चार्जमनों का चयन

4605. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे और उत्तर रेलवे की मैकेनिकल शाखों द्वारा 'ए' ग्रेड चार्जमैनों के चयन के लिये बुलाये गये और उत्तरी रेलवे की इलैक्ट्रिकल शाखा में 335-425

रुपये (ए० एफ० ओ०) के पद के लिये बुलाये गये उम्मीदवारों द्वारा चयन का बहिष्कार किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रशिक्षु मैकेनिकों के छात्रवृत्तियां

4606. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिल्पी कर्मचारियों में से लिये गये इन्टरमीडियेट प्रशिक्षु मैकेनिकों को प्रशिक्षण के दौरान छात्रवृत्ति देने की नीति क्या है;

(ख) उत्तर रेलवे में उक्त प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि कितनी है;

(ग) क्या उत्तर रेलवे द्वारा निर्धारित नीति का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कुशल कारीगरों में से विभागीय उम्मीदवारों के रूप में चुने और लिये गये मध्यवर्ती अप्रेंटिस मैकेनिक प्रशिक्षण के दौरान रेल कर्मचारी माने जाते हैं । भारतीय रेल स्थापना संहिता, भाग (II) के नियम 2015 के अधीन, उन्हें वह वेतन दिया जाता है जो सक्षम प्राधिकारी न्याय-संगत समझता है, परन्तु वह वेतन किसी भी हालत में उस वेतन से अधिक नहीं होता जो उन्हें कुशल कारीगर के रूप में काम करते समय मिलता ।

(ख) आजकल उन्हें वजीफा नहीं मिलता, परन्तु ऊपर (क) में उल्लिखित वेतन मिलता है । उत्तर रेलवे में 29-3-1966 से पहले ऐसे कर्मचारियों को वजीफा दिया जाता था । इसे नियमित करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

भारत में विदेशी सम्पत्ति

4607. श्री कार्तिक उरांव :
श्री गु० चं० नायक :
श्री महेन्द्र माझी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी और पाकिस्तानी राष्ट्रिकों और फर्मों की भारत में उस चल तथा अचल सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है और उसका अनुमानित मूल्य क्या है, जो भारत के शत्रु-सम्पत्ति के अभिरक्षक के नाम कर दी गयी है; और

(ख) इन सम्पत्तियों के प्रशासन पर प्रति वर्ष कुल कितना व्यय होता है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) चीनी तथा पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की निम्नलिखित सम्पत्तियां भारत के शत्रु-सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित हैं :–

(1) चीनी सम्पत्तियां	मूल्य
निहित फर्में तथा रोकड़ शेष जिनमें बैंक शेष, भविष्य-निधि शेष आदि शामिल हैं ।	रु० 28.85 लाख

(2) पाकिस्तानी सम्पत्तियां	लाख रु० में
निहित फर्में	115
भवन	300
आस्तियां	200
शेयर	300 (अंकित मूल्य)
ऋण-पत्र	1500 (अंकित मूल्य)
नकद	300
योग	2715 लाख

(ख) इन सम्पत्तियों के प्रशासन पर कुल वार्षिक व्यय लगभग 67,800 रु० होता है ।

खानों को रेलवे लाइनों से मिलाना

4608. श्री कार्तिक उरांव :
श्री गु० चं० नायक :
श्री महेन्द्र माझी :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे जोन में आने वाले सभी खनिज निक्षेपों को रेलवे लाइनों से जोड़ा गया है और यदि हां, तो कब से;

(ख) क्या इन लाइनों पर माल गाड़ी तथा यात्री गाड़ियां भी चल रही हैं, और यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो किन–किन खानों तक रेलवे लाइने नहीं बिछाई गई है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे०मु० पुनाचा):(क) जहां बड़े-बड़े खनिज भण्डारों को रेलवे लाइन से जोड़ना आवश्यक जान पड़ा और लाइन अर्थक्षम दिखाई पड़ी, वहां रेल सम्पर्क स्थापित कर दिया गया ।

(ख) बेलाडिल्ला लाइन को छोड़कर अन्य लाइनें यातायात के लिये खोल दी गयी है ।

(ग) खान और धातु मंत्रालय द्वारा प्रायोजित और रेल सम्पर्क के लिये अर्थक्षम किसी खान को उपयुक्त योजना से वंचित नहीं रखा गया है ।

भारत में खनिजों का सर्वेक्षण

4609. श्री डी० डी० जेणा :
श्री गु० चं० नायक :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक राज्य में किन किन खनिजों का सर्वेक्षण किया गया तथा पता लगाया गया ;

(ख) इन खनिजों को निकालने तथा सरकारी निगमों अथवा निजी साथों को पट्टे पर देने के बारे में सरकार ने क्या नीति अपनाई है; और

(ग) इससे स्वामित्व तथा अनीवार्य किराये के रूप में सरकारी क्षेत्र के निगमों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों और समवायों से पृथक-पृथक कुल कितनी वार्षिक आय होती है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा हर राज्य में किये गये अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप जिन अधिक महत्व के खनिजों का पता लगाया गया है उनकी सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1795/68] ।

(ख) खनिजों के उपयोग की सरकारी नीति 30 अप्रैल, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में निर्दिष्ट है और खनन पट्टे खान तथा खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957, और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार दिये जाते हैं ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

महाराष्ट्र राज्य में विद्युत चालित करघों का आवंटन

4610. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र को कितने विद्युत चालित करघे आवंटित किये गये;

(ख) इनका आवंटन कब किया गया था;

(ग) टैक्समार्क्स जारी करने के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(घ) टैक्स मार्क्स की मंजूरी के लिये महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से सरकार के पास कितने आवेदन पत्र आये हैं;

(ङ) क्या सरकार को विद्युत चालित करघों के लाइसेन्सों के अवेदकों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, कि उनके टैक्समार्क्स के आवेदन पत्र मंजूर नहीं किये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 7,300 शक्ति-चालित करघे ।

(ख) 2 जून, 1966 ।

(ग) शक्तिचालित करघों के आवंटन के लिये राज्य सरकार को आवेदन पत्र देने होते हैं । आवंटन प्राप्त होने पर आवेदकों को टैक्समार्क्स प्राप्त करने के लिये वस्त्र-आयुक्त को आवेदन करना होता है तथा प्रति शक्तिचालित करघे पर 100 रुपये शुल्क देना होता है ।

(घ) 351 ।

(ङ) और (च) जी, हां । एक शिकायत प्राप्त हुई थी परन्तु जांच करने पर पता चला कि उनके आवेदन-पत्र वस्त्र-आयुक्त को महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से प्राप्त नहीं हुए थे ।

Railway Wagons Meant for Export to Russia

4611. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri T. P. Shah :
Shri J. B. Singh :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the type of Railway wagons for which Russia has placed an order cannot be plied on any of the Board or Metre gauge Railway lines in India;

(b) whether it is also a fact that to meet the Russian requirements, the wagon building factories, with which the said orders have been placed, would have to manufacture special types of wagons suitable to bear the Russian cold climate;

(c) whether the wagon building factories would have to make use of special type of steel to meet the said requirements; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Minisry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) The State Trading Corporation of India Ltd., which has entered into an arrangement with the Soviet importers has taken necessary steps, in consultation with the manufacturers, for building the wagons to the specifications given by U. S. S. R. Arrangements are also being made for supply of the special type of steel or other materials needed for manufacturing the wagons to Russian specifications, When manufactured, these wagons will be shipped in knock-down conditions and there will be no need for placing them on Indian tracks.

सहायक निर्माण कार्य निरीक्षक

4612. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जि० व० सिंह :

क्या **रेलवे** मन्त्री 2 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1006 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 29 अप्रैल, 1968 के रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई० (एन० जी०) 11-67 आर० ई० 1/58 के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि सहायक निर्माण कार्य निरीक्षकों (वेतनमान 205-280) को, जिन्हें अब क्लर्कों के रूप में नौकरी पर रखा गया है, 100 रु० तथा जितने वर्ष उन्होंने पश्चिम रेलवे में काम किया है उतनी वेतन वृद्धियां दी जा सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो जी० एम०/सी० सी० जी० के दिनांक 15-10-68 के पत्र संख्या 1086/30/10 में दिये गये इस आश्वासन को पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं, कि उनका वेतन पिछली सेवा की अवधि और स्वरूप के अनुसार निर्धारित किया जायेगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिनांक 8-7-50 के पूर्वी रेलवे के महा प्रबन्धक के पत्र संख्या ए० ई० 4082/ए० डी० जे०/ई०/संख्या 2 के अनुसार क्लर्क के पद पर काम कर रहे एक सहायक निर्माण-कार्य निरीक्षक को (जो अब पश्चिम रेलवे में कोटा में आई० ओ० डब्ल्यू० के रूप में काम कर रहा है, सहायक निर्माण कार्य निरीक्षक के रूप में लगभग दो वर्ष तक काम करने के पश्चात 125 रुपये मूल वेतन दिया गया था (जबकि क्लर्कों का ग्रेड 55-130 रुपये था); और

(घ) यदि हां, तो जिन वर्तमान फालतू सहायक निर्माण-कार्य निरीक्षकों ने लगभग 6 वर्ष तक पश्चिम रेलवे में काम किया है, उनका वेतन कम निर्धारित किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) रेल सेवा आयोग द्वारा भर्ती 205-280 रुपये के वेतनमान का कोई सहायक निर्माण निरीक्षक जब 110-180 रुपये के ग्रेड में क्लर्क के रूप में समाहित किया जाये तो वह, भाग (क) में उल्लिखित पत्र के अनुसार 110 रुपये और सहायक निर्माण निरीक्षक के ग्रेड में की गई सेवा के पूरे वर्षों की संख्या के बराबर, क्लर्क ग्रेड में वार्षिक वेतन वृद्धियां पाने का हकदार है। पश्चिम रेलवे में बेशी पाये गये कर्मचारियों का वेतन जहां जरूरी है उस पत्र के अनुसार पुनर्निर्धारित किया जा रहा है : यह व्यवस्था भाग (ख) में उल्लिखित पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक के 15-10-66 के पत्र संख्या 1086/30/10 के प्रतिकूल नहीं है।

(ग) और (घ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी।

उत्तर रेलवे में सहायक स्थायी रेल मार्ग निरीक्षक
(असिस्टैन्ट पर्मानेन्ट वे इन्सपेक्टर)

4613. श्री टी० पी० शाह :
श्री ओंकार सिंह :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के दिनांक 25 मई, 1968 के पत्र संख्या ई० 939 ई०/235/(ई०) (2) वी० तथा सी० ई० (ई०) सी० सी० जी० के दिनांक 6 मई, 1968 के पत्र संख्या ई० 890/5/4, जिल्द-8 द्वारा यह अधिसूचित किया गया था कि उत्तर तथा पश्चिम रेलवे में सहायक स्थायी रेल मार्ग निरीक्षकों के पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इन रेलों में ऐसे कितने पद रिक्त हैं; और

(ग) क्या सहायक स्थायी रेल मार्ग निरीक्षकों के वर्तमान रिक्त पदों पर पश्चिम रेलवे के फालतू सहायक निर्माण कार्य निरीक्षकों को नियुक्त करने का विचार किया जा रहा है और क्या उनके इन पदों पर नियुक्त किये जाने की संभावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां । (25-5-68 का पत्र उत्तर रेलवे द्वारा जारी किया गया था) ।

(ख) उत्तर रेलवे 150 ।
पश्चिम रेलवे 10 ।

(ग) जी हां ।

Gaya Cotton Mill

4614. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Gaya Cotton Mill is lying closed for many years:

(b) if so, Whether Government propose to take over the said mill; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) Gaya Cotton and Jute Mills Ltd , Gaya closed down in December, 1965 The Calcutta High Court directed winding up of the mill. The mill was considered fit for scrapping and its registration certificate was revoked in January, 1968.

बिहार काटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड फूलवाड़ी शरीफ, पटना

4615. श्री रामावतार शास्त्री : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई मशीनें होने के बावजूद भी बिहार काटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, फूलवाड़ी शरीफ पटना (बिहार) घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मिल की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये उसे कोई ऋण दिया है;

(घ) यदि हां, तो वह कितना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उसे और अधिक ऋण देने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य उप मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 1966 में बिहार काटन मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड ने मूल्य ह्रास की व्यवस्था किये बिना 3.68 लाख रु० का घाटा उठाया जबकि संयन्त्र तथा मशीनों में 6.99 लाख रु० की निबल वृद्धि की गई ।

(ख) पुराने संयन्त्र तथा मशीनों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण की आवश्यकता, श्रमिक अशांति तथा कुछ समय के लिये उत्पादन स्थगित किया जाना ।

(ग) से (च) बिहार की सरकार द्वारा मिल को किसी ऋण के दिये जाने अथवा दिये जाने के प्रस्ताव के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है । तथापि पता चला है कि 31-12-1966 को बिहार इनवेस्टमेंट कम्पनी से मिलों के 2.07 लाख रु० के प्रतिभूत उधार थे ।

Churk Cement Factory (U. P.)

4616. Shri Nageshwar Dwivedi : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production of cement has come down as a result of the work of blast furnaces of Churk Cement Factory coming to a standstill and whether this has resulted in the acute shortage of Cement in Uttar Pradesh, particularly in Eastern part of Uttar Pradesh; and the cement is being sold in blackmarket at high prices;

(b) the manner in which agents are appointed so as to make the cement manufactured in the public sector easily available at various places; and

(c) the area for which an agent is appointed for this purpose ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No Sir. The shortfall in production is due to non-availability of gypsum in sufficient quantity. This has not, however, resulted in shortage of cement in Uttar Pradesh, particularly in Eastern parts. No instance of blackmarketing have come to our notice.

(b) and (c) The system for the appointment of agents for the sale of cement by the Public Sector cement plants is no different from the arrangements adopted by the Private Sector plants. The stockists are appointed by the producers in the areas given to them as their marketing zone. The producers are expected to make available adequate quantities of cement to their stockists to avoid shortage.

Shortage of Iron Sheets in U. P.

4617. Shri Nageshwar Dwivedi : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is an acute shortage of iron-sheets in the eastern part of Uttar Pradesh and whether the prices have increased very much in the open market; and

(b) if so, the reasons for this shortage and the measures being adopted by Government to remove the shortage ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) There is a general shortage of galvanised sheets and Black plain sheets of certain sizes, the impact of which is being felt all over the country. This has also resulted in relatively higher prices for these sheets in the open market.

(b) The demand for iron sheets exceeds the persent level of production. However, additional capacity for the production of black and galvanised sheets is being set up at Rourkela under its expansion programme from 1 to 1.8 million tonnes per annum. Bokaro Steel Plant will also be producing black sheets.

रूस को माल डिब्बों का निर्यात

4618. श्री कृ० म० कौशिक : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस को माल डिब्बे निर्यात करने से हमारे देश को बहुत नुकसान होगा; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय फर्में और संस्थान

4619. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि 1965 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय से पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय फर्मों और संस्थानों को पाकिस्तान द्वारा सार्वजनिक रूप से नीलाम किया जा रहा है;

(ख) क्या दोनों देशों के कब्जे में इस प्रकार की सम्पत्ति के निपटारे के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई करार हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सार्वजनिक नीलाम द्वारा पाकिस्तान द्वारा भारतीय संपत्ति का बेचा जाना दोनों सरकारों के बीच हुए करार के अनुकूल है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां । भारत सरकार ने पाकिस्तान में भारतीय परिसम्पत्तियों की अवैध जब्ती, उपभोग, हस्तांतरण तथा निपटान के विरुद्ध अनेक बार पाकिस्तान सरकार को कड़ा विरोध प्रकट किया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलों के विकास के लिए अर्जेंनटाइना की सहायता

4620. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अर्जेनटाइना सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उनकी रेलों के विकास के लिये तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो अर्जेनटाइना की सरकार ने किस प्रकार की सहायता मांगी है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी सहायता देना स्वीकार कर लिया है; और

(घ) अर्जेनटाइना की सरकार को किन शर्तों पर सहायता देने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) (ग) और (घ) सवाल नहीं उठता ।

भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा

4621. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा श्रेणी 1 के अधिकारियों में उच्च पदों पर पदोन्नति की गुंजाइश न होने के कारण बहुत निराशा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा श्रेणी 1 के लिए अग्रेतर पदोन्नति किन किन पदों पर हो सकती है;

(ग) सेवा के अगले उच्च पदों पर पदोन्नति के मार्ग अवरूद्ध होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा सहित विभिन्न रेल सेवाओं के अधिकारियों से पदोन्नति की अधिक अच्छी सरणियों के लिये अभ्यावेदन मिले हैं । इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा के संवर्ग के प्रबन्ध के अन्तर्गत इस सेवा में आने वालों के लिये यथासम्भव पदोन्नति के समुचित अवसर सुलभ करने के बारे में यथोचित ध्यान दिया जाता है । 1966 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं के कारण इस संवर्ग का बहुत अधिक विस्तार हो गया था जिसकी वजह से कनिष्ठ से वरिष्ठ वेतन-मान और वरिष्ठ वेतन-मान से प्रशासी ग्रेड में तेजी से पदोन्नति होने लगी थी । निर्माण और विकास सम्बन्धी कामों की गति धीमी हो जाने के कारण पहले की तरह तेजी से पदोन्नति नहीं हो सकती और स्वभावतः इसमें कमी आयी है, लेकिन इसे पदोन्नति में अवरोध नहीं कहा जा सकता ।

(घ) श्रेणी 1 के अधिकारियों की पदोन्नति के अवसर में सुधार के लिये समय-समय पर प्रयास किया जाता है और इसके लिये उन्हें सामान्य प्रशासी पदों पर लगाया जाता है और उपयुक्त अधिकारियों को भारत सरकार के अन्य विभागों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है ।

अभ्रक खान उद्योग

4622. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अभ्रक खान उद्योग ने पिछले 10 वर्षों में उत्पादन में कोई प्रगति नहीं दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अभ्रक, जो विदेशी मुद्रा कमाने का सबसे बड़ा साधन है, के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य कारण अभ्रक खनन उद्योग का निर्यात पर आश्रित होना तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभ्रक बाजार के उतार-चढ़ाव हैं। अभ्रक के स्थान पर सश्लिष्ट उत्पादों के विकास और ब्राजील तथा मलगेसी-गणतन्त्र जैसे देशों के अन्तर्राष्ट्रीय अभ्रक बाजार में उद्गमन के कारण से भारतीय अभ्रक निर्यात के लिये प्रतियोगिता बढ़ गई है।

(ग) अभ्रक के उत्पादन की वृद्धि इसके निर्यात बढ़ाने की सम्भावनाओं के साथ संबंधित है, क्योंकि अभ्रक का स्वदेशी उपयोग केवल सीमान्तक है। सरकार अभ्रक निर्यात सवंर्धन परिषद् के द्वारा अभ्रक का निर्यात बढ़ाने तथा देश में अभ्रक उपयोग करने वाले उद्योगों के विकास के लिये प्रयत्न कर रही है। सरकार ने अभ्रक की विभिन्न प्रकारों के निम्नतम मूल्य भी निर्धारित कर दिये हैं और अच्छी श्रेणी के अभ्रक के निर्यात को सुनिश्चित करने के लिये जहाज पर लदान से पूर्व के अनिवार्य निरीक्षण की प्रणाली लागू की है।

केन्द्रीय कांच तथा मृत्तिका गवेषणाशाला अभ्रक (अपशिष्ट तथा रद्दी अभ्रक सहित) के उपयोग सम्बन्धी गवेषणा कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में अभ्रक विसंवाहन ईंटों का उद्योग स्थापित किया गया है जो कि अपशिष्ट अभ्रक की काफी मात्रा का उपयोग कर रहा है।

मणिपुर में उद्योगों का स्थापित किया जाना

4623. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने कुछ उद्योगों को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिए प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में मनीपुर में किन उद्योगों के स्थापित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) क्या मनीपुर के लिए एक सीमेंट कारखाने के पहले निर्णय को त्याग दिया गया है और यदि नहीं, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) राज्य सरकारों और मणिपुर सहित संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये अपने प्रस्ताव भेजे और उनकी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) जी नहीं। मणिपुर प्रशासन ने मणिपुर में सीमेंट संयंत्र की स्थापना से सम्बन्धित सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करने का काम राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को सौंपने का प्रस्ताव किया है और इसे मान लिया गया है।

Stoppage of Trains at Bihta Station

4624. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleassed to state :

(a) whether it is a fact that the Bihta Passengers' Association have approached the Railway Administration for stopping the Toofan Express and the Banaras Express at Bihta station (Patna) in view of the importance of this Station having increased because of construction of an aerodrome there ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) The request for stoppages of 7/8 Toofan Expresses and 15/16 Howrah-Varanasi/Sultanpur Expresses/Passengers at Bihta station has been examined but not found justified in the context of the present level of long distance traffic at this station.

Quarters for Railway Employees at Kiul Station

4625. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of quarters constructed for the Railway employees at Kiul station, Eastern Railway ;

(b) the number of quarters having electric connections and the number of quarters where electricity has not so far been supplied and the reasons therefor ;

(c) whether some employees of the said station have sent a joint representation to the Divisional Superintendent, Danapur Division to provide electric connection in their quarters ; and

(d) if so, the action so far taken in this regard ?

The Minister for Railways (Shri C.M. Poonacha) (a) 185.

(b) Electric connection has been provided in 96 quarters. It is still to be provided in 89 quarters. All the quarters could not be electrified so far due to paucity of funds.

(c) Yes.

(d) The balance of the quarters at Kiul are proposed for electrification in 1969-70 Works Programme.

Production in Precision Instruments Project, Kota

4626. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether production has started in the Precision Instruments Project in Kota (Rajasthan) and if so, the details thereof and, if not, the time by which production is likely to start ;

(b) the amount of capital proposed to be invested therein, the form in which it would be invested and the total amount of capital invested so far ;

(c) the amount of profit likely to be earned by the said factory and the amount of profit earned or loss sustained so far; and

(d) the details of the progress made in this factory and the total number of officers and employees therein and the expenditure being incurred on them ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (d) : Most of the machines have been installed and trial production in the Instrumentation Limited, Kota has already commenced. Some material required for the commencement of commercial production is expected shortly from the U.S.S.R. Commercial production will start a month after the receipt of the material.

The authorised capital of the company is Rs.7 crores. So far, an amount of Rs. 377.53 lakhs has been invested in the Company by way of shares.

As on the 31st July, 1968 the Company employed 87 officers and 570 other employees.

Information regarding part (c) and the expenditure being incurred on staff is being collected and will be laid on the Table of the House.

Heavy Engineering Corporation, Ranchi

4627. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total amount invested so far in the Heavy Engineering Corporation,Ranchi and the details of its profit or loss; and

(b) whether it is a fact that the Corporation has shown an approximate loss of Rs. 8 crores so far and, if so, whether Government propose to go into the causes thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) : The total investment as on the 1st July, 1968 in Havy Engineering Corporation Ltd., amounts to Rs. 200.6 crores, of which Rs. 100 crores is in the form of equity capital and Rs. 100.6 crores is in the form of long term loans. The total accumulated loss incurred by the company upto the 31st March, 1967 is Rs.9,60,22,643. Such losses are not unusual in projects of this magnitude and complicity during its construction period and in the initial stages of production.

Hindustan Zinc Ltd, Udaipur

4628. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindustan Zinc Ltd., Udaipur has been closed down due to accumulation of stock and increase in the cost of production;

(b) the difference in the cost of products lying in this public undertaking and similar product imported from abroad;

(c) the total stock of products lying in the Factory and the difficulties in the way of finding a market therefor;

(d) whether it is also a fact that during the past few months or after its take-over by Government, arbitrary appointments have been made on posts carrying high salaries while workers and Engineers are remaining idle; and

(e) whether Government would look into the working of this factory ?

The Deputy. Minister in the Mnistry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a)and(b): Production from the Zinc Smelter of the Hindustan Zinc Ltd. had to be curtailed by the Company due to accumulation of large stocks of superphosphate which the Company is unable to sell due to the off season and lack of demand. Since Furnace which converts the zinc cathode sheets into zinc ingots is, however, in operation.

As the Zinc Smelter is still in the initial stages of production, reliable estimates of costs of production of zinc and by-products are not yet available and it is therefore not possible at this stage to compare the cost of production of the various products with similar products imported from abroad.

(c) The stock of the products produced in the Zinc Smelter as on 13.8.1968, was as follows :-

Name of the product	Quantity in tonnes
Zinc ingots	4630
Zinc cathodes	2460
Superphosphate	19000
Cadmium	22

The main difficulty in the disposal of superphosphate is lack of demand. Government are considering the measures to be taken for the disposal of the stock and further production. As for zinc, Government have allocated the production to essential users like, Defence, Railways, industrial units registered with the Directorate General of Technical Development etc. and are also considering further measures to be taken for quick disposal of the stock.

(d) It has been reported that no arbitrary appointments have been made after take over. It is not correct that workers and engineers have remained idle at any time. Even at present when the Zinc Smelter is not in full production the officers as well as workers on the operation sides are engaged in maintenance, overhauling and works connected with the resumption of full production.

(e) The problems relating to the accumulation of the stocks and curtailment in the production of the Company are under active consideration of the Government and necessary remedial measures are being taken to resume full production.

Investment in National Coal Development Corporation

4629. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) the total amount invested so far in the National Coal Development Corporation and the amount of loss suffered so far by it and the reasons therefor;

(b) whether it is a fact that according to the last year's Report of the Parliamentary Public Undertakings Committee, the management of this Corporation has misused the money of the public, as a result of which numerous complaints and unsatisfactory activities have come to light ; and

(c) if so, whether Government propose to take some action in this regard and if so, the outline thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak): (a) The total amount invested by the Central Government in the National Coal Development Corporation Ltd. so far is about Rs. 173 crores. A statement of profit/loss of the Corpo-

ration over the years with reasons for loss is laid on the Table of the House [Placed in Library. See No. LT-1796/68.]

(b) and (c) The Committee on Public Undertakings have brought to light certain deficiencies in the working of the Corporation and their recommondations are under the consideration of the Government.

Further, a review of the working of the Corporation has been done by an Enquiry Committee under the Chairmanship of Shri G. R. Kamat and this Committee is expected to submit its final report by 20.8.1968.

राय बरेली से कानपुर तक गाड़ियां देर से चलना

4630. **श्री कृ० दे० त्रिपाठी :** क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंके कि :

(क) राय बरेली से कानपुर को जाने वाली 2 आर.सी यात्री गाड़ी 1 अप्रैल, 1968 तथा 31 जुलाई, 1968 के बीच कितने दिन रेलवे समय सारणी में दिये गये समय पर कानपुर रेलवे स्टेशन पर ठीक समय से पहुंची हैं :

(ख) क्या प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तथा संसद सदस्यों ने इस गाड़ी के देर से चलने में सुधार करने के बारे में उन्हें कई अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1 अप्रैल, 1968 से 31 जुलाई,1968 तक की अवधि में 1 आर० सी० रायबरेली-कानपुर मिली-जुली गाड़ी कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 31 दिन ठीक समय पर पहुंची।

(ख) और (ग) : कुछ अभ्यावेदन मिले हैं और इन गाड़ियों के चालन में सुधार करने के लिए 12.8.68 से इन्हें सवारी गाड़ियों में बदल दिया गया है।

अश्लील चित्र

4631. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कुछ प्रमुख फिल्मी कलाकारों तथा निर्माताओं द्वारा बनाये गये अश्लील चित्रों को चोरी छिपे अथवा अन्यथा विदेशों में भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

वाणिज्य मन्त्रालय में मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है ; तथा

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने में बनी मशीनों का निर्यात

4632. श्री क० प्र० सिंह देव
श्री हरदयाल देवगुण

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने में बनी मशीनों को नये क्षेत्रों में प्रचलित करने के लिये सरकार ने विदेशों में कुछ एजेंट नियुक्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों में सरकार ने ऐसे एजेंट नियुक्त किये हैं ;

(ग) उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या हैं ; और

(घ) उनकी नियुक्ति से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने में बनी मशीनों के निर्यात को बढ़ाने में किस सीमा तक सहायता मिली है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब गणराज्य, कनाड़ा, जर्मनी का संघीय गणराज्य, डेनमार्क, यूगोस्लाविया, स्वीडन, हालैण्ड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और श्रीलंका में एजेंट नियुक्त किये हैं ।

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर ने विदेशों में नियुक्त अपने एजेंटों के साथ जो एजेन्सी व्यवस्था की है वह वाणिज्यिक संविदाओं के रूप में है और नियुक्ति की शर्तों आदि का ब्यौरा देना उचित नहीं है ।

(घ) इस कम्पनी ने वर्ष 1967-68 में 29.28 लाख रुपये के मूल्य के मशीनी औजारों का निर्यात किया । यह अपना निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है और उसने वर्ष 1968-69 के लिए 1 करोड़ रुपये के मशीनी औजारों के निर्यात का लक्ष्य रखा है ।

भारत एल्युमीनियम कम्पनी की कोयना परियोजना

4633. श्री गो० शं० मिश्र : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत एल्युमीनियम कम्पनी की कोयना परियोजना को त्यागने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ उच्च अधिकारियों ने यह मत व्यक्त किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत में एल्युमिनियम का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है और गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों तथा कोरबा परियोजना से आवश्यकता पूरी हो सकती है और इसलिए कोयना परियोजना की आवश्यकता नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से बात की थी, जिन्होंने एक वक्तव्य जारी कर दिया कि कोयना परियोजना की स्वीकृति दे दी गई हैं ; और

(च) यदि हां, तो कोयना परियोजना को कब स्वीकृति दी गई थी और विशेष कर परामर्श सम्बन्धी करार सहित इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं, ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) और (च) कोयना प्रायोजना को अभी औपचारिक स्वीकृति नहीं दी गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि निर्देश कोयना एल्यूमिनियम प्रायोजना के लिये तकनीकी परामर्शदाता प्रबन्ध के सम्बन्ध में आगे बातचीत शुरु किये जाने के लिये दी गई स्वीकृति के बारे में है । परामर्श सम्बन्धी करार के ब्यौरों के बारे में भारत एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा अभी बातचीत की जा रही है ।

लोहा और इस्पात तथा चीनी के कारखानों का केन्द्रीयकरण

4634. श्री रा० की० अमीन :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में चीनी के कारखानों तथा लोहा और इस्पात के कारखानों का किसी एक विशेष क्षेत्र में बहुत अधिक केन्द्रीयकरण है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जहां तक चीनी उद्योग का सम्बन्ध है, प्रथम पंचवर्षीय योजना (1950-51) के आरम्भ में भारत में 139 चीनी कारखाने काम कर रहे थे । 1932 में प्रशुल्क सम्बन्धी संरक्षण मिल जाने के तुरन्त बाद 1930 से आरम्भ होने वाली दशाब्दी के शुरु में इसमें से अधिकांश कारखाने स्थापित किए गये । ये कारखाने अधिकतर उत्तर में ही स्थापित किए गये क्योंकि उस समय गन्ना अधिकतर उन क्षेत्रों में ही पैदा होता था । इस बीच यह उद्योग अन्य राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर व केरल में भी फैला है क्योंकि गन्ने की कास्त उन राज्यों में भी होने लगी है ।

जहां तक लोहा व इस्पात का सम्बन्ध है, एकीकृत इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से बंगाल, बिहार एवं मध्य प्रदेश के लोहा व कोयला क्षेत्रों में ही स्थित है । लोहा व इस्पात कारखानों

जैसे औद्योगिक कारखानों की स्थापना के लिए स्थान का निर्णय परियोजनाओं की आर्थिक सामर्थ्य एवं तकनीकी संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

भारतीय कपड़ों की मांग

4635. श्री रा० की अमीन :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपड़ों की अमरीका में अच्छी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निरंतर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत सिले-सिलाये कपड़ों की ओर है । संयुक्त राज्य अमरीका को इन कपड़ों के निर्यात में वृद्धि हुई है ।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका को सिले-सिलाये कपड़ों का निर्यात बढ़ाने के लिये किये गये उपायों में से कुछ निम्नलिखित हैं :–

(1) जिप फासनर, वक्सुए तथा अलंकरण आदि का आयात करने के लिये जहाज पर निर्यात मूल्य के 7.5 प्रतिशत की सीमा तक आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस दिये जाते है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत, सिले-सिलाये कपड़ा उद्योग के लिये आवश्यक कुछ मशीनी मदों के आयात की भी अनुमति है ।

(2) भारतीय सूती मिल संघ द्वारा सूती कपड़ों के निर्यात के लिये नकद सहायता योजना के अधीन, 1 अप्रैल, 1968 से संयुक्त राज्य अमरीका को सिले-सिलाये कपड़ों के निर्यात के लिये दी जाने वाली सहायता को निर्यातों के जहाज पर मूल्य के 8.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है ।

अहमदाबाद तथा बम्बई के बीच बिजली से रेल गाड़ियां चलाना

4636. श्री रा० की० अमीन :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद तथा बम्बई के बीच बिजली की रेलगाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में काम 1971-72 तक पूरा हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) और (ख) बम्बई और विरार खण्ड पर पहले से ही 1500 वोल्ट डी० सी० प्रणाली द्वारा बिजली की गाड़ियां चलाई जा रही है । विरार से

आगे साबरमती तक के खण्ड में विद्युतीकरण का काम 25 किलोवोल्ट ए० सी० प्रणाली के आधार पर विद्युतीकरण के चालू कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है और परियोजना की अनुमानित लागत की मंजूरी दे दी गयी है। इस परियोजना के वास्तविक निर्माण के लिए विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। ऊपरी उपस्करों, स्विचिंग स्टेशनों और बूस्टर ट्रांसफार्मर स्टेशनों की सप्लाई और उन्हें खड़ा करने के लिए टेण्डर मंगाये गये हैं और जो टेण्डर मिले हैं उनकी छान-बीन की जा रही है। ऊपरी पैदल पुल और कर्मचारियों के मकान बनाने जैसे सिविल इंजीनियरिंग के काम किये जा रहे हैं। विरार साबरमती खण्ड के विद्युतीकरण के काम को पूरा करने के लिये अभी तक कोई तारीख निश्चित नहीं की गयी है।

महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स, भावनगर तथा दुर्गा मिल्स काडी के लिये बैंक गारण्टी

4637. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री चं० चू० देसाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गुजरात राज्य में भावनगर की महालक्ष्मी मिल्स और काडी की दुर्गा मिल्स को दिये गये बैंक ऋण के लिये गारंटी दी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि होगी;

(ग) इस हानि को पूरा करने के लिये इन मिलों को चालू करने के लिये सरकार की क्या योजनाएं हैं; और

(घ) क्या कपड़ा मिलों के मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिये कपड़ा मिलें चालू करने की 'मिनि-टैक्सटाइल' नाम की कोई योजना है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) कतिपय सूती कपड़ा मिलों के बन्द हो जाने से बेरोजगार हुए कुछ कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार ने अम्बर चर्खा केन्द्र को गुजरात खादी ग्रामोद्योग मंडल के साथ सहयोग के द्वारा शुरु करने का निर्णय किया है और यह इसके देखभाल व नियंत्रण में रहेगा। इसको शुरु करने के लिए 30 नए माडल चर्खा केन्द्र को स्थापित करने का विचार है। प्रत्येक केन्द्र 1 पारी में 35 व्यक्तियों को और दो पारियों में 70 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेगा। इस केन्द्र में भरती किए हुए कर्मचारियों को आरम्भ में 1 महीने का प्रशिक्षण दिया जायेगा और इस प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक कर्मचारी को 50 रुपये वजीफा के तौर पर दिये जायेंगे। राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए जून, 1968 से फरवरी 1969 की अवधि के लिए 5,70,000 रुपये की मंजूरी दी है।

गोल्चा प्रापर्टीज लिमिटेड

4638. **श्री काशी नाथ पाण्डे :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में गोल्चा प्रापर्टीज लिमिटेड द्वारा जनता से ली गई जमा राशियों के परिसमापन के लिए एक परिसमापक नियुक्त किया गया है;

(ख) गोल्चा प्रोपर्टीज द्वारा कुल कितनी जमाराशि ली गई थी तथा उसका ब्याज कितना है;

(ग) गोल्चा की सम्पति को जब्त करने के लिए परिसमापक द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) जमाकर्ताओं को उनका जमा धन कब तक वापिस कर दिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान। राजस्थान उच्च न्यायालय ने, 10-5-1968 को गोल्चा प्रापर्टीज लिमिटेड के परिसमापन के लिए एक आदेश पारित कर दिया था, एवं सरकारी समापक, जोधपुर, को इसका समापक नियुक्त किया गया है।

(ख) 31-8-1966 तक कुल जमा राशि का योग 78,48,954 रु० था, तथा उसी तिथि तक उस पर ब्याज 6,06,148 रुपये बैठता था। उसके पश्चात लेखे का अवलोकन नहीं किया गया है।

(ग) सरकारी समापक ने, इस अवसायति कम्पनी की सम्पूर्ण परिसम्पत्ति को अपने अधिकार में ले लिया है। मुख्य परिसम्पति में, गोल्चा नाम का एक सिनेमा दिल्ली में एवं मराठा मन्दिर नाम का दूसरा बम्बई में, समाविष्ट हैं। अब यह दोनों सिनेमा, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में, सरकारी समापक द्वारा चलाये जा रहे हैं। सरकारी समापक ने, आवसायति कम्पनी को देय, अनेक ऋणों को वसूल करने में भी उचित पग उठाये हैं।

(घ) जमाकर्ताओं की जमा को वापिस करने के लिये, समय, जिसके लगने की सम्भावना है, निश्चयतापूर्वक नहीं बतलाया जा सकता, क्योंकि यह कम्पनी को देय, ऋणों की वसूली एवं उसकी परिसम्पति की बिक्री के साथ साथ कानून के अनुसार जमकर्ताओं के दावों के निबटारे, पर आधारित है।

मंदी के कारण औद्योगिक कारखानों का बन्द किया जाना

4639. **श्री एम० एस० ओबराय :**
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय--कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की मंदी के दौर के कारण देश के सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कुल कितने औद्योगिक कारखाने अभी भी बन्द पड़े हैं;

(ख) हमारे उद्योगों पर इस मंदी का क्या प्रभाव है और इस प्रभाव को पूरी तौर से कब तक समाप्त कर दिया जायेगा तथा उद्योग अपना पूरा सामान्य कार्य करना कब तक आरम्भ कर देंगे; और

(ग) क्या इस मंदी की प्रवृति को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में उद्योगपतियों को उदार ऋण सुविधाएं देने का निर्णय किया है और यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

औद्योगिक कारखानों में कम उत्पादन

4640. **श्री एम० एस० ओबराय** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सच है कि इस समय देश में अधिकांश औद्योगिक कारखाने अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों को जानने के लिये क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है या किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस बात को निश्चित करने के लिये कि हमारे औद्योगिक कारखाने अपनी पूरी क्षमता से यथा शीघ्र उत्पादन करें, क्या उपाय किये गये है ?

औद्योगिक विकास तथा समवायन्कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) जब तक (बड़े पैमाने तथा लघु पैमाने के) सभी औद्योगिक एककों की निर्धारित क्षमता तथा उत्पादन के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती तब तक यह बता सकना सम्भव नहीं होगा कि देश में अधिकांश औद्योगिक एकक इस समय अपनी निर्धारित क्षमता से कम काम कर रहें हैं या नहीं।

उन कठिनाइयों का वास्ताविक तथा वस्तुनिष्ठ चित्र प्रस्तुत करने के लिये जिनके कारण अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई और उसके परिणाम स्वरूप क्षमता अप्रयुक्त रही, 1967 में एक विशिष्ट सूचना प्रणाली चालू की गई। इस प्रणाली के अन्तर्गत बड़े औद्योगिक क्षेत्र के चुने हुए एककों के लगभग 300 उच्च प्रशासकों से अनुरोध किया गया है कि वह ऐसी कठिनाइयों के बारे में बतायें जिनसे औद्योगिक प्रगति अवरुद्ध हो रही हो और उनके उपाय भी सुझायें।

औद्योगिक विकास विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, पैट्रोल तथा रसायन मंत्रालय, लोहा तथा इस्पात मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय, योजना आयोग के सचिवों, तकनीकी विकास के महा निदेशक, औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय के आर्थिक परामर्शदाता की एक संचालन समिति की नियुक्ति की गई थी जो कि इन विशिष्ट रिपोर्टों की जांच करेगी ताकि उन कठिनाइयों का पता लगाया जा सके जो सभी उद्योगों के सामने आती हैं और जिन्हें सुधारने के लिए पग उठाए जाने चाहिये।

(ग) उद्योगों में स्थापित क्षमता का पूर्णतम प्रयोग करने के लिए उठाए गए कुछ पग निम्नलिखित हैं–

(1) जहां कहीं सम्भव हो सके अधिक आर्डर दिये जाने की दृष्टि से सरकारी कार्य-क्रमों का पुनरीक्षण करना, जैसे रेल के डिब्बे, इत्यादि;

(2) देशी क्षमता का पूर्ण प्रयोग करने की दृष्टि से आयात पर यथा-सम्भव सीमा तक रोक लगाना;

(3) विविधता लाने के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिये उदार नीति अपनाना;

(4) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों के निर्यात विपणन ढांचे को सुदृढ़ करने के लिये पग उठाना; और

(5) उदार ऋण नीति अपनाना।

राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन

4541. श्री एम० एस० ओबराय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिये नियुक्त समिति अपना कार्य कब तक पूरा कर लेगी और अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी; और

(ख) क्या यह समिति खनिज तथा धातु व्यापार निगम के राज्य व्यापार निगम के साथ विलय के प्रश्न पर भी विचार करेगी ताकि इन दोनों निगमों के बीच अधिक तालमेल स्थापित किया जा सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) समिति द्वारा अक्तूबर, 1968 के अन्त तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी

4642. श्री यशपाल सिंह : क्या **औद्योगिक विकास और समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 अगस्त, 1968 को टाइम्स आफ इंडिया के कर्मचारी संघ ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें कि कहा गया है कि मैसर्स बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी के अध्यक्ष श्री डी० के० कुन्टे के आचरण की तुरन्त जांच की जाय।

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखने का सरकार का विचार है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1797/68**]

(ग) मामला विचाराधीन है।

नरसिंहपुर जिले की गदरवाड़ा तहसील में कोयला क्षेत्र का सर्वेक्षण

4643. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **इस्पात खान तथा धातु** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरसिंहपुर जिले की गदरवाड़ा तहसील में कोटिटोरिया के समीप कोयले से सम्बन्धित सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) अब तक तैयार कोयले की अनुमानित मात्रा कितनी है और कोयले की कितनी तह बन चुकी है और प्रत्येक तह की मोटाई क्या है;

(घ) खान में काम कब तक शुरु होने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक): (क) और (ख) जी, नहीं। अन्वेषण की चौथी योजना की अवधि में पूरा होने की प्रत्याशा है।

(ग) इस विरचना के ऊपर के 60 मीटरों में चार कोयला परतें पहचानी गई हैं। इस क्षेत्र में कुल लगभग 60 लाख मैट्रिक टन उपलभ्य राशि के मिलने का अनुमान है। परतों की मोटाई निम्न प्रकार से है :--

1-	1.27	-	2.41 मीटर
2-	1.12	-	1.6 मीटर
3-	5.3	-	9.07 मीटर
4-	7 मीटर		

(घ) और (ङ) इस पर अन्वेषण के पूरा हो जाने के पश्चात विचार किया जायेगा।

औद्योगिक संस्थानों को वित्तीय सहायता

4644. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1961-62 से वर्ष 1967-68 तक औद्योगिक वित्त निगम, आई० सी० आई० सी० आई०, आई० डी० बी० आई० द्वारा भारतीय औद्योगिक संस्थानों को ऋणों, ऋण पत्रों और गारन्टियों के रूप में कुल कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) उन छः व्यापारिक संस्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या इन पेशगियों के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितने प्रतिशत;

(घ) क्या इन पेशगियों के कारण उत्पादन और पूंजी के केन्द्रीभूत होने में सहायता मिली है;

(ङ) यदि हां, तो क्या अब यह पेशगियां देना बन्द करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (च) : माननीय सदस्य ने जिन बातों का उल्लेख किया है वे औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के निर्देश पदों में आ जाती है, जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

बिड़ला एल्युमीनियम फैक्ट्री की स्वीकृत वार्षिक क्षमता

4645 : श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला बंधुओं की एल्यूमीनियम फैक्ट्री के लिये आरम्भ में कितनी वार्षिक क्षमता के लिये स्वीकृति दी गई थी ;

(ख) क्या उन्होंने एल्यूमीनियम की वार्षिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये कहा है और यदि हां, तो किस हद तक ;

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

(घ) क्या इस वृद्धि से कोरबा, कोयना और अन्य स्थानों पर स्थापित किये जा रहे सरकारी क्षेत्र के एल्यूमीनियम संयंत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ङ) मैसर्स बिड़ला ग्वालियर (प्रा.) लिमिटेड को प्रति वर्ष 20,000 मैट्रिक टन एल्यूमीनियम धातु के उत्पादन के लिये ज़िला मिर्ज़ापुर (उत्तर प्रदेश) में "हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड" के नाम तथा रूप में एक नये औद्योगिक प्रतिष्ठान की स्थापना के लिये, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951, के अन्तर्गत सितम्बर, 1957 में एक लाईसेंस दिया गया था। इसके पश्चात हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन को, 1963 के दौरान, अधिनियम के अन्तर्गत अपने एल्यूमीनियम प्रदावक की क्षमता को 20,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने के लिये लाईसेंस दिया गया था। इस क्षमता की अभी हाल ही में स्थापना की गई है। इस कारपोरेशन के आवेदन पत्र पर दिसम्बर, 1966 में अपने एल्यूमीनियम प्रद्रावक की क्षमता प्रतिवर्ष 60,000 से 120,000 मैट्रिक टन तक विस्तार करने के लिये अधिनियम के अन्तर्गत, उन्हें आगे लाइसेंस दिया गया था। लाइसेंस धातु की 1970-71 तक की अनुमानित मांग तथा संभावित स्वदेशी उपलब्धता के अन्तर को पूरा करने के लिये स्वीकृत किया गया था, ऐसा करने में कोरबा (मध्य प्रदेश) और कोयना (महाराष्ट्र) की एल्यूमीनियम प्रयोजनाओं सहित देश

की अन्य सभी एल्यूमीनियम प्रायोजनाओं से अनुमानित उपलब्ध होने वाली धातु की मात्रा को विचार में ले लिया गया था। अतः सरकारी प्रयोजनाओं पर इससे कोई दुष्प्रभाव पड़ने की आशा नहीं थी।

रेलवे उपभोक्ता परामर्शदातृ समितियां

4646. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोन/डिवीजन की रेलवे उपभोक्ता परामर्शदातृ समितियों को, उनके अध्यक्षों/सभापतियों को विशेष सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर भी चर्चा करने की अनुमति न देने का अधिकार देकर, तमाशा मात्र क्यों बना दिया गया है अथवा बनाया जा रहा है ;

(ख) इन समितियों की बैठकों की कार्यवाही को इस प्रकार से क्यों चलाया जाता है जिससे वह केवल तीन घंटे में ही समाप्त हो जाती है और अधिक समय आराम के लिये बच जाता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार समितियों के अध्यक्षों/सभापतियों को यह आदेश देने का है कि वे सदस्यों को नियमों के अन्तर्गत आने वाले सभी विषयों पर चर्चा उठाने के लिये अनुमति दें और बैठकें ऐसे स्थानों पर बुलायें, जहां सदस्य दर्शनीय स्थानों को देखने के लिये लालायित न हों ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) सदस्यों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों और सुझावों की, मण्डल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों के मामले में मण्डल अधीक्षकों के स्तर पर और क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों के मामले में विभागाध्यक्षों के स्तर पर, ध्यानपूर्वक जांच की जाती है। जो प्रस्ताव और सुझाव कम महत्व के होते हैं और जो संविधान और कार्य-संचालन नियमों के अनुसार परामर्श समितियों के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आते, उन्हें सामान्यतः मण्डल अथवा क्षेत्रीय समितियों स्तर पर कार्य-सूची में शामिल नहीं किया जाता लेकिन उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाता है और सम्बन्धित सदस्यों को उनके प्रस्तावों पर की गयी कार्रवाही अथवा उनसे सम्बन्धित स्थिति से अवगत करा दिया जाता है। कार्य-सूची को प्रबन्ध-सीमा में रखने के लिये ही ऐसा किया जाता है। इन समितियों की सदस्यता के लिये सभी तरफ जो उत्सुकता दिखायी देती है, उसे देखते हुए इन समितियों के तमाशा-मात्र बनने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) विषयों पर विचार-विमर्श के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है और बैठक के समाप्त होने से पहले कार्य-सूची में शामिल सभी विषयों पर विचार किया जाता है।

फिर भी, माननीय सदस्य के विचारों को परामर्श समितियों के अध्यक्षों के ध्यान में लाया जा रहा है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इन समितियों के प्रधानों/अध्यक्षों को कोई और निदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

बैठकों के स्थान के चुनाव के बारे में माननीय सदस्य के विचारों से प्रधानों/अध्यक्षों को अवगत कराया जा रहा है लेकिन यह उल्लेखनीय है कि स्थान के बारे में समितियों के सदस्यों के पूरे परामर्श से ही निश्चय किया जाता है।

चाय बागान के प्रबंधकों के प्रशिक्षण के लिये संस्था

4647. श्री कार्तिक उरांव : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और आसाम के चाय बागान में कार्य करने वाले चाय बागान प्रबंधकों को प्रशिक्षण देने के लिये कोई संस्था है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जिन चाय बागानों में मजदूरों की कुल जनसंख्या 80%आदिवासियों की है, क्या उनमें कोई आदिवासी प्रबंधक है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में विनियोजन

4648. श्री कार्तिक उरांव : क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में अब तक कुल कितनी पूंजी लगी है तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने, रूरकेला इस्पात कारखाने, भिलाई इस्पात कारखाने तथा माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन आदि विभिन्न सम्बद्ध कारखाने में क्रमशः कितनी पूंजी लगी है ;

(ख) आरम्भ से लेकर 1967-68 तक रूस द्वारा जो विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार की गई है उनपर कुल खर्च की गई राशि क्या है ; और

(ग) इनमें कुल कितने विदेशी विशेषज्ञ हैं तथा उनपर कितना व्यय हुआ है ?

इस्पात,खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क)से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर रेलवे में यार्ड मास्टरों का चयन

4649. श्री इसहाक सामभली : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में 10 अगस्त, 1964 को किया गया यार्ड मास्टरों का चयन पक्षपात और भाईभतीजावाद के कारण 14 सितम्बर, 1965 को रद्द और अवैध घोषित कर दिया गया था तथा बाद में 28 जुलाई, 1966 को नवीन चयन किया गया था, और पुराने कदाचार की पुनरावृत्ति की गई ;

(ख) क्या कुछ कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिये 28जुलाई, 1966 को किये गये चयन का परिणाम रोक लिया गया था तथा एक संसद सदस्य द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर ही घोषित किया गया था ;

(ग) क्या अपेक्षित योग्यता पूरी न करने वाले तथा अनर्ह कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिये तदर्थ छूट दी गई थी और पूर्व अपेक्षित पाठ्य क्रम पास करने के लिये उन्हें दो वर्ष का समय दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उन्हें तदर्थ छूट देने के क्या कारण थे ; और

(ङ) अपेक्षित योग्यता तथा अहर्ता प्राप्त कर्मचारियों की उपेक्षा करने तथा इस प्रकार की अनियमितताओं को समाप्त नहीं करने के क्या कारण हैं तथा अपेक्षित योग्यता प्राप्त कर्मचारियों को उनका अधिकार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) (क) से (ङ) सूचना मंगायी जा रही है और समा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अफगानिस्तान के साथ व्यापार

4650. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले बारह महीनों में भारत और अफगानिस्तान के बीच दोनों देशों में व्यापार परिमाण के बारे में पूर्ण अवरोध उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अफगानिस्तान सरकार का कथन है कि व्यापार अधिकतम सीमा तक नहीं हुआ है और डेढ़ करोड़ रुपये का व्यापार होना शेष है जबकि भारत सरकार का यह कहना है कि व्यापार अधिकतम सीमा तक तो हो चुका है और शेष कुछ नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं, और विवाद को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 1967-68 संबंधी अफगान एवं भारतीय व्यापार के आंकड़ों में कुछ अंतर पाये गये, परन्तु मामले को पूरी तरह से हल कर लिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

काफी का निर्यात

4651. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 से 1967-68 तक की अवधि में कुल कितनी काफी का निर्यात किया गया ;

(ख) उक्त वर्षों में काफी का निर्यात किन देशों को किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ; और

(ग) वर्ष 1968-69 में कितनी काफी निर्यात की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क)

वित्तीय वर्ष	निर्यातित काफी की कुल मात्रा (मे.टनों में)
1964-65	30, 691
1965-66	26, 504
1966-67	25, 802
1967-68	33, 949

(ख) 1964-65 से 1967-68 के दौरान जिन देशों को भारतीय काफी का निर्यात किया गया, उनके नामों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल.टी. 1798/68]

1964-65, 1965-66, 1966-67, तथा 1967-68 में काफी के निर्यात से कमाई गई विदेशी मुद्रा की राशियां क्रमशः 13.34 करोड़ रुपये, 12.94 करोड़ रुपये, 14.44 करोड़ रुपये तथा 81.15 करोड़ रुपये थी ।

(ग) अद्यतन प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 1968-69 में लगभग 30,000 मे० टन काफी का निर्यात होने की संभावना है ।

चलचित्रों का निर्यात

4652. श्री जुगल मंडल : क्या वाणिज्य मंत्री 5 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2958 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्रों के निर्यात के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : चलचित्रों के निर्यात के बारे में अपेक्षित जानकारी एकत्रित करके, सभा पटल पर रखने के लिये, संसद-कार्य विभाग को 15 जुलाई, 1968 को भेज दी गई थी ;

कपास तथा कपड़े का निर्यात

4653. श्री जुगल मंडल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1967 से जुलाई, 1968 तक महीनेवार कितनी कपास तथा कपड़े का निर्यात किया गया ; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ;

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) और (ख) : सितम्बर, 1967 से मई, 1968 तक किया गया कपास तथा कपड़े का निर्यात तथा उससे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा की राशि निम्नलिखित है :—

माह	कपास			सूती कपड़ा (मिल-हथ करघे से बना)		
	मात्रा (मे. टन)	मूल्य		मात्रा (दस लाख मीटर)	मूल्य	
		दस लाख रुपये	दस लाख अमरीकी डालर		दस लाख रुपये	दस लाख अमरीकी डालर
सितम्बर, 1967	4,891	16.55	2.21	58.69	85.64	11.42
अक्तूबर, 1967	1,900	6.14	0.82	47.07	68.94	9.19
नवम्बर, 1967	1,178	3.61	0.48	24.60	38.99	5.20
दिसम्बर, 1967	2,020	6.45	0.86	40.78	62.72	8.36
जनवरी, 1968	6,126	20.13	2.68	44.37	56.87	7.58
फरवरी, 1968	4,766	16.14	2.15	48.01	64 46	8.60
मार्च, 1968	4,111	14.18	1.89	44.91	61.16	8.15
अप्रैल, 1968	3,217	11.14	1.49	34.66	47.54	6.34
मई, 1968 (अनन्तिम)	2,400	8.90	1.19	45.80	63.70	8.49

जून तथा जुलाई, 1968 के महीनों के विषय में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संघ का अभ्यावेदन

4654. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिस में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के वर्गीकरण को समाप्त किये जाने तथा उन्हें वाणिज्यिक विभागों में लिये जाने का विरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) इस पर कोई विशिष्ट कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि ऐसे मामलों पर श्रमिक संगठन, जिसे प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर बातचीत करने की सुविधा प्राप्त है, स्थानीय रेल प्रशासन के साथ सदा विचार-विमर्श कर सकता है। फिर भी, जो प्रश्न उठाया गया है, उसके सम्बन्ध में स्थिति यह है कि डाक्टरी कारणों से जो कर्मचारी अपनी कोटि के लिये अनुपयुक्त घोषित कर दिये जाते हैं, उन्हें वैकल्पिक नौकरी देना रेलों के लिये लाजिमी है, इसलिए इन कर्मचारियों को वाणिज्य या किसी अन्य विभाग में जहां के लिये ये उपयुक्त समझे जायं, लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं है।

आंध्र प्रदेश में तांबे के निक्षेप

4655. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडाला में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था तथा नैशनल मिनरल डैवलपमैन्ट कारपोरेशन ने तांबा अयस्क परियोजना का सर्वेक्षण किया था ;

(ख) क्या सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और सर्वेक्षण पर कितना धन व्यय हुआ है ;

(ग) प्रति वर्ष कितने टन अयस्क निर्यात किये जाने की सम्भावना है ;

(घ) रिपोर्ट के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इसे गैर-सरकारी संस्थाओं को पट्टे पर देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) (क) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश, में अग्निगुन्डाला क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है। हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को इस क्षेत्र के विदोहन के संबंध में एक सम्भाव्यता – अध्ययन तैयार करने का कार्य सौंपा गया है ।

(ख) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने सम्भाव्यता रिपोर्ट अभी देनी है। हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 1968 तक 4 09 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

(ग) किसी अयस्क के निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) और (ङ) : इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

विशाखापटनम में जस्त पिघलाने की परियोजना

4656. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विशाखापटनम में जस्त पिघलाने की परियोजना को स्थापित किये जाने के कार्य को फिर से चालू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कितनी लागत आयेगी ;

(ग) क्या यह निर्णय लेने से पूर्व सरकार को पोलैंड के सहयोगियों से इस परियोजना को क्रियान्वित करने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) (क) विशाखापत्तनम के स्थान पर जस्ता प्रद्रावक की स्थापना के सम्बंध में अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

इसी बीच में प्रायोजना के पोलिश परामर्शदाताओं से पूछा गया है कि क्या वे प्रद्रावक के सम्बंध में विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने के बचे हुए कार्य को पूरा कर सकेंगे। उन्होंने कुछ स्पष्टीकरणों के अधीन, जो कि उन्होंने मांगे हैं, कार्य पूरा करने की अपनी तत्परता प्रकट की है। विषय की जांच की जा रही है।

(ख) विश्वसनीय लागत अनुमान विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट के तैयार होने पर ही ज्ञात हो सकेंगे।

(ग) प्रायोजना के कार्यान्वयन सम्बंधी कोई रिपोर्ट पोलिश अधिकारियों से नहीं मिली थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रेलवे कर्मचारी

4657. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के हितों की देखरेख के लिये विशेष कार्य अधिकारी के अधीन एक विभाग बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो विशेष-कार्य अधिकारी के कृत्य क्या हैं ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को दी जाने वाली रियायतों तथा उनके विशेषाधिकारों की रक्षा के लिये रेलवे बोर्ड के कार्यालय में कोई पृथक शाखा बनाई गई है; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधियों को चयन बोर्ड की सदस्यता देने के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) (क) जी हां। यह अनुभाग अभी तक मौजूद है।

(ख) विशेष कार्य अधिकारी का पद अब अस्तित्व में नहीं है, परन्तु काम स्थापना निदेशालय के अधिकारियों में से एक के द्वारा किया जाता है। उक्त विशेषकार्य अधिकारी का काम रेलों में अनुसूचित जातियों/जन जातियों के हितों की देख-भाल और श्रम कानूनों के उपयुक्त परिपालन का ध्यान रखना था।

(ग) कृपया ऊपर भाग (क) का उत्तर देखें।

(घ) कुछ स्थानों से इस आशय के सुझाव प्राप्त हुए हैं।

Attaching of Third Class Bogies to Mail/Express Trains

4658. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that lesses number of Third Class bogies are attached to Mail and Express trains with the result that passengers do not get seats there; and

(b) if so, whether Government propose to attach additional III Class bogies to these trains and if not the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) The number of third class coaches in the composition of Mail/Express trains is determined with reference to the quantum and pattern of traffic in third class vis-a-vis in other classes and the permissible loads of the trains concorned,

माधोसिंह तथा मिर्जापुर घाट (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच रेलवे लाइन पर पुलियों का निर्माण

4659. श्री वंश नारायण सिंह : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि वाराणसी जिले में पूर्वोत्तर रेलवे पर मोधोसिंह और मिर्जापुर घाट के बीच रेलवे लाइन की सतह भूमि की सतह से 5 से लेकर 9 फुट तक ऊंची है जिसके कारण गत वर्षाऋतु में 30–40 गांवों में पानी भर गया था:

(ख) यदि हां, तो क्या पानी की निकासी के लिए इस लाइन पर 10 और पुलियां बनाने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इन पुलियों को बनाने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) माधोसिंह और मिर्ज़ापुर घाट स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन की ऊंचाई 6 से 12 फुट तक है। इस खण्ड पर अतिरिक्त जल-मार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि 11 पुल और पुलियां तथा 2 काज़वे पहले से मौजूद है जो पर्याप्त समझे जाते हैं। विगत वर्ष मानसून में 30–40 गांवों में पानी भर जाने के बारे में रेल प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

रुपये में अदायगी करने वाला व्यापार

4660. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये में अदायगी करने वाले समझौते और रुपये के अवमूल्यन के कारण देश को निर्यात तथा आयात में लगभग 57 प्रतिशत हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्यों को पुनः आंकने के सम्बन्ध में कोई प्रयास किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जीं, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

वोंगाइगांव से गोहाटी तक बड़ी लाइन का निर्माण

4662. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वोंगाईगांव से गोहाटी तक बड़ी लाइन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) अभी इसका अध्ययन किया जा रहा है ।

गुजरात में खनिज

4663. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में खनिज पदार्थों की खोज की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप अब तक गुजरात में बौक्साइट, फ्लुओर-स्पार, मैगनीज अयस्को, चूना-पत्थर, मिट्टियों, लिग्नाइट, कैल्साइट, कांच-रेतों, जिप्सम, तेल और प्राकृतिक गैस के निक्षेपों का पता लगाया गया है ।

फ्लाइंग मेल के साथ बिना प्रकाश और पंखों के डिब्बों का लगाया जाना

4664. श्री हेम राज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कई महीनों से फ्लाइंग मेल के साथ बिना प्रकाश और पंखों के प्रथम श्रेणी के डिब्बे लगाये जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस रेलगाड़ी में 6 अगस्त, 1968 को लगाये गये डिब्बे संख्या 786 में प्रकाश और पंखें नहीं थे; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मरम्मत के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा उनकी अब तक मरम्मत न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) 6-8-1968 को जब फ्लाइंग मेल नयी दिल्ली पहुंची तो उसके डिब्बे नं० 786 में रोशनी धुंधली थी और पंखें धीरे-धीरे चल रहे थे ,

(ग) इसका कारण यह था कि उस डिब्बे का डाइनमो-पट्टा रास्ते में गिर गया था । 7-8-1968 को दिल्ली में उसकी मरम्मत की गयी और वह डिब्बा उसी दिन फ्लाइंग मेल में दिल्ली से रवाना हुआ और उसकी रोशनी और पंखें चालू हालत में थे ।

केन्द्रीय सेवायें

4665. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन पहले से गठित तथा शीघ्र ही गठित की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के नाम क्या है;

(ख) प्रारम्भिक गठन किन तिथियों को किया गया था और इन सेवाओं के गठन के आरम्भ से लेकर ही प्रत्येक सेवा के लिये क्या-क्या सरकारी नियम बनाये गये हैं;

(ग) प्रारम्भिक गठन के समय प्रत्येक सेवा में कितने कर्मचारी थे और प्रत्येक सेवा में अलग-अलग अब तक कितनी वार्षिक भर्ती की गयी है; और

(घ) प्रारम्भिक गठन के समय प्रत्येक सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति भर्ती किये गये थे और उनमें अब तक कितनी वार्षिक भर्ती की गयी है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) एक विवरण (परिशिष्ट I) संलग्न है, जिसमें वर्तमान रेल सेवाओं के नाम दिये गये हैं। शीघ्र ही किसी और रेल सेवा के निर्माण की अभी कोई सम्भावना नहीं है।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है, जिसमें सूचना दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1799/68]**

मुरादाबाद जंक्शन

4666. श्री यशपाल सिंह : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुरादाबाद जंक्शन के तीसरे दर्जे के प्रतीक्षा कक्ष के टीन का शैड कई स्थानों पर टूट गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे वर्षा ऋतु में यात्रियों को असुविधा होती है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

नई दिल्ली की मोती नगर तथा निकटस्थ वस्तियों में रेलवे कर्मचारियों को विभागीय चिकित्सा सहायता

4667. श्री यशपाल सिंह : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग के नई दिल्ली की मोती नगर तथा आस-पास की बस्तियों में रहने वाले कर्मचारियों ने विभागीय चिकित्सा सहायता के लिये सरकार से अभ्यावेदन किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों की संख्या 500 से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, मोतीनगर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में प्राइवेट मकानों में रहने वाले कुछ रेल कर्मचारियों ने अपनी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्वास्थ्य यूनिट खोलने के लिए अभ्यावेदन दिया है ।

(ख) इन क्षेत्रों में रहने वाले रेल कर्मचारियों की ठीक-ठीक संख्या मालूम नहीं है । चूंकि वे प्राइवेट मकानों में रह रहे हैं इसलिए उनकी संख्या में समय-समय पर हेर-फेर होते रहने की संभावना है ।

(ग) किसी स्थान पर किसी स्वास्थ्य यूनिट की व्यवस्था उस स्थान पर रहने वाले कर्मचारियों की संख्या, उस क्षेत्र में गैर रेलवे चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धि और ऐसे गैर-रेलवे अस्पतालों आदि से उस स्थान की दूरी पर निर्भर है । इस कसोटी पर देखने से मोतीनगर में स्वास्थ्य यूनिट खोलने का औचित्य नहीं है । इन बस्तियों के रेल कर्मचारी सराय रोहिल्ला स्वास्थ्य यूनिट से, चिकित्सा की सुविधा पा सकते हैं, जो कि इन बस्तियों से लगभग 3½ कि० मी० दूर स्थित है । रेलवे नियमों में इस बात की व्यवस्था है कि किसी रेलवे चिकित्सा संस्था के कार्य-क्षेत्र से बाहर रहने वाले रेल कर्मचारी यदि किसी सरकारी/मान्यता प्राप्त अस्पताल या धर्मार्थ संगठन द्वारा संचालित औषधालय में अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की चिकित्सा करायें तो उसके खर्च की प्रतिपूर्ति हो सकती है ।

Late Arrival of No. 1 Moradabad Train at Pilkhua Station

4668. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the time of arrival of No. I Moradabad train at Pilkhua station on the Northern Railway is 7.50 A.M. but the said train is always late and it arrives at 9.50 or 10 A,M. there;

(b) whether it is also a fact that the 2 N.D.H. Shuttle returns empty from Hapur direct to Delhi;

(c) if so, whether it is not possible that the said shuttle should return to Delhi in the morning as a passenger train so as to arrive at Pilkhua at 7.25 A.M.; and

(d) if it is not possible to run 2 N,D.H. Shuttle in the morning, whether Government would make arrangements to ensure that I.M.D. leaves Pilkhua Station at 7.25 A.M. for Delhi and it does not run late so that the passengers are not put to any difficulty ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) During the three months-May to July, 68, 1 MD Passenger arrived Pilkhua late on all the days. It is not, however, a fact that the train always reached Pilkhua 2 hours or more late.

(b) The rake of 2 NDH Passenger is returned as 1 NDH Passenger scheduled to leave Hapur at 21.15 hours for New Delhi. This train is not well patronised.

(c) No.

(d) The late running of this train is mainly due to heavy incidence of theft of copper wire resulting in frequent control interruptions for long durations as well as heavy alarm chain pulling. However, every possible effort is being made to ensure that this train runs to time.

Jhansi and Kanpur Junctions

4669. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Jhansi and Kanpur Junctions remain exceptionally dirty and the platform numbers 4 and 5 of the Kanpur Junction remain particularly dirty;

(b) whether it is also a fact that dirtiness on the platform and near the railway lines at Kanpur Junction between 6 A.M. and 9 A.M. deserves particular mention; and

(c) the action taken in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) It is not a fact that Jhansi station remains exceptionally dirty. However, there is some uncleanliness at Kanpur Junction during the morning hours when a large number of trains are dealt with in quick succession and by reason of the lines remaining occupied by trains. the cleaning process gets hampered.

(c) While the railway is placing the necessary stress on the need for a high standard of cleanliness at stations and necessary supervision for the purpose has been provided, effective results can be produced only if the passengers co-operate in adhering to the need of avoiding the use of lavatories on trains while trains are halting at stations. Notice boards to this effect are exhibited in lavatories attached to passenger compartments.

Banda-Lucknow Express and Banda-Kanpur Passenger Train

4670. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as a result of the delay caused in giving green signal to the Banda-Lucknow Express and the Banda-Kanpur passenger train to enter Kanpur Junction and also in their departure from that Junction, these two trains are held up for hours together between Govindpuri Station and the main station and in consequence thereof, the passenger leaving for Delhi, Howrah and Lucknow miss their connecting trains; and

(b) if so, the steps taken in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Detentions to these trains between Govindpuri and Kanpur are occasional. The duration of such detentions is small and not considerable. Connections are generally maintained at Kanpur, with trains for various directions.

(b) Detentions between Govindpuri and Kanpur occur because of these trains running out of path, mainly owing to excessive incidence of Alarm Chain pulling elsewhere. The matter of alarm chain pulling has been referred to State Government and Magisterial checks have been intensified. Every feasible effort is being made to minimise late running on account of factors within Railways' control.

नंगल से उना तक बड़ी लाइन

4671. श्री हेम राज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव मिले हैं कि नंगल से उना तक अथवा होशियारपुर से गागरेट तक बड़ी लाइन बनायी जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन दोनों लाइनों का सर्वेक्षण करने का है और यदि हां, तो कब तक ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) नंगल से तलवाड़ा तक उना और गगरेट के रास्ते बड़ी लाइन बनाने का एक प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार से मिला है। प्रस्तावित लाइन के वित्तीय फलितार्थ का अनुमान लगाने के लिए, 1963 में सरसरी तौर पर एक जायजा लिया गया था, जिससे पता चला कि यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगी। धन की कमी के कारण, इस रेलवे लाइन के निर्माण पर चौथी योजना में विचार होने की संभावना नहीं है। यदि भविष्य में काफी समय बाद कभी इस लाइन को बनाने का विचार किया भी जायेगा, तो इस समय किया गया सर्वेक्षण पुराना पड़ चुका होगा। इसलिए इस लाइन के लिए अभी किसी सर्वेक्षण कराने का कोई विचार नहीं है।

अखिल भारतीय रेलवे संस्था कर्मचारी संघ

4672. श्री भगवान दास : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेलवे संस्था कर्मचारी संघ की ओर से सरकार को कोई ज्ञापन-पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न रेलों की रेलवे संस्थाओं में 1967–68 में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे थे,

(ग) क्या उन कर्मचारियों को रेल कर्मचारी माना जाता है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उन कर्मचारियों को रेल कर्मचारी मानने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) माननीय सदस्य से, जिन्होंने यह प्रश्न पूछा है, एक ज्ञापन अभी हाल में मिला है।

रेलवे इन्स्टीट्यूट में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या तत्क्षण उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) क्योंकि उनको वेतन आदि इन्स्टीट्यूट निधि से दिये जाते हैं न कि रेलवे राजस्व से।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

इजरायल के एक हवाई जहाज अल्जीयर्ज ले जाने के लिये उत्तरदायी तीन व्यक्तियों में से किन्हीं के पास भारतीय पासपोर्ट होने के समाचार

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : महोदय, मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"धमकी देकर इजरायल का एक हवाई जहाज अल्जीयर्ज ले जाने के लिये उत्तरदायी तीन व्यक्तियों में से किन्हीं के पास भारतीय पासपोर्ट होने के समाचार।"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : इजरायली सरकार से 30 जुलाई को प्राप्त सूचना के अनुसार, 23 जुलाई, 1968 को इजरायली विमान को धमकी देकर अल्जीयर्ज ले जाने वाले व्यक्तियों में से एक के पास भारतीय पासपोर्ट था जिसे 30 अक्तूबर, 1967 को श्री फजल हुसैन के नाम ईराक स्थित हमारे दूतावास ने जारी किया था। ईराक स्थित हमारे दूतावास ने इस बात की पुष्टि की है कि 25 अक्तूबर, 1967 को जारी किये गये पासपोर्ट के स्थान पर यह नया पासपोर्ट क्षेत्रीय पासपोर्ट आफिस दिल्ली ने जारी किया था। श्री फजल हुसैन इस समय कुवैत में श्री अली मुहम्मद रिजवान जो कि कुवैत नैशनल पैट्रोलियम कम्पनी में जनरल सेक्रेटरी हैं के बावर्ची हैं। उनका कहना है कि मार्च 1968 में भारत से आते ही उन्होंने अपना पासपोर्ट अपने मालिक को दे दिया था। उसका मालिक इस समय यूरोप में है तथा उनके सितम्बर में वापिस आने की आशा है। श्री हुसैन मार्च 1968 से कुवैत में ही रह रहे हैं।

उपरोक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि पासपोर्ट अनाधिकारी व्यक्तियों के हाथ लग गया अथवा उसी प्रकार का जाली दस्तावेज तैयार कर लिया गया।

अल्जीयर्ज अधिकारियों ने केवल इतना कहा है कि जो व्यक्ति धमकी देकर विमान को ले गये उनके पास जाली दस्तावेज थे।

इजरायली विमान के जो यात्री छोड़े गये हैं अथवा जो अभी वहां बंदी हैं उनमें एक भी भारतीय नहीं है। अल्जीयर्ज स्थित हमारे दूतावास द्वारा यह मामला विचाराधीन है। इसी बीच हमने अपने पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों को हिदायतें जारी की है कि यह पासपोर्ट जब्त कर लिया जाये।

श्री हेम बरुआ : क्या इन शरारती लोगों के पास भारतीय पासपोर्ट होना अपराध है अथवा नहीं और यदि हां तो जिन व्यक्तियों ने यह पासपोर्ट जारी किया है क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा नहीं और क्या इस घटना से भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह पासपोर्ट जाली है तथा उसमें तस्वीर तक बदली हुई है। वह व्यक्ति जिसे यह जारी किया कुवैत में रहता है। फिर भी हम सारे मामले की जांच कर रहे हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

औषध तथा औषध-निर्माण सम्बन्धी विकास परिषद् और नकली रेशम उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मानुप्रकाश सिंह) : श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिए निम्नलिखित विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) औषध तथा औषध-निर्माण सम्बन्धी विकास परिषद् ।

(दो) नकली रेशम उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1778/68**]

निर्यात (किस्म नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं निम्न पत्रों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

निर्यात (किस्म नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निर्यात (किस्म नियन्त्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 3 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2718 में प्रकाशित हुए थे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1779/68**]

राज्य-सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA-SABHA

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्न संदेश प्राप्त हुए हैं : —

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी 14 अगस्त, 1968 की बैठक में भारतीय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1968 को पास कर दिया है ।

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी 14 अगस्त, 1968 की बैठक में बिहार राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1968 को पास कर दिया है ।

राज्य-सभा द्वारा पास किये गये विधेयक

BILLS PASSED BY RAJYA-SABHA

सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में निम्नलिखित विधेयकों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) भारतीय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1968

(2) बिहार राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1968

उप-प्रधान मंत्री द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY DEPUTY PRIME MINISTER

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : महोदय मेरे तथा प्रधान मंत्री के आचरणों का निरनुमोदन करने के प्रस्ताव का उत्तर देते समय कल श्री मधु लिमये ने एक पत्र यहां दिखाया और कहा कि अपने पुत्र के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिये गये वक्तव्यों में असंगति है ।

मैंने उस पत्र को देखा है । वहां केवल हिन्दी में निम्न शब्द लिखे हैं :

"उप-प्रधान मंत्री भवन '5' डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड" ।

उस पत्र में कहीं भी यह नहीं लिखा था कि वह मेरे निजी सचिव, अथवा सहायक सचिव अथवा व्यक्तिगत सहायक हैं । उसमें केवल मेरे मकान का पता लिखा है तथा भेजने वाले ने पत्र की क्रमांक संख्या लिखी है जो कि निर्देश और रिकार्ड रखने के लिये आवश्यक है ।

वक्तव्यों में असंगति के बारे में मैं 30 अप्रैल, 1968 तथा 24 जुलाई को पहले ही दे चुका हूं ।

श्री लिमये को पता है कि इस पद को संभालने के पश्चात् श्री कान्तीलाल देसाई मेरे निजी सचिव नियुक्त नहीं किये गये हैं । वे मेरे गैर सरकारी कार्यों यथा सामाजिक कार्यक्रम बनाने तथा लोगों को मिलने का समय देने में मेरी सहायता करते हैं । यदि सदन चाहे तो आगे से वे लोगों के मुझ से मिलने के सम्बन्ध में भी पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : हां, यह ठीक है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker I rise on a point of order under Rule 378. I do not know whether you have seen this statement or not. This statement has reached to you only a few minutes earlier. As far rules it should have come to you much earlier. Moreover under Rule 357 it should not be controversial while this statement is controversial.

अध्यक्ष महोदय : कल श्री मधु लिमये ने भाषण के अन्त में जो पत्र पढ़ा वह मैंने उसी समय श्री मोरारजी देसाई के पास भेज दिया था । उसे पढ़ने के पश्चात वह आज उत्तर दे रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye - But Sir, we have to send such statements three days in advance.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मेरे पास यह पत्र भेजा था और बाद में मैंने इसे कार्यसूची में शामिल किया है । यह मामला विवादग्रस्त नहीं है । अब हम अगले विषय पर चर्चा करें ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1965-66

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL) 1965-66

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं 1965-66 के आयव्ययक (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की मांगें दिखाने वाला एक विवरण उपस्थापित करता हूं ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1965-66

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS) 1965-66

अध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे, सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :-

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
2	विविध व्यय	10,34,355
5	राजस्व कार्य संचालन सम्बन्धी व्यय-मरम्मत तथा संधारण	66,74,139
8	राजस्व कार्य संचालन कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त व्यय	9,55,635
15	चालू लाइन कार्य, पूंजी ह्रास, रक्षित निधि तथा विकास निधि	77,85,167

Shri Sri Chand Goyal (Chandigarh) : These demands are being made to get sanction for excess expenditure already made. There was no such provision in the Government of India Act. This right has been conferred by Article 115 of the Constitution. No department should be authorised to incur expenditure in excess of the sanction given by the Parliament.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Dy. Speaker *in the Chair* }

The House of Commons had accepted a motion that no department will be authorised to incur an expenditure in excess of that sanctioned by the Parliament.

A demand of Rupees 77 lakhs has been made under demand No. 55 out of which a sum of Rs. 55 lakhs is on suspense account and Rs. 27 lakhs have been spent on the rolling stock of the Railways. This expenditure is not such an expenditure as could not have been foreseen. An excess expenditure has been incurred on repairs to the tune of Rs. 66 lakhs and the demand for the same is being made in demand No. 5. It is a regular expenditure and could have been provided for in the budget. This expenditure is unnecessary.

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : यह एक नियमित बात हो गई है कि सभा के समक्ष अतिरिक्त अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की जावें ।

श्री चे० मु० पुनाचा : यह वर्ष 1965-66 के बारे में है ।

श्री धीरेश्वर कलिता : आसाम ही एक ऐसा राज्य है जहां बड़ी लाइन नहीं है ।

श्री दत्तात्रेय कुट्टे (कोलाबा) : अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर बोलते समय केवल उन मांगों तक ही सीमित रहना चाहिये ।

श्री लोबो प्रभु (उद्दीपी) : यह मांगें 1965-66 से सम्बन्धित हैं । विनियोग लेखो का हिसाब 1967 में किया जाना चाहिये था । मंत्री महोदय को सभा को बताना चाहिये कि इसे संसद में प्रस्तुत करने में इतना अधिक समय क्यों लगा ।

पहली मांग विविध मदों के बारे में है और इसमें अतिरिक्त व्यय की प्रतिशतता बहुत अधिक अर्थात 2.84 प्रतिशत है, केन्द्रीय जांच कार्यालय लम्बी अवधि से कार्य कर रहा है तथा यदि मार्च मास में आयव्ययक तैयार करने तथा विनियोग आदि के सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था की गई होती यह अतिरिक्त व्यय टाला नहीं जा सकता था ।

दूसरी मांग मरम्मत तथा रख रखाव के काम पर व्यय की मांग के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है । इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि समुचित सुविधा होने के बावजूद मार्च में इस हिसाब का समायोजन क्यों नहीं किया गया । समायोजन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात किये जाने वाले व्यय को ठीक नहीं कहा जा सकता है ।

तीसरी मांग कर्मचारियों तथा ईंधन के बारे में लगभग 9 लाख रुपये की है, इसके सम्बन्ध में हम यह जानना चाहते हैं कि क्या ईंधन की दर में कुछ परिवर्तन हुआ है जिसके

कारण यह अतिरिक्त राशि व्यय करनी पड़ी है, विनियोग लेखा प्रस्तुत करने के पश्चात विकास निधि पर 77 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय बहुत अधिक है. माननीय मन्त्री को यह बताना चाहिये कि इतना अधिक अन्तर क्यों हुआ ?

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म.प; तक के लिये स्थगित हुई

The Lok- Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजे म.प.पर पुनः समवेत हुई

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at fourteen of the Clock

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair.* }

श्री स०मो० बनर्जी (कानपुर) : इस सभा से अतिरिक्त मांगों पर इसलिये अनुमति ली जा रही है क्योंकि बिना पूर्व अनुमान लगाये ऐसा व्यय कर लिया गया है । यदि इसके लिये अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी जा सकती है, तो रेलवे कर्मचारियों के महंगाई भत्तों तथा श्रम मांगों को पूरा करने के लिये अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती । श्री परिमल घोष ने हमें आश्वासन दिया है कि सरकार इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है । मंत्री महोदय को उनकी मांगों के बारे में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये ।

कार्यकुशलता के अभाव तथा पहले से किसी बात को न सोचने के कारण ये अतिरिक्त मांगे यहां पर रखी गयी हैं । रेलवे विभाग की कोई उचित योजना न होने के कारण संचालन सम्बन्धी खर्च में वृद्धि हुई है । अत: मेरा सुझाव यह है कि उपयुक्त ढंग से बजट बनाया जाना चाहिये और उपयुक्त ढंग से खर्च किया जाना चाहिये । यदि रेलगाड़ी में सभी लोग टिकट खरीद कर यात्रा करें तो रेलवे को हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता । मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूँगा कि वे जागरूक रहें और रेलवे बोर्ड पर नियंत्रण रखें ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक): मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ 1 फरवरी, 1967 में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था । वर्ष 1968 में माननीय मंत्री उस अतिरिक्त खर्च को विनियमित करवाना चाहते हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

Shri S.M.Joshi (Poona) : I want to point out that the cause of inefficiency, because of which we have to incur this additional expenditure results from the discontentment among the railway staff. Government should take necessary steps to remove this discontentment among the railwaymen.

Shri N.T.Das (Jamui) : I had made certain demands during the course of discussion on Lakhi-Sarai Accident. The hon'ble Minister should look into and fulfil those demands.

रेलवे मंत्री (**श्री चे०मु०पुनाचा**) : यह ठीक है कि उपरोक्त धनराशि वर्ष 1965-66 में खर्च हुई थी । श्री श्रीचन्द गोयल ने बताया है कि ब्रिटेन में खर्च पर नियत्रण रखने के

नियम भिन्न प्रकार के हैं। मैं उनकी बात को स्वीकार करता हूं, परन्तु हमारे देश और ब्रिटेन के वित्तीय ढांचे में बहुत अन्तर है। हमारे देश में संघीय वित्त व्यवस्था है। ये अतिरिक्त मांगे संविधान के अनुच्छेद 115 के अनुसार प्रस्तुत की गयी हैं।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : There is Speaker's ruling that whenever Government comes to know that the expenditure is exceeding the limit of grants, the matter should be brought before the House. But this has not been in this case.

श्री चे०मु० पुनाचा : वस्तु स्थिति यह है कि रेलवे को कोई एक सौदा नहीं करना होता। रेलवे विभाग को कई सौदे करने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं और फिर उन्हें आपस में रेलवे के अन्दर तथा सरकार के बीच कई प्रकार के समायोजन करने होते हैं। महालेखा परीक्षक रेलवे के खर्च का हिसाब करता है और रेलवे को सलाह देता है। इस कार्य में कुछ समय लग ही जाता है। बजट बनाते समय इस खर्च का सही अनुमान लगाना कठिन होता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिये ही अनुच्छेद 115 का उपबन्ध किया गया है।

इस सम्बन्ध में और भी प्रक्रियाएं हैं। महा-लेखा परीक्षक इन सब बातों पर विचार करता है। लेखों की परीक्षा की जाती है और फिर उन्हें मंत्रालयों में भेजा जाता है। उसके बाद इस मामले पर लोक लेखा समिति विचार करती है, अतिरिक्त खर्च के क्षेत्र पर तथा सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर पूर्ण रूप से विचार करके वह समिति इस प्रकार की अतिरिक्त मांगों को संसद में पेश करने की सिफारिश करती है।

Shri George Fernandes : On a point of order, I would like to invite your attention towards page 3950 of the proceedings of 22-8-1968. The hon'ble Minister is misleading the House and therefore I have to read this ruling here. It has been stated in the ruling :

"An exception has been created in article 115. An exception is always an exception and ought to be resorted to in as few instances as possible -- in favour of certain new services and certain excess items which might not have be reasonably anticipated."

It has also been stated in the ruling that as soon as the Government comes to know that it is likely to spend much more than what the House has granted, it must take the sanction. The Speaker further observed that Government ought not to remain satisfied or wait until the Audit Report comes the Public Accounts Committee looks into it.

नियम 241 (4) का उल्लेख किया गया है। मेरा विचार है कि इस नियम की व्याख्या के बारे में कुछ गलतफहमी है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : This matter is very clear. The Minister should express regret in this matter and the question of acceptance of excess demands should not arise.

श्री चे०मु०पुनाचा : मैंने इस विशेष विनिर्णय के सम्बन्ध में माननीय सदस्य के विचार सुने हैं और मेरा विश्वास है कि हम तब अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये विनिर्णय के अनुसार कार्य कर रहे हैं। लोक लेखा समिति के भारतीय रेलों के 1965-66 सम्बन्धी लेखों पर

1967-68 में विचार किया था तथा समिति ने 23वें प्रतिवेदन में, जो 30 अप्रैल, 1968 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, सभा के समक्ष अब प्रस्तुत अतिरिक्त अनुदानों की स्वीकृति दिये जाने की सिफारिश की गई थी। उसके बाद इसे संसद में प्रस्तुत करने में हमने अधिक समय नहीं लगाया है।

इस सम्बन्ध में कुछ प्रक्रिया निर्धारित की गई है और उस प्रक्रिया के अनुसार भारत के महालेखा परीक्षक व्यय पर पूरा नियंत्रण रखते हैं और प्रत्येक मामले की जांच के बाद वह कुछ निष्कर्ष निकालते हैं जिनकी लोक लेखा समिति जांच करती है तथा समिति उसके ब्यौरे की जांच के बाद अपनी सिफारिश करती है। उसके बाद ही हम आवश्यक स्वीकृति लेने के लिये संसद के समक्ष आते हैं। कुछ ऐसी मदें हैं जिनके बारे में ठीक से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और केवल ऐसी मदों के लिये ही हम संसद के समक्ष अतिरिक्त अनुदानों की मांग लेकर आते हैं। हमने केवल चार मांगें प्रस्तुत की हैं। रेलवे मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा नियमों का पूरी तरह पालन किया है।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे (कोलाबा) : मुझे सन्देह है कि माननीय मंत्री लोक-लेखा समिति की क्रियान्विति को ठीक तरह समझ नहीं पाये है। लोक-लेखा समिति सरकार के लेखों की जांच नहीं करती है। महालेखा परीक्षक लेखों की लेखापरीक्षा करता है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जैसे ही विभाग के पास पहुंचता है, उसे लेखा परीक्षा सम्बन्धी आपत्ति का उत्तर देना होता है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (रेलवे), 1967 से आपको पता चलेगा कि उसमें ही आपत्ति उठाई गई थी। अतः यह आवश्यक है कि विभाग को स्वयं ही सभा में तुरन्त आना चाहिये था। परन्तु अब वह यह पक्ष ले रहे हैं कि प्रक्रिया यह है कि लोक लेखा समिति द्वारा जांच किये जाने के बाद ही उन्हें सभा में आना चाहिये। मेरा नम्र निवेदन है कि सिद्धान्त रूप से यह गलत है।

श्री श्री चन्द गोयल (चंडीगढ़) : मालूम होता है कि रेलवे मंत्री ने आपके पूर्वाधिकारी द्वारा दिये गये विनिर्णय को ध्यानपूर्वक नहीं सुना है। वह विनिर्णय यह है कि विभाग को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन फरवरी, 1968 में मिला था। उसके बाद संसद के पांच सत्र हुए है। सरकार को यह मांगे पहले सत्रों में प्रस्तुत करनी चाहिये थीं। इससे सरकार की अदक्षता का प्रमाण मिलता हैं।

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रक्रिया नियमों के नियम 308 (4) में कहा गया है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उसके लिये सभा द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किया गया हो तो समिति उसकी जांच करेगी तथा उचित सिफारिशें करेगी। इन प्रक्रिया नियमों के अनुसार ही ऐसे मामले लोक-लेखा समिति के समक्ष रखे गये हैं जिसने उस की जांच की है।

श्री नारायण दांडेकर : नियम 304 (4) का सम्बन्ध इस बात से है कि लोक-लेखा समिति क्या करेगी, परन्तु इसका इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि मंत्री क्या करेंगे? जबकि जिस विनिर्णय का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उसका सम्बन्ध अतिरिक्त व्यय

के सम्बन्ध में सरकार के दायित्व के बारे में हैं। जब सरकार को अपने लेखा विभाग से इस बात की जानकारी मिलती है तो सम्बन्धित विभाग का कर्त्तव्य हो जाता है कि तुरन्त ही सभा से इसकी जानकारी ले तथा उसकी स्वीकृति ले।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक): इस मामले पर लेखा परीक्षा द्वारा आपत्ति फरवरी, 1967 में उठाई गई थी। लोक लेखा समिति प्राक्कलनों की जांच कर रही थी। यदि उसमें अधिक समय लग गया हो तो उस समय को नहीं गिना जाना चाहिये। मंत्री महोदय ठीक समय पर सभा के समक्ष आये हैं और इसमें कोई गलती नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि इस मामले में प्रथा क्या है ? मैं अभी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता। यदि प्रथा यह है कि अतिरिक्त व्यय किये जाने के बाद लेखा परीक्षा प्रतिवेदन लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाता है और उसकी सिफारिशों के पश्चात वह सभा के समक्ष आता है तो यह अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय का उल्लंघन है। यदि आप अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये विनिर्णय का पालन करना चाहते हैं तो आप को सभा के समक्ष पहले आना चाहिये था।

श्री चे० मु० पुनाचा : यदि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मिलते ही यह मामला सभा के समक्ष लाया जाता तो इसके लिए या तो विशेष समिति नियुक्त की जाती अथवा समूचा सदन इस पर सविस्तार विचार करता। यदि केवल सभा को सूचित करने की बात है तो इसे सभा के समक्ष लाया जा चुका है और सभा को इस बात की जानकारी है कि कुछ अतिरिक्त व्यय किया गया है। यदि उसकी स्वीकृति दिये जाने का प्रश्न है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने प्रक्रिया नियमों पर विचार करने के बाद वह विनिर्णय दिया था।

श्री चे० मु० पुनाचा : श्री गोयल ने ब्रिटिश संसदीय प्रथा तथा अन्य बातों का उल्लेख किया है। अतिरिक्त व्यय के बारे में सभा में परिचालित पत्रों में स्थिति स्पष्ट की गई है। मैं निवेदन करता हूं कि मांगे स्वीकार की जायें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित मांगें सभा में मतदान के लिये रखी गई तथा पूरी की पूरी स्वीकृत हुईः-

The following demands were put and adopted:-

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
2	विविध व्यय	10,34,355
5	राजस्व-कार्य संचालन सम्बन्धी व्यय-मरम्मत तथा संधारण	66,74,139

8	राजस्व कार्य संचालक कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त व्यय	9,55,635
15	चालू लाइन कार्य पूंजी ह्रास, रक्षित निधि तथा विकास निधि	77,85,167

स्वर्ण नियन्त्रण विधेयक
GOLD CONTROL BILL

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वर्ण नियंत्रण विधेयक, 1968 पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। इस विधेयक पर दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति ने विचार किया है तथा समिति का प्रतिवेदन पहले ही सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। यह विधेयक 29 जून, 1968 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के स्थान पर लाया जा रहा है। इसमें नवम्बर 1966 से चालू नियंत्रण के मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की मांग नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में सभा से गई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनके आधार पर इस में संशोधन भी किये गये।

इस विधेयक में नियंत्रण के ढाँचे में यह व्यवस्था की गई है कि स्वर्ण आभूषण बनाने, उनके अर्जन या बिक्री पर शुद्धता के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा, जिन्हें निर्धारित सीमा से अधिक होने की स्थिति में केवल घोषणा करनी होती है। यह सीमायें इस विचार से पर्याप्त ऊंची रखी गई है कि अधिकतर लोगों को ऐसी घोषणा न करनी पड़े। निजी रूप में प्राथमिक सोना रखने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

सोने की ऐसी वस्तुओं पर, जो जनवरी, 1963 में स्वर्ण नियंत्रण नियम लागू करते समय लोगों के पास थी, कोई प्रतिबन्ध नहीं है, परन्तु आभूषणों के अतिरिक्त वस्तुओं को नये सिरे से अर्जित करने पर प्रतिबन्ध है। तथापि सोने के सिक्कों पर छूट दी गई है परन्तु ऐसे सिक्के पांच से अधिक नहीं होने चाहिये तथा वे उपहार अथवा विनिमय द्वारा प्राप्त किये हुए होने चाहिये। सरकार का स्वर्ण शोधनशालाओं पर कड़ा नियंत्रण है तथा वे यथा निर्धारित स्टैण्डर्ड सोने की छड़ों के रूप में केवल प्राथमिक सोने का निर्माण करती हैं। इसका अन्तिम लक्ष्य स्वर्ण शोधन कार्य को शीघ्र राजकीय प्रबन्ध के अन्तर्गत लाना है। प्रमाणित स्वर्णकार न केवल लोगों से बल्कि लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों से भी काम ले सकते हैं। सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं के ढांचे के भाग के रूप में जो सोना है उनके तथा इन संस्थाओं के आभूषणों तथा वस्तुओं के सम्बन्ध में विशेष सुविधायें दी गई हैं।

इन आमूल बातों के अतिरिक्त इस विधेयक में कुछ नये उपबन्ध पुरः स्थापित किये गये हैं जिनसे स्वर्ण नियन्त्रण की प्रक्रिया के बारे में पहलुओं को कठोर बनाया जा सके तथा

ऐसी प्रशासकीय त्रुटियों को दूर किया जा सके जो नियंत्रण योजना के वास्तविक कार्य संचालन के दौरान ध्यान में आई हो। "आभूषण" शब्द की परिभाषा में एक और स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया है जिससे सच्चे आभूषणों के अर्जन, विक्रय तथा कब्जे के लिये विधि में उपलब्ध सुविधा से सोने के कच्चे निर्माण को अलग रखा जा सके। इसके अतिरिक्त एक और उपबन्ध लाइसेंस प्राप्त सभी शोधकों, व्यापारियों तथा स्वर्णकारों पर यह दायित्व डालता है कि उन व्यक्तियों के, जिनसे वे वस्तुएं या आभूषण प्राप्त करते हैं, पते ठिकाने प्राप्त करने के लिये उचित कार्यवाही करें। एक अन्य उपबन्ध लाइसेंस शुदा प्रत्येक व्यापारी अथवा शोधक से यह अपेक्षा करता है कि उनके पास सोने की जो वस्तुएं अथवा आभूषण हैं उन सब की घोषणा करें। यह उपबन्ध प्रमाणित स्वर्णकारों पर लागू नहीं होता।

जनता के हितों की सुरक्षा तथा सम्भावित कदाचारों को रोकने की दृष्टि से एक अन्य नया उपबन्ध रखा गया है। यह उपबन्ध लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों द्वारा बनाये गये अथवा बेचे गये आभूषणों पर शुद्धता की मोहर लगाने की उनसे अपेक्षा करता है। यह उपबन्ध उन प्रमाणित स्वर्णकारों पर लागू नहीं होगा जो केवल अपने ग्राहकों के आदेश पर आभूषण बनाते हैं तथा व्यापारियों की तरह आभूषण खरीदते तथा बेचते नहीं हैं।

जिस संयुक्त समिति ने विभिन्न हितों से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए विधेयक के उपबन्धों पर विचार किया है, उसने इस विधेयक में अनेक परिवर्तन किये हैं। उदाहरणतया, किसी स्वर्णकार को जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है और जिसका समय समय पर पुनर्नवीकरण कराना होता है, वह अब उसके जीवन पर्यन्त मान्य रहेगा। इसके साथ ही स्वर्णकार के परिवार का जो सदस्य इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व एक वर्ष तक स्वर्णकार के काम में उसकी सहायता करता है, वह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दे सकता है, कानूनी प्रश्नों के मामले में उच्च न्यायालय से पूछने के लिये भी एक उपबन्ध किया गया है।

इस विधेयक के पारित हो जाने के शीघ्र पश्चात ही सरकार इस विधेयक के उपबन्धों को जन साधारण की भाषा में स्पष्ट करके समाचार पत्रों आदि में समुचित प्रचार करेगी, क्योंकि इनका जनता तथा व्यापार पर प्रभाव पड़ता है।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के साथ संलग्न विमत्ति टिप्पण में बताया गया है कि यह विधेयक स्वर्णकारों तथा उनके बच्चों के प्रतिकूल है तथा केवल ऐसे विस्थापित स्वर्णकारों को, जिन्होंने पुनर्वास ऋण चुका दिया है, प्रमाणपत्र देने से कठिनाई होगी तथा प्रमाणपत्र जारी करने के साथ लगाई जा रही शर्तें दुखद हैं। इस आलोचना से मुझे कुछ हैरानी होती है क्योंकि इस विधेयक में संयुक्त समिति द्वारा किये गये संशोधनों से स्वर्णकारों को बहुत रियायतें मिलती है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि विमत्ति टिप्पण देते समय अधिकांश सदस्यों ने विधेयक के उद्देश्यों का समर्थन किया है। सरकार ने लोक राय को मान्यता देकर सोने के प्रयोग को धीरे-धीरे निरुत्साहित करने का निर्णय किया है। कुछ विमत्ति टिप्पणों में यह भी कहा गया है कि सरकार की नीति का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिये इसका विरोध किया जाना चाहिये। मुझे खेद है कि मैं इस तर्क को ठीक नहीं मानता।

यह भी कहा गया है कि तस्कर व्यापार चाहे किसी वस्तु का किया जाये, वह हानिकारक है और इसको रोका जाना चाहिए। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में पूरी तरह सतर्क है और सभी उपाय किये जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हर प्रकार का तस्कर व्यापार देश की अर्थ व्यवस्था के लिये हानिकारक है परन्तु सोने की तस्करी तो बहुत ही हानिकारक है। लोगों में सोना रखने की इच्छा कम नहीं हुई है। अतः इससे हमारे विदेशी मुद्रा के साधनों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतः इसकी तस्करी रोकने के लिये विशेष उपाय किये जाते हैं। तस्कर व्यापार विरोधी जो आम उपाय किये गये हैं उनके अतिरिक्त देश में सोने के व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए भी उपाय किये जायेंगे। सोने को जमा रखने के फलस्वरुप देश के एक महत्वपूर्ण साधन का अपव्यय होता है। यदि धन को सोने की खरीद पर लगाने के स्थान इस को लघु बचत योजनाओं तथा अन्य योजनाओं पर लगाया जाये तो सामान्य व्यक्ति को अधिक लाभ होगा। जो लोग सोने की खरीद पर धन लगाते हैं वे वास्तव में उससे लाभ नहीं उठाना चाहते बल्कि अपने धन को छिपाना चाहते हैं। सोने के व्यापार को नियमित करने के बारे में आलोचना की गई है। यदि हम सोने के व्यापार पर कुछ नियंत्रण रखना चाहते हैं तो ऐसा इस व्यापार को नियमित किये बिना नहीं किया जा सकता। व्यापार को नियमित करने के लिए जो प्रतिबन्ध लगाये हैं वे कम से कम तथा अत्यावश्यक हैं।

यह भी कहा गया है कि जनता में सोने की लालसा तथा उसके उपयोग को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। इसके लिए यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि केवल चौदह कैरट सोने के जेवरात बनाये जायें किन्तु इसे बाद में संसद के भीतर तथा बाहर व्यक्त किये गये विचारों के कारण वापिस ले लिया गया था। जनता में सोने की लालसा को कम करने का दूसरा तरीका यह है कि लोगों को इस बारे में योजनाबद्ध तरीके से शिक्षित किया जाये। इस सम्बन्ध में भी जनता के नेताओं से सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में जनता में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और लोगों में सोना जमा करने की आदत को हटाने में सरकार को सहयोग दें।

संसद ने पहले ही सरकार की स्वर्ण सम्बन्धी नीति का समर्थन कर दिया था जबकि उसने स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1965 पास किया था। इस विधेयक पर कोई कड़ी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। मैं प्रस्ताव करता हूं :-

कि लोक समाज के आर्थिक तथा वित्तीय हित में सोने, सोने के आभूषणों तथा सोने की बनी अन्य वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण; सप्लाई, वितरण, प्रयोग तथा इन्हें रखने और इनके व्यापार पर नियंत्रण के लिए तथा तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप में विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लोक समाज के आर्थिक तथा वित्तीय हित में सोने,सोने के आभूषणों तथा सोने की बनी अन्य वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण, सप्लाई. वितरण, प्रयोग तथा इन्हें रखने और इनके व्यापार

पर नियंत्रण के लिये तथा तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप में विचार किया जाये।"

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान खण्ड 39 की ओर दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य को किसी खण्ड विशेष पर आपत्ति है तो वह खण्ड पर चर्चा के समय उसको उठा सकते हैं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। खण्ड 39 में कहा गया है कि कोई भी सुनार बिना वैद्य प्रमाणपत्र के सुनार के रुप में व्यापार नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि माननीय वित्त मन्त्री के विचार में यह विधेयक केवल वर्तमान के लिए है और भविष्य में कोई सुनार नहीं बनेगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में एक पूरी जाति को सुनार कहा जाता है।

अनुच्छेद 19 के खण्ड 6 में सरकार को लोगों के व्यापार सम्बन्धी अधिकार पर कुछ उचित प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार है परन्तु सरकार किसी व्यवसाय को पूर्णतया समाप्त नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त खन्ड 39 (4) में यह भी कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने पर केवल वही व्यक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है जो प्रमाणपत्र प्राप्त सुनार के परिवार का सदस्य हो और जो कम से कम एक वर्ष तक सुनार के कार्य में उसकी सहायता करता रहा हो। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग इसके पश्चात पैदा होंगे उनका क्या बनेगा और जो लोग व्यस्क होने पर अपने पिता के व्यवसाय को अपनायेंगे उनका क्या होगा। उन लोगों के लिए यह व्यवसाय बन्द कर दिया गया है। अतः यह किसी व्यापार को नियमित करना नहीं है बल्कि उसको समाप्त करना है। अतः इस खण्ड पर तथा विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता। यह विधेयक असंवैधानिक है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री ने स्वयं कहा है कि जनता के हित को देखते हुये उचित प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं। अतः इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : यह संविधान तथा मूल अधिकारों के विरुद्ध है। उप- प्रधान मन्त्री भी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते।

श्री मोरारजी देसाई : इस बात का निर्णय करना कि कोई चीज संविधान के अन्तर्गत है अथवा नहीं न्यायालय का काम है। अध्यक्ष महोदय द्वारा कई बार इस सम्बन्ध में व्यवस्था दी जा चुकी है।

जहां तक मूल अधिकारों का प्रश्न है तो वे केवल उन लोगों के लिए जो जीवित है न कि उनके लिए जिन्होंने अभी जन्म लेना है, जो भी विद्यमान नहीं है उन पर यह किस प्रकार लागू हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आया।

श्री नम्बियार : यह जानते हुए कि यह बात प्रत्यक्षरुप से गलत है माननीय मन्त्री कहते हैं कि इसका निर्णय न्यायालय करेगी । हम महसूस करते हैं कि यह गलत है और संविधान के विरुद्ध है । अतः हम इस विधेयक को पास होने की अनुमति नहीं दे सकते ।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : मैं एक कर्मचारी होने के नाते इसमें रुचि रखता हूं । माननीय उप-प्रधान मन्त्री ने अभी कहा कि मूल अधिकार नागरिकों के लिए है ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं अध्यक्ष की व्यवस्था पर निर्भर कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह उचित प्रतिबन्ध है और इससे संविधान का उल्लंघन नहीं होता ।

श्री नम्बियार : आपने अभी व्यवस्था नहीं दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूँ ।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : मेरी बात सुनने के पश्चात् आप व्यवस्था दीजिए । खण्ड 39 (4) के अन्तर्गत सुनार के कार्य को कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित कर दिया गया है । इस खण्ड के अनुसार सुनार के परिवार के अतिरिक्त कोई व्यक्ति इस व्यवसाय को नहीं अपना सकता । अतः यह प्रतिबन्ध उचित नहीं है ।

श्री मोरारजी देसाई : मेरे माननीय मित्र ने खण्ड 39(घ) (4) (घ) को नहीं पढ़ा है जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे वर्ग अथवा क्लास का है जिसको प्रशासक की राय में प्रमाणपत्र दिया जा सकता है तो वह यह व्यवसाय कर सकता है । अतः इस व्यवसाय पर पूर्णरुप से रोक नहीं लगाई है यह एक बहुत ही उचित प्रतिबन्ध है ।

श्री तन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : इस विधेयक में प्रतिबन्ध लगाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति को सम्पत्ति अर्जित करने, रखने अथवा उसको बेचने के मूल अधिकार से रोका जा रहा है । जब तक प्रशासक अथवा नियंत्रक अनुमति न दे तब तक मैं सोना न तो खरीद सकता हूं और न ही उपहार के रूप में ले सकता हूं और न ही इसको बेच सकता हूँ । सोने की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति कितना सोना रख सकता है परन्तु उसपर पूर्णरुप से रोक नहीं लगाई जा सकती । यह खण्ड अनुच्छेद 19 के विरुद्ध है ।

श्री श्री चन्द गोयल (चण्डीगढ़) : वित्त मन्त्री ने कहा है कि आयोग एक ऐसा कानून पास करे तो संविधान के विरुद्ध है । यदि संसद को पता हो, यह विधेयक असंवैधानिक है तो वह इसको पास नहीं करेगी । अनुच्छेद 19 की उप-धारा (छ) में यह कहा गया है कि "सभी नागरिकों को अधिकार है" अर्थात सभी नागरिक चाहे वे आज पैदा हुए हों चाहे उन्होंने अभी जन्म लेना हो । परन्तु इस विधेयक के खण्ड 39 में कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद वैध प्रमाणपत्र के बिना कोई भी व्यक्ति सुनार के रुप में काम नहीं कर सकता ।

इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप आगे आने वाली पीढ़ियों को इस व्यापार से वंचित करना चाहते हैं। क्या इसे उचित प्रतिबन्ध कहा जा सकता है। उप खण्ड (4) के अनुसार प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकेगा परन्तु वह भी केवल कुछ वर्गों द्वारा। मेरा निवेदन है कि हम ऐसा विधान नहीं बना सकते कि जो संविधान में दिये मूल अधिकारों का उल्लघंन करता हो। हमें इस बारे में ध्यान से विचार करना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : वित्त मन्त्री महोदय ने उचित प्रतिबन्धों की बात की है। वह इस प्रकार समाज में समाजवादी भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। मन्त्री महोदय ने अनिवार्य जमा योजना लागू करते समय भी यही बात कही थी। हमने विरोध किया और महान्यायवादी को बुलाकर स्पष्टीकरण कराने की मांग की थी। उन्हें सभा में बुलाया गया था और हमने उनसे प्रश्न पूछे थे। अब इस में स्वर्णकारों के मूल अधिकारों की बात आती है। अतः मेरी मांग है कि अब भी महान्यायवादी को स्पष्टीकरण हेतु बुलाया जाये।

प्रमाणपत्र दिये जाने की जो व्यवस्था की जा रही है मैं उसे सिद्धान्त रूप से गलत समझता हूँ।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे (कोलाबा) : सरकार इस व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को कई वर्गों में बांटने जा रही है। मैं इसे समझ नहीं पाया। सरकार यदि इन लोगों को अपने व्यवसाय द्वारा आजीविका अर्जित करने से वंचित करने जा रही है तो यह संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैंने बहुत कुछ पहले ही सुन लिया है। न्यायालयों का यह काम होगा कि देखें कि क्या यह प्रतिबन्ध उचित है या नहीं ?

Shri George Fernandes : Sir, I rise on a point of order. I am raising it under Article 13 (2) of the Constitution. It says:-

"कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनायेगी जिससे लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो।"

This House is not competent to pass a Bill which contravenes the fundamental rights. The Constitution has put some restrictions on this House. These have got to respected. Now this Bill in my opinion goes against the fundamental rights granted in the Constitution.

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले कही गई बात को ही दोहरा रहे हैं। मेरे विचार में यह मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं बताता हूँ कि यह किस प्रकार मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। आप खंड 101 पर ध्यान दें। इसके अनुसार एक नागरिक की सम्पत्ति, उसे बिना मुआवजा दिये, ली जा रही है।

Shri Deven Sen (Asansol) : Sir, the aim of my amendment is that the discussion on this Bill should be adjourned. The object of this Bill was to check smuggling of gold.

People should be persuaded not to have attachment for gold. I feel that this Bill is not going to achieve these objects.

Secondly, this Bill will throw out of employment lakhs of goldsmiths. They will lose their means of livelihood. Keeping in view all this I request that the debate on this should be adjourned.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–कि "स्वर्ण नियन्त्रण विधेयक, 1968 पर चर्चा स्थगित की जाये"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Shbha Divided

पक्ष में 78	विपक्ष में 110
Ayes 78	Noes 110

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक को परिचालित करने सम्बन्धी दो संशोधन हैं । ये संशोधन संख्या 3 और 2 हैं । ये सभा के समक्ष हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री यशपाल सिंह : मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : यह स्पष्ट है कि जनमत इस विधेयक के विरूद्ध है । मैं इस विधेयक के सिद्धान्तों से अपनी असहमति प्रकट करना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में मैंने अपना विमत्ति टिप्पण भी दिया था ।

इस विधेयक के दो मुख्य उद्देश्य बताये गये हैं । एक तो यह है कि विदेशी मुद्रा बचायी जा सके और दूसरे जमा पड़े सोने को निकाला जा सके ताकि करेंसी को दृढ़ किया जा सके ।

मेरे विचार में यह दोनों उद्देश्य सिद्ध नहीं होंगे । क्योंकि सोने के लाने पर पहले ही प्रतिबन्ध है और अब इससे कोई विशेष अन्तर नहीं होगा ।

मेरा कहना यह है कि पहले यहां से विदेशी मुद्रा जाती है और बाद में तस्करी का सामान आयात होता है । इसके विपरीत कहना ठीक नहीं है । विदेशों में अवैध विदेशी मुद्रा उपलब्ध रहती है जिससे तस्कर व्यापारी लोग खरीद सकते हैं जब तक यह मूल बात नहीं रोकी जायेगी तथा गलत आर्थिक नीतियां नहीं बदली जायेंगी, जिनसे रुपये का मुल्य कम हो रहा है, तब तक तस्करी होती रहेगी ।

जनवरी 1963 में भारत सुरक्षा नियम लागू किये थे । इसके लगभग चार वर्ष बाद 1966 में बड़े योग्य अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की थी जिसका उद्देश्य यह पता

लगाना था कि सोने की तस्करी में गत $3\frac{1}{2}$ वर्षों में कमी हुई है अथवा नहीं। उस समिति ने यह कहा कि अभी इसके बारे में निर्णय देना समय से पूर्व निर्णय करना होगा। वास्तविकता यह थी कि सोने की तस्करी में वृद्धि हुई है। यह बात बाद के आंकड़ों से सिद्ध होती है।

यह कहना भी उचित नहीं है कि यहां के लोग सोने को रखना बन्द कर देंगे। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान और अविकसित देश है यहां के गरीब लोगों के लिये सोने के आभूषण रखना ही एक मात्र प्रसन्नता का साधन है। फिर भला वह उसे कैसे छोड़ सकते हैं। उप प्रधान मन्त्री के यह कहने से वे आभूषण रखना बन्द नहीं करेंगे कि यह जंगली आदत है।

हमारे देश के स्वर्णकार पिछले दो हजार वर्षों से सोने और चांदी के ऐसे आभूषण तैयार कर रहे हैं जिन्हें रख कर प्रसन्नता होती है। लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण यहां के स्वर्णकारों का कार्य समाप्त होता जा रहा है। वह एक बहुत अच्छा तथा कला का कार्य करते थे। परन्तु आगामी दो पीढ़ियों में उन्हें समाप्त कर दिया जायेगा। स्वर्णकारों को तंग किया जायेगा।

महोदय मैंने बहुत से संशोधन रखे हैं तथा मैं उन पर जब समय आयेगा अपने विचार व्यक्त करूंगा। इस विधेयक पर विचार नहीं करना चाहिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : महोदय इस विधेयक के पास करते समय हमारे सामने चार उद्देश्य थे। एक तो यह कि सोने का मूल्य कम हो जाये। दूसरे हम सोने की तस्करी समाप्त करना चाहते थे। तीसरे हम सोने की मांग को कम करना चाहते थे और चौथे जमा किये सोने को बाहर निकालना चाहते थे।

पहले उद्देश्य में हम बिल्कुल विफल रहे हैं।

तस्करी के बारे में केवल सरकार को ठीक तरह पता है परन्तु समाचारपत्रों के अनुसार उसमें भी हमें सफलता नहीं मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि सीमा शुल्क विभाग के कार्य की ठीक प्रकार जांच करनी चाहिये। इसके लिये कुछ व्यापारी भी उत्तरदायी हैं।

तीसरे उद्देश्य में भी हम सफल नहीं हुए क्योंकि सोने की मांग बढ़ती ही जा रही है। साथ ही स्वर्णकारों की बेरोजगारी की समस्या है। यह एक अच्छी कला है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह समाप्त हो जायेगी। यहां आने से पूर्व मैं उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही थी और तब से मुझे इस समस्या की गम्भीरता का अनुमान है। यह एक कुटीर उद्योग है। दिल्ली में स्वर्णकारों की संख्या 1,50,000 है तथा उत्तर प्रदेश में 2,50,000 है और पश्चिमी बंगाल में यह 2 लाख से भी अधिक हैं। हमें देखना है कि यह उद्योग समाप्त न हो जाये।

हम अपने चौथे उद्देश्य अर्थात सोने की जमाखोरी की समाप्ति में भी बहुत सफल नहीं हुए हैं।

मैं समझती हूँ कि यह विधेयक हमारी आशाओं को पूरा नहीं करता तथा मैं इसका पूरी तरह समर्थन नहीं करती हूँ ।

मैं फिर दोहराती हूँ कि हमें स्वर्णकारों को समाप्त नहीं करना है । उन्हें अनावश्यक कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम्) : महोदय, विधेयक का उद्देश्य तस्करी को बन्द करना था । परन्तु इसने तो एक पुरानी कला को समाप्त करने की ठान ली है । मन्त्री महोदय का कहना है कि वे स्वर्णकारों को फिर बसा देंगे । परन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह एक पुरानी कला को भी फिर जीवित कर देंगे । यदि यह एक बार समाप्त हो गई बहुत से विदेशी पर्यटक यहां इन कलाकारों की चीजें देखने आते हैं तथा उन्हें खरीदते भी हैं । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मन्त्री के अन्दर औरगज़ेब की आत्मा आ गई है और जैसे उसने फतहपुर सीकरी में कला को समाप्त किया था । ऐसे ही यह भी एक कला को समाप्त करना चाहते हैं ।

तस्करी के बारे में मेरा कहना यह है कि यह अब भी बन्द नहीं हुई है ।

यह कहना उचित नहीं कि सोना लोगों के पास बेकार पड़ा है । यह लोग जब आवश्यकता होती है तो साहूकार के पास जाकर उसे रहन रखते हैं और धन लेते हैं । इस कारण यह कहना कि यह बेकार है, गलत है ।

इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ ।

Shri Vishwa Nath Pandey : (Salempur) Sir, I have listened to most patiently the speeches of the hon. members who spoke before me. But one thing which we have to see in this context is whether this measure is in the interest of the people. When we see it in that light, I feel that it is in the interest of the people and hence I welcome it. I congratulate the hon. Finance Minister on it.

We find that gold worth crores of rupees is lying furied in our country. It is a demand investment whether it may be in the form of ornaments or in the shape of golden bars. But it has to be utilised for productive purposes of the Nation.

We have not been successful in preventing the hoarding of gold. This is due to the fact that people have not cooperated with the government in this respect.

I want the government to fully rehabilitate those goldsmiths who may be rendered unemployed as a result of this measure. But I can say one tning that the goldsmiths is a section of the people who exploit the people most,

With these words I support this Bill.

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : Sir, the original Act on the subject was passed in 1962. Thereafter the amendments were also made in that Act. This was discussed in the joint committee too. But the time given for its discussion is insufficient.

The people who were likely to be affected by this Bill, should have also been provided with the opportunity to explain their view point. No doubt the basis on which this Bill is being introduced are worth consideration. I agree with the objective of the Bill and I appreciate them because every patriot would like to see that smuggling is stopped. But I feel that this Bill would not achieve its objective. The Goldsmiths would be crushed by this Bill but no Government official has the courage to stop smuggling or apprehend the smugglers. If the Government want to stop smuggling, they have to raise the living standard of the people and remove the disparity in the prices of gold in this country and the gold smuggled into this country. There is a feeling of insecurity in the minds of people just becuase of wrong policies being followed by the Government. They have a feeling that gold can stand in good stead. It helps the man in the time of difficulty, I feel that gold is good not only for an individual life but for the Government as well. The people of this country had donated gold liberally at the time of Pakistani and Chinese aggressions. The people of this country have never betroyed the Government. The Government wants to eliminate the profession of goldsmiths which will be only an addition to the problem of unemployment. If that is the spirit. Government could easily abolish this profession and there was no need to introduce this Bill. It has already been stated that some provisions of the Bill directly hit the fundamental rights. In view of this, the bill should be withdrawn as it violates the Constitution. In case this point is referred to Supreme Court of India it will definetely be set aside.

In view of above the Bill should be amended in such a manner that Goldsmiths do not become unemployed and they may not have to face any undue hardship.

श्रीमती इला पाल चौधरी (कृपनगर) : मैं इस विधेयक की भावना का समर्थन करती हूं। इस विधेयक का उद्देश्य जमा किया हुआ सोना बाहर निकालना, सोने के आन्तरिक मूल्यों को कम करना और देश में सोने का तस्कर व्यापार समाप्त करना है।

जमा किये हुए सोने को बाहर निकालने के लिये सरकार ने स्वर्ण बांड जारी किये थे। रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत में 1800 करोड़ रुपये (आन्तरिक मूल्य) के मूल्य का सोना जमा है। इसका मूल्य बाजार में 4000 करोड़ रुपये है। जब कि स्वर्ण बांडों के फलस्वरूप बहुत कम सोना बाहर निकाला जा सका है, इसका अर्थ यह है कि अब भी लोगों का स्वर्ण आभूषणों से प्रेम है। फिर स्वर्ण आभूषण बेकार नहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि देहाती क्षेत्रों में बुवाई के मौसम में किसान लोग सोना गिरवी रख कर धन उधार लेते है।

मुद्रा से भिन्न प्रयोजन के लिये सोने के प्रयोग के सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि सोने के आभूषणों पर भारी बिक्री कर लगाया जाना चाहिये, जिससे राजकोष को धन प्राप्त होगा।

इस विधेयक का करोड़ों लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। इस विधेयक से लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे। जनता को 2,000 ग्राम सोना रखने की अनुमति है, परन्तु स्वर्णकार इतना सोना भी नहीं रख सकता है। यह विचित्र बात है। समस्त भारत में स्वर्णकारों की 200-300 आत्म-हत्या की घटनायें हुई है। इस प्रकार की आठ घटनायें तो मेरे चुनाव क्षेत्र में हुई है।

इस विधेयक में बहुत से ऐसे खण्ड है जिन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। कलकत्ता के उच्चन्यायालय ने भी 'एक आदेश पास किया है जिसके अनुसार अध्यादेश का खण्ड 49 लागू नहीं होगा"।

लाखों स्वर्णकारों के लिए नये रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। अब तक किसी सरकारी संस्था, कार्यालय अथवा सरकारी उपक्रम में एक भी स्वर्णकार को रोजगार उपलब्ध नहीं हो सका है। इस प्रकार का कलात्मक कार्य करने वालों के लिए अपने व्यवसाय को बदलना कोई आसान बात नहीं है। मेरे विचार में भारत अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया है कि हमें स्वर्ण आभूषणों का निर्यात व्यापार बड़े पैमाने पर करना चाहिये। इस समय बिना किसी प्रोत्साहन के स्वर्ण आभूषणों के निर्यात से 11 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। यदि इस व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाये तो इस से काफी आय होती है। वर्ष 1964 में अमरीका में लगे अन्तर्राष्ट्रीय मेले में अत्यन्त उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार मिला था।

इस उत्कृष्ट कला को नष्ट नहीं होने देना चाहिये। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि स्वर्णकार बेरोजगार न हो और आत्महत्या की कोई घटना न होने पाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का फिर विरोध करता हूं। जिस ढंग से सभी संशोधन को अस्वीकृत किया गया है, हम उससे एकदम असंतुष्ट हैं। हमने संयुक्त समिति में संक्षिप्त मुकदमे का विरोध किया था, परन्तु हमारी बात को स्वीकार नहीं किया गया था। स्वर्ण नियंत्रण आदेश से हमें बताया गया था कि तस्कर व्यापार समाप्त हो जायेगा अथवा वह बहुत कम हो जायेगा और सोने का यहां का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के बराबर हो जायेगा तथा छिपाया गया सोना बाहर आ जायेगा। वास्तव में तस्कर व्यापार में वृद्धि हुई है। हमें पता चला है कि स्वर्णकार नहीं, बल्कि बड़े बड़े व्यापारी तथा राज्यों के मुख्य मंत्री भी तस्कर व्यापार कर रहे हैं। यह कहा गया था कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश से सोने के मूल्य में कमी हो जायेगी। चीनी आक्रमण के समय जनता ने अपने आभूषण सरकार को दिये थे जिससे सरकार हमारी रक्षा कर सके। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस सोने का क्या हुआ? इस सारे मामले की जांच की जानी चाहिये।

I want to say that gold control order has failed to achieve its objectives. I would suggest that in case this issue has not become a prestige issue for the Finance Minister, he should withdraw this Bill.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the chair* }

It is understood that about 100 goldsmiths have committed suicides. I want to know as to who is responsible for these tragic incidents and whether the families would get any compensation ? It has been stated that it is a reasonable restriction. I would like to point out that the entire community of goldsmiths is being wiped out on the plea that Government wants to remove the lure of gold. It is a matter of great regret that Government is making efforts to secure repayment of loans given to the goldsmiths who have now become unemployed.

It may be stated that no one was invited to give evidence before Joint Select Committee. Even Akhil Bhartiya Swarankar Sangh was not invited to give evidence before the Committee. Many organisations had submitted their Memoranda for this purpose.

उपाध्यक्ष महोदय : समस्त सूची पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह ब्यौरा केवल इसलिये दे रहा हूं कि इन लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। हमारे वित्त मन्त्री 'वेंकिंग ला' के बारे में तो बैंक के मालिकों से बात-चीत कर सकते है, परन्तु इस मामले में गरीब स्वर्णकारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के साथ कोई बातचीत नही की गई थी। किसी भी माननीय सदस्य को इस बात का समर्थन नहीं करना चाहिये कि सोने के प्रलोभन को रोकने के लिए इस कानून को रखा जाएगा। इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः इस विधेयक को अस्वीकार कर देना चाहिये।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Deputy Speaker Sir, there is no doubt that Gold control order has put adverse effect on a section of Society. It is just like the case of refugees who have migrated from Pakistan. Lakhs of persons have been thrown out of employment by this order.

The small trader has shifted from villages to cities because he has no business prospects in village. I have all sympathy for the goldsmiths. It is a pity that politics is brought in all matters here. Our Finance Minister has no quarrel with the goldsmiths. He has attached more importance to the interests of country. It was at the time of emergency that this step was taken. It was essential at that time. Our country was facing foreign aggression and we were in dire need of weapons for the security of our country. The big countries wanted us to pay in foreign exchange. For this purpose we wanted gold. We have in our country large quantities of gold lying unused in private possession of people. This should be utilized for the betterment of our people. It is felt now that gold does not remain pure when it is converted into ornaments. Now people have started realising that hoarding of gold is useless. They convert it into cash and arrange for the education of their children. It is not correct that women have been deprived of their possession of gold by this order. We have to see the interests of the country. There have many controls already. Essentials of life have been controlled. Sugar was controlled. Cloth was controlled. The main question is the development of the country.

There is no doubt that goldsmiths have been put to hardship by this order. But the big people of cities have not suffered due to this order. It is only the petty goldsmiths of villages who have been hit hard by this order. I request that Government should provide them all facilities. They should be given alternative employment. Their children should be given preference in services.

The Finance Minister has brought this Bill after considering its pros and cons. He is a firm man and will not cowed down by the slogans of opposition parties. This Bill has been brought keeping in view the National interests. We should all support it.

Shri Rabi Rai (Puri) : I oppose the Bill as it has emerged from the Joint Select Committee. It is very unfortunate that the Finance Minister has not cared for the difficulties and sufferings of the lakhs of poor goldsmiths of this country. It is a bad day for us that this Bill is before us to-day.

It was at the time of Chinese aggression in 1962 that two Bills were brought. One was regarding compulsory Deposits and the second was regardiag Gold control. The first one was withdrawn but unfortunately the second is being continued.

Lakhs of goldsmiths of our country have been deprived of their profession by this order. As my hon. friend Shri Banerjee has said about 1100 goldsmiths have comitted suicide due to frustration. They were compelled to take this extreme step. It is not an act of bravery, but they were helpless. At the time of session of A.I.C.C. at Bombay in

1966 the then Congress President Shri Kamraj had given assurance that Gold Control Order would be repealed, but nothing has been done so far. Similarly many resolutions of Congress Party are dead letter and no action has been taken on them. Now this Bill has been brought in contravention of the assurance of Congress President. Government wants to pass this Bill hurriedly. They want to pass it during this session. They do not know the reaction it will have on lakhs of goldsmiths of this country. Government is not prepared to listen to their request.

If Government wants that people should not have attachment for Gold, they should pass legislation for restricting the ceiling on an individual's property also. The poor Goldsmiths are not indulging in smuggling. They earn their livelihood by making ornaments. They artists of repute. They are now being deprived of their profession. It is not proper. I request the hon. Minister to reconsider the whole matter and withdraw this Biil.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : स्वर्णकारों की कठिनाइयों पर हमें विचार करना होगा। आज देश एक बड़ी कठिन आर्थिक स्थिति में से जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 में रुप–भेद करने के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : MODIFICATIONS TO INCOME-TAX (SECOND AMENDMENT) RULES, 1968

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अनुसरण में, आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 में, जो दिनांक 18 मार्च, 1968 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1112 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 1 अप्रैल, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित रूपभेद दिये जायें, अर्थात् :–

(1) नियम 2 में, प्रस्तावित नियम 11क में, 33⅓ प्रतिशत के स्थान पर '50 प्रतिशत' रखिये।

(2) नियम 2 में, प्रस्तावित नियम 11क में, 20,000 रुपये' के स्थान पर '25,000 रुपये' रखिये।

(3) नियम 5 में प्रस्तावित नियम 19क में, उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

(6) संगणन अवधि के प्रथम दिन नियोजित पूंजी की परिणामी राशि में, इस नियम के अधीन निर्धारित, निम्न प्रकार वृद्धि की जायेगी:–

(एक) संगणन अवधि के दौरान अर्जित निर्धारित आस्तियों (जहाजों सहित) की औसत लागत; और

(दो) संगणन अवधि के लिए करों के पश्चात् शुद्ध लाभों का आधा भाग : बशर्ते कि यदि ऐसी अवधि में हानियां हुई हैं, तो नियोजित पूंजी की उपरोक्त परिणामी राशि से ऐसी हानियों का आधा भाग निकाल दिया जायेगा।

(7) इस नियम में, किसी आस्ति के सम्बन्ध में 'औसत लागत' का अर्थ उसकी वास्तविक लागत के ऐसे अनुपात से है जो संगणन अवधि, जिसमें ऐसी आस्ति का व्यापार में प्रयोग किया जाता है, के दिनों की संख्या और उक्त अवधि के दिनों की कुल संख्या में हो।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

मैं पहले प्रस्ताव के दूसरे भाग के बारे में कहूँगा क्योंकि वह अधिक महत्वपूर्ण है। आयकर अधिनियम की धारा 80 के अनुसार नये औद्योगिक उपक्रमों को पहले पांच वर्षों में 6 प्रतिशत आय पर कर नहीं देना होगा। इसके अनुसार वर्ष के आरम्भ लगायी गई पूंजी को आधार माना जायेगा, परन्तु यदि वर्ष के दौरान कोई पूंजी लगायी गई हो तो उसे इस प्रयोजन के लिये शामिल नहीं किया जायेगा। इस के संशोधन के किये जाने से पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। इसके अतिरिक्त उद्योग को लाभ भी होते हैं और इससे पूंजी में वृद्धि होती है। यह उचित होगा कि आय के आधे भाग को पूंजी में शामिल समझा जाये। मैं समझ नहीं पाया कि नियमों के संशोधन करते समय इन दो बातों को क्यों समाप्त कर दिया गया था। केन्द्रीय बोर्ड कानूनों के संशोधन के समय कर निर्धारियों के विरुद्ध ही कदम उठाता है। बोर्ड को निष्पक्ष रहकर कार्य करना चाहिये और नियमों को ऐसे ही बनाना चाहिये।

मेरे प्रस्ताव के पहले भाग का सम्बन्ध लेखकों, नाटककारों और कलाकारों से है। हमें समाज के इस वर्ग के प्रति उदारता का व्यवहार करना चाहिये। आज का कर कानून उनके प्रति बहुत कठोर है। उनकी आय निश्चित नहीं होती। चलचित्र कलाकारों की विशेषतः कुछ ही वर्षों में अच्छी आय रहती है और तत्पश्चात उनकी आय लगभग समाप्त ही हो जाती है। उन्हें कर से अधिक छूट मिलनी चाहिये। मेरे संशोधन का यही आशय है।

मैं कर अपवंचन का सदैव विरोध करता हूँ और मेरा सुझाव है कि इसके दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। परन्तु हमें यह भी देखना चाहिये कि कर भी न्यायोचित हो। अतः सरकार को आयकर में रूपभेद कर देना चाहिये। चलचित्र कलाकारों को छूट सम्बन्धी मेरा सुझाव स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। श्री दार ने लेखकों और कलाकारों के बीमा-पत्रों के लिये छूट में कमी की मांग की है। यह ठीक नहीं है।

~~Shri Abdul Gani Dar~~ (Gurgaon) : I feel three ~~categories of persons in our country~~ are leading lavish lives in our country. They are first those who are occupying the high Government offices, secon ly those who are big businessmen like Tata and Birla and thirdly who are artists and film actors.

I want that there are two ways before us at present. Either we shou'd pay our taxes honestly or we should continue to evade taxes. The difficulty is that ruling persons do not agree to our proposals. It was in 195 that Shri Morarji Desai visited Punjab and we brought to his not ce the fact that near relations of Ministers of the State were indulging in large scale smuggling. He did not take any action at that time. Afterwards the Das Commission had to be appointed. I feel the actors do not show their exact income. They show fictitions figures in their returns. It should be looked into.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं श्री दार की इस कामना से सहमत हूँ कि इस देश में रामराज्य स्थापित हो और लोग समय पर करों की अदायगी करें ? परन्तु मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

वह इस बात से सहमत होंगे कि लेखकों, कलाकारों तथा नाटककारों की अन्य लोगों के समान निरन्तर आय नहीं होती । फिर उनकी थोड़े समय के लिये आय रहती है । केवल कुछ वर्ष ही उनकी बहुत अधिक आय होती है । अतः उनके लिये अन्य लोगों की अपेक्षा विशेष ध्यान की आवश्यकता है । उनके द्वारा धन जमा रखने के लिये हमने विशेष तरीका स्वीकार किया है ।

श्री कोठारी का एक और सुझाव है कि 33⅓ प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाये । यह मुझे व्यावहारिक मालूम नहीं पड़ता । उनका एक और सुझाव यह है कि 20,000 रुपये के धन की सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया जाये । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री कोठारी जी ने कर लगाने के लिये पूंजी की राशि निश्चित करने के लिये कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया है । इस बारे में सरकार ने श्री भूतलिंगम की सिफारिशों के अनुसार प्रक्रिया को सरल करने के साथ करदाताओं को कुछ लाभ भी पहुँचाये हैं । मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अब इस पर जोर न दें । मैंने उनका एक सुझाव स्वीकार कर लिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधित प्रस्ताव सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अनुसरण में आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 में, जो दिनांक 18 मार्च, 1968 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1112 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 1 अप्रैल, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित रूपभेद किया जाय अर्थात :—

नियम 2 में, प्रस्तावित नियम 11क में, 20,000 रुपये के स्थान पर 25,000 रुपये रखिए ।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Abdul Gani Dar : I beg leave of the House to withdraw my motion.

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The motion was, by leave withdrawn.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

बाईसवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का बाईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, 21 अगस्त, 1968/30 श्रावण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 21, 1968, Sravana 30, 1890 (Saka).